CONTENTS

Sixteenth Series, Vol.XVII, Eighth Session, 2016/1938 (Saka) No.05, Friday, April 29, 2016/Vaisakha 9, 1938 (Saka)

SUBJECT	PAGES
REFERENCE BY THE SPEAKER Congratulations to scientists and technologists of ISRO on successful launch of Seventh Navigation Satellite System	10
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS	
*Starred Question Nos.81 to 86	11-120
WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS	
Starred Question Nos.87 to 100	121-162
Unstarred Question Nos.921 to 1150	163-637

_

^{*} The sign + marked above the name of a Member indicates that the Question was actually asked on the floor of the House by that Member.

PAPERS LAID ON THE TABLE	638-654
MESSAGES FROM RAJYA SABHA	655-657
FINANCIAL COMMITTEES-(2014-15)-A REVIEW	658
STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE 231 st and 232 nd Reports	658
STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE 95 th Report	658
BUSINESS OF THE HOUSE	659-665
DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2016-17 Ministry of Social Justice and Empowerment	689-691
Shri Sanatokh Singh Chaudhary	691
Cut Motions	673-749
Shri Hukmdeo Narayan Yadav	673-682
Shri Saumitra Khan	683-686
Shri Balabhadra Majhi	687-691
Dr. Ravindra Babu	692-697
Shri B. Vinod Kumar	698-703
Shri Md. Badaruddoza Khan	705-708
Shri Mekapati Rajamohan Reddy	709-711
Shri Faggan Singh Kulaste	712-716
Shri Dharmendra yadav	718-723
Shri Sher Singh Ghubaya	724-726
Shri Jai Prakash Narayan Yadav	727-729
Shri D. K. Suresh	730-735
Shri Ladu Kishore Swain	736-737

Shri Ajay Misra Ten	i	738
Shrimati Anju Bala		739-740
Shri Jhina Hikaka		741
Prof. Richard Hay		742-743
Shri Shrirang Appaa	Barne	744-745
Shri Shankar Prasad	Datta	746
Shri Dushyant Chau	tala	747-749
MOTION RE: 21 st REPO ON PRIVATE MEMBER RESOLUTIONS		750
PRIVATE MEMBERS' B	BILLS- Introduced	
(Substitution	nology (Amendment) Bill, 2016 in of new section for section 78) Kirit Somaiya	751
Orders (Amendm	neduled Castes and Scheduled Trib nent) Bill, 2016 ri Mahendra Nath Pandey	es) 751
(Amendment of a	nendment) Bill, 2016 **rticles 243G and 243W) ri Rajesh Ranjan	752
\	kers (Timely Payment of Dues) Bi of. Saugata Roy	ill, 2016 752
(v)Constitution (Am (Insertion of new By Pro		753
(Amendment of a	nendment) Bill, 2016 <i>rticle 72)</i> ri Anurag Singh Thakur	753

(vii)National Sports Ethics Commission Bill, 2016 By Shri Anurag Singh Thakur	754
(viii)Constitution (Amendment) Bill, 2016 (Amendment of the Seventh Schedule) By Shri Anurag Singh Thakur	754
(ix)Life Insurance Agents Welfare Bill, 2016 By Shri Anurag Singh Thakur	755
(x)Financial Assistance for Girl Child Born to Parents Living Below Poverty Line Bill, 2016 By Shrimati Ranjeet Ranjan	755
(xi)Electro Homoeopathy System of Medicine (Recognition) Bill, 2016 By Shrimati Ranjeet Ranjan	756
(xii)Electricity (Amendment) Bill, 2016 (Amendment of section 113) By Shri Dushyant Chautala	756
(xiii)Competition (Amendment) Bill, 2016 (Amendment of section 53D) By Shri Dushyant Chautala	757
(xiv)Consumer Protection (Amendment) Bill, 2016 (Amendment of section 16 and 20) By Shri Dushyant Chautala	757
(xv)Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2016 (Amendment of section 14C) By Shri Dushyant Chautala	758
(xvi)Prevention of Adverse Photography Bill, 2016 By Shri Rajeev Satav	758
(xvii)National Witness Protection Bill, 2016 By Dr. Kirit P. Solanki	759

(xviii) Environment Protection (Control of Non Biodegradable Garbage) Bill, 2016 By Shri Sharad Tripathi	759
(xix)Timely Filling of Vacancies in Central Public Sector Enterprises Bill, 2016 By Shri Baijayant Jay Panda	760
(xx)Timely Commencement of Laws Bill, 2016 By Shri Baijayant Jay Panda	760
(xxi)Geotag-Enabled Monitoring of Public Works Bill By Shri Baijayant Jay Panda	761
(xxii)Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2016 (Substitution of new section for section 124A) By Prof. Saugata Roy	761
(xxiii)Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2016 (Substitution of new section for section 124A) By Shri Bhartruhari Mahtab	762
(xxiv) National Green Tribunal (Amendment) Bill, 2016 (Amendment of section 5) By Shri Ravneet Singh	762
(xxv)Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2016 By Shri Bhairon Prasad Mishra	763
(xxvi)Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 (Amendment of section 40) By Shri Shrirang Appa Barne	763
(xxvii)Port Trusts (Reservation in Employment to Local persons) Bill, 2016 By Shri Shrirang Appa Barne	764
(xxviii)Heritage Cities and Sites Development Bill, 2016 By Shri Shrirang Appa Barne	764

(xxix)High Court at Allahabad (Establishment of a Permanent Bench at Meerut) Bill, 2016 By Shri Rajendra Agrawal	765
(xxx)Economically Weaker Class (Provision of Certain Facilities) Bill, 2016 By Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	765
(xxxi)Mentally Retarded Children (Welfare) Bill, 2016 By Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank	766
(xxxii)Constitution (Amendment) Bill, 2016 (Amendment of the Third Schedule) By Shri Gopal Shetty	766
(xxxiii)Compulsory teaching of sanitation and cleanliness in schools Bill, 2016 By Shri Om Birla	786
RIGHTS OF TRANSGENDER PERSONS BILL, 2014	767-823
Shri Ajay Misra Teni	767-774
Prof. Saugata Roy	775-785
Kunwar Bharatendra Singh	787-793
Dr. Ravindra Babu	794-797
Shri Nishikant Dubey	798-812
Shri Anurag Singh Thakur	813-822
ANNEXURE – I	
Member-wise Index to Starred Questions	824
Member-wise Index to Unstarred Questions	825-829
ANNEXURE – II	
Ministry-wise Index to Starred Questions	830
Ministry-wise Index to Unstarred Questions	831

OFFICERS OF LOK SABHA

THE SPEAKER

Shrimati Sumitra Mahajan

THE DEPUTY SPEAKER

Dr. M. Thambidurai

PANEL OF CHAIRPERSONS

Shri Arjun Charan Sethi
Shri Hukmdeo Narayan Yadav
Shri Anandrao Adsul
Shri Pralhad Joshi
Dr. Ratna De (Nag)
Shri Ramen Deka
Shri Konakalla Narayana Rao
Shri Hukum Singh
Shri K.H. Muniyappa
Dr. P. Venugopal

SECRETARY GENERAL

Shri Anoop Mishra

LOK SABHA DEBATES

LOK SABHA

Friday, April 29, 2016/Vaisakha 9, 1938 (Saka)

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock

[HON. SPEAKER in the Chair]

REFERENCE BY THE SPEAKER

Congratulations to scientists and technologists of ISRO on successful launch of Seventh Navigation Satellite System

HON. SPEAKER: Hon. Members, our country successfully launched the seventh navigation satellite of the series, the Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS-1G) through Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV-C33) from Sriharikota, Andhra Pradesh on 28th April, 2016. With this launch, India would successfully establish its own navigation satellite system.

We are extremely proud of this accomplishment by our space scientists.

The House conveys its congratulations to the Scientists and Technologists of the Indian Space Research Organisation and wishes them success in all their future endeavours.

11.02 hours

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

(Q.81)

श्री नाना पटोले: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न सरकार के सामने लाना चाहता हूं। सरकार ने एक नया व्यापक कानून काला धन (अघोशिषत विदेशी आय और परिसम्पत्तियां) और कर आरोपण अधिनियम, 2015 का अधिनियमन जो विशेषतौर पर विदेश में छिपाए गए काले धन के मुद्दे से और अधिक प्रभावी ढंग से निपटने के लिए 01.07.2015 से प्रभावी हुआ है। खेती में जो आय ज्यादा दिखाई जाती है, मैंने उस माध्यम से प्रश्न रखा है। पहले केवल कारोबारियों द्वारा अपनी आमदनी को कम दिखाकर कर चोरी को बढ़ावा दिया जा रहा था जो आज भी जारी है। माननीय वित्त मंत्री जी ने भी उजागर किया था कि बोगस कृषि आय दिखाकर चोरी की घटनाएं हो रही हैं। वर्तमान में ऐसी घटनाएं वर्ष 2011-2012, 2012-2013 में देश में कुछ किसानों ने कृषि उपज को करोड़ों-अरबों रुपयों में दर्शाकर कर चोरी की जो एक जालसाजी के तहत प्रचारित हुआ है। इसमें मनी लॉड्रिंग का मामला उजागर होकर प्रकाश में आया है। मेरा प्रश्न है कि टैक्स चोरी जो देश के साथ जालसाजी अपराध है, इसे रोकने हेतु सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है? मैं सदन के माध्यम से जनहित में जानना चाहता हूं कि क्या सरकार ने अब तक केन्द्र और राज्यों में इस तरह के आपराधिक मामलों की जांच की? यदि हां, तो आरोपियों का राज्यवार ब्यौरा क्या है?...(व्यवधान) उनमें से कितने लोगों पर कानूनी कार्यवाही करके उन्हें दंडित किया गया है?...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आपको सैकिंड सप्लीमैंट्री मिलेगी। अभी बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री जयंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, जैसे माननीय सांसद ने खुद कहा कि उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं आपके माध्यम से माननीय सांसदों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हम टैक्स चोरी के लिए जो कर रहे हैं, मैं कहूंगा कि इस विषय में हमारे क्रान्तिकारी कदम रहे हैं। इसके तीन-चार पहलू हैं जिन्हें मैं व्यापक रूप से समझाना चाहता हूं। पहली बात यह है कि हमें समझना चाहिए कि जो टैक्स कलैक्शन हो रहा है, उसमें हम काफी वृद्धि ला सकते हैं और वृद्धि लाए भी हैं। अगर हमें वृद्धि लाना है तो हम लोग टैक्स नेट को ज्यादा नहीं बढ़ा सकते हैं जो टैक्स में चोरी हो रही है, कम्पलायांस में किमयां हैं उसे हमें और बेहतर बनाना है। कई लोग इस बात को उठाते हैं कि आज के समय शायद 3 या 4 प्रतिशत लोग

टैक्स भर रहे हैं। यह गलतफहमी है। मैं आपके सामने आंकड़े रखना चाहता हूं। पिछली सरकार के दौरान करीब 5 करोड़ टैक्सपेयर थे जो अब बढ़कर 5.8 करोड़ तक हो गए हैं। अगर हम 5.8 करोड़ टैक्स पेयर को देखते हैं तो हमें 1.25 बिलियन देशवासियों को उस नजरिए से नहीं देखना चाहिए। हमें यह समझना चाहिए कि ऐसे कितने हाउसहोल्ड हैं जो टैक्स भर सकते हैं, वे करीब 25 करोड़ हाऊसहोल्ड हैं। 18 करोड़ रूरल हाऊसहोल्ड हैं, एग्रीकल्चरल इनकम पर टैक्स नहीं लगाया जाता, रूरल हाऊसहोल्ड करीब 1 करोड़ हैं जो टैक्स दे सकते हैं इसके साथ अरबन हाऊसहोल्ड हैं जो आज के समय करीब 7 करोड़ हैं उनमें भी करीब आधे से ज्यादा लोग ऐसे होंगे जो टैक्स नहीं भर सकते हैं। अगर हम एड्रेसिबल टैक्सपेयर पॉपूलेशन को देखें यह कितना हो सकता है। आज अगर आप विशेषज्ञों से पूछेंगे तो वह कहेंगे कि करीब 4-6 करोड़ लोग इस देश में इलिजिबल टैक्सपेयर हैं, 5.8 करोड़ लोग टैक्स नेट में आ गए हैं, अगर कहीं कमी है तो हमें उसे स्मॉल फार्म में देखना पड़ेगा जहां करीब 50% स्मॉलर फार्म हैं जिनको टैक्स देना चाहिए वह टैक्स दे रहे हैं और 50% नहीं दे रहे हैं। वहां हम लोगों की नजर लगी हुई है कि हम लोग वहां टैक्स चोरी रोकें। इसके साथ टैक्स नेट के साथ कम्पलायंस पर भी जोर देना है चाहे वह डॉयरेक्ट टैक्स हो या इन-डायरेक्ट टैक्स हो, हम लोगों की बड़ी कार्रवाई चल रही है। अगर आप प्रोसिक्यूशन देखें, पिछली सरकार में सर्च और सिजर की एक्टिविटी चल रही थी और इस सरकार से तुलना करें तो नजर आएगा कि जो कार्रवाई होनी चाहिए उसमें भी वृद्धि हुई है। आज के समय डॉयरेक्ट टैक्सेस की तरफ प्रोसिक्यूशन और कम्पाउन्डिंग कर रहे हैं वह करीब 30% बढ़ चुका है। अगर हम इनडायरेक्ट टैक्स की बात करें तो सेंट्रल एक्साइज और सर्विस टैक्स में वृद्धि हुई है वह करीब 66% है और कस्टम में बहुत ज्यादा हुई है, कस्टम में तो गोल्ड रमगलिंग भी बढ़ गई है, कस्टम में 600 से ज्यादा प्रोसिक्यूशन लाँच किए हैं। जहां भी टैक्स चोरी हो रही है, चाहे टैक्स नेट में लोगों को लाने की बात हो या कम्पलायंस के नजरिए से देखें हमारी सरकार की तरफ से बहुत सख्ती से कार्रवाई हो रही है।

श्री नाना पटोले: अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी को बताना चाहूंगा कि 2015 में कृषि मंत्री जी ने अतारांकित प्रश्न का जवाब दिया था, प्रश्न सं. 168 था, उसमें कहा गया था कि कुछ राज्यों का गृह विभाग द्वारा नेशनल सैंपल सर्वे आर्गनाइजेशन द्वारा सर्वे कराया गया था उसमें महाराष्ट्र के किसानों की मंथली आय करीब 7000 रुपये के करीब बताया, पंजाब का 18,000 रुपये, बिहार का 3500 रुपये बताया गया। मेरा प्रश्न सिंपल हैं। नेशनल सैंपल सर्वे आर्गनाइजेशन के माध्यम से सर्वे आया है वह भी सही नहीं है। अगर किसानों की आय करोड़ों रुपये होती तो वह क्यों आत्महत्या करते। कुछ फार्म हाऊसेज हैं, कुछ बड़े बिजनेसमैन हैं, कुछ पॉलिटिशयन भी हैं, इसमें ज्यादा आय दिखाकर काला धन छुपाते हैं। ऐसे कितने लोगों

पर सरकार ने कार्रवाई की है क्योंकि इसमें जीडीपी बढ़ती है। किसान को जो फायदा मिलना चाहिए वह नहीं मिलता और किसानों का बड़े पैमाने पर आत्महत्या इस देश में हो रहा है। मेरा प्रश्न उसी के बारे में हैं। मंत्री जी इस बारे में जवाब दें।

श्री जयंत सिन्हा: अध्यक्ष महोदया, माननीय सांसद बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अगर हम लोगों को ग्रामीण क्षेत्रों में खर्च बढ़ाना है, उससे हम सभी लोग सहमत हैं। बजट में भी दिखाया है कि हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में भी ज्यादा निवेश कर रहे हैं उस खर्च को बढ़ाने के लिए टैक्स कलैक्शन बढ़ाना है। माननीय सांसद की राय है कि एग्रीकल्चरल इनकम में टैक्स चोरी हो रही है। एग्रीकल्चर के नाम पर इनकम को छुपाया जा रहा है।

अध्यक्ष महोदया, मैं उन्हें आश्वस्त करना चाहता हूं कि यदि आप एस.ई.सी.सी. डेटा देखें, तो उससे आपको पता चलेगा कि 91.7 परसेंट ऑफ रूरल हाउस होल्ड्स की मंथली इन्कम 10 हजार रुपए से कम है, तो एग्रीकल्चरल इन्कम वैसे भी कम है। हम लोगों को आजकल इन्कम टैक्स डेटा के माध्यम से पता चल रहा है कि एग्रीकल्चरल इन्कम हर साल करीब 15 हजार करोड़ रुपए के आसपास लोग डिक्लेयर कर रहे हैं। हम लोगों ने इस बारे में काफी जांच की है, इस पर काफी सर्च एवं सीजर ऑपरेशन्स भी हुए हैं और काफी इन्वेस्टीगेशन्स भी हुए हैं। उन्हें देखने से हमें नहीं लग रहा है कि एग्रीकल्चर इन्कम बहुत ज्यादा है। देश में इस प्रकार की बात चलाई जाती है कि एग्रीकल्चर इन्कम के द्वारा बहुत पैसों को छिपाया जा रहा है, लेकिन वैसा हमें प्रतीत नहीं होता है।

महोदया, आपको याद रखना होगा कि इस सरकार के खर्चे करीब 18-19 लाख करोड़ हैं, उसमें 15, 20 या 30 हजार करोड़ रुपए उतने ज्यादा नहीं होते हैं। कुछ ऐसी जगहें हैं, जहां हम कंपलायन्स कर रहे हैं, फिर चाहे वह फॉरेन ब्लैक मनी हो, डॉमेस्टिक ब्लैक मनी हो, ट्रेड बेस मनी लॉंड्रिंग हो। हम लोगों की इसमें राय यह है कि अगर इन जगहों को देखें, तो हमें वहां ज्यादा टैक्स चोरी मिलेगी। एग्रीकल्चरल इन्कम में कम टैक्स चोरी मिलेगी। यह हमारी तथा हमारे सभी विशोज्ञों और इन्वेस्टीगेटर्स की राय है।

HON. SPEAKER: Shri Nalin Kumar Kateel - not present

डॉ. **किरीट सोमैया :** माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसमें टैक्स इवेज़न साथ में मनी लाँड्रिंग ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष: आप तो पहले भी सांसद रह चुके हैं। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि आपको प्रश्न पूछना हो, तो आप बोलो, मैं आपको सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने के लिए अलाऊ करूंगी। मगर आप हाथ खड़ा करो, मुंह से बोलो, तो मैं आपको सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछने के लिए अवश्य समय दूंगी, लेकिन इस तरह से

बीच में खड़े होकर शोर मचाना ठीक नहीं है। इस प्रकार से मैं आपको बोलने के लिए अलाऊ नहीं करूंगी। जरा तरीका तो समझो।

डॉ. किरीट सोमैया: अध्यक्ष महोदया, मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया, जो प्रश्न है, उसमें टैक्स एवाइडेंस मनी लाँड्रिंग, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों के संबंध में बात कही गई है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि आपने जैसा कहा कि एक्सटर्नल और इंटर्नल मनी लाँड्रिंग जो होता है, पार्किंग ऑफ स्केम मनी होता है, तो फिलहाल जो नई चीजें उभर कर आई हैं, जैसे पनामा पेपर्स से बातें लीक हुई हैं, जैसे टैक्स हैवन हैं, उनसे पता चला कि किस प्रकार से किसी पूर्व माननीय मंत्री के पुत्र ने पिता जी की इन्कम, सीको कैपीटल, वासन हैल्थ केयर और एडवांटेज स्ट्रेटैजिक कंसल्टिंग आदि कंपनियों के 100 रुपए के शेयर को 7500 रुपए में बेचा और चार अलग-अलग लोग विल करते हैं, उन्हीं की ग्रांड डॉटर के नाम से विल करते हैं ... (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आप प्रश्न पूछिए।

डॉ. **किरीट सोमैया :** मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इन सब मामलों में इन्कम टैक्स अथॉरिटीज ने, ई.डी. ने कुछ जांच की है। इस बारे में मीडिया में कुछ रिपोर्ट्स आई हैं। जैसे हमारे महाराष्ट्र में उस समय के मंत्री, ... (Interruptions)...* पर कार्रवाई हुई, वे जेल में गए। ...(व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष : आप इस प्रकार से नाम नहीं ले सकते हैं। यहां उनका नाम नहीं आएगा। आप समझदार हैं, क्यों आप किसी का नाम लेते हैं, जब आपको मालूम है कि नाम नहीं लेना चाहिए? नाम रिकॉर्ड पर नहीं जाएगा।

वित्त मंत्री, कॉर्पोरेट कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री अरुण जेटली): माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य के प्रश्न के उत्तर में, मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि जितने भी इस प्रकार के मामले टैक्स विभाग की नजर में आ रहे हैं, उनमें से हरेक को टैक्स विभाग उपयुक्त नोटिस देकर, इन्कम टैक्स एक्ट और जितने भी संबंधित कानून हैं, उन कानूनों के अनुसार कार्रवाई कर रहा है।

महोदया, जहां तक इंडीविजुअल केसेस के संबंध में माननीय सदस्य ने पूछा है, इस बारे में मैंने पहले भी सदन में कहा था कि इन्कम टैक्स एक्ट में सैक्शन 138 है, जिसमें यह बाध्यता है कि किसी प्रोसीडिंग की जानकारी तब तक सार्वजिनक नहीं की जा सकती जब तक कि उसके खिलाफ कोर्ट में केस फाइन न हो। इसलिए इंडीविजुअल केस के संबंध में जानकारी रखना, उसकी कठिनाई कानून में ही लिखी है, लेकिन जो भी कानूनन कार्रवाई इन केसेस में होती है, वह कार्रवाई इन्कम टैक्स विभाग कर रहा है।

_

^{*} Not recorded.

पनामा पेपर्स के संबंध में भी जिस-जिस के नाम आए हैं, हरेक को नोटिस दिया गया है और उसकी पूरी जानकारी ली जा रही है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Madam Speaker, in the reply itself, in recent past निर्देश दिय गए हैं relating to black money. As per the direction of the Supreme Court when the UPA was in power, the first decision this Government had taken was for constituting the Special Investigation Team. Two former judges of the Supreme Court are in charge of this Special Investigation Team on Black Money under the chairmanship and vice-chairmanship of two former judges of the hon. Supreme Court of India.

It has been around two years since the setting up of SIT. As far as I believe it is not a permanent body which will continue to exist and there was certain mandate before the Special Investigating Team. जो ब्लैक मनी देश में है, उसकी जानकारी प्राप्त करके क्या वह सरकार को सजैशन देंगे कि किस तरह उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और जो अनअकाउंटेड मनी बाहर जमा है, उस बारे में भी क्या सजैशन देंगे? मैं यह पूछना चाहता हूं कि अनअकाउंटेड मनी, टैक्स इवैशन, मनी पार्क्ड आउटसाइड के बारे में एसआईटी ने क्या सरकार या सुप्रीम कोर्ट को कोई सजैशन या रिपोर्ट दी है?

Secondly, has SIT suggested what new law is to be enacted which will minimise the creation of black money in the country?

SHRI JAYANT SINHA: Madam Speaker, we have received a wide set of recommendations from the SIT, which, of course, the hon. Member has noted was constituted and which was one of the first actions of this Government. The recommendations have been included and efforts have been undertaken through the Black Money (Undisclosed Foreign Income and Assets) and Imposition of Tax Act, which was passed in this august House and which, of course, has resulted in a certain level of compliance. There has been a series of investigations and it is because of that set of disclosures which we got through HSBC as well as through the International Committee of Journalists and most recent has been the Panama Papers, as hon. Finance Minister has indicated, notices have already been sent out.

So, as far as actions undertaken on foreign black money are concerned, we have benefited greatly from the suggestions that they have provided.

As far as domestic black money is concerned, a number of suggestions have been provided there including the disclosure of PAN Card for Rs.2 lakh, restrictions on real estate, which we have implemented, fair market value assessment on certain transactions both for real estate as well as listed and unlisted assets. Then, of course, disclosure requirement themselves have been stepped up in income tax returns. So, you can see that SIT is doing a very commendable job in terms of providing us a number of suggestions on what we can do to address foreign and domestic black money and the stock of black money that exists in this country plus the flow the black money which we are also compressing.

(Q.82)

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA: Thank you, Madam Speaker, for giving me this opportunity. The Minister has given a very elaborate reply regarding the question that has been pushed. I thank the Minister for his reply. But in the entire reply I see that there is a coordination gap between the States and the Centre.

To stop the practice of medication like freely available OTC medicines prescription by chemists, fertile ground for wrong dose combinations, development of microbial resistance etc., the ban on Fixed Dose Combination (FDC) drugs by the Union Government is a welcome step because it is preventing the people from being more exposed to side effects. It would result in some inconvenience in the beginning but at a later stage it would be highly beneficial.

I feel that in the answer there is a lack of coordination between the State mechanism and the Union Government. I wish to know from the hon. Minister, through you, Madam, whether there is a special mechanism being worked out by the Union Government to work in coordination with the States because the States give licences for manufacturing units whereas final product licence has to be given by the Union Government or the Central Drug Department. I would like to know from the Minister whether there is a mechanism that is being formulated by the Union Government in coordination with the State Governments so that we produce qualitative drugs.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: Madam, what the hon. Member has said is correct because at one point of time due to lack of coordination this situation came where the State licensing authorities started giving licences, which was primarily the duty of the Central Drug Control and the Director General of DCGI. The DCGI is the sole agency which has to give the licences. It is because of the coordination between the two that the Central Drug Controller Organisation came into action and these drugs were found out and licences for 344 fixed dose drug combinations were cancelled.

At this point of time, we are also trying to strengthen the State Drug Control Authority and for that, a comprehensive programme has been made and approximately Rs. 1,700 crore are being spent on this where we are going to strengthen it and see to it that we work in coordination with each other.

It is because of the coordination only that this result has come now. Further, we will have more coordination.

SHRIMATI KOTHAPALLI GEETHA: I would like to thank the hon. Minister for his reply.

Secondly, because of this ban on FDC drugs, in the rural and tribal areas, there will be a scarcity of drugs which are available there. Anyhow, the matter is *sub judice* as of now, but is there a mechanism to provide fresh drugs to the health centres in the tribal and rural areas so that the ultimate people do not suffer?

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: We are taking care to see that the people do not suffer. Frankly speaking, there are drugs available other than these drugs and they are very much in the market. The alternatives are there. So, they are not going to suffer as far as this aspect is concerned.

I would say that these drugs were needed. Every FDC is not wrong. FDCs are required for malaria, HIV, tuberculosis and other diseases including diabetes, but there are FDCs which are harmful to the patients and for that only, we have cancelled the licences for 344 drugs.

श्री शरद त्रिपाठी: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि प्रश्न 82 के कॉलम घ में उपभोक्ताओं की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास कर रहे हैं। ब्रिटेन में रिसर्च हुई है कि जितने भी डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ हैं, उनकी प्रिजर्वेशन की व्यवस्था सोडियम बाईकार्बोनेट के आधार पर की जाती है। रिसर्च में यह बात उभरकर आई है कि सोडियम बाईकार्बोनेट के प्रयोग करने से 70 प्रतिशत कैंसर जैसी घातक बीमारियां बढ़ रही हैं।

में माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसे रोकने लिए कोई वैकल्पिक औषध या प्रयास करने का कट करेंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य का प्रश्न इस प्रश्न से अलग है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथारिटी आफ इंडिया के तहत आता है। माननीय सदस्य ने जो कहा है, उस कन्सर्न को हम जरूर देखने का प्रयास करेंगे।

SHRI B. VINOD KUMAR: Madam Speaker, I congratulate the hon. Minister on issuing this gazette notification on 10th March of this year prohibiting the manufacture for sale, sale and distribution for human use of these 344 FDC drugs.

As per the reply, the Government had taken necessary steps while issuing this gazette notification. As per the reply, earlier a committee was constituted and ultimately, out of 1,200 such drugs only 344 were identified and this gazette notification was issued.

As per the reply, various manufacturers have filed writ petitions in various courts across the country. Because of the stay orders issued by different High Courts, this issue cannot be resolved and the gazette notification, which was issued by the Government, will not come into force. I would like to know from the hon. Minister whether they are filing any petition before the Supreme Court in order to transfer all these cases and let one court hear and dispose of this case as early as possible. I would like to know from the Minister whether such steps are being taken or not.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: This is a good suggestion and we can certainly consider it, but we are taking all legal recourse which is needed. This suggestion is also well taken.

DR. MRIGANKA MAHATO: Madam, it is found that for a long time, a fixed dose combination drug is effectively and randomly used by the practitioners, but it has also been found that after using it over a period of one, two or three years, it is harmful to the humans.

My suggestion to the Minister is that some sort of orientation programme should be done by distinguished professors and pharmacologists of central institutions like AIIMS or medical colleges so that those doctors who are

practising in the periphery get knowledge of these Fixed Drug Combinations which are harmful in order to ensure that they are not used in future.

SHRI JAGAT PRAKASH NADDA: The suggestion is well taken.

(Q. 83)

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदया, यह बहुत अहम सवाल है। जब देश सुरक्षित रहेगा तभी हम सब सुरक्षित रह सकते हैं। भारत के पड़ोसी देशों के रवैये को देखते हुए लगता है कि भारत को अपने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भर होना चाहिए। दुनिया में जो उथल-पुथल चल रही है, कब कौन किसका दुश्मन, कब कौन किसका दोस्त बन सकता है, इसका पता नहीं है। आतंकवाद को समाप्त करना और अपने वैभव को उपर ले जाने की भारत की अपनी नीति है।

माननीय मंत्री जी ने आपके माध्यम से सदन को जो उत्तर दिया है, उसमें थोड़ी अस्पष्टता है। मेरा प्रश्न है कि क्या देश ने रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है। मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि हम प्रयास कर रहे हैं। मंत्री जी ने अच्छा प्रयास किया है और इसके लिए हम इनका धन्यवाद भी करना चाहते हैं लेकिन जो प्रयास किया जा रहा है उसके आधार पर हम कब आत्मनिर्भर होंगे और कैसे होंगे, इस बारे में मंत्री जी स्पष्टता से बताएं?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: I would like to reply to the hon. Member by saying that achieving 100 per cent is not possible because the Defence requirements have two basic constraints. One, it is very small in number. So, sometimes, economically, it may not be possible or desirable also to manufacture certain components, particularly electronic components in very small number. If you have to manufacture them, the cost would be too high. So, certain components need not be manufactured here when they are particularly available in the open market. Instead of that, we can buy them and keep them in stock, if required, for a period three or five years. In this regard, we have taken many steps and we have built up the stock level of items which are required in small number.

As far as basic technologies and ammunition are concerned, we are trying to achieve self-sufficiency. If a general guess is allowed, I would say that achieving about 70 per cent self-sufficiency is a very high level of self-sufficiency because certain sectors, like aviation, have a developed global supply chain.

श्री नित्यानन्द राय: अध्यक्ष महोदया, हम आत्मनिर्भरता की ओर हैं। जो 30 प्रतिशत बचा है, इसकी उम्मीद करते हैं कि जल्दी ही हम आत्मनिर्भर होंगे।

मेरा प्रश्न था कि सरकार चालू वर्ष और अगले दो वर्षों हेतु रक्षा उपकरणों के आयात के संबंध में कोई लक्ष्य निर्धारित किया है। इस बारे में मंत्री जी ने उत्तर दिया है। इसमें एक बात और है कि जब हम चिह्नित करने के लिए कि एमएसएमईज़ के अंतर्गत भारत में बनाओ, हम 10 करोड़ रुपए सरकारी और लगभग 3 करोड़ रुपए निजी क्षेत्रों से प्रावधान किया गया है, लेकिन हमने कहा था कि इसके लिए इस वर्ष में जो लक्ष्य निर्धारित किया है, तो इसमें थोड़ा अंतर आता है। केवल लक्ष्य निर्धारित करने के लिए क्या 13 करोड़ रुपए पर्याप्त हैं और लक्ष्य निर्धारण के बाद, चिह्नित करने के बाद उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: Madam, first of all, I would like to inform the Member that if he sees the figures, which he has before him, about reduction in actual purchases from foreign vendors, it has come down from 52.47 per cent to 36.30 per cent over the last three years.

I would also like to indicate to the hon. Member that these are the actual purchases which have happened. The orders which have been issued during the last three years show that we have improved the value of Indian vendors from 46 per cent to 64 per cent besides increasing the quantum of orders also. This is as far as the actual purchases that are happening are concerned.

As far as the concept that you have raised, I think, there is a slight misunderstanding about what he is raising. In order to encourage local, medium and small industries, we have come out with the latest DPP 2016, which also provides for Make in India projects. There are two Make in India projects. Make-I is the Government financed projects. सरकार उसे 90 परसेंट तक पैसा देती है और गारंटी देती है if it is developed properly and approved within two years, we will procure it. There is another category where industries can themselves come forward saying that they will develop this product. That is Make-II where the Government does not fund the development but the Government gives guarantee of purchase if it is done properly by them. खर्चा उन्हें ही करना पड़ता है। In the case of Make-I projects, a limit of Rs.10 crore has been set up for giving the project on priority to small and medium scale industries. दस करोड़ रुपए टोटल वैल्यू नहीं है। अगर 10 करोड़ रुपए तक एक के

डेवलपमेंट का खर्चा रहेगा तो स्माल स्केल को प्राइयोरिटी दी जाएगी। मेक-2 जो इंडस्ट्री ने खुद बनाना है, उसमें तीन करोड़ रुपए तक का प्रोजेक्ट रहेगा तो स्माल स्केल के लिए वह रिजर्व्ड रहेगा।

SHRI ABHIJIT MUKHERJEE: Madam, I thank you for giving me the chance. In fact, I would ask a supplementary question to the hon. Minister. Do we manufacture sufficient rifles, maybe of SLR, AK-47 and AK-57? Is there any inter-changeability of bullet for ammunition? I would like to know whether the same bullet can be fired by other machines. Are we self-sufficient in that?

SHRI MANOHAR PARRIKAR: He should ask a separate question because it is a very wide question. But I can say that we manufacture INSAS rifles. We have improved versions of it. There are various types of rifles and guns. Even otherwise also, if the hon. Member writes to me, I will give him the detailed information.

As far as bullet is concerned, I think, a particular bore bullet can be used by different guns.

श्री शेर सिंह गुबाया: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि डिफेंस के लिए आधुनिक तौर-तरीके के शस्त्र खरीदे जा रहे हैं। इसके साथ डिफेंस के लिए बार्डर एरिया की भी प्राब्लम है। मैं मंत्री जी के ध्यान में लाना चाहता हूं कि वर्ष 1971 के युद्ध के बाद बार्डर पर फेंसिंग करने के लिए किसानों से जमीन ली थी लेकिन अभी तक किसानों का बकाया पैसा उन्हें नहीं मिला है। माननीय अध्यक्ष: आपका प्रश्न मुल प्रश्न से संदर्भित नहीं है।

श्री शेर सिंह गुबाया: अध्यक्ष महोदया, यह प्रश्न डिफेंस से संबंधित है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि संबंधित किसानों का बकाया पैसा कब तक दिया जाएगा?
श्री मनोहर परिकर: माननीय सदस्य अगर मुझे एरिया वाइज स्पेसिफिक केस बताएं तो मैं उन्हें इस बारे में जबाव दूंगा क्योंकि पूरा बार्डर 15 हजार किलोमीटर से ज्यादा का है।

श्री कौशलेन्द्र कुमार: महोदया, मैंने मंत्री जी से पहले भी यह प्रश्न पूछा था। मैं बिहार के नालंदा संसदीय क्षेत्र से आता हूं। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में अत्याधुनिक आयुद्ध कारखाना राजगीर में लगाया गया था। इसका केवल एक यूनिट शुरू हुआ है और तीन यूनिट अभी शुरू नहीं हुए हैं। माननीय मंत्री जी ने पिछले साल भी कहा था कि मैं इसे देखूंगा और चालू भी करूंगा। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी चारों यूनिटस कब तक आप चालू करेंगे?

श्री मनोहर परिकर: मैडम, उसमें चार ही नहीं हैं, ज्यादा हैं। I will not go into the details of the project. But I will say that the project has already started moving forward. Number one, जो डेफिशिएंसी है, उसे खरीदने के संबंध में टेंडर या आरएफपी निकल चुका है, अलग-अलग यूनिट्स का अलग-अलग टारगेट है। जैसा कि मुझे याद है, वर्ष 2019 तक सभी मशीनें ऑपरेट होनी चाहिए। लेकिन हम रुके नहीं हैं। We have started producing from that unit. बाकी जो सामान वहाँ नहीं बन रहे हैं, वे दूसरी जगहों की यूनिट्स से लाकर, वहाँ जो बीएमसी(बाइमोड्युलर चार्ज) यूनिट्स वहाँ बनने शुरू हो गये हैं। I am pleased to say that first production of approximately 1900, ये 31 मार्च को आर्मी को सप्लाई हो चुके हैं और 50-50 हजार के बल्क (मास) प्रोडक्शन करने का अप्रूवल आर्मी ने उनको दे दी है। वर्ष में हम लोग दो लाख के प्रोडक्शन तक इमिडिएटली जाना चाहते हैं। मशीनरी बनने के बाद उसकी कैपेसिटी आठ लाख यूनिट्स हो जाएगी।

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: माननीय अध्यक्ष महोदया, इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे देश को रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना होगा। लेकिन यह भी देखा जा रहा है कि हमारा पड़ोसी तेजी से शस्त्र की दौड़ में आगे बढ़ रहा है, जब से यह सरकार पिछले दो वर्षों से इस देश में आयी है। एक तरफ अमेरिका एफ-16 पाकिस्तान को बेच रहा है। चीन पाकिस्तान को आर्म्स सेल कर रहे हैं। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : कृपया आप प्रश्न पर आएँ। भाषण नहीं देना है।

...(व्यवधान)

श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: इस विषय में हमारे देश के पड़ोसी को नियंत्रण में रखने के लिए सरकार की क्या सोच है? शस्त्र की दौड़ जिस तरह से बढ़ रही है, हमारी सरकार को इस पर नियंत्रण रखना होगा क्योंकि हमने जिस पाकिस्तान को एक पराये के रूप में रखा था, आज वह उस पिंजड़े से निकलकर हर देश के साथ आर्म्स की सेल और परचेस कर रहा है।

श्री मनोहर पर्रिकर: महोदया, इसके लिए सांसद महोदय दूसरा सवाल पूछें, तो मैं उसका डिटेल रिप्लाई दे सकता हूँ। अभी हमारे देश में ही रक्षा उत्पादन बढ़ाने की बात हो रही है।

(Q.84)

श्री पंकज चौधरी: माननीय अध्यक्ष महोदया, प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजना के अंतर्गत वर्ष 2014-15 में देश के विभिन्न भागों में एम्स के निर्माण के लिए स्वीकृति प्रदान की गयी थी। इसके तहत उत्तर प्रदेश के माननीय सांसदों और वहाँ की स्थिति को देखते हुए गोरखपुर में भी एम्स की स्थापना की घोषणा की गयी थी। इसकी घोषणा हुए दो वर्ष बीत गये हैं और अभी मंत्री जी का जवाब आया है कि गोरखपुर एम्स के लिए राज्य सरकार द्वारा कुछ शर्तें पूरी की जानी बाकी है।

मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि दो वर्ष बीत गये हैं, इसके कारण वहाँ पर भारी आंदोलन की स्थिति चल रही है। हम लोगों का वहाँ जीना दूभर हो गया है। लोगों की यह मांग है। इसलिए मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा अभी कौन-कौन सी शर्तें पूरी नहीं की गयी हैं। वहाँ के लिए कब तक धन मुहैया कराया जाएगा। साथ ही, मैं मंत्री जी को एक सूचना भी देना चाहता हूँ कि यदि गोरखपुर में जमीन की व्यवस्था में दिक्कतें आ रही हैं, हालांकि गोरखपुर एक सेंटर प्वाइंट है, यह एम्स के लिए उपयुक्त स्थान है। वहाँ पर बिहार, नेपाल के लोग भी काम करते हैं। लेकिन अगर जमीन की दिक्कत आ रही है, तो महाराजगंज जनपद में एनटीसी की 634 एकड़ भूमि खाली पड़ी है। यदि उस पर विचार कर सकें, तो अच्छा होगा। इसलिए इस संबंध में मैं जवाब चाहता हूँ।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: माननीय अध्यक्ष महोदया, एम्स, गोरखपुर के लिए दो विषय आये थे। एक कनेक्टिविटी की दृष्टि से सड़क की बात आयी थी और दूसरी जमीन उपलब्धता की बात आयी थी। दोनों ही विषयों के संबंध में हमने प्रदेश सरकार को पत्र लिखा। प्रदेश सरकार ने उन विषयों के बारे में अपना जवाब दिया है। प्रदेश सरकार ने जो जमीन बतायी है, उस पर हमें कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है। हमने परसों फिर से उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि उस पर हमें क्लैरिटी दी जाए ताकि हम उस कार्य को आगे बढ़ा सकें।

जहाँ तक धन का सवाल है, इसके लिए धन की कोई समस्या नहीं है। जिस दिन इसकी क्लैरिटी हो जाती है, उस दिन से ही काम शुरू हो जाएगा।

श्री पंकज चौधरी: अध्यक्ष जी, दिल्ली स्थित एम्स में प्रतिदिन दस हजार मरीजों का इलाज ओपीडी में होता है। अभी कुछ दिन पहले, जो छः एम्स चालू हैं- भोपाल, भुवनेश्वर, जयपुर, रायपुर, पटना, जोधपुर, ऋषिकेश में, ओपीडी में जहाँ औसतन एक हजार-सत्तावन सौ दस लोगों का इलाज होता है, तो मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो एम्स खुले हुए हैं, यदि वहाँ पर दिल्ली के एम्स जैसी अत्याधुनिक सुविधाएँ मुहैया

करायी जाएं, तो लोगों को दिल्ली को दिल्ली आने की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली की तरह ये जो छः एम्स हैं, उनमें अत्याधुनिक सुविधाएँ मुहैया कराने की व्यवस्था कब तक करेंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: इस पर तीव्र गित से कार्य चल रहा है। इंस्टीट्यूशंस को ग्रो करने में समय लगता है। हम एम्स की फैकल्टी की दृष्टि से एम्स लेवल की ही एम्स खोल रहे हैं। इसिलए उसके रिक्रूटमेंट में विशेषकर फैकल्टी के रिक्रूटमेंट में बहुत ध्यान रखना पड़ रहा है तािक एम्स का ब्रैंड नेम डायलुट न हो। We are going very fast. जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का सवाल है, तो वह बन चुका है। स्टाफ रिक्रूट हो चुके हैं और स्टाफ को रिक्रूट किया जा रहा है। लगातार इंटरव्यूज़ हो रहे हैं। We are not diluting standards. उसके अनुसार ही हम फैकल्टीज लाएंगे।

श्री निनोंग इरिंग: माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं स्वास्थ्य मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री स्वास्थ सुरक्षा योजना के माध्यम से एम्स की तरह अस्पतालें सारे देश में खोली जा रही हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि पूर्वोत्तर राज्यों में चाहे असम, मेघालय, मणिपुर या सिक्किम में हो, इन राज्यों में स्वास्थय केन्द्र और मेडिकल कॉलेजेज की सुविधाएँ है, लेकिन अरूणाचल प्रदेश में अभी तक यह सुविधा नहीं है। पिछली बार भी मैंने इस विषय को मैंने 377 के माध्यम से उठाया था। अरूणाचल प्रदेश में पासीघाट नामक एक जगह है, जहाँ 200 एकड़ की भूमि उपलब्ध है। वहाँ पर इसके लिए सर्वे भी हो चुका है और सब्मिशन भी हो चुका है। कृपया आप जवाब दें कि हमारी अरूणाचल प्रदेश की जनता इस सुविधा से वंचित हो रही है, तो आप मेडिकल कॉलेजेज और एम्स जैसे अस्पताल के लिए कुछ काम करेंगे?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: इस ओर हम जरूर काम करेंगे क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का फोकस नॉर्थ-ईस्ट स्टेट्स की ओर विशेषकर है, जिस पर हमने ध्यान रखा है। So, in phased manner, we are going forward.

श्री उदय प्रताप सिंह: माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी को सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। अभी जो नये एम्स बने हैं, उनमें एक भोपाल में भी बना है। मैं और वर्तमान विदेश मंत्री माननीय सुषमा स्वराज जी पिछली गवर्निंग बॉडी के मेम्बर थे। उस समय हम लोगों ने इस विषय को लिखकर उठाया कि यहाँ गंभीर भ्रष्टाचार हो रहा है। यह देश का एक बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पर गंभीरता से काम करने की आवश्यकता है, लेकिन उस समय पर उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि जब यह विषय उनके संज्ञान में लाया गया, तो उसकी जाँच के लिए आदेश किया गया और और उस भ्रष्टाचार की जाँच चल रही है।

मंत्री जी ने अभी कहा कि हम फैकल्टीज की बहुत कमी महसूस कर रहे हैं और एम्स के हिसाब से फैकल्टी मिलेगी तब वे उन एम्स को शुरू करेंगे। मुझे लगता है कि इस पर त्वरित कार्रवाई की आवश्यकता है। दिल्ली के एम्स पर प्रेशर है, उसके साथ ही सभी सांसदों पर भी मरीजों का प्रेशर रहता है। भोपाल में एम्स शहर के मध्य में है, जिस प्रकार से दिल्ली का एम्स शहर के मध्य में है। यह आप जानते हैं। इतने अच्छे स्थान पर यह बना और वहाँ पर जाने पर मरीजों को विधिवत रूप से इलाज नहीं मिल पा रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो 820 करोड़ रुपये का धन उस एम्स के लिए लगाया गया है, उसका समुचित उपयोग हो। उसके लिए फैकल्टी, मशीन और आज के समय के हिसाब से वहाँ पर जो सामान होने चाहिए, इसमें कितना समय लगेगा, यह मैं जानना चाहता हूँ।

श्री कौशलेन्द्र कुमार: पटना के एम्स में भी सभी काम पूरे हो चुके हैं, लेकिन अभी वहाँ पर डॉक्टर्स नहीं हैं।

श्री जगत प्रकाश नड्डा: भोपाल के एम्स में कुछ प्रशासनिक दिक्कतें थीं। उन दिक्कतों को हमने रिमूव कर दिया है। न्यू डायरेक्टर के एप्वाइंटमेंट का प्रोसेस चल रहा है। वहाँ पर डेप्युटी डायरेक्टर को भी रख रहे हैं और साथ-साथ वहाँ के रिक्रूटमेंट प्रोसेस को भी हमने तेज किया है। तीव्र गति से भोपाल के एम्स का काम आगे बढ़ेगा।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: सर, पटना एम्स के बारे में क्या है?

श्री जगत प्रकाश नड्डा: पटना, एम्स का विषय भी उसी में आता है।

HON SPEAKER: Shri P.K. Biju – not present; Shrimati Jyoti Dhurve.

(Q.85)

श्रीमती ज्योति धुर्वे : माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देती हूं कि आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर प्रश्न पूछने का अवसर दिया।

आयुष भारत की प्राचीन स्वास्थ्य पद्धित है, जिसमें आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी जैसी अनेक स्वास्थ्य सुविधाओं को हम प्रचालित करते हैं। हमारी सरकार के माध्यम से इस देश के प्रधानमंत्री जी ने भारत को और भारत के प्राचीन योग को एक विशिष्ट स्थान पर पहुंचाया है। महामारी एवं वेक्टर जिनत रोगों, मातृ एवं शिशुओं की स्वास्थ्य परिचर्या के लिए, समय-समय पर होने वाली सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं के रूप में, चाहे वनवासी क्षेत्र हो, दिलत क्षेत्र हो या अनुसूचित जनजाति क्षेत्र हो, वहां ऐसी भयंकर बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आयुष एक ऐसी पद्धित है जो प्राचीन पद्धित है और इन क्षेत्रों में लोग हमेशा प्राचीन पद्धितयों से अपने स्वास्थ्य का लाभ लेते हैं। आयुष ग्राम अवधारणा को हमारी सरकार ने लिया है, इसमें प्रत्येक गांव एवं ब्लॉक को आयु। जीवन शैली के तरीके व अभ्यास को अपनाने के लिए, स्वास्थ्य परिचर्या के लिए चयनित किया जाना है। क्या माननीय मंत्री जी बताएंगे कि यह जो चयन प्रक्रिया है, वह आज किस स्थिति में है और आगामी समय में कितनी जल्दी से जल्दी इस प्रक्रिया को वह पूरी करेंगे? जमीनी स्तर पर उन आदिवासियों, वनवासियों, अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आयुष को पहुंचाने में हमारी सरकार के कार्यक्रम का किस तरह से क्रियान्वयन किया जाएगा?

श्री श्रीपाद येसो नाईक: माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय सदस्य ने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। आयुष मंत्रालय इसके बारे में गंभीरता से प्रयास कर रहा है। उनके द्वारा दो मुद्दे उठाए गए हैं। एक, स्कूली बच्चों के लिए, आदिवासी एवं उनसे इतर लोगों के लिए हमारी जो आयुष ग्राम योजना है, वह शुरू हो गयी है। हमने राज्यों से प्रस्ताव मांगे हैं, प्रस्ताव आने लगे हैं। स्कूली बच्चों के लिए इलाज, आदिवासियों के लिए इलाज और इनसे इतर जिन लोगों के लिए सुविधा नहीं है, उनका इलाज करने के लिए योजना हमने शुरू की है। मैं बताना चाहता हूं कि हमने छः राज्यों में इस तरह की योजना ली है कि सभी पैथी का इंटिग्रेशन करके नॉन-कम्यूनिकेबल डिजीजेज को पूरे जिले में चेक करके अगर मेडिसिन की जरूरत होगी तो उनको मेडिसिन देंगे। इससे आगे, अगर उसको अगले अस्पताल में रेफर करना होगा तो वह भी करेंगे। इस तरह से हमने छः राज्यों के छः जिले लिए हैं। इसी तरह से हर गांव तक, हर घर तक जाने का प्रयास आयुष मंत्रालय का है।

माननीय अध्यक्ष: क्या आपकी कोई सेकण्ड सप्लीमेंटरी है?

SHRIMATI JYOTI DHURVE: No.

HON. SPEAKER: Okay, it is not necessary.

Dr. Tapas Mandal.

DR. TAPAS MANDAL: Thank you, Madam Speaker.

The modification of recruitment rules for AYUSH doctors is pending for a long time. My question to the hon. Minister is this. When will the Ministry take up the matter on priority basis to implement the modification of recruitment rules for AYUSH medical doctors?

श्री श्रीपाद येसो नाईक: अध्यक्ष महोदया, जो नेशनल आयुष मिशन, नेशनल हैल्थ मिशन है, इसके अंतर्गत सभी आयुष डाक्टर्स की प्राइमरी हैल्थ सेंटर्स पर और कम्युनिटी हैल्थ सेंटर्स पर जिला अस्पतालों में भर्ती शुरू की गई है। मेरे ख्याल से कम से कम 20 हजार से ज्यादा डाक्टर्स को हमारे इस नेशनल हैल्थ मिशन में मौका दिया गया है और यह प्रक्रिया चालू है। हम चाहते हैं कि हर प्राइमरी हैल्थ सेंटर और कम्युनिटी हैल्थ सेंटर पर एक आयुष का डाक्टर रहे और जो अस्पताल हैं, उनमें आयुष के लिए एक अलग कक्ष बने और वहां भी उन डाक्टरों को लेने का हमारा प्रयास जारी है।

डॉ. वीरेन्द्र कुमार : महोदया, आदरणीय प्रधान मंत्री जी के प्रयासों से आयुर्वेद, योग, सिद्धा, प्राकृतिक चिकित्सा और पंचकर्म को काफी पहचान मिली है और प्रधान मंत्री जी के प्रयासों का ही परिणाम है कि योग की अंतराष्ट्रीय स्तर पर एक अंतराष्ट्रीय योग दिवस के रूप में पहचान बनी और काफी राष्ट्रों ने इसे अपनाया। उनका मानना है कि हम अपनी पारम्परिक औाधियों को प्रोत्साहित करके तथा उनकी वैज्ञानिक जांच, मानक तथा गुणवत्ता से जुड़ी हुई चीजों में सुधार करके, उनका दोहन करके विश्व में अग्रणी स्थान बना सकते हैं। आज आयुर्वेद पद्धित केवल हमारे देश में ही नहीं बिक्कि विश्व के काफी देशों में लोकप्रिय हो रही है और विश्व के कई राष्ट्रों से बड़ी संख्या में लोग केरल में आयुर्वेद एवं प्राकृतिक चिकित्सा पद्धित के माध्यम से चिकित्सा कराने के लिए आते हैं।

जिस तरह से एलोपैथी चिकित्सा के संवर्धन के लिए काफी प्रयास किये जा रहे हैं, किन्तु जब हम देश भर में आयुर्वेदिक अस्पतालों की हालत देखते हैं तो अस्पतालों में जाने पर कोई प्रभाव अस्पताल छोड़ नहीं पाते हैं। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार की तरफ से आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धित को बढ़ावा देने के लिए और राज्यों के साथ संवर्धन करके उन अस्पतालों का आधुनिकीकरण करने तथा उन्हें सुसज्जित करने की दिशा में कोई कदम उठायें जायेंगे?

श्री श्रीपाद येसो नाईक: माननीय अध्यक्ष जी, हमारे मंत्रालय ने आयुष मिशन शुरू किया है और आयुष मंत्रालय की जो स्कीम्स थीं, उन सबको हमने आयुष मिशन के अंतर्गत इकट्ठा किया है। जो हमारे

सरकारी अस्पताल हैं, उनके रिनोवेशन या अपग्रेडेशन के लिए जो पैसा चाहिए, वह राज्य सरकार को हम देते हैं। इसलिए अपग्रेडेशन का अलग-अलग क्राइटीरिया है और जो राज्य सरकार हमसे पैसा मांगती है कि इस जिला अस्पताल का अपग्रेडेशन करना है, उसी के मुताबिक हम उन्हें पैसा देते हैं। जिन सरकारों ने हमसे पैसा मांगा है, हमारा जितना बजट है, वह पूरा बजट हमने उन्हें दे दिया है। मुझे यह बताने में खुशी है कि इस साल के बजट का लगभग 97 परसैन्ट हमने खर्च किया है।

माननीय अध्यक्ष : श्री रायपति सम्बासिवा राव - उपस्थित नहीं।

श्री दुष्यंत चौटाला।

(Q.86)

श्री दुष्यंत चौटाला: अध्यक्ष महोदया, मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, उसके तहत हिसार के अंदर जो एफ.एम. ट्रांसमीटर्स हैं, उनकी संख्या छः से बढ़ाकर दस मेगाहट्र्ज तक करने की बात कही गई है। वहां करोड़ों रुपये की लागत से बना हुआ एक दूरदर्शन केन्द्र है, जिसके बारे में मैं निरंतर आग्रह करता रहा हूं कि जो किसान चैनल भारत सरकार द्वारा चलाया गया है, क्योंकि हिसार में एक वैटरिनेरी एग्रीकल्चर युनिवर्सिटी है। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार दूरदर्शन के माध्यम से किसान चैनल को हिसार से रिले कराने का काम करेगी और उस दूरदर्शन केन्द्र को अपग्रेड करने का काम करेगी?

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): अध्यक्ष महोदया, यह सवाल अपने आपमें महत्वपूर्ण है, क्योंकि देश और विदेश की जो खबरें हैं, वे सरल माध्यम से पूरे देश में दूरदर्शन और आल इंडिया रेडियो के माध्यम से प्रसारित की जाती हैं। माननीय सदस्य ने जो सवाल किसान टीवी के बारे में पूछा है, उसके अंदर कृषि पर किसान टीवी के कार्यक्रम अलग-अलग क्षेत्रों में जाकर बनाते हैं और ये कार्यक्रम आपके क्षेत्र या कृषि विज्ञान केन्द्र को भी शामिल करके बनाये जा सकते हैं। साथ ही वहां जो एफ.एम. ट्रांसमीटर है, वहां अभी प्रसार भारती के कार्यक्रमों को रिले किया जा रहा है। लेकिन आने वाले समय में वहां भी कार्यक्रम बनाये जा सकते हैं।

श्रीमती रंजीत रंजन: अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगी कि क्या वजह है कि प्राइवेट चैनलों के मुकाबले दूरदर्शन अट्रैक्टिव नहीं है? लोगों में यह मिथ रहता है कि अगर दूरदर्शन है तो जिसकी सरकार है, उसी की न्यूज़ दिखाई जाएगी। यह बहुत अच्छी बात है कि बहुत सैंसिटिव न्यूज़ नहीं दिखाई जाती है। जैसा कि मेरे साथी कह रहे थे कि किसानों के बारे में, स्कीम्स के बारे में या कुछ और भी ऐसी योजनाएं हैं दूरदर्शन के लिए, क्योंकि मैक्सिमम गांवों के लोग आज चैनल आने के बावजूद दूरदर्शन को देखते हैं। क्या वजह है कि जब भी कोई भी चैनल सरकारी हो जाता है तो कह दिया जाता है कि अरे यह तो सरकारी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो क्या आगे सरकार की योजना है कि इसको और ज्यादा आकर्षक बनाया जाए, क्योंकि आज भी यह सच्चाई है कि अगर आपका सिरदर्द हो रहा है या आपको बहुत टेंशन है तो आप दूसरे प्राइवेट चैनलों की न्युज़ छोड़ कर दूरदर्शन देखिए तो आपको शांति मिलती है। उसकी जो अपनी प्रतिभा और आकर्षण था, क्या दूरदर्शन उसको वापस ले कर आएगा?

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): अध्यक्ष महोदया, सबसे पहले में माननीय सदस्या का धन्यवाद करना चाहूंगा कि दूरदर्शन पर जिस तरह से खबरें आती हैं, उन्होंने उसका सही आंकलन कर के बताया है कि सिर्फ खबर और पूरी खबर अगर देखनी हो तो दूरदर्शन पर दिखाई जाती है। यह बात भी सही है कि हमें अपनी स्ट्रैंथ को और मजबूत करना है। उसके लिए कई तरह के मॉडर्नाइज़ेशन के तरीके किए जा रहे हैं। स्टूडियोज़ को डिजिटल किया जा रहा है। हाई डैफिनेशन कैमरे लाए जा रहे हैं। स्टूडियो का इक्युपमेंट सैटेलाइट ट्रासंमिशन, टैरिस्ट्रियल ब्रॉडकास्टिंग का इक्यूपमेंट आदि सब में नई टैक्नोलॉजी लाई जा रही है। साथ ही साथ रीजनल न्यूज यूनिट्स बनाए जा रहे हैं। यह बहुत जरूरी है क्योंकि खबरें सिर्फ दिल्ली में ही नहीं होती हैं, पूरे भारतवर्ष में होती हैं। इसलिए रीजन न्यूज़ यूनिट्स को और मज़बूत बनाया जा रहा है। जिस तरह के अधिकारी आ रहे हैं, जिस तरह के स्पेशियलिस्ट लाए जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन प्रोसेस और मज़बूत किया जा रहा है। उनके वेतन को और बढ़ाया जा रहा है। साथ ही साथ एंटरटेनमेंट का जो हमारा सैग्मेंट है, उसको और बेहतर बनाने के लिए एक नई पॉलिसी लाई जा रही है, जिसके अंदर स्लॉट सेल की जा रही है। जिसमें और प्रोफेशनल कार्यक्रम आएंगे। बेहतर प्रोड्युसर्स आएंगे। इस तरह की जो मॉर्डनाइज़ेशन है, उसकी प्रक्रिया लगातार चलती रहती है।

श्री मनोज तिवारी: अध्यक्ष महोदया, मैं भी अपनी तरफ से धन्यवाद देता हूँ कि दूरदर्शन ऐसे समाचार दिखाता है। लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि जो किसान चैनल आया है, उसका साल भर का बजट क्या है और उसको कितने में चलाया जा रहा है उसको और सुदृढ़ करने के लिए कितने बजट की आवश्यकता है?

कर्नल राज्यवर्धन राठौर(सेवानिवृत्त): अध्यक्ष महोदया, इसका सीधा जवाब यह है कि वर्ष 2015-16 के अंदर 26 करोड़ रूपये किसान चैनल को दिए गए थे। जिसका पूरा इस्तेमाल हुआ है। लेकिन फंड्स की कमी नहीं रखी जाएगी। फंड्स का इस्तेमाल दो जगह होता है। एक इक्विपमेंट्स को मॉर्डनाइज़ करने में, खास तौर से जो किसान टीवी है तो उसका जो मैन पॉवर है, उसको और बढ़ाने में, उसके साधन बढ़ाने में किया जाता है। दूसारा जो कार्यक्रम प्रोड्युस होते हैं, उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट के ऊपर होता है। दोनों को ले कर मैं यह बताना चाहूंगा कि इनके कार्यक्रमों को और बेहतर बनाना है और बनाया जाएगा। उसके लिए साधनों की कमी नहीं होगी।

श्री वीरेन्द्र सिंह: अध्यक्ष महोदया, आम तौर पर इस देश में यह चर्चा सभी करते हैं कि हिंदुस्तान गांवों में बसता है। किसान चैनल भारत सरकार ने किसानों की बातों को दिखाने के लिए शुरू किया है। मैं भारत

सरकार के मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि गांवों में बसने वाला किसान, गांवों में बसने वाले जो नौजवान ग्रामीण खेल खेलते हैं, उनके लिए दूसरे चैनलों पर कुछ समय देने का प्रावधान क्या हम बना सकते हैं?

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि किसी खेल से मेरी कोई आपित नहीं है, लेकिन मुझे इस बात पर घोर आपित है कि उसके लिए भारत सरकार क्या उपाय कर रही है? क्रिकेट के खिलाड़ियों के बारे में लगता है कि ब्रह्मा उनकी रचना स्वयं करते हैं। ग्रामीण खेलों के बारे में लगता है कि उनके कारिंदे उनकी रचना करते हैं। ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिस तरह का प्रचार होना चाहिए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप चाहते हैं कि किसान चैनल पर ग्रामीण खेल दिखाए जाएं?

श्री वीरेन्द्र सिंह: जी अध्यक्ष महोदया, ग्रामीण खेलों को बढ़ावा दिया जाए, जिनकी ओलम्पिक में मान्यता है। क्रिकेट की ओलम्पिक में कोई मान्यता नहीं है। इसलिए मैं पूछना चाहता हूँ कि जिन ग्रामीण खेलों की मान्यता ओलम्पिक में है, जिनसे देश की मर्यादा बढ़ती है, क्या आप सभी चैनलों पर उन्हें दिखाने के लिए कोई प्रावधान करेंगे?

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): महोदया, माननीय सदस्य का बहुत सही सवाल है और मैं माननीय सदस्य को बताना चाहूँगा कि एक कबड्डी लीग शुरू की जा सकती है और उस कबड्डी लीग को हम दूरदर्शन किसान के ऊपर दिखाने की भी कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो आज तक रीऐलिटीज शोज होते हैं, वे सारे रीऐलिटीज शोज शहर बेस्ड होते हैं, लेकिन हमने पहली बार फोक्स साँग्स का रीऐलिटी शो डी.डी. किसान पर कराया कि जिस तरह के गाने, जिस तरह का संगीत गाँव में होता है, उसका एक रीऐलिटी शो हमने डी.डी. किसान पर कराया।

माननीय अध्यक्ष: किसान चैनल की माँग अच्छी है, इसका अर्थ यह है।

कर्नल राज्यवर्धन राठौर (सेवानिवृत्त): एक सवाल यह भी था कि जो दूसरे चैनल्स हैं, क्या हम उनको प्रेरित कर सकते हैं? मेरे ख्याल से यह एक मॉर्केट ड्रिवेन एक्सरसाइज होती है और इसके अन्दर मैं सदन को बतलाना चाहूँगा कि कई चैनल्स हैं, जिन्होंने डी.डी. किसान की देखा-देखी रूरल इन्डिया, ग्रामीण भारत और किसानों के ऊपर कई कार्यक्रम शुरू कर दिए है।

12.00 hours

PAPERS LAID ON THE TABLE

HON. SPEAKER: Now, papers to be laid on the Table of the House.

THE MINISTER OF FINANCE, MINISTER OF CORPORATE AFFAIRS AND MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI ARUN JAITLEY): Madam, Speaker, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (4) of Section 469 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) The Investor Education and Protection Fund Authority (Appointment of Chairperson and Members, holding of meetings and provision for offices and officers) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R.26(E) in Gazette of India dated 14th January, 2016.
 - (ii) The Companies (Meetings of Board and its Powers) Second Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 971(E) in Gazette of India dated 15th December, 2015.
 - (iii) The Companies (Audit and Auditors) Amendment Rules, 2015 published in Notification No. G.S.R. 972(E) in Gazette of India dated 15th December, 2015.
 - (iv) The Companies (Incorporation) Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 99(E) in Gazette of India dated 22nd January, 2016.
 - (v) The Companies (Share Capital and Debentures) Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 290(E) in Gazette of India dated 10th March, 2016.
 - (vi) The Companies (Incorporation) Second Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 336(E) in Gazette of India dated 23rd March, 2016.

(vii) The Companies (Share Capital and Debentures) Second Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 358(E) in Gazette of India dated 29th March, 2016.

- (viii) The Companies (Indian Accounting Standards) (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 365(E) in Gazette of India dated 30th March, 2016.
- (ix) The Companies (Accounting Standards) Amendment Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 364(E) in Gazette of India dated 30th March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4565/16/16]

- (2) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (2) of Section 470 of the Companies Act, 2013:-
 - (i) The Companies (Removal of Difficulties) Order, 2016 published in Notification No. S.O.1226(E) in Gazette of India dated 29th March, 2016.
 - (ii) The Companies (Removal of Difficulties) Second Order, 2016 published in Notification No. S.O.1227(E) in Gazette of India dated 29th March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4566/16/16]

(3) A copy of the Appellate Authority (Allowances payable to, and other terms and conditions of service of Chairperson and members and the manner of meeting expenditure of the Authority) Amendment Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 337(E) in Gazette of India dated 23rd March, 2016 under Section 30B of the Chartered Accountants Act, 1949.

[Placed in Library, See No. LT 4567/16/16]

(4) A copy of the Notification No. G.S.R. 328(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 22nd March, 2016 making certain amendments in the Notification No. G.S.R.490(E) dated 13th July, 2007 under Section 40 of the Company Secretaries Act, 1980.

[Placed in Library, See No. LT 4568/16/16]

- (5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (3) of Section 63 of the Competition Act, 2002, as amended by Competition (Amendment) Act, 2007:-
 - (i) The Competition Commission of India (Procedure for Engagement of Experts and Professionals) Amendment Regulations, 2015 published in Notification No. A-12015/1/2015-HR/CCI in Gazette of India dated 27th June, 2015.
 - (ii) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2015 in Gazette of India dated 1st July, 2015.
 - (iii) The Competition Commission of India (Procedure in regard to the transaction of business relating to combinations) Amendment Regulations, 2016 published in Notification No. F. No. CCI/CD/Amend/Comb.Regl./2016 in Gazette of India dated 8th January, 2016.
- (6) Two statements (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at item No. (i) & (ii) of (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 4569/16/16]

THE MINISTER OF WOMEN AND CHILD DEVELOPMENT (SHRIMATI MANEKA SANJAY GANDHI): Madam Speaker, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy of the following papers (Hindi and English versions) under Section 14 of the National Commission for Women Act, 1990:-
 - (i) Annual Report of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Commission for Women, New Delhi, for the year 2014-2015.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4570/16/16]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Public Cooperation and Child Development, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Public Cooperation and Child Development, New Delhi, for the year 2014-2015.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 4571/16/16]

THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI JAGAT PRAKASH NADDA): Madam Speaker, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Academy of Medical Sciences (India), New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Academy of Medical Sciences (India), New Delhi, for the year 2014-2015.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4572/16/16]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Medical Council of India, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Medical Council of India, New Delhi, for the year 2014-2015.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 4573/16/16]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Board of Examinations, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Board of Examinations, New Delhi, for the year 2014-2015.

(6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 4574/16/16]

- (7) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 93 of the Food Safety and Standards Act, 2006:-
 - (i) The Food Safety and Standards (Food Standards and Food Additives) (Amendment) Regulations, 2016 published in Notification No. 1-10(1)/Standards/SP(Fish and Fisheries Products)FSSAI-2013 in Gazette of India dated 15th January, 2016.
 - (ii) The Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. 1-99/1/SP/contaminants/FSSAI/2009 in Gazette of India dated 12th November, 2015 together with a corrigendum thereto published in Notification No. F.No. 1-99/SP(contaminants)/FSSAI/2009 (English versions only) dated 12th February, 2016.
 - (iii) The Food Safety and Standards (Contaminants, Toxins and Residues) (Amendment) Regulations, 2015 published in Notification No. F.No.1-99/4/SP(Contaminants)/FSSAI/2014 in Gazette of India dated 12th November, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 4575/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF PLANNING AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF DEFENCE (RAO INDERJIT SINGH): Madam Speaker, I beg to lay on the Table a copy each of the following papers (Hindi and English versions):-

(i) Outcome Budget of the Directorate General Married Accommodation Project for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4576/16/16]

(ii) Outcome Budget of the Ex-Servicemen Contributory Health Scheme for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4577/16/16]

(iii) Outcome Budget of the National Institution for Transforming India (NITI) for the year 2016-2017.

[Placed in Library, See No. LT 4578/16/16]

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF AYURVEDA, YOGA AND NATUROPATHY, UNANI, SIDDHA AND HOMOEOPATHY (AYUSH) AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI SHRIPAD YESSO NAIK): Madam Speaker, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the National Institute of Homoeopathy, Kolkata, for the year 2014-2015.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4579/16/16]

(3) A copy of the Homoeopathy (Post Graduate Degree Course) M.D. (Hom.) Amendment Regulations, 2015 (Hindi and English versions) published in Notification No. F. No. 12-11/2010-CCH(Pt.) in Gazette of India dated 28th March, 2016 under sub-section (2) of Section 33 of the Homoeopathy Central Council Act, 1973 together with a corrigendum thereto published in Notification No. 12-13/2006-CCH(Pt.V) dated 28th March, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4580/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JAYANT SINHA): Madam Speaker, I beg to lay on the Table:-

- (1) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under subsection (1) of Section 619A of the Companies Act, 1956:-
 - (i) Review by the Government of the working of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2014-2015.
 - (ii) Annual Report of the Security Printing and Minting Corporation of India Limited, New Delhi, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts and comments of the Comptroller and Auditor General thereon.
- (2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4581/16/16]

- (3) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under Section 27 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999:-
 - (i) The Insurance Regulatory and Development Authority (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting Life Insurance business) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./22/112/2015 in Gazette of India dated 23rd December, 2015.
 - (ii) The Insurance Regulatory and Development Authority (Issuance of Capital by Indian Insurance Companies transacting Life Insurance Business) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./21/111/2015 in Gazette of India dated 18th December, 2015.

(iii) The Insurance Regulatory and Development Authority (Inspection and Fee for Supply of Copies of Returns) Regulations, 2015 published in Notification No. F. No. IRDAI/Reg./2/114/2016 in Gazette of India dated 19th February, 2016.

[Placed in Library, See No. LT 4582/16/16]

- (4) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under sub-section (7) of Section 9A of the Customs Tariff Act, 1975:-
 - (i) G.S.R.284(E) published in Gazette of India dated 8th March, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of 'Phenol', originating in, or exported from the European Union, Singapore and Korea RP for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.
 - (ii) G.S.R.285(E) published in Gazette of India dated 8th March, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to levy anti-dumping duty on imports of 'polypropylene', originating in, or exported from the Singapore for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.
 - (iii) G.S.R.295(E) published in Gazette of India dated 11th March, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 27/2014-Cus., (ADD) dated 13th June, 2014.
 - (iv) G.S.R.305(E) published in Gazette of India dated 15th March, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to impose definitive anti-dumping duty on imports of 'all kinds of plastic processing machines or injection moulding machines, also

known as injection presses, having clamping force equal to or more than 40 tonnes, and equal to or less than 3200 tonnes, used for processing or moulding of plastic materials", originating in, or exported from Chinese Taipei, Philippines, Malaysia and Vietnam for a period of five years, based on final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

- (v) G.S.R.360(E) published in Gazette of India dated 29th March, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of '2-Thyl Hexanol', originating in, or exported from the European Union, United States of America, Korea RP, Chinese Taipei, Malaysia and Indonesia for a period of five years, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.
- (vi) G.S.R.362(E) published in Gazette of India dated 29th March, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to levy definitive anti-dumping duty on imports of Tyre Curing Presses also known as Tyre Vulcanisers or Rubber Processing Machineries for tyres, excluding Six Day Light Curing Press or curing bi-cycle tyres, originating in, or exported from the People's Republic of China for a period of five years from the date of imposition *i.e.* 29.3.2016, pursuant to the final findings in anti-dumping investigations conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.
- (vii) G.S.R.359(E) published in Gazette of India dated 29th March, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to levy provisional anti-dumping duty on "Glazed/Unglazed Porcelain/Vitrified tiles in polished or unpolished finish with less

than 3% water absorption", originating in, or exported from the People's Republic of China for a period of not exceeding six months from the date of publication of notification, pursuant to the preliminary findings in anti-dumping investigation conducted by the Directorate General of Anti-dumping and Allied duties.

- (viii) G.S.R.363(E) published in Gazette of India dated 29th March, 2016, together with an explanatory memorandum seeking to impose safeguard duty on imports of "Hotrolled flat products of non-alloy and other alloy Steel in coils of a width of 600mm or more' for a period of two years and six months at specified rates pursuant to the final findings of investigations conducted by the Directorate General of Safeguards.
- (ix) G.S.R.146(E) published in Gazette of India dated 5th February, 2016, together with an explanatory memorandum notifying the 132 countries, mentioned therein, as developing countries for the purposes of the Customs Tariff Act, 1975.
- (x) G.S.R.1010(E) published in Gazette of India dated 29th December, 2015, together with an explanatory memorandum rescinding the customs Tariff (Transitional Product Specified Safeguard Duty) Rules, 2002.

[Placed in Library, See No. LT 4583/16/16]

- (5) A copy each of the following Notifications (Hindi and English versions) under section 159 of the Customs Act, 1962:-
 - (i) The Customs (Import of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable Goods) (Amendment) Rules, 2016 published in Notification No. G.S.R. 306(E) in Gazette of India dated 15th March, 2016, together with an explanatory memorandum.

(ii) G.S.R.344(E) published in Gazette of India dated 28th March, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 12/2012-Customs, dated 17th March, 2012.

- (iii) G.S.R.383(E) published in Gazette of India dated 31st March, 2016, together with an explanatory memorandum making certain amendments in the Notification No. 69/2011-Cus., dated 29th July, 2011.
- (iv) G.S.R.147(E) published in Gazette of India dated 5th March, 2016, together with an explanatory memorandum has been issued align it with the Export Import Policy 2015-2020 and with the intent of reducing regulatory interface and promoting the ease of doing business.

[Placed in Library, See No. LT 4584/16/16]

(6) A copy of the Point of Taxation (Second Amendment) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 370(E) in Gazette of India dated 30th March, 2016 under sub-section (4) of section 94 of the Finance Act, 1994.

[Placed in Library, See No. LT 4585/16/16]

(7) A copy of the Central Excise (Removal of Goods at Concessional Rate of Duty for Manufacture of Excisable and other Goods) (Amendment) Rules, 2016 (Hindi and English versions) published in Notification No. G.S.R. 307(E) in Gazette of India dated 15th March, 2016 under sub-section (2) of section 38 of the Central Excise Act, 1944.

[Placed in Library, See No. LT 4586/16/16]

(8) A copy each of the following papers (Hindi and English versions) under Article 151(1) of the Constitution:-

(i) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 54 of 2015)-Audit on the Preparedness for Implementation of National Food Security Act, 2013, Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, for the year ended March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 4587/16/16]

(ii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 8 of 2016)-Report on Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Audit of Scheme Rules, 2011 (Social Audit Rules) for the year ended March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 4588/16/16]

(iii) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (No. 6 of 2016)- Performance Audit on Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal and articles thereof, imitation jewellery, coins (Chapter 71 of CTH), Department of Revenue-Indirect Taxes-Customs, for the year ended March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 4589/16/16]

(iv) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Civil) (No. 7 of 2016)- Performance Audit Implementation of Passport Seva Project for the year ended March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 4590/16/16]

(v) Report of the Comptroller and Auditor General of India-Union Government (Railways) (No. 53 of 2015)-Railways Finances for the year ended March, 2015.

[Placed in Library, See No. LT 4591/16/16]

- (9) A copy each of the following papers (Hindi and English versions):-
 - (i) Appropriation Accounts (Part I- Review) of the Indian Railways for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4592/16/16]

(ii) Appropriation Accounts (Part II- Detailed Appropriation Accounts) of the Indian Railways for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4593/16/16]

(iii) Appropriation Accounts (Part II- Detailed Appropriation Accounts {Annexure-G}) of the Indian Railways for the year 2014-2015.

[Placed in Library, See No. LT 4594/16/16]

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING [COL. RAJYAVARDHAN RATHORE (Retd.)]: Madam Speaker, I beg to lay on the Table:-

- (1) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Children's Film Society, India, Mumbai, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Children's Film Society, India, Mumbai, for the year 2014-2015.

(2) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (1) above.

[Placed in Library, See No. LT 4595/16/16]

- (3) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Satyajit Ray Film and Television Institute, Kolkata, for the year 2014-2015.
- (4) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (3) above.

[Placed in Library, See No. LT 4596/16/16]

- (5) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Film and Television Institute of India, Pune, for the year 2013-2014, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the Government of the working of the Film and Television Institute of India, Pune, for the year 2013-2014.
- (6) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (5) above.

[Placed in Library, See No. LT 4597/16/16]

- (7) (i) A copy of the Annual Report (Hindi and English versions) of the Film and Television Institute of India, Pune, for the year 2014-2015, alongwith Audited Accounts.
 - (ii) A copy of the Review (Hindi and English versions) by the

Government of the working of the Film and Television Institute of India, Pune, for the year 2014-2015.

(8) Statement (Hindi and English versions) showing reasons for delay in laying the papers mentioned at (7) above.

[Placed in Library, See No. LT 4598/16/16]

(9) A copy of the Notification No. S.O. 681(E) (Hindi and English versions) published in Gazette of India dated 7th March, 2016, notifying Additional District Magistrates as authorised officers to exercise the powers conferred upon them under the provisions of the Cable Television Networks (Regulation) Act, 1995 except in respect of sections 5 & 6 within the local limits of their jurisdiction issued under Section 2 of the said Act.

[Placed in Library, See No. LT 4599/16/16]

12.02 hours

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

SECRETARY-GENERAL: Madam Speaker, I have to report the following messages received from the Secretary-General of Rajya Sabha:-

(i) I am directed to inform the Lok Sabha that the Appropriation Acts (Repeal) Bill, 2015, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 11th May, 2015, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 27th April, 2016, with the following amendments:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, <u>for</u> the word "Sixty-sixth", the word "Sixty-seventh" be <u>substituted.</u>

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 2, <u>for</u> the figure "2015", the figure "2016" be substituted.

THE SCHEDULE

- 3. That at page 2, line 34, be *deleted*.
- 4. That at page 11, line 53 be *deleted*.

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.'

(ii) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Repealing and Amending (Third) Bill, 2015, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 6th August, 2015, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 27th April, 2016, with the following amendments:-

ENACTING FORMULA

1 That at page 1, line 1, <u>for</u> the word "Sixty-sixth", the word "Sixty-seventh" be <u>substituted.</u>

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 3, *for* the bracket, words and figure "(Third) Act, 2015", the word and figure "Act, 2016" be *substituted*.

THE FIRST SCHEDULE

3. That at page 2, lines 21 and 22 be *deleted*.

I am therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.'

- (iii) "In accordance with the provisions of rule 127 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to inform the Lok Sabha that the Rajya Sabha at its sitting held on the 28th April, 2016 agreed without any amendment to the Constitution (Scheduled Castes) Order (Amendment) Bill, 2016 which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 15th March, 2016."
- (iv) 'I am directed to inform the Lok Sabha that the Industries (Development and Regulation) Amendment Bill 2015, which was passed by the Lok Sabha at its sitting held on the 10th December, 2015, has been passed by the Rajya Sabha at its sitting held on the 28th April, 2016, with the following amendments:-

ENACTING FORMULA

1. That at page 1, line 1, <u>for</u> the word "Sixty-sixth", the word "Sixty-seventh" be <u>substituted.</u>

CLAUSE 1

2. That at page 1, line 3, <u>for</u> the figure "2015", the figure "2016" be *substituted*.

CLAUSE 2

3. That at page 2, line 3, <u>for</u> the figure "2015", the figure "2016" be *substituted*.

I am, therefore, to return herewith the said Bill in accordance with the provisions of rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha with the request that the concurrence of the Lok Sabha to the said amendments be communicated to this House.'

Madam Speaker, I lay on the Table the Appropriation Acts (Repeal) Bill, 2015, the Repealing and Amending (Third) Bill, 2015 and the Industries (Development and Regulation) Amendment Bill, 2015, as returned by Rajya Sabha with amendments.

12.03 hours

FINANCIAL COMMITTEES (2014-15) - A REVIEW

SECRETARY GENERAL: Madam Speaker, I beg to lay on the Table a copy each in Hindi and English version of the 'Financial Committees (2014-15) - A Review'.

12.03 ½ hours

STANDING COMMITTEE ON TRANSPORT, TOURISM AND CULTURE 231st and 232nd Reports

KUNWAR HARIBANSH SINGH (PRATAPGARH): Madam Speaker, I beg to lay on the Table the following Reports (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Transport, Tourism and Culture:-

- The Two Hundred Thirty-first Report on Demands for Grants (2016-17) of Ministry of Civil Aviation.
- (2) The Two Hundred Thirty-second Report on Demands for Grants (2016-17) of Ministry of Tourism.

12.03 3/4 hours

STANDING COMMITTEE ON HEALTH AND FAMILY WELFARE 95th Report

SHRI THANGSO BAITE (OUTER MANIPUR): Madam Speaker, I beg to lay on the Table the 95th Report (Hindi and English versions) of the Standing Committee on Health and Family Welfare on Demands for Grants (2016-17) of the Ministry of AYUSH.

12.04 hours

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP AND MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI RAJIV PRATAP RUDY): Madam Speaker, with your permission, I rise to announce that Government Business during the week commencing Monday, the 2nd of May, 2016 with consist of:-

- 1. Consideration of any items of Government Business carried over from today's order paper.
- 2. Discussion and voting on Demands for Grants (General) for 2016-17 under the control of the Ministry of Civil Aviation and Tourism;
- 3. Discussion and voting on Demands for Grants (General) for 2016-17 under the control of the Ministry of Housing and Poverty Alleviation;
- 4. Guillotine of outstanding Demands (General) for Grants (General) for 2016-17 at 6.00 p.m.;
- 5. Introduction, consideration and passing of the Appropriation (No. 2) Bill, 2016.
- 6. Consideration and passing of the Finance Bill, 2016;
- 7. Consideration and passing of Compensatory Afforestation Fund Bill, 2015; and
- 8. Consideration and agreeing to the amendments made by Rajya Sabha to the following Bill, as passed by Lok Sabha:-
- (i) the Appropriation Acts (Repeal) Bill, 2015; and
- (ii) the Repealing and Amending (Third) Bill, 2015.

श्री विद्युत वरन महतो (जमशेदपुर): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं अनुरोध करता हूँ कि मेरे संसदीय क्षेत्र के लोक महत्व के निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्यसूची में शामिल किया जाए :-

- 1) जमशेदपुर में मुसाबनी प्रखंड अंतर्गत राखा, चापड़ी, केन्दाड़ीह माइंस हैं। ये तीनों माइंस वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से अनापित प्रमाण पत्र नहीं मिलने के कारण चालू नहीं हो पा रही हैं। यह क्षेत्र आदिवासी, अतिपछड़ा, जनजातीय बहुल एवं उग्रवाद प्रभावित है। यहाँ के लोग सुखाड़, बेरोज़गारी, गरीबी के कारण पलायन को मजबूर हैं। इसी तरह ऐसी कई और माइंस हैं जैसे किसनगढ़िया, पाथरगोड, चंद्रपुर इत्यादि, जिसके तांब्र की नीलामी नहीं होने के कारण बंद है। ये सभी माइंस के चालू होने से वहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा तथा साथ ही साथ राज्य सरकार को राजस्व की प्राप्ति होगी।
- 2) चांडिल-पटमदा वाया बन्दोवान से झाड़ग्राम (पश्चिम बंगाल) तक नई रेल लाइन के सर्वे का काम अविलंब पूरा किया जाए। झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम जिला अंतर्गत चाकुलिया प्रखंड के बुढ़मारा से बहरागोड़ा होते हुए बानग्रिपोसी (ओडिशा) तक नई रेल लाईन का निर्माण किया जाए एवं कांडा नामकुम रेलवे लाईन का काम अविलम्ब शुरू किया जाए। बडागोविन्दपुर से छोटा गोविन्दपुर के बीच तथा आसनबनी स्टेशन के केबिन के पास एक आर.ओ.बी. रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण अविलम्ब किया जाए तथा जुगसलाई ओवरब्रिज का काम अविलम्ब पूरा किया जाए।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): माननीय अध्यक्ष महोदया, अगले हफ्ते की कार्यसूची में निम्नलिखित विषयों को शामिल किया जाए:

- 1) मेरे संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत प्राचीन ऐतिहासिक कार्ला और भाजा गुफा तथा लोहगढ़, तिकोना, राजमांची और बिसापुर किलों के रखरखाव हेतु पर्यटन एवं संस्कृति मंत्रालय से विशेष आर्थिक पैकेज, और
- 2) प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत सड़कों का काम होता है। लेकिन महाराष्ट्र में समय पर ठेकेदारों को पैसा नहीं मिलने के कारण यह काम बीच में ही बंद किया गया और आज इन सड़कों की हालत खराब है। इसके लिए प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत अधूरे पड़े काम को पूरा करने के लिए पुनः धनराशि उपलब्ध करने संबंधी विष्य को शामिल किया जाए।

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में शामिल किया जाए।

1) देश के करीब 80 प्रतिशत लोग विटामिन डी एवं बी-12 की कमी के कारण होने वाले विभिन्न रोगों जैसे किडनी, दिल, डायबिटीज़, एनीमिया एवं अन्य गंभीर बीमरियों से ग्रसित हैं जो कि बहुत ही

घातक है। अतः इस बीमारी के बारे में आम लोगों को जागरूक करने, जाँच एवं इलाज हेतु सख्त नियम बनाए जाएँ।

- 2) भारत सरकार देश के प्रत्येक जिला मुख्यालय में अच्छी एवं सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना करती है, लेकिन मेरे संसदीय क्षेत्र सुपौल में अभी तक केन्द्रीय विद्यालय नहीं खोला गया है। अतः सुपौल में अविलम्ब केन्द्रीय विद्यालय की स्थापना की जाए।
- श्री छेदी पासवान (सासाराम) : माननीय अध्यक्ष महोदया, कृपया अगले सप्ताह की कार्यसूची में निम्नलिखित दो विषयों को सम्मिलित किया जाए।
- 1) रोहतासगढ़ किला भारतवर्ष में प्राचीन एवं विशाल पहाड़ी दुर्गों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। रोहतासगढ़ किला गया-मुगलसराय रेल खंड एवं शेरशाह सूरी पथ डेहरी ऑन-सोन से 45 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में विंध्य पर्वत पर स्थित है। रोहतास मुख्यालय से 55 किलोमीटर इसकी दूरी है। यह समुद्र तल से 1800 फीट की ऊँचाई पर कैमूर पहाड़ी पर स्थित है। लगभग 28 मील की परिधि में फैले इस किले में सरायमहल, रंगमहल, शीशमहल, पंचमहल, फूलमहल, आईनामहल, रानी का झरोखा, मान सिंह की कचहरी, सिंहासन कक्ष, हथिया पोल, विवाह-मंडप चौरासन, रोहिताश्व, गणेश मंदिर, फांसी घर आदि आज भी दर्शनार्थ विद्यमान हैं। इसमें लगभग 950 बड़े कमरे तथा 9000 छोटे कमरे हैं। इसकी बनावट पूर्णतः वैज्ञानिक ढंग से की गई है, जिससे सभी कमरों में सूर्य की किरणें सहजता से गमन कर सकें। संप्रति यह आदिवासियों का तीर्थ स्थल भी है जहाँ प्रत्येक वर्ष देश भर के आदिवासी समाज का बृहत् मेराल लगता है। अतः रोहतासगढ़ किला को राष्ट्रीय महत्व का पर्यटक स्थल घोषित कर विकसित किया जाए।
- 2) बिहार के कैमूर जिलांतर्गत सुअरा नदी में सुअरा दायां-बायां बांध के निर्माण हेतु प्रतिवेदन केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार के पास लंबित है, इस बांध के निर्माण से हज़ारों एकड़ भूमि की सिंचाई होगी। अतः जनहित को ध्यान में रखते हुए शीघ्र केन्द्रीय जल आयोग से स्थिति की समीक्षा कर निर्माण कार्य सुनिश्चित किया जाए। इसके निर्माण से हज़ारों एकड़ भूमि की सिंचाई सुनिश्चित है।
- श्रीमती जयश्रीबेन पटेल (मेहसाणा): महोदया, अगले सप्ताह की कार्यवाही में निम्नलिखित विषय को शामिल करने का कट करें:
 - 1. लोग अपने भिन्न-भिन्न प्रसंगों में जो खाना बनाते हैं, उसमें से तीस प्रतिशत तक खाने की बर्बादी करते हैं। आज देश में नौ राज्य, 33 करोड़ जनता भुखमरी के कगार पर है, फिर भी इस तरफ किसी का ध्यान नहीं है। इसके प्रति केवल फ्रांस में ही कानून बना है। ऐसा कानून भारत में भी बनना चाहिए।

2. महान विभूतियों की प्रतिमाओं (राष्ट्रीय नेता, साहित्यकार, क्रान्तिकारी, वैज्ञानिक आदि) के उचित सम्मान और रख-रखाव के लिए नीति बनाई जाये। धन्यवाद।

श्री राजीव सातव (हिंगोली): महोदया, मैं अगले सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित दो महत्वपूर्ण मुद्दों पर सदन में चर्चा की मांग करता हूं:

- 1. पठानकोट हमले के पश्चात पाकिस्तानी जांच दल की जांच के बाद उत्पन्न स्थिति और पाकिस्तान के साथ विदेश नीति पर भारत सरकार की असफलता के प्रति चर्चा कराने की मांग के सम्बन्ध में।
- 2. बंजारा समाज के गुरु सन्त सेवालाल महाराज की जयन्ती दिनांक 15 फरवरी को राष्ट्रीय स्तर पर सार्वजनिक अवकाश घोषित किया जाये।

श्री ओम विरला (कोटा): महोदया, मैं निम्नलिखित विषयों को अगले सप्ताह की कार्य-सूची में सिम्मिलित किए जाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं:

- 1. देश के न्यायालयों में बड़ी संख्या में लम्बित मुकदमों को निपटाने के लिए आवश्यक कार्य-योजना बनाए जाने की आवश्यकता।
- 2. देश के विभिन्न धार्मिक आयोजनों एवं मेलों में भगदड़ एवं अन्य प्रकार की दुर्घटनाओं की प्रभावी रोकथाम के लिए विशेष सुरक्षा बल/कार्यबल गठित किए जाने की आवश्यकता।

श्री सी.आर.चौधरी (नागौर): महोदया, मैं आगामी सप्ताह की कार्य-सूची में निम्नलिखित विषयों को सिम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं:

- 1. माननीय प्रधानमंत्री जी की जन-धन योजना के तहत करीब 22 करोड़ से ज्यादा खाते खुले हैं एवं खातों में विष्ठ नागरिकों की पैंशन, नरेगा का भुगतान एवं अन्य डायरैक्ट बैनीफिट ट्रांसफर होंगे। बैंकों की शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में कम हैं। अतः लोगो की सुविधाओं हेतु ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा बैंक शाखाएं खोलने पर विचार करने हेतु निवेदन है।
- 2. नागौरी नस्ल की गायें दूध की बजाय अपने मजबूत बछड़ों के लिए जानी जाती हैं। यही बछड़े बैल बनकर खेती के कार्य एवं बोझा ढोने हेतु बैलगाड़ियों में काम आते हैं। इनके तीन वर्ष तक राजस्थान राज्य के बाहर ले जाने पर रोक होने से गायों पर किसान ध्यान नहीं दे रहे हैं एवं नागौरी नस्ल की गायों की ओर ध्यान नहीं देने से दिन-प्रतिदिन संख्या कम होती जा रही है, जो विचारणीय है। अतः उक्त महत्वपूर्ण बिन्दू पर विचार हेतु अनुरोध है।

श्रीमती ज्योति धुर्वे (बैतूल): महोदया, मैं निम्न विषय पर लोक सभा में आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं:

- 1. घटते हुए जंगलों को ध्यान में रखते हुए वन क्षेत्र में विस्तार हेतु वन समितियों में अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के समूह बनाकर वन क्षेत्र का विस्तार किया जाना चाहिए।
- 2. ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब व्यक्ति को, जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के हैं, उनके परिवार में सभी के पास फूड कूपन नहीं हैं। इनके फूड कूपन बनाने हेतु एक अभियान जारी करना चाहिए, साथ ही इस हेतु एक लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए।

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): महोदया, कृपया निम्नलिखित विषय को अगले सप्ताह की कार्य सूची में शामिल कर लिया जाए।

दलित मुक्ति का मौलिक स्रोत बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर का दर्शन रहा है। 29 अक्टूबर, 1942 को डॉ. अम्बेडकर ने भारत के गवर्नर जनरल को दलित अधिकार पर एक लंबा ज्ञापन सौंपा था और उसमें यह दर्शाया था कि किस तरह सी.पी.डब्ल्यू.डी. के कुल 1,171 ठेकेदारों में सिर्फ एक दलित ठेकेदार था। इस तरह की परम्परा आज भी कायम है। चाहे बेसिक शिक्षा हो, तकनीकी शिक्षा हो या मेडिकल शिक्षा, सभी जगहों पर आम दलित, वंचितों का हक मारा जा रहा है, जो कि संविधान की मूल धारण का अपमान है। अतः देशभर में सभी जगहों पर चाहे वह ठेकेदारी हो या ऐसे सभी क्षेत्रों में दलित वंचित या समाज के अन्य कमजोर तबकों को आर्थिक, शैक्षिणिक एवं सामाजिक उत्थान के लिए आरक्षण की व्यवस्था एवं इस व्यवस्था को ईमानदारीपूर्वक लागू करने हेतु सख्त नियम बनाया जाए।

देश भर में निजी शिक्षण-संस्थानों द्वारा शिक्षा का लगातार किया जा रहा व्यवसायीकरण जिसमें आम गरीब मेधावी छात्रों से लगातार वसूले जा रहे डोनेशन, डेवलपमेंट एवं पुनः नामांकन के नाम पर वसूले जा रहे पैसे को तत्काल बंद करते हुए देश भर में सभी निजी शिक्षण-संस्थानों, कोचिंग-संस्थानों को बंद कर सरकारी शिक्षण-संस्थानों की स्थिति को मजबूत कर कोठारी आयोग एवं मुचकुंद दुबे समिति की सिफारिशें जो समान एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु थीं, को अविलम्ब लागू करने हेतु सख्त नियम बनाया जाए।

HON. SPEAKER: Hon. Members, I have received notices of Adjournment Motion from Sarvashri Jai Prakash Narayan Yadav, Jitender Chaudhury, Rajesh Ranjan and Prof. Saugata Roy on different issues.

The matters, though important, do not warrant interruption of Business of the day. The matters can be raised through other opportunities.

I have, therefore, disallowed all the notices of Adjournment Motion.

... (Interruptions)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Please allow some discussion.

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज): अध्यक्ष महोदया, मैं आपका अत्यन्त आभारी हूं कि आपने एक अत्यन्त लोक महत्व के तात्कालिक और सुनिश्चित प्रश्न पर मुझे बोलने की अनुमति दी है।

पिछले दिनों वर्ष 2010 में केन्द्र सरकार ने एक प्रस्ताव किया था कि सम्पूर्ण देश के मेडिकल कॉलेज के दाखिले के लिए एमबीबीएस और बीडीएस के लिए एक कॉमन टेस्ट होना चाहिए, लेकिन उस समय की एपेक्स कोर्ट ने उसको खारिज कर दिया था। पुनः एक ऐतिहासिक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने लिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूरे देश के चाहे वह प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेज हों, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेज हों, एमबीबीएस और बीडीएस के एग्जामिनिशेंस एक कॉमन टेस्ट से होंगे, जिसको सीबीएसई और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया लेगी। इसके संबंध में जो कल फैसला हुआ है, उसका एक शेड्यूल तय हुआ है कि जो फर्स्ट नेशनल इल्लिजिबिलिटी टेस्ट होगा, वह पहली मई को होगा। उसमें साढ़े 6 लाख छात्र एडिमट हो रहे हैं। जिन लोगों ने वह फार्म नहीं भरा था, उन्हें यह मौका दिया जा रहा है कि तीन महीने के बाद 24 जुलाई को फिर दूसरा टेस्ट होगा, उसमें ढाई लाख लोग होंगे।

अध्यक्ष महोदया, यह बहुत गंभीर मामला है कि एक ही कॉमन टेस्ट के लिए एमबीबीएस, बीडीएस के लिए, वे बच्चे जिनका कल सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ और उनको अगर कल ही टेस्ट में बैठना होगा, तो वे मेंटली प्रिपेयर नहीं होंगे, शायद वे बहुत स्ट्रेस में रहेंगे। दूसरा उन छात्रों को तीन महीने का मौका मिलेगा, तो क्यों न ये दोनों टेस्ट एक साथ कराए जाते और उसमें छात्रों को तैयारी का तीन महीने का मौका मिल जाता। इसका रिजल्ट 17 अगस्त को आना है और पूरे देश में एमबीबीएस का एडिमशन 30 सितम्बर तक हो जाना है। इससे मिल्टिपल एग्जाम से बच जाएंगे। मेरी आपके माध्यम से सरकार से अपेक्षा है कि जो पहली मई का टेस्ट है, जो दो टेस्ट हैं, नेशनल इल्लिजिबिलिटी कम इंट्रेंस टेस्ट वन एंड टू, इन दोनों को कंबाइंड करके एक साथ 24 जुलाई को हो जाए, जिससे कि 17 अगस्त के रिजल्ट में आ जाए। इससे सभी बच्चों को एक साथ तैयारी का मौका मिलेगा।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री गोपाल शेट्टी, श्री सुधीर गुप्ता और श्री शरद त्रिपाठी को श्री जगदम्बिका पाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

माननीय अध्यक्ष: श्री राजीव सातव जी। आपने भी इसी विषय पर दिया है।

श्री राजीव सातव (हिंगोली): अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विषय पर बात रखने का मौका दिया। अध्यक्ष जी, कल सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन आया है, उससे महाराष्ट्र के 80 प्रतिशत स्टूडेंट्स को इसका इफेक्ट होने वाला है। अभी तक 12वीं की परीक्षा के ऊपर ही सभी एग्जाम

होते थे। अभी 11वीं और 12वीं की परीक्षा के ऊपर यह एग्जाम होने वाला है, जो सुप्रीम कोर्ट ने कल डिसीजन दिया है। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का स्टैंड था कि इसे वर्ष 2018 के बाद लागू कीजिए। हमें दो साल का वक्त दीजिए, ताकि बच्चों को पढ़ाई के लिए मौका मिल सके। लेकिन कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इसे नहीं माना है।

अध्यक्ष महोदया, मेरा आपके माध्यम से सरकार से रिक्वेस्ट यह है कि अगर इसे वर्ष 2018 कराने के लिए केन्द्र सरकार न्यू पीटिशन देगी तो कुछ न कुछ मदद होगी। अगर यह बात नहीं हो सकती है तो कम से कम तीन महीने का समय, यानी 24 जुलाई को जो परीक्षा होने वाली है, उस 24 जुलाई की परीक्षा में सभी को अपीयर होने का मौका मिले, तािक बच्चों का एक साल बच जाये। अदरवाइज, 80 प्रतिशत बच्चे हैं, जो गांव से आते हैं, उसका उनको कोई फायदा नहीं होगा और सिर्फ शहरी बच्चों को उसका फायदा होगा और ग्रामीण क्षेत्रों पर यह अन्याय है, केन्द्र सरकार को माननीय सुप्रीम कोर्ट में अपनी तरफ से मुव करने की जरूरत है।

माननीय अध्यक्ष : श्री शंकर प्रसाद दत्ता और श्री मोहम्मद बदरुद्दोज़ा खान को श्री राजीव सातव द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अरविंद सावंत: अध्यक्ष महोदया, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर शून्य काल में बोलने के लिए आपने मौका दिया है।

कल माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया, जिन छात्रों को मेडीकल के क्षेत्र में जाना है या जिनको डेंटल के क्षेत्र में जाना है, राज्यों में जो सी.ई.ए.टी.की परीक्षा की जगह एन.ई.ए.टी. की परीक्षा होगी। राज्य ने पांच मई को एक परीक्षा घोषित की है। जब से मैं सांसद बना हूं तब से एक मुद्दा के बारे में बार-बार कहते आया हूं कि जो बारहवीं कक्षा के विद्यार्थी हैं, खासकर, प्राइमरी और सेकंण्ड्री में हमारे पास एसएससी बोर्ड है, आईसीएसई बोर्ड है और सीबीईएसई बोर्ड है। सीबीएसई बोर्ड का स्टेंडर्ड इन दोनों से ऊंचा है और दोनों के सिलेबस में भी अंतर है। सिलेबस अलग होने की वजह से बच्चों को परीक्षा की तैयारी करने में दिक्कते आती हैं। राज्यों में सी.ई.ए.टी. हो रही थी, डीम्ड यूनिवर्सिटीज की अलग से सी.ई.ए.टी. हो रही थी, यह आने के बाद समय कम हो गया। इसके लिए 24 जुलाई का भी समय हो तो वे इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सीबीएसई का स्टेंडर्ड अलग है। उसमें दो चीजें हो रही हैं। पहले वे यह परीक्षा अपनी मातृभाषा में भी दे सकते थे, मराठी, गुजराती, मलयाली, तेलगु, तिमल बंगाली, इन सारी भाषाओं में उनको परीक्षा देने की सहुलियत थी, वह सहुलियत भी अब नहीं मिलेगी। सीबीएसई कह रही है कि समय कम है तो परीक्षा हिन्दी और अंग्रेजी में ही लेंगे। सारे राज्यों में इसका प्रखर विरोध हो रहा है।

मैं आपके माध्यम से एचआरडी मिनिस्ट्री से निवेदन करता हूं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में जायें, यह आपका निर्णय है, हम उसकी सराहना करते हैं लेकिन एक बात ध्यान में रखें कि इसे वर्ष 2018 से लागू करें, तािक अभी छात्र टेंशन में हैं, मैं सत्य कह रहा हूं, छात्र बहुत डिप्रेशन में हैं, उनको दिलासा देने की आवश्यकता है। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल, श्री विनायक भाऊराव राऊत, श्रीमती भावना पुंडलिकराव गवली, डॉ. प्रीतम गोपीनाथ मुंडे, श्री राहुल शेवाले और श्री श्रीरंग आप्पा बारणे को श्री अरविंद सावंत द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

डॉ. यशवंत सिंह (नगीना): अध्यक्ष महोदया, मैं उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर के नगीना लोक सभा सीट से चुन कर आया हूं। यह सीट उत्तरांचल की बॉर्डर की सीट है, सुरक्षित सीट है। पता नहीं इस सीट का क्या दुर्भाग्य है कि यह केन्द्र सरकार की दृष्टि में जल्दी से नहीं आती है। यहां पर कुछ रेलवे स्टेशनों और डाकखानों के अलावा, ऐसी कोई सुविधा केन्द्र सरकार के द्वारा नहीं दी गयी है, जिससे हम यह कह सकें कि यह सीट केन्द्र सरकार की दृष्टि में कभी आती है। यह क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है, लेकिन यहां पर भंडारण की कोई सुविधा नहीं है, फूड प्रोसेसिंग की भी सुविधा नहीं है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : आपको केन्द्रीय विद्यालय की बात करना है, सभी जगह कही बात नहीं करिए, केवल एक ही बात सदन में रखें। आपने जो विषय के लिए नोटिस दिया है, उसकी बात करें।

डॉ. **यशवंत सिंह**: अध्यक्ष महोदया, ठीक है। यहां पर बच्चों के लिए न कोई केन्द्रीय विद्यालय है, और कोई सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी है। अगर हमें कूपन भी मिलते हैं तो हमें अपने क्षेत्र के बच्चों को एडिमशन के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में भेजना पड़ता है। यहां पर कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी नहीं है। बच्चों को एजुकेशन प्राप्त करने में बहुत दिक्कत होती है।

मेरा आपके माध्यम से मानव संसाधन मंत्रालय से अपील है कि मेरे क्षेत्र के लिए एक सेन्ट्रल यूनिवर्सिटी और एक केन्द्रीय विद्यालय स्वीकृत किया जाये। धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष: कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. यशवंत सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : अध्यक्ष महोदया, मैं दो बिंदुओं पर बात रखना चाहता था लेकिन एक का समाधान लगभग हो गया है कि पेपरलैस जो हमारी सरकार का डिजिटाइजेशन का प्रयास है, वह होने जा रहा है। दूसरी बात है कि इस साल जनवरी से लेकर अभी तक मैं 1940 पत्र लिख चुका हूं। वे इलैबोरेट हैं और पब्लिक ग्रिवैंसेज से संबंधित हैं। ज्यादातर पत्रों का रिप्लाई नहीं आता और तीन-चार तरह

की परिस्थिति पैदा होती है। एक, माननीय सदस्य पत्र लिखते हैं लेकिन ज्यादातर पत्रों का रिप्लाई नहीं आता। दूसरे में यह बात आती है कि आपका पत्र मिल गया। तीसरे में आता है कि I am having the matter looked at. चौथे में आता है कि that matter has been considered, but it cannot be considered. ...(व्यवधान) I myself write. आज हमारी पोजिशन इतनी खराब हो गई है कि मैं जब एम.पी. नहीं था और पत्र लिखता था तो उस समय ज्यादा पॉज़िटिव रिज़ल्ट आते थे। अभी 500-600 रिप्लाई आए हुए हैं, लेकिन 4-5 भी पॉज़िटिव नहीं हैं, सब में नैगेटिव है। यह ब्यूरोक्रोसी का काम है कि इतना लाइटली लिया जाता है।

मुझे प्रधान मंत्री जी का वक्तव्य याद है कि हम आपस की लड़ाई लड़ रहे हैं और अफसर मजा कर रहे हैं। बात वही है कि अफसर मजा कर रहे हैं। कोई मकैनिज़्म डैवलप हो, जैसे हम एक लैटर लिखते हैं।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: आप थोड़े शब्दों में बात कीजिए कि लैटर का जवाब नहीं आता।

...(व्यवधान)

डॉ. उदित राज: मैडम, हम लैटर लिखते हैं तो उसकी एक इन्वैंट्री होनी चाहिए।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़, मत चिल्लाइए। This is not the way.

...(व्यवधान)

डॉ. **उदित राज**: मैडम, मैं किमश्नर रहा हूं। मेरी वाइफ भी किमश्नर हैं। हमें ब्यूरोक्रेसी से पर्सनली तकलीफ नहीं है, लेकिन एक माननीय सदस्य कार्यकर्ता का जवाबदेही है।...(व्यवधान) इसका कोई न कोई फैसला लिया जाना चाहिए। कोई मकैनिज़्म होना चाहिए या इंटरनैट सिस्टम डैवलप किया जाए जिसे मंत्री जी खुद देखें कि यह लैटर आया है, इसका जवाब गया है या नहीं। कोई न कोई मकैनिज़्म होना चाहिए, otherwise, we have become powerless. यह आज की बात नहीं है बल्कि एक दशक से चला आ रहा है। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: ठीक है, आपने अपनी बात बता दी है।

...(व्यवधान)

डॉ. उदित राज : मैं 1996 में एडिशनल किमश्नर (इनकम टैक्स) था। मेरे खिलाफ फर्जी माननीय सदस्य का फोर्ज्ड लैटर गया। मैं ट्रांसफर हो गया तो सोचा कि मैं ट्रांसफर क्यों हो गया। बाद में पता लगा कि एक माननीय सदस्य, किसी ने फोर्ज्ड लैटर लिखा था। मैं उसके आधार पर ट्रांसफर हो गया जबिक सीनियर लैवल पर था। आज की परिस्थिति है कि क्लर्क का भी कुछ नहीं हो पा रहा है। यह फर्क है।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता, श्री शरद त्रिपाठी और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को डॉ. उदित राज द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Madam, there is a Protocol Committee of the Parliament which goes into this type of complaints. If there is some complaint from respected Members, that complaint can come.

HON. SPEAKER: He should give it. He knows it very well. वे पहले भी दे चुके हैं। I know it.

SHRI CH. MALLA REDDY (MALKAJGIRI): Thank you, Madam Speaker. I rise to speak on a serious issue facing the youth of the country, that is, rise of student suicides due to exam pressure. As you know, yesterday the results of the Indian Institute of Technology (IIT) entrance exam were announced and some students who had put in hard work may be disappointed if they did not score the rank they desired. To all those students, I would like to ask to stay positive and stay strong.

Madam, this is a truly shocking statistics that India's suicide rate is the 12th highest in the world. Our country, unfortunately, is home to the highest number of suicides among people in the 15 to 19 age group, as per a note from the Ministry of Health and Family Welfare in 2014. We ourselves have read news reports frequently that tell us about educational pressure faced by students who end up committing suicide, whether it is Class 10 or Class 12 exams or sometimes even 8th standard results.

Speaking on this issue in Rajya Sabha last year, hon. Minister Smriti Iraniji also addressed the issue of stress among students and mentioned that over 8,000 students committed suicides during 2014 in the country.

Given the seriousness of the matter, I urge upon the Health Minister to kindly take up this issue and call for a panel of experts to examine it closely. The key point is that suicides are preventable and effective interventions can decrease a

person's tendency to have suicidal behaviour. Maybe a measure like national suicide prevention plan or psychological counselling or other guidelines can be created which can be followed by all institutions, parents and society. This can help save lives, especially, that of precious children who are the future of this country. Thank you once again, Madam Speaker, for giving me this opportunity to speak.

डॉ. किरीट सोमैया : अध्यक्ष महोदया, दो दिन पहले बजरंगी भाईजान, एक था टाइगर और फैन्टम के निर्माता कबीर खान पाकिस्तान में एक अंतर्राष्ट्रीय परिषद में हिस्सा लेने के लिए गए थे। कराची एयरपोर्ट पर कुछ पाकिस्तानियों ने प्रदर्शन किया। मैं भारत सरकार से प्रार्थना करता हूं कि कोई कलाकार पाकिस्तान सरकार के इन्विटेशन पर वहां जाता है तो उनका ध्यान रखा जाना चाहिए इस प्रकार की घटना को पाकिस्तान सरकार के निर्देश में लाना चाहिए।

माननीय अध्यक्ष: श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री सुधीर गुप्ता को डॉ. किरीट सोमैया द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री सुशील कुमार सिंह (औरंगाबाद): अध्यक्ष महोदया, देश के बड़े हिस्से में पीने का पानी का संकट उत्पन्न हो गया है। इसका कारण अल्पवृष्टि है, दूसरा सरफेस वाटर का सही उपयोग न होना और तीसरा, कहीं-कहीं बड़ी मात्रा में कारखानों-फैक्ट्रियों द्वारा भूगर्भ जल का दोहन।

माननीय अध्यक्ष : वास्तव में इन दोनों इश्यू पर चर्चा होनी है इसलिए आप अपनी बात थोड़े में रखें।

श्री सुशील कुमार सिंह: अध्यक्ष महोदया, अभी गर्मी के मौसम में बिहार के करीब 20-25 जिलों में पीने का पानी का संकट हो गया है और देश में तो है ही लेकिन इसके लिए कोई दीर्घकालिक योजना नहीं बनाई गई है, सरकार कोई कानून बनाकर बारिश नहीं करा सकती लेकिन जो पानी उपलब्ध है उसका सदुपयोग कर सकती है। बिहार में गंगा और सोन नदी है इसके जल के आसपास के जिलों में ले जाया जाए, औरंगाबाद और गया पठारी जिला है, वहां पीने का पानी का ऐसा संकट हुआ है कि त्राहि-त्राहि मची हुई है। इस बारे में अखबारों में आए दिन खबरें छप रही हैं। औरंगाबाद सीमा क्षेत्र में एक बड़ी सीमेंट फैक्ट्री लगाई गई है जिससे भारी मात्रा में जल का दोहन हो रहा है और हमारे शहर में पानी का संकट हो गया है। आपके माध्यम से भारत सरकार से कहना चाहता हूं कि इस समस्या को राज्य सरकार के भरोसे न छोड़कर केन्द्र सरकार इसका संज्ञान ले और पीने का पानी के संकट के समाधान की दिशा में दीर्घकालिक और ठोस योजना तैयार करके कार्रवाई करें।

माननीय अध्यक्ष : श्री कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल और श्री सुधीर गुप्ता को श्री सुशील कुमार सिंह द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

आप भी उसी विषय पर बोल रहे हैं थोड़े में बोलिए, इस पर विस्तृत चर्चा होने वाली है। कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल (हमीरपुर): अध्यक्ष महोदया, मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैं बुंदेलखंड क्षेत्र से आता हूं। आदरणीय सदस्य ने जिस विषय को उठाया है, हम किसी भी विषय पर बोले, मुझे ऐसा लगता है कि घर में कोई भूखा और प्यासा बैठा हो और हम किसी उत्सव या समारोह में शामिल हो रहे हैं, उसी प्रकार से किसी भी विषय को सदन में रखता हूं तो मुझे लगता है कि किसानों से संबंधित विषय ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। हमारे यहां पानी के लिए त्राहि-त्राहि मचा हुआ है। वहां कोई भी ऐसा गांव नहीं है जहां पानी का समुचित प्रबंधन हो। वहां का दृश्य बहुत ही भयवाह है, मेरे पास बहुत सारे फोटोग्राफ्स हैं, मैंने समय लेकर ग्रामीण विकास मंत्री जी से भी बात की थी। मेरे संसदीय क्षेत्र ही नहीं पूरे बुंदेलखंड के एक-एक गांव में पानी की टंकी बनाकर सप्लाई का इंतजाम किया जाए। आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, हम एमपीलैड से किसी कार्य के लिए पैसा नहीं दे रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदया, हम वहां पर केवल पेयजल के लिए पैसा दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों का काम करने का जो तरीका है, वह ठीक प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि जो हैंडपम्प हम स्वयं लगवाएं या जो वहां के ब्यूरोक्रेट्स वे यदि अपने घर में हैंडपम्प लगवाते होंगे, वह 30 या 40 हजार रुपए में लग जाता होगा, लेकिन यदि हम उसी हैंडपम्प को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास निधि योजना से लगवाने के लिए कहते हैं, तो उसकी लागत 72 हजार रुपए आती है। इस प्रकार से धन का दुरुपयोग हो रहा है। दूसरी चीज यह है कि हम लोगों को वहां हैंडपम्प नहीं दिए जाते हैं। इसलिए मेरा आपके माध्यम से भारत सरकार से निवेदन है कि हमारे यहां के जितने भी पूरे गांव हैं, यदि मैं यहां उनका नाम लूंगा, तो सदन का ज्यादा समय लगेगा, इसलिए मैं यहां उनके नहीं ले रहा हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि वहां जितने भी गांव हैं, जितने भी कस्बे हैं, उनमें से एक-एक गांव और एक-एक कस्बे में पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। मेरा निवेदन है कि बुंदेलखंड फिर चाहे वह उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में हो या मध्य प्रदेश के क्षेत्र में वहां के सांसदों को भारत सरकार की ओर से 2-2 हजार हैंडपम्प दिए जाएं। ... (व्यवधान)...

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य, मेरा निवेदन है कि सांसद निधि को रीचार्जिंग सिस्टम पर खर्च करना चाहिए। मेरी सलाह है कि रीचार्जिंग सिस्टम नाम की भी कोई चीज होती है। उस पर भी सोचो और उस पर सांसद निधि खर्च करो। इससे वॉटर लैवल ऊपर आ जाएगा। अब आप बोलिए।

कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल: माननीय अध्यक्ष महोदया, हमारे यहां डॉर्क जोन है। आपने रीचार्जिंग सिस्टम पर ध्यान देने की बात कही, वह ठीक है। उससे वॉटर लैवल ऊपर आ जाएगा।

अध्यक्ष महोदया, मेरा निवेदन है कि सर्फेस वॉटर का मैनेजमेंट किया जाए। हमारे पूरे क्षेत्र में 1000 वर्ष पहले 7200 तालाब बनाए गए थे। अगर उन्हीं का प्रॉपर तरीके से संरक्षण हो गया होता, तो आज हमारा बुन्देलखंड पानी की कमी के कारण नहीं कराह रहा होता। आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिए मेरी ओर से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्य कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए विषय से सर्वश्री दद्दन मिश्रा, शरद त्रिपाठी, भैरोंप्रसाद मिश्र, अजय मिश्र टेनी एवं श्री सुधीर गुप्ता अपने आपको सम्बद्ध करते हैं।

श्री सौमित्र खान (विशनपुर): स्पीकर मैडम, मुझे बोलने के लिए समय देने हेतु मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। मैं यहां देख रहा था कि पक्ष वाले विपक्ष वालों को दोषी ठहराते हैं और विपक्ष वाले पक्ष वालों को दोषी ठहराते हैं, लेकिन आज से 20 या 30 साल पहले हमने कभी नहीं सोचा था कि हमें पानी खरीदना पड़ेगा। आज सबसे बड़ी बात है कि 20-20 गांवों में, दूर-दूर तक यदि आप देखें, तो पीने के पानी की कमी है। मैं यहां आ रहा था, तो मैंने देखा कि पीने के पानी के लिए इतनी भीड़ लगी थी कि सड़क पर जाम लग गया। सबसे बड़ी बात यह है कि आज एक लीटर पानी डीजल से भी महंगा हो गया है। यदि आप किसी फाइव स्टार होटल में जाकर पीने के पानी की एक लीटर की बोतल खरीदेंगे, तो वह आपको 120 रुपए में मिलेगी। इस प्रकार से देखा जाए, तो आज पानी डीजल से भी महंगा हो गया है।

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया लम्बा भाषण न दें। केवल अपने सुझावों से सरकार को अवगत कराएं।

श्री सौमित्र खान (विशनपुर): मैडम स्पीकर, मैं माओवादी एरिया से सांसद हूं। मेरा सुझाव है कि मेरे क्षेत्र में तीन रिवर हैं, एक दामोदर, दूसरी दारगेश्वर और तीसरी शिलामोती। इन तीनों के ऊपर यदि बांध बन जाएं, तो कम से कम जंगल में जो आदिवासी लोग हैं, जो खेत मजदूर एरिया के आदमी हैं, वे सब बच जाएंगे। इससे भी बड़ी बात यह है कि जो भी हो, भले ही इमरजेंसी पीरियड मान कर इस काम को किया जाए, लेकिन तुरन्त किया जाए, क्योंकि अगले साल फिर यही दिक्कत होने वाली है। इसलिए हम मंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी पानी का बन्दोबस्त कीजिए।

श्रीमती मीनाक्षी लेखी (नई दिल्ली): माननीय अध्यक्ष महोदया, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक बहुत महत्वपूर्ण विष्य की ओर आकर्षित करना चाहती हूं। भारत को अगर टिकाऊ लक्ष्य प्राप्त करने हैं, तो कहीं न कहीं जनसंख्या नियंत्रण पर काम करना होगा। अभी हाल ही में केन्द्र सरकार का जो स्वास्थ्य बजट

आया है, उसके मुताबिक परिवार नियोजन पर मात्र 4 प्रतिशत खर्च किया गया है। वर्ष 2012 का लो लंदन सिमट था, उसमें यूनीवर्सल हैल्थ कवरेज और परिवार नियोजन, दोनों को लेकर तय किया गया था कि तकरीबन 2 मिलियन डॉलर, जो लगभग 3,500 करोड़ रुपए के आसपास की धनराशि है, उसका प्रावधान किया जाएगा, लेकिन पिछले एक दशक से ऐसा पाया गया है कि धनराशि की कमी की वजह से इस काम में कहीं न कहीं 54 प्रतिशत की गिरावट आई है और जो हमारा एक्सपेंडीचर है, उसके कारण हम अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए फेमिली प्लानिंग एक्सपेंडीचर पर जो स्पेसिंग मैथड्स वगैरह हैं, उस पर केवल 1.4 प्रतिशत बजट का हिस्सा खर्च किया गया है। मैं आशा करती हूं कि वर्ष 2016-17 के बजट में इस पर ध्यान दिया जाएगा और स्वास्थ्य की दृष्टि से इसके आयोजन और क्रियान्वयन में बेहतर टैक्नोलौजी पर काम कर के ध्यान दिया जाएगा और इस विषय पर समुचित कार्रवाई करेंगे तथा जो राज्य इसमें पार्टीसिपेट नहीं कर रहे हैं, उन पर भी वांछित कार्रवाई की जाए, इसकी अपेक्षा है। अध्यक्ष महोदया, मुझे इस महत्वपूर्ण विषय को सदन में उठाने हेतु समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष : माननीय सदस्या, श्रीमती मीनाक्षी लेखी जी द्वारा सदन में प्रस्तुत किए गए विषय से सर्वश्री भैरोंप्रसाद मिश्र, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल एवं श्री सुधीर गुप्ता अपने आपको सम्बद्ध करते हैं। PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Hon. Speaker, Madam, I am raising a matter of urgent public importance during 'Zero Hour'.

The facts that I have got have been brought to light by the Association for Democratic Reforms. These relate to the Audit Report of political parties.

In August, 2014, the Election Commission issued guidelines for transparency and accountability of national political parties. The guidelines were meant to make existing legislation in this matter clearer. In November, 2014, the Commission reiterated the guidelines for the national parties and stated that failing to follow the guidelines may compel action under the Election Symbols (Reservation and Allotment Order).

Of the national parties, BJP, CPI(M), BSP, CPI and NCP have submitted their audit reports. The Congress has not submitted their report so far. The income of the BJP was Rs. 673 crore in 2013-14 and Rs.969 crore in 2014-15 respectively. The Indian National Congress had an income of Rs. 598 crore in 2013-14.

माननीय अध्यक्ष: आप इसकी रिपोर्ट थोड़े ही दे रहे हैं। Please tell, what you want.

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Madam, please listen. But the strange thing about the income of the political parties is that most of their total income is from unknown sources like voluntary contribution. Madam, 82.5 per cent of total income of INC is from unknown sources like sale of coupon. Similarly, 73 per cent of total income of BJP is from unknown sources like voluntary contribution; 75 per cent of total income of national parties is from unknown sources. Then, 53.8 per cent total income of CPI(M) is from unknown sources like voluntary contribution... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: Prof. Saugata Roy, what do you want to say? Please be brief.

... (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष: सौगत राय जी, आपस में चर्चा मत कीजिए। आपको जो बात रखनी है, वह सदन में रखिये।

...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: Madam, I am making a very brief submission... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: आप अपना सबिमशन रिखये। बहुत सारी पार्टीज हैं, इसिलए सबके बारे में मत किहये। ...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: The CPI(M) raised RS. 417 crore from 2005 to 2011 and took money from promoters, developers, resort companies and hoteliers. So, it is not possible for the common people to know what the unknown sources are. In the interest of transparency, the national parties should be asked to reveal their unknown sources. These facts have been brought to light by Association for Democratic Reforms... (*Interruptions*) I have said nothing unparliamentary. What are you objecting to? I have only quoted what the Association for Democratic Reforms has said that these parties do not submit their audit report.... (*Interruptions*)

HON. SPEAKER: I am not objecting. मेरा कहना है कि आप अपना सबिमशन थोड़े में रखिये।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: मेरा सबिमशन छोटा ही है। केवल एक पन्ने का सबिमशन है। क्या आप तब भी ऑब्जेक्शन करेंगी?

माननीय अध्यक्ष: आप अपनी बात कहिये।

...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: सौगत राय जी, आप चेयर को संबोधित करते हुए अपनी बात समाप्त कीजिए।

...(व्यवधान)

PROF. SAUGATA ROY: I demand that all these unknown sources be made known by INC, BJP, CPM etc. What are these unknown sources? Who have given money to them? We want to know... (*Interruptions*)

Thank you.

SHRI RAM PRASAD SARMAH (TEZPUR): Madam, I am going to raise a very important and sensitive issue relating to my State Assam. The atrocities and harassment faced by Hindu Bengalis and Gorkhas in Assam are increasing. The Hindu Bengalis are termed doubtful voters and foreigners in spite of the notification issued by the Government on India on 9th September, 2015. Till today, the Government of Assam has not implemented this notification.

The Hindu Bengalis are kept in detention camps. Their small children and mothers are not left out. So, I would, therefore, request the Home Minister that the Hindu Bengalis and Gorkhas, who are termed doubtful voters and foreigners should be given full protections. Gorkhas have their own contribution in the country for fighting internal and external aggression against any enemies. So, they cannot be termed as foreigners. They are the indigenous people of the country and they are also sons of the soil.

So, I would again request the Government of India and also the Government of Assam to give protection to the Hindu Bengalis and the Gorkhas in Assam.

Thank you, Madam.

HON. SPEAKER: Shri Bhairon Prasad Mishra, Kunwar Pushpendra Singh Chandel, and Shri Sudheer Gupta are permitted to associate with the issue raised by Shri Ram Prasad Sarmah.

... (Interruptions)

माननीय अध्यक्ष: श्यामा चरण गुप्त।

आपका विषय पानी के संबंध है। आप अपनी बात एक लाइन में खत्म कीजिए, क्योंकि इस पर डिटेल में चर्चा होनी है।

श्री श्यामा चरण गुप्त (इलाहाबाद): अध्यक्ष महोदया, उत्तर प्रदेश में बुन्देलखंड की शुरूआत मेरे संसदीय क्षेत्र के शंकरगढ़, इलाहाबाद की सीमा से शुरू हो जाती है। विन्ध्य पहाड़ी पर स्थित मेरे संसदीय क्षेत्र में खीरी, लेंडियारी, कोरांव तथा शंकरगढ़ की भौगोलिक परिस्थितियां बुन्देलखंड जैसी ही हैं। वर्तमान में टैंकरों से पानी का इंतजाम करना पड़ रहा है। बुन्देलखंड से लगे मेरे संसदीय क्षेत्र के इलाके में पेयजल एवं मवेशियों आदि हेतु जल तथा अन्य सुविधाएं, जो बुन्देलखंड निवासी को मिलती हैं, उपरोक्त सुविधाएं मेरे संसदीय क्षेत्र के हिस्से के लोगों को भी उपलब्ध कराये जाने का कष्ट किया जाये।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री श्यामा चरण गुप्त द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): माननीय अध्यक्ष जी, यह मेरे लोकसभा क्षेत्र का बहुत महत्वपूर्ण विष्य है। मेरे लोकसभा क्षेत्र खीरी के नगर लखीमपुर के बीच में सीतापुर रोड पर ओवरब्रिज के निर्माण तथा रेलवे द्वारा ब्रॉडगेज कन्वर्जन के क्रम में रेलवे समपार फाटक संख्या 120 को बंद किए जाने से यह शहर दो हिस्सों में विभाजित हो गया है। परिणामस्वरूप शहर छोटा होने से और वही मुख्य मार्ग होने के कारण नगरवासियों को बहुत असुविधाएं हो रही हैं। एक तरफ छात्राओं की समस्त शिक्षण संस्थाएं, बैंक, अस्पताल, तहसील कोतवाली, नगर पालिका, कोर्ट तथा मुख्य बाजार है और दूसरी तरफ छात्रों की शिक्षण संस्थाओं के साथ महाविद्यालय एवं बड़ी संख्या में रिहाइश है। चूंकि लखीमपुर नगर जिले का मुख्यालय है, पूरे जिले से लोग आते हैं, उनको भी बहुत परेशानी हो रही है।

उपरोक्त परिस्थिति को देखते हुए मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि शहरवासियों, जिले के लोगों और छात्र -छात्राओं की सुविधा को देखते हुए लखीमपुर नगर में सीतापुर रोड पर स्थित रेलवे समपार फाटक संख्या 120 को सुरक्षा का आवश्यक बंदोबस्त करके आवागमन हेतु खुला रखा जाए।

माननीय अध्यक्ष: श्री सुधीर गुप्ता, श्री भैरों प्रसाद मिश्र और कुँवर पुष्पेन्द्र सिंह चन्देल को श्री अजय मिश्रा टेनी द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव (बाँका): माननीय अध्यक्ष जी, बिहार में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। खासकर बुद्ध, जैन महावीर और कई प्राकृतिक पर्यटन स्थल हैं। ये बिहार की सांस्कृतिक, प्राकृतिक धरोहर है। ये स्थल बिहार में विद्यमान हैं। बिहार में कई परिपथ की स्वीकृति भी प्रदान की गई है जिसमें राजगीर, बोधगया, बांका, मंदार पर्वत, कमरियापत, सुल्तानगंज, विक्रमशिला, भीम बांध, तिलडीहा, ऋि कुंड, सीता कुंड, लछवाड़, अशोक धाम, सिंगरिशी, सुल्तानगंज के गंगा घाट से लाखों लोग कांवड़ लेकर झारखंड तक पैदल यात्रा करते हैं। भारत सरकार ने घोषणा की थी कि इन पर्यटन स्थलों को बेहतर बनाने के लिए राशि मुहैया करेंगे लेकिन आज तक राशि मुहैया नहीं की गई है, सिर्फ घोषणा करके छोड़ दी गई है।

मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि बिहार के पर्यटन क्षेत्र के रखरखाव के लिए बेहतर राशि उपलब्ध करवाने का कट करें।

DR. KULMANI SAMAL (JAGATSINGHPUR): Madam Speaker, I am thankful to you for allowing me to speak on the matter relating to establishment of new medical colleges in existing five districts and referral hospitals in Odisha.

Madam, a proposal was made by the Government of Odisha in 2014 to establish five medical colleges in five districts and referral hospitals at a cost of around Rs. 2500 crore having the share of 75:25 between the State and the Centre. In this regard, the Government of India has released only Rs. 55 crore in three phases till date. However, the construction of the college buildings and other infrastructure is yet to be completed due to financial crunch. The Government of Odisha, as per the plan, has decided to start the academic session in 2017-18. Hence, all the arrangements in this regard are supposed to be completed by the end of 2016. So, I request the Government of India to expeditiously sanction the balance share of fund at the earliest for completion of construction of the said college buildings along with installation of other infrastructure so that the academic session in these medical colleges could be started in 2017-18.

SHRI HEMANT TUKARAM GODSE (NASHIK): Madam, I want to raise the issue about the arbitrary attitude of private Airport Authority who runs the Government Airport.

Madam, Mumbai airport is run by GVK, a private company and the rights of time slots to take off and land the aircraft are exclusively given by the GVK.

The Government PSU airline, Air India, has applied for time slot to GVK to connect Mumbai with two tier cities like Nashik, Hubli and Pune from 1st May, 2016. But the GVK rejected the applied time slot saying that they do not have time slot at Mumbai Airport instead of giving the time schedule which is available with them at Mumbai Airport. Air India would have applied as per the time slot available. The Private Airport Authority that is GVK allot the time slot to private Airlines because they get more money and they do not get any charges from the Government PSUs airline, Air India, for small aircraft below 80 seaters.

The Government policy is to connect two tier cities with metro cities for better development of our country and also to give preference to connect Religious Circuit. Nashik is well known as a religious place. But because of such rights given to the private companies and their exercise of arbitrary attitude, the Government policy will fail and also the Government PSU airline, Air India will have to shut down.

Hon. Speaker, Madam, through you, I want to request the Civil Aviation Ministry that either to quit or control on such private companies' arbitrary attitude, some reserved time slot for the Government PSU airline may be given. Or, either the rights may be given to the Air Traffic Control Authority of the Civil Aviation Ministry to approve the time slot, which the Private Airport Authority may charge and collect as decided. Also, direct the authority to approve the available time slot applied for by the Air India from 1st May, 2016 for connectivity of Nashik, Mumbai.

HON. SPEAKER: Shri Arvind Sawant, Shrimati Bhavana Pundalikrao Gawali, Shri Shrirang Appa Barne, Shri Bhairon Prasad Mishra and Kunwar Pushpendra

Singh Chandel are permitted to associate with the issue raised by Shri Hemant Tukaram Godse.

डॉ. रमेश पोखरियाल।

आप बहुत कम शब्दों में अपनी बात रखें।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): अध्यक्ष महोदया, धरती का स्वर्ग उत्तराखंड का प्रवेश द्वार हरिद्वार है जो मेरा संसदीय क्षेत्र है। यहां महाकुम्भ भी होता है और करोड़ों लोग कावड़ के रूप में भी आते हैं। जहां देश और विदेश से करोड़ों पर्यटक आते हैं लेकिन वहां रेलवे की अवस्थापना बहुत कम है। लगातार मांग थी कि हरिद्वार से ऋषिकेश तक मेट्रो रेल शुरू की जाए। लकसर है, रूड़की है, इस फाटक पर हजारों हजार लोग खड़े रहते हैं। यहां अंडर पास बनाया जाए और ढंडेरा रूड़की में ओवर ब्रिज बनाया जाए। गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने के लिए आज तक कोई रेलवे लाइन नहीं बनाई गई है। उत्तर प्रदेश से गुजरकर जाना पड़ता है इसलिए हरिद्वार, कोटद्वार, रामनगर और हल्द्वानी तक इसे सुनिश्चित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : आप रेलवे की डिमांडस मत रखिए। जो आपने लिखा है, उसे पढिए।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: अध्यक्ष महोदया, यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हरिद्वार की रेलवे की व्यवस्था है रूड़की, लकसर, हरिद्वार, रायवाला को और सशक्त किया जाए और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें विकसित किया जाए।

माननीय अध्यक्ष : श्री भैरों प्रसाद मिश्र, श्री सुधीर गुप्ता और कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल को डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

SHRI KARADI SANGANNA AMARAPPA (KOPPAL): Madam, I would like to draw your attention that Koppal district is having a number of industries like steel, rice, granite, handloom, etc. In all these industries, nearly more than 30,000 labourers are working. These labourers are not able to avail of the medical facilities. Now, the Government of India is ready to sanction an ESI hospital to Koppal district. I came to know that out of 30,000 labourers, only 8,000 employees are registered and insured for getting treatment in the Government-run Corporation. So, it is very essential for us to make the remaining 22,000 employees to get insurance for getting treatment in the Government-run Corporation.

Madam, further I would like to bring to your kind notice that in Gangavathi, Kusthagi and Yelburga taluks this scheme is not being implemented. In these three taluks and also in the Koppal area where it is implemented, we have theatres, shops, colleges, hotels and industries in which more than 10 people are working in each unit and they earn less than Rs.15,000 per month. Due to their less income they are unable to afford treatment in such big hospitals.

Madam, hence I request you to issue direction to the concerned authorities to start a survey to implement it in the uncovered areas so that the beneficiaries get registered and insured within next three months. I hope you will join hands in the endeavour to establish the ESI hospital at the earliest in Koppal district and oblige. Thank you, Madam.

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरट): महोदया, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत सरकार प्रत्येक बालक को शिक्षा का अधिकार प्रदान करने के लिए कृतसंकल्प है। यह योजना पूर्ण रूप से सम्पन्न हो इस हेतु विद्यालयों में मिड डे मील का कार्यक्रम चलाया जाता है। बच्चों को पुस्तकें, ड्रेस तथा पढ़ाई के लिए आवश्यक अन्य वस्तुएं उपलब्ध कराई जाती हैं परन्तु उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षा का बहुत बुरा हाल है। भवन, शिक्षक, स्वच्छता आदि की समस्याएं तो है हीं लेकिन अधिकांश विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन होने के बावजूद बिजली के बिलों का भुगतान न किए जाने के कारण इन विद्यालयों की बिजली काट दी गई है। केवल अपने संसदीय क्षेत्र मेरठ की यदि मैं बात करूं तो मेरठ में कुल 910 प्राथमिक विद्यालय हैं जिनमें से 255 विद्यालयों में तो बिजली का कनेक्शन ही नहीं है तथा बचे हुए 655 विद्यालयों में से अधिकांश विद्यालयों में बिजली के बिलों का भुगतान न होने की वजह से प्रशासन द्वारा बिजली काट दी गई है। पिछले सप्ताह जीटीवी ने विद्यालयों की स्थिति पर बहुत विस्तार से उल्लेख किया था। इन विद्यालयों के छात्र-छात्राओं का बिजली बिलों का भुगतान न होने में कोई दोष नहीं है फिर भी इसके दुष्परिणाम भीषण गर्मी के रूप में उन्हें भुगतने पड़ रहे हैं। मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि सभी प्राथमिक विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन सुनिश्चित करने के साथ-साथ बिजली बिलों के भुगतान के अभाव में काटे गए कनेक्शनों को यथाशीघ्र पुनर्स्थित किया जाए तथा प्राथमिक विद्यालयों द्वारा बिजली बिलों के भुगतान में असमर्थता के कारणों का पता लगाकर व्याप्त खामियों के निदान हेत् तुरंत सुधारात्मक क़दम उठाए जाएं।

माननीय अध्यक्ष : श्री शरद त्रिपाठी, कुंवर पुष्पेन्द्र सिंह चंदेल और श्री भैरों प्रसाद मिश्र को श्री राजेन्द्र अग्रवाल द्वारा उठाए गए विषय के साथ संबद्ध करने की अनुमित प्रदान की जाती है।

12.56 hours

DEMANDS FOR GRANTS (GENERAL), 2016-17

Ministry of Social Justice and Empowerment

HON. SPEAKER: Hon. Members, there will be no lunch today. The House will now take up discussion and voting on Demand Nos. 82 and 83 relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment.

Hon. Members present in the House whose cut motions to the Demands for Grants in respect of the Ministry of Social Justice and Empowerment for the year 2016-2017 have been circulated may, if desire to move their cut motions, send slips to the Table within 15 minutes indicating the serial numbers of the cut motions they would like to move. Only those cut motions, slips in respect of which are received at the Table within the stipulated time, will be treated as moved.

A list showing the serial numbers of cut motions treated as moved will be put up on the Notice Board shortly thereafter. In case Members find any discrepancy in the list, may kindly bring it to the notice of the Officer at the Table immediately.

Motion moved:

"That the respective sums not exceeding the amounts on Revenue Account and Capital Account shown in the fourth column of the Order Paper be granted to the President out of the Consolidated Fund of India, to complete the sums necessary to defray the charges that will come in course of payment during the year ending the 31st day of March, 2017, in respect of the heads of Demands entered in the Second column thereof against Demand Nos.82 and 83 relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment."

Demands for Grants (General), 2016-17 in respect of Ministry of Social Justice and Empowerment submitted to the vote of Lok Sabha

No. of Demand	Name of Demand	Amount of Demands on Account, voted by the House on March, 2016		Amount of Demands for Grants submitted to the vote of the House	
1	2	3		4	
		Revenue (Rs.)	Capital(Rs.)	Revenue (Rs.)	Capital(Rs.)
82	Department of Social Justice and Empowerment	1037,83,00,000	56,50,00,000	5189,12,00,000	282,50,00,000
83	Department of Empowerment of Persons with Disabilities	125,59,00,000	5,00.00,000	627,97,00,000	25,00,00,000

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): मैडम स्पीकर, आज मैं उस समाज की बात करने जा रहा हूँ जो सिदयों से सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय के लिए संघर्ष करता आ रहा है। इस समाज के करोड़ों लोग एक अच्छे जीवन की इच्छा के लिए विचार करते हुए यह दुनिया छोड़ गये। मेरा कहने का भाव यह है कि यह वह समाज है, जो अनुसूचित जातियों से ताल्लुक रखता है। सिदयों से जो इंसानी हक़ हैं, वे उनसे वह उनसे वंचित रहा है।

आज से 639 साल पहले इस धरती पर गुरु रविदास जी ने जन्म लिया। मैं मानता हूँ कि उन्होंने पहली दफ़ा इस धरती पर समानता की बात की। उन लोगों के हक़ की बात की। उन्होंने अपनी वाणी में कहा- "तोहि मोहि, मोहि तोहि, अंतर कैसा, कनकट जल तरंग जैसा। "गुरु रविदास जी ने कहा कि तुम्हारे और मेरे में, मेरे और तुम्हारे में क्या फर्क है? जैसे सोने और सोने के गहने में कोई फर्क नहीं है, जैसे पानी और पानी की लहरों में कोई फर्क नहीं है। फिर इंसान और इंसानों के बीच छुआछूत और न-बराबरी क्यों है?

उन्होंने अपनी वाणी में आज से छः सौ साल पहले कहा- "ऐसा चाहूँ राज मैं, जहाँ सबन को मिले अन्न। छोट-बड़े सब सम बसैं, रविदास रहे प्रसन्न।" मैं ऐसा राज चाहता हूँ, जहाँ सबको रोटी मिले, मकान मिले और सब लोग आपस में बराबरी में जीवन बसर करें। यह एक लम्बी दास्तान है इनलोगों की, जिन्होंने सिदियों से यह पीड़ा अपने मन में झेली है। उसके बाद यह सिलसिला चलता रहा।

हमें गर्व है कि उसके बाद डॉ. अम्बेडकर जी इस धरती पर आये। उन्होंने उस संघर्ष को और आगे बढ़ाया। गुरु रिवदास जी की जो फिलॉसफी थी, जो विचारधारा थी, उसको उन्होंने आगे बढ़ाया और संघर्ष भी करना शुरू किया।

13.00 hours

स्पीकर महोदया, मुझे इस बात का गर्व है कि इस धरती पर सबसे पहले अगर अनटचेबिल्टी के खिलाफ कोई पार्टी उठी तो वह कांग्रेस पार्टी उठी। वर्ष 1917 में आल इंडिया कांग्रेस कमेटी का अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मैडम एनी बेसेंट ने की। उस अधिवेशन में पहली बार अनटचेबिल्टी के खिलाफ एक रिज्योल्यूशन पास किया गया। यह सिलसिला चलता रहा, जब अम्बेडकर साहब आए, जब अम्बेडकर साहब राउण्ड टेबल कांफ्रेंस में इंग्लैंड गए, बड़े संघर्ष के साथ गए। मुझे याद है कि उनको वहां बैठने में बड़ी हर्डल आ रही थी। मेरे पास ऐसे दस्तावेज हैं, हमारे पूर्वजों ने, हमारी फैमिलीज ने, हमारे पिता ने, उनके साथियों ने उस वक्त टेलीग्राम दी कि डा.अम्बेडकर साहब को राउण्ड टेबल कांफ्रेंस में बैठने की इजाजत दी जाए। अम्बेडकर साहब उस कांफ्रेंस में बैठे और वहां पहली दफा उन्होंने अनटचेबिल्टी के खिलाफ यह मुद्दा रखा कि ब्रिटिश सरकार का राज है, लेकिन इस राज में एक ऐसा वर्ग, एक ऐसा समाज भारतवर्ष की

धरती पर है, जिसको पानी पीने का हक नहीं है, जिसको कुएं पर चढ़ने का हक नहीं है, जिसको अपना घर खरीदने का हक नहीं है, जिसको स्कूल में बैठने का हक नहीं है। यह बात उन्होंने वहां रखी और उन्होंने वहां बोलते हुए कहा, and I quote:

"The bureaucratic form of Government in India should replaced by Government which will be a Government of the people by the people and for the people."

यह हिन्दुस्तान की धरती पर पहली एक नींव रखी गयी कि हिन्दुस्तान में एक ऐसी चुनी हुई सरकार हो, जो भारत के लोगों की जरूरतों को पूरी करे। देश आजाद हुआ, देश की आजादी की के बाद सरकारें बनीं। पंडित जवाहर लाल नेहरू जी प्रधानमंत्री बने, इंदिरा जी प्रधानमंत्री बनीं, राजीव जी प्रधानमंत्री बने तो इन लोगों को बराबर लाने के लिए, आगे लाने के लिए बड़े-बड़े प्रोग्राम उन्होंने चलाए। मुझे याद है कि इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा लगाया, बैंक्स को नेशनलाइज किया तो उस वक्त पहली दफा हमारे गरीब और अनुसूचित जाति के लोगों को नौकरियों एवं इंटरप्रिन्योरिशप के लिए जो जरूरतें थीं, उनको पूरा किया। मुझे इस बात का फख है, सोनिया जी यहां बैठी हैं, यूपीए सरकार विश्व की इम्प्लायमेंट की सबसे बड़ी स्कीम - मनरेगा को लेकर आई ताक गांव के लोगों को इम्प्लायमेंट मिले। राइट टू फूड यूपीए सरकार लाई तािक जो बात गुरू रिवदास जी ने कहा था कि ऐसा चाहूं राज मैं जहां सभी को मिले अन्न, उसे पूरा किया जाए।

राइट टू एजुकेशन यूपीए सरकार लाई। यही नहीं, जब राजीव गांधी जी की सरकार थी, उन्होंने 74वां और 75वां संविधान संशोधन लाकर पंचायतों में पहली बार रिजर्वेशन का प्रॉविजन लागू किया। मेरे कहने का भाव यह है कि बहुत कुछ हुआ है, लेकिन आज मुझे दुख है, आज में इन डिमाण्ड्स पर बोल रहा हूं, यह एक गाइडलाइन है कि जितनी भी अनुसूचित जाति और ट्राइबल्स की संख्या हो, जितनी उनकी पापुलेशन हो, उसके मुताबिक, उसी रेशियों में देश का बजट इनके लिए रखा जाए। मैं अगर गलत नहीं हूं तो 16.2 प्रतिशत शिड्यूल्ड कास्ट का हिस्सा बनता है और 8.2 प्रतिशत शिड्यूल्ड ट्राइब्स का हिस्सा बनता है। इस हिसाब से जरूरत थी कि 82,643 करोड़ रुपये एससी के लिए रखे जाने थे और 42,815 करोड़ रुपये एसटी के लिए रखने चाहिए थे, लेकिन दुख है कि इस सरकार ने उनके लिए केवल 38,000 करोड़ रुपये और 24,000 करोड़ रुपये रखे हैं। लेकिन देखने वाली बात है कि यह जो पैसा रखा गया, क्या पिछले दो सालों में यह यूटिलाइज हुआ है। ये आंकड़े सामने आए हैं, सर्वे हुए हैं कि इनमें से बहुत सा पैसा विभिन्न विभागों में किसी ने सड़कों पर लगा दिया। किसी ने ब्रिजेज पर लगा दिया और किसी ने और इंफ्रास्टूक्चर पर लगा दिया। जो पैसा रखा गया वह भी युटिलाइज नहीं हुआ। आज मिनिस्ट्री ऑफ सोशल

जस्टिस की डिमांड्स पर चर्चा हो रही है। इसमें भी जो पैसा रखा गया है, वह 2015-16 में 6467 करोड़ रुपया रखा गया। जो रिवाइज्ड ऐस्टीमेट में 5911 करोड़ रुपया रह गया। इसी तरह से 2016-17 में 6500 करोड़ रुपये रखा गया है। देखने की बात यह है कि अभी जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट आई है, अगर उसका अध्ययन किया जाए तो उसमें यह कहा गया है कि डिपार्टमेन्ट ने 10573 करोड़ मांगे थे, लेकिन वह पूरे नहीं दिये गये, उसमें कम करके 6500 करोड़ रुपये दिये गये। उसमें यह भी देखने में आया है कि जो पिछले साल 6467 करोड़ रुपये रखे गए थे, उसमें उन्होंने 411 करोड़ रुपये और मांगे थे। उन्होंने उन्हें प्रोवाइड तो क्या करना था, उसमें भी कट लगाकर उसे 4911 करोड़ रुपये कर दिया गया। इससे यह पता चलता है कि हमारी सरकार गंभीर नहीं है।

महोदया, मैं आइटमवाइज इन ब्रीफ कहना चाहता हूं कि इस देश में अनुसूचित जाित के लोग तभी आगे बढ़ सकते हैं, अगर उन्हें सही एजूकेशन मिले। डा.अम्बेडकर जी भी कहा था - educate, agitate and organise. उन्होंने भी एजूकेशन को सबसे अधिक प्रायोरिटी दी थी, यह उनका स्लोगन था। आज देखने की बात यह है कि जो एजूकेशन से ताल्लुक रखने वाली डिमांड्स हैं, जो प्री-मैट्रिक स्कालरिशप 2012 में हमारी सरकार ने शुरू की थी, उसमें 2015-16 में 842.55 करोड़ रुपये रखे गए और 2016-17 में 550 करोड़ रुपये रखे गये। इनमें से 342 करोड़ रुपये का इन्होंने कट लगा दिया। मैं समझता हूं कि जो प्री-मैट्रिक स्कालरिशप है, जिससे बच्चे ड्राप आउट होने से रुकते हैं, जो एस.सी. कम्युनिटी की एजूकेशन का बेस है, उसमें भी कट लगा दिया गया। इसी तरह से जो पोस्ट मैट्रिक स्कालरिशप है, यह सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे बच्चों ने आगे पढ़ाई शुरू करनी होती है, उन्हें अगली क्लासों में जाना होता है। लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि इसे बिल्कुल भी इम्पिलिमेन्ट नहीं किया जा रहा है। बहुत से राज्यों के हमारे साथी यहां बैठे हैं, वे भी मुद्दे उठायेंगे कि बहुत सारे राज्यों में जहां भारी बैकलाग पड़ा है, वहां स्कालरिशप नहीं पहुंच रही है और जब बच्चे अगली क्लास में जाते हैं तो कालेज का मैनेजमेन्ट उनसे फीस मांगता है और उनके पास फीस नहीं होती, चूंकि उन्हें स्कालरिशप मिल नहीं रही होती है तो उनकी आगे की एजुकेशन में एक बड़ा भारी हर्डल पैदा हो जाता है।

महोदया, अब मैं अपने प्रांत की बात करता हूं, मेरे प्रांत पंजाब में 2014--15 के 131.78 करोड़ रुपये बैकलाग का पैंडिंग है और 2015-16 का 588 करोड़ रुपये पैंडिंग है। मंत्री जी सामने बैठे है। मैं समझता हूं कि अगर इस आइटम पर सरकार गंभीर नहीं है तो जो एस.सी. बिरादरी का एक मेन बेस है, फिर उससे काम कैसे होगा। मैं कहना चाहता हूं कि इसका मैकेनिज्म ठीक करने की जरूरत है, क्योंकि

बहुत सारी स्टेट्स अपना शेयर नहीं डालती और भारत सरकार पैसा नहीं देती है। मेरा एक सुझाव है कि जैसे हम प्रोक्योरमैन्ट करते हैं, प्रोक्योरमैन्ट के लिए हम जो लिमिट प्रदान करते हैं।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे (गुलबर्गा) : मैडम, हाउस में कोरम नहीं है।

माननीय अध्यक्ष: कोरम है, आप ऐसा मत करो।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): महोदया, इसका जो मैकेनिज्म है, उसको ठीक करने की आवश्यकता है। इसको गंभीरतापूर्वक लेने की आवश्यकता है। ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं। बाबू जगजीवन राम जी की एक स्कीम थी, छात्रवास से संबंधित स्कीम थी, उसमें सिर्फ पांच करोड़ रूपये रखे गए हैं। ऐसे ही जो रीहैबिलिटेशन ऑफ स्क्वेंजर्स है, यह बड़े दुख की बात है। ... (व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, I am on a point of order. There is no quorum in the House.

HON. SPEAKER: I think quorum is there.

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर): महोदया, यह तो जाहिर है कि सरकार गंभीर नहीं है। ...(व्यवधान)

SHRI MALLIKARJUN KHARGE: Madam, there is no quorum.

It is a comment on the Government and not on you because you are presiding over the House. It is the duty of the Government to ensure quorum in the House. They are not ready to ensure quorum in the House. इतने लोग चुन कर आए हैं, वे लोग कहां गए? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज़ खड़गे जी, अगर आप चाहें तो मैं बैल लगवाती हूँ।

...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: मैडम, रूल नहीं क्या बोलता है? चूंकि हरेक चीज़ का रूल है और आप इतने लोग हैं। ...(व्यवधान)

HON. SPEAKER: The bell is being rung—

Now, there is quorum. The hon. Member, Shri Santokh Singh Chaudhary may continue.

श्री संतोख सिंह चौधरी: महोदया, इस बात से ही सरकार की अनुसूचित जातियों के प्रति जो गंभीरता है, वह सामने आ गई है कि वे सुनना ही नहीं चाहते हैं कि यह इतना महत्वपूर्ण विभाग है। लेकिन सरकार इसको गंभीरता से ही नहीं ले रही है। जैसे मैंने पहले कहा कि सरकार इस पर गंभीर नहीं है तो यह जाहिर

हो गया है कि कोरम नहीं हुआ और सरकार के लोग बाहर बैठे हुए हैं। मैडम, लिब्रेशन आफ रिहैबिलिटेशन ऑफ स्क्वेंजर्स भारतवर्ष की इस धरती पर हम स्वच्छ भारत-स्वच्छ भारत का नारा सुन रहे हैं, लेकिन यह दुर्भाग्य की बात है कि सन् 2011 के सैंसस के मुताबिक 26.6 लाख इनसैनिटरी लैटरींस अभी भी भारत में हैं और 9.94 लाख लोग मैला उठाते हैं। उसके लिए इन्होंने सिर्फ दस करोड़ रूपये ही रखे हैं। स्टैण्डिंग कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जो पिछले रखे थे, वे भी यूटिलाइज़ नहीं हुए। एक और महत्वपूर्ण बात मैं कहना चाहता हूँ, इसी विभाग में आता है कि प्रिवेंशन ऑफ एल्कॉहलिज्म एण्ड सब्सस्टांस ड्रग्स एब्युज़ यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर मसला है।

आज देश में रहने वाले लोग और खासकर युवा पीढ़ी जो है, वह नशे की गिरफ्त में फँसती जा रही है। जिस प्रान्त से मैं आता हूँ, वहाँ के 70 परसेंट युवा नशे की गिरफ्त में हैं। जब माननीय राहुल गाँधी जी चंडीगढ़ गए तो इन्होंने यूनिवर्सिटी में बोलते हुए कहा कि मुझे दुख है कि यहाँ पंजाब में यह एक बहुत बड़ी सामाजिक बुराई प्रचलित है तो उस वक्त बड़ा बवाल खड़ा किया गया। आज मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूँ कि पंजाब में और पंजाब के साथ के जो अन्य प्रान्त हैं, उनमें बड़ी संख्या में बच्चे नशे की गिरफ्त में हैं। इन्होंने इसके लिए सिर्फ 35 करोड़ रूपए रखे हैं।

मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा कि हर मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट एक गाँव एडॉप्ट करेगा। मैंने अपने संसदीय क्षेत्र से एक ऐसा गाँव चुना, जिसकी 90 परसेंट पॉपुलेशन शेड्यूल कॉस्ट की थी और वहाँ के 90 परसेंट लोग ही नशे की गिरफ्त में थे। मैं चाहता था कि अगर प्रधान मंत्री जी की स्कीम आई है तो मैं इस गाँव को उठाकर प्रधान मंत्री जी की गोद में रख दूँ तो ये कोई उपाय करेंगे तो इनका डेवलपमेंट भी होगा और ये नशे की गिरफ्त से बाहर निकलेंगे। मैंने माननीय मंत्री जी को एक लेटर भी लिखा कि मैंने यह गाँव प्रधान मंत्री स्कीम के तहत एडॉप्ट किया है, आप मुझे इस काम के लिए यह प्रोविजन दो, पैसे दो ताकि मैं यहाँ डी-एडिक्शन सेन्टर खोल सकूँ। मैंने एक और लेटर लिखा है कि इनकी एक स्कीम के तहत जिस गाँव में 50 परसेंट से ज्यादा एस.सी. होते हैं, उस गाँव को ये बीस लाख रूपया देते हैं। मैंने वह भी लेटर लिखा कि यह गाँव उस क्राइटेरिया को भी पूरा करता है, आप इसे वह पैसा दे दीजिए, लेकिन मुझे अफसोस है कि मेरे को जवाब तो आया, लेकिन आज तक कुछ नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि यह हमारे समाज में एक बहुत बड़ी बुराई है और खासकर के अनुसूचित जाति के लोग, जो पहले से ही दबे हुए हैं, अगर उनमें ड्रग एब्यूज होंगे तो मैं समझता हूँ कि वे और नीचे दब जाएंगे। इनके लिए जो इन्होंने प्रोविजन रखा है, वह भी बहुत कमजोर है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, इन्होंने एन्टर्प्रिन्योर की बात की है, उसमें भी कोई पैसा नहीं रखा है, वेंचर कैपिटल में 40 करोड़ रूपया रखा है। इसी तरह से ये बहुत कह रहे हैं कि सारे बैंक्स को यंग एन्टर्प्रन्योर को लोन देना है, लेकिन उसमें जो फार्मेलिटीज रखी गई हैं कि

जो उस स्कीम के तहत उस लोन को लेगा, वह पहले तो किसी फर्म का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, नहीं होनी चाहिए। यह तो एक ऐसा हर्डल है, जिससे कोई बेनीफिशरी आएगा ही नहीं। इसी तरीके से इस मिनिस्ट्री में जितनी भी स्कीमें हैं, वे बिल्कुल निष्क्रिय हो चुकी हैं। वे सिर्फ कागजों में हैं। मैं समझता हूँ कि अगर यह सरकार अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति कोई भी गम्भीरता रखती है तो इनको इन सारी चीजों को देखना पड़ेगा। मैं एक और बड़ी गम्भीर बात करना चाहता हूँ।

माननीय अध्यक्ष : आप कितना समय लेंगे? आपका समय हो गया है, पार्टी का दूसरा व्यक्ति नहीं बोल पाएगा।

श्री संतोख सिंह चौधरी: महोदया, मुझे अभी पाँच मिनट और लगेंगे।

माननीय अध्यक्ष: कृपया, जल्दी पूरा करने की कोशिश कीजिए।

श्री संतोख सिंह चौधरी: महोदया, दस मिनट तो उसी में लग गए। ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: मेरे पास भी समय की कमी है। आप सब लोग मुझे सलाह मत दिया करो। मैंने कहा है कि पार्टी के 15 मिनट ही थे, वह समय पूरा हो गया है। अब दूसरे व्यक्ति को बोलने में तकलीफ जाएगी। मुझे कुछ नहीं है। मैं इनसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ।

श्री संतोख सिंह चौधरी: महोदया, मैं ब्रीफ करता हूँ। माननीय मंत्री जी यहाँ बैठे हैं। जो स्पेशल कम्पोनेंट प्लान इस डिपार्टमेंट में है, जब तक उसके इम्प्लीमेंटेशन को हम मजबूत नहीं कर सकेंगे तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने एक एनैक्टमेंट किया। उन्होंने कानून बनाया जिससे इंप्लीमेंटेशन को वे कानून के दायरे में लाए। हमारी जो पिछली सरकार यूपीए गवर्नमेंट थी, उन्होंने भी एक फीडबैक सारी स्टेट्स से ली थी तािक वे एक कानून बना सकें, लेिकन दुर्भाग्य है कि जो प्रैज़ैंट गवर्नमेंट है, उसने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। जब तक यह कानून नहीं बनेगा, तब तक मैं समझता हूँ कि यह ऐसे ही चलता रहेगा।

एक बात मैं और करना चाहता हूँ कि आज बड़ा दुर्भाग्य है कि यह देश पहले ही ऐसी बुराइयों से नीचे जा रहा है, जैसे मैंने एजुकेशन की बात की। आज एजुकेशन फील्ड में क्या हो रहा है? आज जो डॉ. अंबेडकर साहब जी की 125वीं जन्मशताब्दी मना रहे हैं, सरकार बड़ी ज़ोर से ढिंढ़ोरा कर रही है कि हम यह कर रहे हैं, हम वह कर रहे हैं। लेकिन क्या डॉ. अंबेडकर साहब जी की जो फिलॉसफी थी या उनकी सोच थी, जो उनका सपना था, क्या हम उस पर चल रहे हैं? इसलिए एजुकेशन में आज क्या हो रहा है? आज सैन्ट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद में क्या हुआ कि आज भी डॉ. अंबेडकर साहब का नाम लेने पर यूनिवर्सिटी के एक स्टूडेंट को, एक स्कॉलर को टॉर्चर किया गया और उसने सुसाइड किमट किया। ऐसे ही

आज यह दौर चल रहा है, एक मुहिम चल रही है कि देश की जो एजुकेशन प्रणाली है, उसका भगवाकरण करें। क्या यह चिन्ता का विषय नहीं है कि जो इस महकमे का मंत्री हो, एचआरडी मिनिस्टर हो, वह यूनिवर्सिटी में चिट्ठी लिखे, लैटर लिखे कि स्टूडेंट को रिस्टिकेट करे। एक लेबर मिनिस्टर हो इस सरकार में, और वह चिट्ठी लिखे कि इस स्टूडेंट को रिस्टिकेट करें और रोहित वेमुला को करना पड़ा। प्राइम मिनिस्टर साहब ने उस पर कोई चर्चा की? राहुल गांधी वहाँ गए। यहाँ भी ऐसा अत्याचार हुआ है। अगर राहुल गांधी जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं मुँह खोलते, यह मेरा सवाल है। सोशल जिट्टस और सामाजिक न्याय यह है? सामाजिक न्याय तब होगा अगर देश की सरकार, देश के प्रधान मंत्री जब भी कहीं सामाजिक अन्याय हो रहा है, उस पर अपना मुँह खोलें, उसका ख्याल करें। में समझता हूँ कि यह बहुत भारी खतरकनाक षड्यंत्र इसमें चल रहा है। यह कोई छोटी बात है कि इस सरकार का जो रिमोट है, वह रिमोट स्टेशन से कहे कि रिज़र्वेशन को रिव्यू करना है, इससे बड़े दुख और चिन्ता की बात क्या हो सकती हैं? ...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदया, यह एक ऐसी कम्युनिटी है जिसमें कोई व्यापार नहीं है, जिसमें कोई बड़ी इंडस्ट्री नहीं है। इस कम्युनिटी के ज्यादातर लोग नौकरीपेशा हैं। आज क्या हो रहा है? आज सारे देश के एस.सी. इंप्लाइज़ सड़कों पर हैं क्योंकि उनका 91वाँ कांस्टीट्यूशन अमैंडमैंट लागू हो रहा है और दूसरा उनकी प्रमोशन रुकी हुई है। अगर यूपीए सरकार 117वां कांस्टीट्यूशन अमैंडमैंट राज्य सभा में ला सकती है, पास कर सकती है तो कौन सी ऐसी वजह है कि जो एनडीए सरकार है, उसको लोक सभा में नहीं ला रही है ताकि देश के जो मुलाज़िम हैं, देश के जो इंप्लाइज़ हैं जिनकी रोटी इस पर चलती है उनको लाभ हो। मेरा अनुरोध है कि इस मिनिस्ट्री को गंभीर होना पड़ेगा। एट्रासिटीज़ एक्ट जो हमारी यूपीए सरकार ने एनीशियेट किया था, वह यहाँ पास हुआ, इस पार्लियामैंट में पास हुआ। लेकिन आज क्या हो रहा है? आज रोज़ अनुसूचित जाति के लोगों पर बड़े-बड़े अत्याचार हो रहे हैं। कुछ दिनों पहले की बात है, एक अनुसूचित जाति की लड़की को उसके कंप्यूटर सैन्टर से पकड़कर उसको बाहर खींचकर ले जाया गया और उसका रेप किया। ...(व्यवधान) यह पंजाब की बात है और वह जगह है जो पंजाब के डिप्टी चीफ मिनिस्टर, जो होम का महकमा भी रखते हैं, उनके गाँव के साथ का जो कस्बा है मलोठ, उसकी तस्वीर है। वहां एक दलित लड़की की टांगें काटी गईं, उसके हाथ काटे गये, हमने इसकी बात की, ऐसा ही अत्याचार कल महाराष्ट्र में हुआ, परसों इधर लुधियाना में हुआ, सो ये एट्रासिटीज़ बढ़ती जा रही हैं, पर यह जो सरकार है, यह बिल्कुल चुप बैठी है। तमिलनाडु में यही हो रहा है, यह क्यों हो रहा है, क्योंकि इस सरकार की गम्भीरता नहीं है। मंत्री जी बैठे हैं, मंत्री जी आप क्यों नहीं जाते, आप इस महकमे के मिनिस्टर हो, आप डिफरेंट स्टेट्स में जाओ और वहां आप मोनीटर करो, आप उनकी मीटिंग्स लो। ये स्कीमें, जो डिफंक्ट हो

गई हैं, जो केवल कागजों में, केवल पेपरों में रह गई हैं, आप उनकी मीटिंग्स लेकर उनका रिव्यू करो।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: संतोख सिंह, अब कन्क्लूड करो।

श्री संतोख सिंह चौधरी: बस एक मिनट। मैं उनसे यह विनती करना चाहता हूं कि ऐसा न हो कि जो सपना डॉ. अम्बेडकर साहब जी ने देखा था, आप उनकी जयन्ती तो मना रहे हैं, लेकिन यह न हो कि आप उनके अगेन्स्ट चले जाओ। ...(व्यवधान) डॉ. अम्बेडकर साहब जी ने एक बहुत बड़ा सपना दिखाया। 25 नवम्बर, 1949 को कांस्टीट्वेंट असेम्बली में डॉ. अम्बेडकर साहब बोल रहे थे और डॉ. राजेन्द्र प्रसाद जी इसको प्रेज़ाइड कर रहे थे तो डॉ. अम्बेडकर साहब ने कहा था:

"On the 26th January, 1950, we are going to enter into a life of contradiction: in politics, we will have equality; and in social and economic life, we will have inequality. In politics, we will be recognising the principle of 'one man, one vote and one vote, one value'; in social and economic life, we shall by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of 'one man, one value'. How long shall we continue to live this life of contradiction? How long shall we continue to deny equality in our social and economic life? If we continue to deny it for long, we will do so only by putting our political democracy in peril. We must remove this contradiction at the earliest possible moment; or else, those who suffer from inequality will blow up the structure of political democracy which this Assembly has so laboriously built up."

मैडम, अगर हम इस बात पर गम्भीर नहीं हुए तो एक ऐसा इन्कलाब आएगा कि जिन लोगों को दबाया जा रहा है, जिन पर अत्याचार हो रहा है, जिनके हक छीने जा रहे हैं, वे उठेंगे और फिर एक नया इन्कलाब लाएंगे।

मैं सरकार को यह निवेदन करता हूं कि कुछ सोचो, उठो और सामने बैठे लोगों को, अपने साथियों को मैं कहना चाहता हूं कि ये जो प्रेजेण्ट गवर्नमेंट है, यह एंटी एस.सी. है, यह एंटी पुअर है, यह एंटी पीपुल है, इस सरकार को जागना होगा, इस सरकार को उठना होगा, नहीं तो आने वाले समय में आप इधर होंगे, हम वहा होंगे।

बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री हुक्मदेव नारायण यादव (मधुबनी): अध्यक्ष महोदया, मैं एक ऐसे विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं, मैं अपनी पार्टी के साथियों को, नेताओं को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया।

जाके पैर ना फटे बिवाई, सो क्या जाने पीड़ पराई। का दुख जाने दुखिये, का दुख जाने दुखिया माई। आज भारत के प्रधानमंत्री के पद पर श्री नरेन्द्र मोदी जब बैठ गये हैं तो कुछ लोगों का कलेजा ऐसे फटता है, जैसे मुझे अपने परिवार की यह कहानी याद आती है। मेरे गांव में एक जमींदार था। सड़क के इस पार मेरे चाचा जी अपने दरवाजे पर खाट पर बैठे थे, उस पार जमींदार की कचहरी थी। उसके तहसीलदार ने मेरे दादा जी को बुलाकर कहा कि आपके बाल बच्चों को इतनी तमीज नहीं है कि मेरे सामने खाट पर बैठता है। मेरा परिवार लड़ाकू था। मेरे पिता जी, आठ चाचा, चार चचेरे भाई सभी चार वर्ष, स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी रहे, जेल काटकर आए। उन लोगों ने निर्णय लिया कि जमींदार के तहसीलदार को सबक सिखाएंगे और रात में उसका इलाज कर देंगे। उसको पता लग गया, और वह गांव छोड़कर भागा तो भागा ही रह गया। मुझे याद आती है कि जैसे अपने दरवाजे पर खाट पर बैठे हुए मेरे चाचा जी को देखकर जमींदार के तहसीलदार की छाती फट गई, उसी तरह हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक गरीब, निर्धन पिछड़े वर्ग के बेटे को बैठा देखकर इस देश के सामन्तवादियों का कलेजा फट रहा है। वैसे फट रहा है, जैसे ककड़ी फट जाती है। इससे क्या मिलने वाला है? बर्दाश्त करो। लोकतंत्र में वोट का अधिकार मिला तो इसके लिए डाक्टर अंबेडकर के साथ-साथ उन सभी महान नेताओं को अपनी तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने एक कलम से, चाहे हिंदुस्तान की रानी हो, चाहे वह गांव की नौकरानी हो, चाहे कोई बड़ा या छोटा हो, सबको एक साथ बराबर वोट का अधिकार दे दिया। यह बराबर वोट का अधिकार यदि नहीं मिला होता तो आज हिंदुस्तान के इन दलित और पिछड़ों को जो सम्मान मिला हुआ है, उस सम्मान का एक चौथाई भी इस समाज में मिलने वाला नहीं था। यह सच्चाई है।

समाज के अंदर आज भारतवर्ष में तीन तरह के लोग पैदा किए गए, संरक्षित, सुरक्षित और उपेक्षित। संरक्षित लोग वे लोग हैं, जो जन्म-जन्मांतर तक अपने परिवार के अंदर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, चौथे के बाद पांचवां, सम्मान की जगह पर बैठते चले गए, कुर्सी पाते चले गए, क्योंकि उन्होंने समझा कि यहाँ हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि इस परिवार में जो पैदा होगा, वही भारत पर राज करेगा। वे लोग संरक्षित थे। उनके द्वारा हिंदुस्तान के कुछ समृद्ध, सम्पन्न, वेस्टेड इंट्रेस्ट वाले सुरक्षित थे। जो देश को लूटते रहे, खाते रहे, बैंक को लूटते रहे, खजाने को लूटते रहे, भ्रष्टाचार करते

रहे, फिर भी सुरक्षित रहे। दूसरी तरफ हिंदुस्तान के पिछड़े और दिलत समाज के लोग थे जो उपेक्षित रहे, उनको माना गया कि आजाद भारत में वे भिखमंगा है, तुमको हम कुछ देते रहेंगे, तुम खाते रहो। जिसका प्रमाण है कि हिंदुस्तान के 85 प्रतिशत पिछड़े और दिलत आज खड़े होकर कहते हैं कि मुझे अपना अधिकार दो, मेरी समस्या का निदान करो, मुझे बराबरी का दर्जा दो, मुझे सम्मान दो। आज हिंदुस्तान के 85 प्रतिशत लोग अगर हाथ जोड़कर मांग रहे हैं, तो इसके लिए अपराधी कौन है?

मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि इंसान में एक मन की भूख होती है, एक पेट की भूख होती है। पेट की भूख मिटती है रोटी से, मन की भूख मिटती है सम्मान से। हिंदुस्तान के अंदर जो मन के भूखे हैं या पेट के भूखे हैं, आपने बहुत कुछ किया होगा, आप उसके पेट की भूख मिटाने के लिए थोड़ा बहुत देते रहे भिखारी के जैसे, लेकिन उनके मन की भूख मिटाने के लिए आजाद भारत में कुछ भी काम नहीं किया गया। कोई काम नहीं किया गया आजाद भारत में जो उनके मन की भूख मिटती।

आप अभी नौकरी की बात कर रहे थे। इस रिपोर्ट में दिया गया है कि आज भी क्लास वन की नौकरी में अनुसूचित जाित को 13.94 प्रतिशत है, अनुसूचित जनजाित को 5.82 प्रतिशत है, अन्य पिछड़े वर्ग को यह 11.11 प्रतिशत है। कहां 27 प्रतिशत और कहां आप दे रहे हैं 11 प्रतिशत, क्या दो वर्ष में नरेन्द्र मोदी सब खा गए? खा गए आप, पेट फुलाए आप और हमारे ऊपर ठीकरा फोड़ते हो कि हमने यह किया। आप मनमर्जी तोप दागते चले जा रहे हैं। परिवर्तन तो आ गया, जब हिंदुस्तान के गरीब, पिछड़े वर्ग के बेटे को हिंदुस्तान के गरीबों ने भारत के प्रधानमंत्री के पद पर बैठा दिया और राजमहल में रहने वाले राजा-रानी की कोख से पैदा होने वाले लोगों को कहा कि तुम अब बाहर जाओ। ...(व्यवधान) जब देखो तब, नरेन्द्र मोदी से जैसे ईर्ष्या पैदा हो गई है। क्यों इतनी नफरत पैदा हुई है, क्यों खुजली पैदा होती है? हिंदुस्तान के गरीब पिछड़े लोगों को कभी आपने बैठने दिया क्या? आपकी पार्टी में बाबू जगजीवनराम प्रतिभाशाली थे, जिंदगी भर आस लगाए रह गए, एक बार एक नंबर की कुर्सी का मौका मिलता, आपने बनने दिया क्या? (व्यवधान) मैंने भी देखा है। मैं बिहार का हूं।...(व्यवधान) अगर डॉक्टर लोहिया ने चाहा तो बिहार में गरीब, निर्धन, निर्बल, बकरी चराने वाले, बासी भात खाने वाले, एक गरीब नाई के बेटा कर्पूरी ठाकुर को बिहार की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा दिया। क्या आपने कभी बैठाया?

श्री राजीव सातव (हिंगोली): हमने महाराष्ट्र में मुख्य मंत्री बनाया है, आप क्या बात कर रहे हैं?

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: यह अच्छी बात है। क्या आपको हिन्दुस्तान के प्रधानमंत्री बनाने के लिए किसी ने रोक दिया था? ...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: श्री हुक्मदेव नारायण यादव जी के अलावा अन्य बातें रिकॉर्ड में नहीं जायेंगी।

श्री राजीव सातव: अध्यक्ष महोदया, ...*

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: अध्यक्ष महोदया, उन्होंने उपयोग किया, हिन्दुस्तान में ऐसा बनाया, जैसे कठपुतली की तरह नचाया।...(व्यवधान) हम लोग बचपन में बाईसकोप िसनेमा देखते थे। वह दिखाता था कि हावड़े का पुल देखो, मक्का शहर मदीना देखो, यमपुरी यमखाना देखो, दिल्ली का जामा मिस्जिद देखो, छः मन की रानी देखो, नौ मन का बुलाक देखो। इन्होंने पिछड़े और दिलत जातियों को नेता बना कर, ऐसे बाइसकोप दिखा-दिखा कर, समाज को ठगा और कहा कि वोट बटोर कर लाओ और दिल्ली की गद्दी पर मुझे बैठाओ, दिल्ली में बैठने का हक हिन्दुस्तान में केवल कुछ परिवार और कुछ खानदान को है, बाकी देश के लोगों को उसका अधिकार नहीं है। इसलिए मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूं कि सोचा-समझा।

एक योजना नहीं है, नरेन्द्र मोदी जी ने अनेकों योजनायें चलाई हैं, डाक्टर लोहिया ने जो कहा था, आज उसी आधार पर वे काम कर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया ने कहा था कि दलित और पिछड़े लोगों को आर्थिक बराबरी, सामाजिक बराबरी, राजकीय बराबरी और धार्मिक बराबरी, ये सारी बराबरी उनको चाहिए। क्यों उनको सारी बराबरी मिल गयी, क्यों नहीं मिली। आजाद भारत में आज भी सेक्रेट्री के पद पर, सेक्रेट्री के समकक्ष पद पर कोई दलित, पिछड़ा, अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का आदमी हैं, क्यों नहीं आया, किसने रोका?...(व्यवधान) कौशलेन्द्र जी, जरा धीरज रखिए, हंस कर बात नहीं करिए। हम अपनी पीड़ा पर, अपने अपमान पर मिल कर लड़े।

उपनिषद् की एक कथा है। प्रजापित ब्रह्मा के यहां देव और दानव दोनों भोज खाने गये। दानवों ने प्रजापित को कहा कि सब दिन पहले देवता खाते हैं, आज हम पहले खायेंगे। उन्होंने कहा कि हाथ में लकड़ी बांध देंगे। सबने कहा कि हमें स्वीकार है। दानव खाने के लिए बैठ गये। श्रमजीवी, गांव के निर्धन किसान, वह खाने गये, उनके हाथ में लकड़ी बंध गयी। वे पत्तल से खाना उठाते थे, कुछ खाना मुंह में गया, कुछ गिर गया, कुछ कपड़े पर गिर गये, जिससे कपड़े खराब हो गये और वे खाना खा कर उठ गये। देवताओं को खाने का अवसर मिला। वे आमने-सामने पत्तल लगा कर बैठ गये, इस पत्तल वाले ने उस पत्तल से भोजन उठा कर उनको खिलाया, उस पत्तल वाले ने भोजन उठा कर इनको खिलाया, सभी ने भरपेट खाना खाया और उठ कर चले गये।

हिन्दुस्तान के गरीब पिछड़े दिलतों जिस दिन उपनिषद् की इस कहानी से ज्ञान के रहस्य को समझोगे, उस दिन पता लगेगा। आज नरेन्द्र मोदी, गरीब, निर्धन, निर्बल, एक पिछड़े वर्ग का आदमी भारत का प्रधानमंत्री बना, तो आज उनका विरोध करने वाले हिन्दुस्तान के जो पिछड़ी जाति के नेता उठ रहे हैं,

^{*} Not recorded.

उन सभी से मैं कहना चाहता हूं कि कभी न कभी इसी नरेन्द्र मोदी जी की पार्टी ने तुम्हें सर पर उठाया था, कुर्सी पर बैठाया था, अगर हम मौका नहीं देते तो कहीं गली-सड़क पर भटकते रहते, कोई पूछने वाला नहीं रहता। आज यह कहते हैं कि यह करेंगे, वह करेंगे, संघ मुक्त भारत करेंगे। हिन्दुस्तान में आप मनमर्जी जो चाहो, वह बोल लो। संघ से मुक्त करने वाले इस दुनिया में बहुत आये और गये, जन्म लिये और जन्म लेकर चले गये, लेकिन जो-जो उससे मुक्त करने वाले थे, वे सभी स्वर्गधाम चले गये, अपनी जगह पर संघ वैसे ही चल रहा है और आगे भी चलता रहेगा, इसलिए आप सभी से मेरी विनम्र प्रार्थना है कि डॉ. लोहिया ने कहा था कि हिन्दुस्तान में जो पिछड़ी जाति और दिलत समाज के लोग हैं, उसका कारण क्या है? उसका कारण जाति प्रथा है। इस जाति प्रथा को मिटाने के लिए, क्या आपने कोई काम किया, नहीं किया। क्या आपने कोई योजना बनाई, नहीं बनाई। इसलिए डॉ. लोहिया सबसे ज्यादा जोर देते थे कि हिन्दुस्तान में अगर जाति प्रथा रहेगी तो कुछ नहीं होने वाला है। इस जाति प्रथा को मिटाना है तो आप इसको तोज़े। तब तक हिन्दुस्तान का कल्याण नहीं होगा। इसके लिए क्या करना है। कुछ लोग राज्य सरकारों में जो पिछड़े और दिलत के नाम पर सत्ता में आए, किसी ने अंतरजातीय विवाह करने वाले को प्रश्रय दिया, कोई कानून बनाया, उन्हें सम्मान दिया। हिन्दुस्तान में अगर जाति प्रथा को तोड़ना है तो एक ही काम है कि हिन्दुस्तान में अंतरजातीय विवाह हों। अंतरजातीय विवाह करने वाले को पूरा सम्मानित होना चाहिए।

अंत में मैं कहूंगा कि श्री नरेन्द्र मोदी की केवल एक योजना नहीं है, जन-धन योजना किसके लिए हैं, जन-धन योजना से किसका लाभ हुआ है। जीरो प्वाइंट पर जो 21 करोड़ लोगों ने खाता खुलवाया है, वह खाता खुलवाने वाले यही पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। आपने कितने खाते खुलवाए थे? कल रूडी जी बोल रहे थे। हम जो कौशल विकास दे रहे हैं, यह किसका है। लकड़ी वाला, लोहा वाला, चमड़ा वाला, गिट्टी वाला, मिट्टी वाला, रिक्शा वाला, ठेला वाला, टांगा वाला, टमटम वाला, ये कौन हैं। ये सब पिछड़े और दलित समाज के लोग हैं। उनके हाथ में जो हुनर है, उनकी योग्यता की कोई पहचान नहीं थी। हमारे पास सब ज्ञान है, कौशल है, लेकिन हमें अकुशल मजदूर कहा जाता था। पहले जो आए, गिटपिट बोले, करे न काम, ऐसे लोग जो कहीं से सर्टिफिकेट लेकर आते थे, वे बड़े-बड़े इंजीनियर बनकर जाते थे। मैं नरेन्द्र मोदी जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कौशल विकास योजना के तहत हमारे उन भाइयों, बच्चों, माताओं, बहनों को, उनके हाथ में जो परम्परागत ज्ञान है, उसके आधार पर उन्हें प्रमाण पत्र दे रहे हैं जिसके आधार पर उनको हिन्दुस्तान में सम्मान मिलेगा, दुनिया में सम्मान मिलेगा। क्या यह काम नहीं है? इसका मूल्यांकन कीजिए।

मुद्रा बैंक - एक करोड़ 37 लाख लोगों ने मुद्रा बैंक से कर्ज लिया है। किसने लिया है? मैं थावरचंद जी से कहना चाहूंगा कि इन सभी योजनाओं का आप अपने यहां से एक सोशियो-इकोनॉमिक सर्वे

करवाइए कि इसका आर्थिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कितने लोगों को लाभ मिला है। इससे हिन्दुस्तान के लोगों की आंख खुल जाएगी कि इस योजना का लाभ पिछड़े, दिलत, निर्धन, निर्बल किसान को कितना गया है। हम समाजवादी आंदोलन में नारा लगाते थे - गांधी, लोहिया का अरमान, मालिक हो मजदूर, किसान। आज मैं सम्मान के साथ कहता हूं कि मेरी वह अभिलाषा पूरी हो गई जब नरेन्द्र मोदी जी ने वह काम किया है। नरेन्द्र मोदी ने किया काम, मालिक बना मजदूर, किसान। गांधी, लोहिया, दीनदयाल, अम्बेडकर के जो सपने थे, उन सपनों को साकार रूप में प्रकट किया है, सगुन रूप में प्रकट किया है। मैं एक बात फिर कहूंगा, मैंने एक दिन और कहा था - चाहे लाख कुछ कर लो, मैं हुक्मदेव नारायण यादव 58 वर्ष से राजनीति में लड़ते-मरते आया हूं। जितना मेरा जेल में पसीना गया होगा, उतना आज के बहुत से नौजवानों ने दूध नहीं पिया होगा। मेरे शरीर पर जितनी धूल पड़ी होगी, उतना उन्होंने अपने घर में पाउडर नहीं लगाया होगा। इसलिए मेरी विनम्र प्रार्थना है कि जब हम जेल के अंदर सड़ते थे, इस सामाजिक क्रान्ति में कांग्रेस सरकार सैल में बंद कर देते थे। उस समय हम जेल के अंदर गाते थे -

हम लोग हैं ऐसे दीवाने दुनिया को बदलकर मानेंगे, मंजिल की धून में आए हैं मंजिल को पाकर मानेंगे।

जब 2014 में भारत के गरीब, निर्धन, निर्बल किसानों ने गरीब, पिछड़े वर्ग के नरेन्द्र मोदी जी को भारत का प्रधान मंत्री बनाया, उस दिन हमने कहा गांधी, लोहिया का जो अरमान था, वह पूरा हो गया। इस देश में हिन्दुस्तान की सत्ता उनके हाथ में आ गई। इसलिए मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि धीरज रखिए।...(व्यवधान) हमारी ओर क्या देख रहे हैं, अपनी ओर देखिए। राज्यों में जाइए। बिहार में नीतिश, लालू का नाम लेकर किसी तरह कुर्सी मिल गई।...(व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष: प्लीज, नाम मत लीजिए।

...(व्यवधान)

श्री हुक्मदेव नारायण यादव: बिहार में कुछ नेताओं का नाम लेकर आप कुछ सीट जीत गए। उससे पहले अकेले लड़े थे। कितनी सीट आई थी। हम बिहार में कहते हैं - धन में धन कठौता और पूत में पूत सतौता। कितने आए थे। कहीं किसी नेता का पांव पकड़ते हैं, उन्हें फुसलाते हैं, लकड़ी सुंघाते हैं, तमाशा दिखाते हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाते हैं। कितने लोगों को भारत का प्रधान मंत्री बनाते हैं और फिर आगे बढ़ाते हैं। क्या हुआ, कहां गया उत्तर प्रदेश, असम में क्या हाल हो रहा है, बंगाल में क्या हो रहा है। जरा देख लें, अपने आपको देखें, हिन्दुस्तान के उन गरीब, निर्धन, निर्बल, पिछड़े, दिलत को अब मूर्ख मत समझिए। अब वे जग गए हैं, उठ गए हैं, पहचान गए हैं। इसलिए आपसे मेरी विनम्र प्रार्थना है।

अंत में, देश के नौजवानों, पिछड़ों, दिलतों और किसानों से कहना चाहूंगा जो लोक सभा चैनल पर लोक सभा की कार्यवाही को देखते रहते हैं। ये हिन्दुस्तान के गरीब, मजदूर, किसान, पिछड़ों व दिलतों - अपने दोस्त को पहचानो और अपने दुश्मन को भी जानो, दुश्मन को जान कर उसको साफ करो, अपने दोस्त को पहचान कर उसका साथ देकर हिन्दुस्तान का तख्त बदल दो, ताज बदल दो, फिर देखों हिन्दुस्तान का क्या होता है। आज हिन्दुस्तान के हस्तिनापुर में भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेन्द्र मोदी का राज है, जो दिल्ली में लहराता है वही देश में पूजा जाता है। आप क्या बात करते हैं? दिल्ली की एक अलग कीमत है। लोगों ने 2019 तक मेनडेट दिया है।

मैं थावरचंद गहलोत जी से प्रार्थना करूंगा। आपका मंत्रालय अनुसूचित जाित, अनुसूचित जनजाित और पिछड़ा वर्ग तीनों को देखते हैं। अनुसूचित जनजाित अलग हो गया, अनुसूचित जाित और पिछड़ा वर्ग एक साथ है। पिछड़ा वर्ग के लिए भी एक अलग मंत्रालय बना दिया जाए, उनके लिए भी अलग प्रावधान किया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी से भी हम लोग आग्रह कर चुके हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी इस काम को करेंगे, समय आने पर जरूर करेंगे। पिछड़े वर्ग के लोगों की एक मांग रही है, निजी कारखाने वाले सरकार का 4 लाख करोड़ रुपये ले लिए हैं, ये पैसे हमारे हैं, जब शेयर बेचते हैं तो उसमें हिस्सा जनता का होता है लेकिन आखाण के आधार पर नौकरी नहीं देते। निजी कंपनियों में भी आखाण के आधार पर अनुसूचित जाित, अनुसूचित जनजाित और पिछड़ों को नौकरी दी जाए।

आखिर में भारत के प्रधानमंत्री से प्रार्थना करते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा। आप पहचानिए, हिन्दुस्तान के बड़े लोगों को पहचाना गया क्योंकि उनके लिए लॉबी करने वाले ढेर हैं। अध्यक्ष महोदया आप भी जानते हैं। कोई टीवी वाला है, कोई अखबार वाला है, कोई लिखने वाला है। लॉबिस्ट एक अलग जाति है। वह लॉबिस्ट जाति हैं जो सभी को लॉबिंग करती हैं। पिछड़े, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए लॉबी करने वाला कोई नहीं है। हम अपने वकील खुद हैं, अपना बहस खुद करते हैं, अपनी बात सुनाते हैं। गांवों में गरीब, पिछड़े व दलित जो छिपे हुए हैं उनको भी सम्मानित किया जाए। कोई जीरो से स्टार्ट करके बड़ा पूंजीपति बनता है उनका नाम टीवी, अखबार में आता है कि बड़ा नाम कर गए।

कर्पूरी ठाकुर बासी भात खाने वाला, बकरी चराने वाला, नाई का बेटा एकछत्र 20 वर्ष तक राज करता है। कर्पूरी ठाकुर की माँ धन्य है। उनको सम्मानित किया जाए जिसने ऐसे रत्न को पैदा किया। अगर पूजा करनी है तो नरेन्द्र मोदी के माता-पिता की पूजा करनी चाहिए। मैं भारत की संसद में खड़ा होकर हाथ जोड़कर कोटि-कोटि प्रणाम करता हूं, आप धन्य हैं जो ऐसे पुत्र को जन्म दिया, जिसने हिन्दुस्तान का इतिहास बदल दिया, हिन्दुस्तान का तख्त बदल दिया, हिन्दुस्तान में इतिहास की रचना कर दी। उन प्रतिभाओं को पहचानना है, उनको सम्मानित करना है, पिछड़े, दिलत, अनुसूचित जाति व अनुसूचित

जनजाति में ऐसे हुनर वाले हैं, ऐसे कारीगर हैं, ऐसे उस्ताद हैं जिनका समाज में स्थान है लेकिन वे पूजित नहीं हो रहे हैं, अब श्रीमान नरेन्द्र मोदी के राज में पूजित होंगे, सम्मानित होंगे, उनको उचित स्थान मिलेगा और नया हिन्दुस्तान बनेगा। हमने जो नए हिन्दुस्तान का सपना देखा था, गांधी, लोहिया, डॉक्टर अम्बेडकर ने देखा था, कर्पूरी ठाकुर ने देखा था, चरण सिंह ने देखा था, वह सपना हम साकार करेंगे। इस देश को जो लूटने वाले रहे हैं, खाने वाले रहे हैं, दो तरह के नेता होते हैं, एक देश की खातिर मरते हैं, एक देश को खाकर मरते हैं। देश को खा-खा कर जो नेता हुए वे हमें कभी पसंद नहीं करेंगे लेकिन हमें कोई परवाह नहीं है आप हमें पसंद करें या न करें। हमसे आप जितना लड़ना चाहे लड़ें, आकाश में लड़ना चाहें, लड़ें, पाताल में लड़ना चाहें लड़ें, धरती पर लड़ें, जितना लड़ना चाहें उतना लड़े। एक बात कह देना चाहता हूं अब वह जमाना जो आप चाहते हैं फिर उलट कर आएगा इस भ्रम में मत रहिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपना देखते-देखते चले जाइएगा लेकिन वह 30-40 साल का जमाना लौट कर आने वाला नहीं है।

महोदया, अब पानी बहुत आगे बढ़ चुका है। हम जग चुके हैं, हम देख चुके हैं, हम नया हिन्दुस्तान बना रहे हैं। हम श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे तक जाएंगे। मैं इस सदन में, एक गरीब किसान का बेटा, इतनी दूर तक आया हूं। मैं आज यहां कह रहा हूं, जैसे कुरुसभा में कृष्ण ने कहा था, मैं उसी कृष्ण के वंश का, हुक्मदेव नारायण यादव, अंगुली उठाकर कहता हूं पूरी दुनिया को, कि याद रखो, 2019 में भी फिर नरेन्द्र मोदी लौटकर आएगा, हिन्दुस्तान का राज बनाएगा, जो लड़ना चाहोगे, तो सात समंदर में डूब जाओगे, इसलिए हमें तुम रोक नहीं पाओगे। धन्यवाद।

13.51 hours (Shri Arjun Charan Sethi *in the Chair*)

श्री सौिमत्र खान (विशनपुर): सभापित महोदय, सबसे पहले आपको बहुत-बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम। मुझे मेरी पार्टी सबसे अच्छी लगी और आपने मुझे आज तृणमूल कांग्रेस के सांसद के रूप में यहां बोलने का मौका दिया है। मैं आज अपने संसदीय क्षेत्र के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। इसिलए मैं बांग्ला भाषा में बोलना चाहता हूं।

*The most important thing is that I myself belong to the Scheduled Caste community and today I can declare that with pride. In this country people only talk and discuss about the issues of SCs & STs but often nothing worthwhile happens. But in the year 2011, when Mamata Banerjee became the Chief Minister of West Bengal, she took various steps for the uplift of the SCs, STs, backward communities and tribals, particularly in the Maoist – affected Jangalmahal area.

-

^{*} English translation of the Speech originally delivered in Bengali.

Today, things have changed radically there. Poor backward people are extremely happy and now they have direct access to the Government. I would request respected Hukum Dev Ji to kindly accompany me to Jangalmahal and see for himself how people are living there peacefully and how they are getting rice at only Rs.2.00 a kilo. Today only Smt. Mamata Banerjee has given recognition to the Alchiki language; nowhere else, this Alchiki language has been recognized. This is really an achievement.

We say a lot of things but not much is actually done. If we talk of Navodaya schools, we find such schools in places with least SC-ST population. In my area, four assembly constituencies have SC-ST This is ridiculous. population in large number, but there is not a single Navodaya school. There is no Central school also. Poor students have to travel 100 kms. or 150 kms. to reach a Central school. You can well imagine the plight of these hapless children. We are lagging behind in education. We are also unable to feed every mouth. People do not get adequate food; they mostly go hungry everyday in many parts of the country. Potable drinking water is also scarce. But the situation is far better in West Bengal. In West Midnapore, Purulia, Bankura, there used to be tension and Maoist activities. But today, everything is peaceful and under control. Mamata Banerjee has shown the way, has given them a direction. Many people criticize her but nothing can stop her development work. Why problems of Maoism are raising their ugly heads in Madhya Pradesh and Chhattisgarh? Why is there so much tension in Jharkhand? It is because, no Government has ever thought of the poor, backward communities like Mamata Banerjee's Government did. Only lengthy speeches, debates and discussions take place, but no actual developmental initiatives are taken. Our soldiers are dying, they are killed by Maoists and antisocials in various states. But in our state of West Bengal, Jangalmahal is peaceful and calm. Therefore, only sloganeering will not do, implementation of slogans is the need of the hour.

Navodaya schools have to be set up in the backward regions. Potable drinking water has to be provided. Water pipelines are constructed in the urban areas but not in the villages I was watching, in a Maharashtra village, SC-ST people depend on only one well for water supply, there is no other provision. Why the SCs, STs, tribals are deprived of all amenities? Yesterday, I was listening to Hon.Rudy ji when he was talking about skill development. But who cares for the petty cobblers or carpenters, or scavengers? They belong to SC-ST communities but no skill development centres are set up for the benefit of these people. The centres are set up 40 to 50 kms. away from where they stay. Why cant those be constructed near to their habitations? It is not enough to discuss, and debate about social justice because we tend to forget easily. Something should happen in reality. When Mamata Banerjee started distributing cycles to poor students, many people criticized. But when a girl of SC-ST community, tribal community gets a cycle and proudly goes back home to show it to her poor father, we should feel happy, not criticize. I can challenge that people of SC, ST communities in West Bengal are having a far better life than those in other states; they are much more well off. 20 years or even 10 years back, these poor deprived people had nothing, no worth, no place in society. Today, in West Bengal, they can live with their heads held high. But the situation in deplorable in other states.

Here I would like to mention that education, food, shelter are very important pre-requisites of human life. When poor people cry for food, water, don't you feel that something should be done for them? Every year there is drought in rural areas. But urban areas do not bear the brunt. They get sufficient supply of water. Villagers are displaced, dams are constructed and water is redirected to towns and cities. Not a single tube well is dug in the far-flung areas. This system should change. Housing is another problem for SCs and STs. They should have proper shelter over their heads. In West Bengal, we have Gitanjali Housing Scheme for poor. Similar programmes should be there in other states too. Palaces and big castles can be built in a jiffy, but we should not overlook the

plight of the poorest of the poor, we should not ignore the tears of the poor child or wailing of the helpless mother. If that happens, the country will never develop. I salute Dr. Babasaheb Ambedkar who has given us voice to speak for ourselves.

More and more girls hostels should be constructed for the girls of the backward communities. I also demand a Navodaya school for my constituency as there is huge SC-ST population in four assembly segments. If that happens, people can progress and the country can prosper. We have to take along the backward, poor, tribal population with us if we wish to see a developed nation in true sense of the term.

Thank you sir, for allowing me to participate in this discussion.

श्री बलभद्र माझी (नवरंगपुर): माननीय सभापित जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सोशल जिस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिनिस्ट्री की डिमांड्स फार ग्रांट्स पर चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। एससी, ओबीसी, सीनियर सिटिजन, एल्कोहल से पीड़ित, ड्रग्स एब्यूज, ट्रांस जेंडर, भिखारी, डिनोटिफाइड और नोमेडिक ट्राइब्स, ईबीसी का कल्याण कैसे हो, इसके लिए यह विभाग बना है। इनका उद्धार करने के लिए संविधान में प्रावधान रखा गया है कि इनको कैसे शैक्षणिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से आगे लाकर बाकी समाज के बराबर किया जाए। जब संविधान को रचा जा रहा था, उसका यह उद्देश्य था और उम्मीद कर रहे थे कि कुछ ही साल में ये लोग बराबरी पर आ जाएंगे। अब भारत को स्वाधीन हुए 69 साल से ज्यादा हो गए हैं लेकिन अभी तक नजर में नहीं आता है कि ओबीसी, एससी, एसटी फारवर्ड क्लास लोगों की बराबरी में हैं। अब जैसा चल रहा है, जैसा पहले वाली सरकार ने किया है और अब का रवैया भी देख रहे हैं, अगर ऐसे ही रहेगा तो 69 तो क्या 1000 साल भी अलग से डिपार्टमेंट रखें, रिजर्वेशन रखें तो भी इस वर्ग के कभी बराबरी पर आने की उम्मीद नजर नहीं आती है।

महोदय, एससी करीब 20 करोड़ के आसपास हैं। स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी दर्शाया गया है कि ओबीसी का लास्ट सेंसस 1931 में हुआ था। इसके बाद अभी तक कोई सेंसस नहीं हुआ है कि ओबीसी कितने हैं। अंदाज से मंडल कमीशन ने कहा कि 52 प्रतिशत हैं, एनएसएसओ ने 2009-10 में कहा कि 41.7 परसेंट हैं। आंकड़ा तक हमें पता नहीं है तो हम उनका भला कैसे करेंगे? आज कल एल्कोहलिज्म में बहुत विक्टिम हो रहे हैं, बहुत लोग अफेक्टिड हो रहे हैं, इनकी संख्या भी पता नहीं चल रही है। अगर हम एससी, ओबीसी, सीनियर सिटिजन को मिलाते हैं तो करीब 70-80 करोड़ के आसपास हैं। एससी के लिए करीब 6,000 करोड़ स्पए का प्रावधान किया गया है और डिसएबल्ड के लिए करीब 784 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस तरह 7000 करोड़ के करीब प्रावधान किया गया है जो कि सिर्फ 0.39 परसेंट टोटल बजट का है। 70-80 करोड़ लोगों का भला करने के लिए 0.39 परसेंट बजट का प्रावधान करेंगे तो किस दिशा में भला करेंगे, कैसे करेंगे? यह वर्ग कैसे शैक्षणिक, आर्थिक दृष्टि से कैसे बराबरी पर आएगा। आर्थिक दृष्टि तो बाद में आएगी, पहले शैक्षणिक दृष्टि से तो विकास हो। जब तक आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से बराबर नहीं होंगे तो सामाजिक दृष्टि से एक्सेप्टिबिलिटी नहीं हो सकती है। इसे अचीव करना असंभव बात है।

महोदय, विभाग तो रखा गया है। हम अब की सरकार की निंदा नहीं कर रहे हैं, दो साल इस सरकार को हुए हैं, लेकिन यह भी सोचे, ऐसा लगता नहीं है। पिछली सरकार भी यही करती आ रही थी। विभाग तो खोल दिया लेकिन इस बजट को देखकर करना क्या है, इसके बारे में गंभीरता से नहीं सोचा है।

जो ओबीसी, एससी, एसटी डोमिनेटिड एरियाज़ हैं वहां कोई अच्छा स्कूल या कालेज तक नहीं है। मेरे संसदीय क्षेत्र में अभी तक एक सरकारी कालेज तक नहीं है। आजादी के बाद 70 साल हो गए हैं और कोई यह कहे कि इतने वर्षों से इन लोगों को आरक्षण दिया गया है लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ है तो मैं कहूंगा कि अगर शिक्षा की ही व्यवस्था नहीं है तो वे कैसे आगे बढ़ेंगे। अभी दो कालेज अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। मैंने मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि डिस्ट्रिक्ट में और एक-एक कालेज सैंक्शन किया जाए लेकिन हमारी सुनवाई नहीं हुई। शिक्षा ही एक साधन है जिससे हम बाकी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। शिक्षा के प्रति हमें बहुत ध्यान देना पड़ेगा और जो भी पिछड़े इलाके हैं, उस एरिया में स्कूल बनें, कालेज बनें, होस्टल बनें और बच्चों के पढ़ने के साधन बढ़ाएं। जब शैक्षणिक दृष्टि से आगे बढ़ेंगे तो दूसरे स्तरों पर भी अपने आप आगे बढ़ते जाएंगे। हमने एक सर्वे करके देखा है कि जो एरिया शैक्षणिक दृष्टि से जितना एडवांस है, वह एरिया इकोनोमिकली भी उतना ही एडवांस है। हम मिजोरम का ही उदाहरण ले सकते हैं। मिजोरम आज के समय में परकेपिटा इनकम करीब 45 हजार रुपए है जबिक उड़ीसा जहां से मैं आता हूं वहां 30 हजार प्रति व्यक्ति आय है जबिक मिजोरम की 95 प्रतिशत जनसंख्या ट्राइबल है। उसके बावजूद वे लोग आर्थिक दृष्टि से एडवांस हैं। इसका कारण यह है कि वहां करीब 93, 94 प्रतिशत लोग पढ़े-लिखे हैं।

सरकार से मेरा निवेदन है कि जो भी पिछड़े इलाके हैं, जहां स्कूल कालेज की कमी है वहां विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। यदि इन लोगों को आर्थिक दृष्टि से भी सुदृढ़ करने की बात है तो जब तक इन्हें एंटरप्रेन्योरशिप में जाने का मौका नहीं देंगे तब तक कैसे ये आर्थिक दृष्टि से मजबूत होंगे। वर्ष 2014-15 में 200 करोड़ रुपयों का अलाटमेंट था, वर्ष 2015-16 में सौ करोड़ रुपए हो गया और इस साल सिर्फ 40 करोड़ रुपए का अलाटमेंट एससी के लिए है जो केपिटल वेंचर के नाम पर रखा है अगर एससी जनसंख्या 20 करोड़ है तो इसका मतलब दो रुपए प्रति व्यक्ति आता है। दो रुपए से वे कौन-से इंडस्ट्रीयिलस्ट बन जाएंगे। अगर बैंक में जाएं तो बहुत कानूनी अड़चने हैं। भागने वाला तो नौ हजार करोड़ रुपए लेकर भाग जाता है। बिना सिक्योरिटी के ऐसे लोगों को पैसा मिल जाता है लेकिन पिछड़े वर्गों के लिए बैंक का रास्ता भी खुला नहीं है। जब तक एंटरप्रेन्योरिशप में इन्हें आगे आने का मौका नहीं देंगे और अलाटमेंट राशि नहीं बढ़ाएंगे तब तक इनका उत्थान नहीं हो सकता है। बैंकों में भी तो सरकारी पैसा लगा है। यदि आप बैंकों को नहीं कहेंगे कि इन वर्गों को पर्याप्त मात्रा में जनसंख्या की औसत के हिसाब से लोन नहीं देंगे या एंटरप्रेन्योरिशप नहीं देंगे तो स्थिति में सुधार आने वाला नहीं है और आरक्षण आगे बढ़ता रहेगा, भेदभाव भी खत्म नहीं होगा। जब तक आर्थिक रूप से, शैक्षणिक रूप से सभी लोग बराबर नहीं होंगे तब तक समाज की तरक्की नहीं हो सकती है। मुझे लगता है कि यह भेदमाव जानबूझ कर रखा जा रहा है। आरक्षण के नाम पर जितना फायदा इस वर्ग को होना चाहिए उससे ज्यादा नुकसान हो रहा है। आरक्षण का मतलब यही नहीं है

कि सिर्फ नौकरी में ही रिजर्वेशन रखना है क्योंकि सिर्फ 2 करोड़ ही सरकारी नौकरियां चपरासी से केबिनेट सैक्रेटरी तक हैं। दो करोड़ नौकरियों के लिए 125 करोड़ लोग दिन-रात लड़ रहे हैं। हर किसी को आरक्षण चाहिए। ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा है जो आरक्षण की मांग न कर रहा हो। आरक्षण का किस्सा तभी समाप्त होगा जब पिछड़े वर्ग को शैक्षणिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न करेंगे। हम यह नहीं कहते कि सभी को नौकरी दे दीजिए। हम कहते हैं कि इन्हें शैक्षणिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न करें तभी यह किस्सा समाप्त होगा।

सोशल जस्टिस विभाग में कुछ एरिया हैं, जैसे सीनियर सिटीजंस के लिए या अल्कोहलिज्म जैसे विभाग के लिए, उसमें सरकारी रूप से कोई एलॉटमेंट नहीं रखा गया है जबिक इसमें 369 एनजीओज को लगाया गया है और उनको 129 करोड़ रुपये दिये गये हैं। एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के लोगों को आगे लाने के लिए एनजीओज क्या करेंगे? यह मेरी समझ में नहीं आता है। ऐसा पाया गया है, जो स्टैंडिंग कमेटी की रिपोर्ट में भी है कि कुछ एनजीओ को तो उसमें ऐसे ही लगा दिया गया है और जब उसने फ्रॉड किया तो पता चला कि उसका तो कोई क्रिडेंशियल ही नहीं चेक हुआ था। ऐसे एनजीओज को एससी, एसटी और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए लगा दिया गया। इसमें वे अल्कोहलिज्म और सीनियर सिटीजन के लिए क्या करेंगे, जब विभाग ही कुछ नहीं कर पा रहा है, तो वे क्या करेंगे? सभी विभागों में लगभग 30-40 प्रतिशत पद खाली पड़े हैं। यदि रिक्त पदों पर भर्ती किया जाए तो सरकारी मशीनरी से ही यह काम प्रौपर ढंग से हो सकता है। जब तक आप लोग रिव्यू करेंगे, फंक्शन करेंगे, तब जाकर यह होगा। इसमें एनजीओ का चक्कर मेरी समझ में नहीं आता है।

आज के दिन इस संस्था के अंतर्गत भिखारियों का उन्मूलन करना भी आता है। सरकार के पास आंकड़ा ही नहीं है कि अभी कितने भिखारी हैं। आज के दिन भिखारी क्यों रहें? भारत के स्वाधीन हुए 70 साल हो गये और आज भी भिखारी हैं, जबिक इतने सोशल स्कीम्स चल रहे हैं। उसके बावजूद भी भिखारी तो रास्ते में दिखते ही हैं। ऐसा क्या है कि हम भीख मांगने जैसे भिखारी के काम को भी समाप्त नहीं कर पा रहे हैं।

जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो उसमें प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरिशप की बात आती है। यह देखा गया है कि बच्चों को टाइम पर स्कॉलरिशप नहीं मिलती है। जब टाइम पर यह नहीं मिलेगा, तो इसे देने का प्रावधान हमने क्यों रखा है? यह इसिलए रखा गया है कि उनके घर में पैसे नहीं हैं, उनके माँ-बाप आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, इसीिलए तो यह स्कॉलरिशप का प्रावधान रखा गया है। प्री-मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरिशप का इतना एरियर रहा, सरकार पिछले साल तो पूरा पेमेंट ही नहीं कर पायी

थी, इसके तहत करीब 15-20 करोड़ रुपये बाकी थे। अभी जब स्टैंडिंग कमेटी ने कहा है तब जाकर लगभग 72 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। यह देखा गया है कि डिसैबिलिटी पर्सन्स के लिए हम लोग काम तो ज्यादा नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन यह पाया गया है कि जो उसके लिए अवेयरनेस कैम्प चलनी चाहिए, उसके लिए भी प्रौपर एलॉटमेंट नहीं है। थोड़ी-बहुत राशि एलॉट की भी गयी है, तो वह खर्च नहीं हो रही है। जब लोगों में अवेयरनेस ही नहीं होगा तो बहुत सारे डिसैबल लोग उसकी सुविधा नहीं ले पाएंगे, विशा रूप से जो गांवों के बच्चे हैं और बच्चियाँ हैं, वे इसका फायदा नहीं ले पा रहे हैं।

यहाँ पर 783 करोड़ रुपये में से 245 करोड़ (31%) इनके लिए रखा गया है। इसलिए मेरा आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन है कि कम से कम जितने भी स्कीम एससी,एसटी, पिछड़े वर्गों और डिसेबल पर्सन्स के लिए हैं, यदि अच्छी तरह से कैम्पेनिंग करके लोगों में जागरुकता लायी जाए ताकि लोग सरकार की स्कीम्स का फायदा ले सकें।

उत्तर प्रदेश, ओडिशा, तिमलनाडु और कर्नाटक ऐसे राज्य हैं, जहाँ पर डिसेबल पर्सन्स के लिए एक विभाग खोला गया है। ऐसे ही और भी राज्यों में खोला जाए तािक डिसेबल पर्सन्स के संबंध में जो प्रोवीजन्स हैं, वे सही ढंग से लागू हो सके और वे उसका फायदा ले सकें। मुझे तो बहुत कुछ कहना था, लेकिन आपने तीन-चार बार घंटी बजा दी है।

अंत में, मैं कहना चाहूंगा कि शिक्षा मूल है। बच्चों को समय पर स्कॉलरशिप मिल जाए। जहाँ पर स्कूल-कॉलेज नहीं हैं, वहाँ पर सरकार विचार करके स्कूल-कॉलेज पर्याप्त मात्रा में खोले और इंटरप्रेन्योरशिप में जाने के लिए बच्चों को एन्करेज किया जाए ताकि ये अन्य वर्गों के बच्चों के साथ बराबरी करने की कोशिश कर सके। धन्यवाद।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Hon. Chairperson, Sir, thank you very much for giving me this opportunity to speak.

Let me first congratulate the hon. Minister of Social Justice and Empowerment, Shri Thaawar Chand Gehlot ji. He happened to be the Minister of Social Justice and Empowerment at the time when we are celebrating the 125th Birth Anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. Sir, he is very lucky and I must congratulate him. I would also like to congratulate him personally for his dynamic leadership and the way he is touching the hearts of SCST entrepreneurs. I must mention about the way IFCI has been given the guarantee of Rs.200 crore and also the way they are disbursing money to the unemployed youth of SCSTs. I would also like to congratulate and thank the staff of the Ministry who are so aggressive and proactive in spreading various beneficial schemes available to SCST youth. They have been touring all over India and spreading the message about the benefits available to SCSTs.

Shri Gehlot ji also is so kind enough to sanction the handicapped stadium in Visakhapatnam. He has also distributed a lot of money during the Celebrations of Dr. Ambedkar. I would also like to make a special mention about the Ambedkar Foundation. The Officers connected with that Foundation have done a yeomen service during the 125th Birth Anniversary Celebrations of Dr. Ambedkar. They have done the most wonderful work.

Sir, at the time of the 125th Birth Anniversary Celebrations of Dr. Ambedkar, the expectations of the people are too high. The budgetary allocation made to the Ministry of Social Justice and Empowerment is too low. A lot of injustice has been done to this Ministry, and also a lot of injustice has been done to the people whom they are treating and whom they are attending to. Scheduled Caste people have been subjected to a lot of injustice since time immemorial. Now, the time has come to do justice to these people. But as to whether justice has been done to the Ministry of Social Justice by the Government of India, I feel

'no'. The Ministry of Social Justice and Empowerment has got a raw deal. They do not have much budget. A lot of posts are still lying vacant.

Sir, it reminds me a small thing. I do not know whether I am correct or not. If I am wrong, please correct me. When we are discussing the Demands for Grants relating to the Ministry of Social Justice and Empowerment, not many Members are sitting here. Had there been a discussion on 2G scam or a discussion about Vijay Mallya, the House would have been full. Sir, this is very unfortunate.

जब एससी-एसटी के इश्यूज के बारे में हम कितने सीरियस हैं, वह हाउस को देखकर पता चलता है। एक-दो बार कोरम के बारे में बताना पड़ा, कोरम तो पूरा हो गया। मैं समझता हूं कि अभी कोरम पूरा है। इससे पता चलता है कि हम कितना सीरियस हैं एससी-एसटी के साथ जस्टिस के लिए। जो जस्टिस चाहिए और जो जस्टिस हम दे रहे हैं, इससे पता चल रहा है। हमने देखा है कि टूजी, थ्रीजी स्कैम में या विजय माल्या के बारे में चर्चा होने पर कितने लोग इकट्ठे हो जाते हैं, लेकिन वे लोग नहीं दिख रहे हैं। Maybe today being Friday, not many Members are here. So, that is injustice.

The Ministry of Social Justice and Empowerment has to deal with SCSTs who got injustice for centuries and decades of the old practice of untouchability, alienation, exclusion of these people from the mainstream. For the Horticulture Department, we specially recruit horticulture people. For recruitment in hospitals, we recruit only doctors, compounders and pharmacists. But for the Ministry of Social Justice and Empowerment, I do not remember heading this Department other than SC. It is always headed by a Minister from SC. If there is any other instance, I do not know. But the entire Ministry officials are not from SC. It is not that I am making an allegation that these people are not doing justice or not able to do justice. They may do justice but there are no Officers from SC, anywhere in the hierarchy – for example, from Secretary to below the Joint Secretary level – who can understand the problems of SCSTs. The Officers have to understand how SCST people suffer, ever since they born. Scheduled Caste is determined by birth and not by profession. I may be a Prime Minister; I may be the President; even Dr. Ambedkar is still called a dalit leader but never called as a true national leader. It is unfortunate. Therefore, structural change is required in

the Ministry of Social Justice and Empowerment. It has to have some socialists, some advisers and some NGOs. Those who can understand the problems of the SCST people better than other castes should be given preference. But a point may arise, to reach a Secretary one must have 33 years of experience. It is also a fact that SCSTs are always recruited above 30 years of age. Therefore, there would not be any Secretary available to be posted in the Social Justice and Empowerment.

I would suggest, Sir, if you give five years relaxation to SCST officers, at least, they can reach the Secretary's post by reservation.

Sir, there is a DoPT in the Government of India. The DoPT is the one, which controls the cadre of the SCST officers. They look after it starting from the recruitments, increments, promotions, problems. All such things are dealt with by the DoPT whereas in every Department, there is an SCST Cell and an SCST Liaison Officer. So, I would request the Minister of Social Justice and Empowerment to open a DoPT type Department in your own Ministry to look after the interests of SCST people better. I think the Ministry of Social Justice and Empowerment will look after the interests of the SCST officers better than the respective Departments. All the Departments have discriminatory attitude. This discriminatory attitude can be removed if there is a DoPT like Cell.

Sir, there is a Legislative Wing in the form of Parliamentary Forum. There is a judicial type of organ, which is called the National Commission for SCST. But where is the Executive Wing, in the Social Justice and Empowerment? In the Social Justice and Empowerment, there is no justice being done to the SCST excepting some social welfare schemes. Therefore, justice also should be done by creating a DoPT like Cell there.

Sir, I would give a small example. None of the Social Justice and Empowerment officers are aware what are the injustices being done to the SCSTs in the country. When we specifically asked, as to what are the Supreme Court Judgments, High Court Judgments standing as an impediment for the welfare

schemes, recruitment and promotions, they were totally silent. It is so unfortunate that during 125th Birth Anniversary of Ambedkar, if we cannot do this justice to the employees, it is not at all justified.

Sir, please think about these issues, which are burning. There are issues, which have come up in the Supreme Court also challenging the very process of recruitment and promotions of SCSTs, If those challenges are accepted in the form of a PIL in the Supreme Court, Sir, there will be civil war. So, the Ministry of Social Justice and Empowerment has got a lot of responsibilities to come out actively and proactively to protect the interests of SCST employees by recruiting SCST officers abundantly as much as possible.

Sir, 117th Amendment, which was brought by the last Government, has to be given a serious thought. Otherwise, the entire process of recruitment and promotions is going to be perverted.

Sir, so far, we have talked about only SC employees, who are privileged, who have got promotions through reservations. But what about the rural poor? What about the rural dalits, who are worse than animals, who are having poverty, food issues, shelter issues? What about them? Who will look after them? We have left their fate to the State Governments; and the State Governments, as per their whims and fancies, look after them or even do not look after them.

The Ministry of Social Justice and Empowerment in the Central Government should have the power to direct the State Governments who are erring in implementing the welfare schemes in the rural areas, areas where dalits are living to implement all these schemes.

Sir, I have a small suggestion. This is a time to revisit the Land Ceiling Act and see to it that all the rural SC people who are 99 per cent landless labourers, toiling blood and sweat, to earn two time food in a day, are given some amount of land so that the rural poverty, the social discrimination to some extent can be addressed during the 125th Birth Anniversary of Ambedkar. The Ministry of

Social Justice and Empowerment has got a lot of responsibilities in discharging all these things by being the guardian of all the SCs of the country.

Thank you very much, Sir. Jai Telugu Desam.

SHRI B. VINOD KUMAR (KARIMNAGAR): I, on behalf of my Party Telangana Rashtra Samiti is participating in this debate on Demands for Grants of the Ministry of Social Justice and Empowerment. I do not want to be rhetoric or I do not want to attribute any motive or I do not want to make a speech of blame-game politics.

Sir, till now, I heard from the Congress Party as well as the Bharatiya Janata Party. The Bharatiya Janata Party's Member of Parliament said that all is well whereas the Congress Party's Member of Parliament said nothing is well.

Sir, who ruled this country for the last 67 years? Both the political parties, that is, the Congress as well as the Bharatiya Janata Party ruled the country. What is the amount allocated in the Budget for the Social Justice and Empowerment Ministry? It is only Rs. 6,565.95 crore out of which, the Plan fund is Rs. 6,500 crore and non-Plan fund is Rs. 65.95 crore.

Sir, I have seen the budgets introduced by the Congress Party earlier. It was not more than Rs. 5,000 crore. Who is blaming whom? Is that everything fine? Not at all. I have gone through the Budget Estimates of 2015-16 introduced by this Government. Last year, it was Rs. 6,542 crore. In the Revised Estimates, they have reduced to the extent of Rs. 600 crore. The population of country is 120 crore out of which more than half of the population is from the OBC, SC and ST. In fact, it is about 70 per cent. What is the budget allocated to these sectors, particularly under this Head, that is Social Justice and Empowerment? We are debating on the Demands for Grants. So, I want to give some suggestions as well as recommendations on behalf of my Party.

In view of the time constraint, I would like to specify only on a few issues with regard to scholarship of students, reservations for SCs and STs and social sector pensions.

With regard to scholarships, in this Budget Estimates, what is the amount that we are giving to the Scheduled Caste children? For days scholar, we are giving Rs. 100 and for a hostel scholar, we are giving Rs. 700. This amount is too

meagre and I suggest that, at least, it should be Rs. 1,500 per month for a hostel scholar because many of the Scheduled Caste students are now being educated through hostel in all the States.

With regard to the Rajiv Gandhi Fellowships Programme which was introduced by the UPA Government earlier, the total scholarship amount is Rs. 2,000 per head for SCs and Rs. 667 per head for STs. This is a large country having 29 States and seven Union Territories. Our country's population is 120 crore. I would like to suggest that the scholarship amount should be increased in this Budget. Already the Budget is introduced. I request the hon. Minister to see that these scholarship amount may be increased to Rs. 4000 per head and Rs. 2000 per head respectively for SCs and STs.

With regard to OBCs, now they are being given only Rs. 300 per head under the Rajiv Gandhi Fellowship Programme. At least, it should be increased to Rs. 4,000 per head. These are the scholars who have completed their post-graduation. They wanted to do some research work. Cannot the Union Government help by giving at least to the extent of Rs. 4000 per head across the country? I request and suggest the hon. Minister to see that some allocations are made to meet these demands.

With regard to reservation for SCs and STs, as per the 2011 Census, the population among the SCs and STs has increased to 17 per cent. The Union Public Service Commission is conducting exam for Civil Services. I request that the Union Public Service Commission should increase the reservation to 17 per cent and 9 per cent respectively for SCs and STs. This is as per the 2011 Census. But as on today, the reservation for SC and ST community is not on par with the population of 2011 Census.

Now jobs for SC and ST people, particularly Government jobs have reduced. Employment in the Government sector has now reduced and it has increased in the private sector. We should make a clause in the contract agreements with the contractors, when the Government is spending a huge amount

on construction workers as well as on infrastructure companies, that they should, at least, hire some employees from SC and ST people. At least, that proposal should come from this Ministry. They have not made such a proposal till now. At this stage, they should, at least, make some advisory to the State Governments so that while awarding contracts, the Government should insist on that they should, at least, employ 17 per cent SCs and 9-10 per cent STs. They are doing infrastructure work. The money is from the exchequer, from the Consolidated Fund of India. They have a role. So, I request that this Ministry should make some recommendations and see that such reservations are implemented in the private sector also.

With regard to pension, how much are we giving? It is Rs.300 per head for the disabled and Rs.200 per head for the old age pensioners. I will come to my State. In my State, my Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao, immediately after the swearing in ceremony, announced Aasara pension scheme for the age-old people. We are giving Rs.1,000 per month to each individual, age-old people who come under the BPL category. The amount allocated in the Telangana State Government Budget 2016-17 is Rs.4,693 crore. It is only for pension. The total budget of the Ministry of Social Justice and Empowerment in the country is only Rs.6,000 crore. We have allocated such an amount for only one scheme. Even for the disabled person, we are giving Rs.1,500 per month.

We have introduced a scheme called 'Kalyana Lakshmi', that is, at the time of marriage, we are giving Rs.51,000 for girls from the SC and ST communities. Now, our Chief Minister, day before yesterday announced that he is going to introduce this Kalyana Lakshmi scheme even to the Backward Class communities. The total budget allocated is around Rs.1,000 crore for this scheme. These are the social welfare schemes by which we can do some justice to the deprived sections of the society. Ours is a small State with 3.5 crore population and we have allocated such budget. I request the hon. Minister to make a request to the Union

Cabinet and to the Prime Minister to allocate some money so that the Demands for Grants of the Social Justice and Empowerment Ministry can be increased.

HON. CHAIRPERSON: Please conclude.

SHRI B. VINOD KUMAR: Lastly, even for the Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Backward Class students who are studying by staying in hostels, we are giving fine, quality rice for the boarders in the hostel. With regard to this Ministry, for the last many years Non-Governmental Organizations are doing service for the disabled, mentally retarded children, tribal children and blind children. All the proposals were sent by the State Governments to this Ministry.

SHRI TATHAGATA SATPATHY (DHENKANAL): You should say, 'differently abled'.

SHRI B. VINOD KUMAR: Yes, I am sorry.

What is the amount? Now, the NGOs are coming to the Government and they are waiting for 2-3 years. There are many representations from my side itself. The money which was to be released in 2013-14 has not yet been released. They are doing humanitarian service. I am unable to understand the reason for it. Is it because of paucity of funds that you are not releasing it or do you have any plan to close these schemes which are being run by Non Governmental Organisations?

In the Budget Estimates of 2015-16, the total amount has not been utilized. What is the reason for it? It is a very big amount. Even the Ministry has not utilized it. The simple reason is non-clearance of funds from the Ministry. Then, there is delay in submission of proposals by the State Governments, which is the reason for underutilization of funds and the reason for late submissions is that no guidelines have been framed for it. So, I request the hon. Minister to see that proper guidelines should be made and are introduced at the earliest. He should request the State Governments to see that these proposals should come to the Ministry at the earliest.

Ultimately, I would like to mention that I have moved some cut motions and I request the hon. Minister to accept them. Thank you.

SHRI RAJEEV SATAV (HINGOLI): Sir, I am on a point of order. There is no quorum in the House.

HON. CHAIRPERSON: The bell is being rung.

Now, there is quorum. Shri Md. Badaruddoza Khan.

... (Interruptions)

SHRI MD. BADARUDDOZA KHAN (MURSHIDABAD): Hon. Chairman, Sir, I thank you for giving an opportunity to speak on this subject. अभी हमारे बीजेपी की तरफ से हुक्मदेव नारायण यादव ने एक इमोशनल लैक्चर दिया। वैसे तो वे हमेशा ही ऐसा बोलते हैं। मैं उनका आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने एक अन्य माननीय सदस्य को भी सुना। उन्होंने पश्चिम बंगाल के इलैक्शन कैम्पेन के लिए बात कही। मुझे सुनते हुए यह लगा कि दो वर्ष के बीजेपी के ज़माने में भारत तो स्वर्ग बन गया और पश्चिम बंगाल भी एक दूसरा स्वर्ग बन गया। लेकिन रियैलिटी कुछ अलग है। वह अगर देखने के लिए कभी स्क्रुटिनी की जाए, कभी रिव्यू किया जाए, कोई सोशियो इकोनॉमिक सर्वे किया जाए तो वह भी आप कर सकते हैं, वह करके देखना चाहिए कि असल में क्या होता है। वह तो अलग बात है। मैं अपनी बात पर आता हूँ।

Sir, today I want to speak some words about the Demands for Grants for the Ministry of Social and Justice. It is true that after 67 years of independence a large number of people in our country are socially and economically backward.

They are the SCs, STs, dalits, adivasis and other backward classes. They are the target groups of the Ministry of Social Justice and Empowerment. The population of these groups is near about 50 per cent of the total population. Ignoring these weaker sections, the country will not go ahead. It is true that there are some safeguards in our Constitution for these weaker and backward classes.

Let us discuss now what the role of the Union Government is. Let us look into the Budget allocation. The budget allocation in 2015-16 was Rs. 6,524.82 crore and in 2016-17, it is Rs. 6,565.95 crore. There is an increase of only Rs. 40 crore compared to the allocation made in the previous year's Budget. As per the Standing Committee Report, 2015, the allocation in 2015-16 Budget Estimate was lesser than the demand made by the Ministry. इस साल भी जो डिमांड मिनिस्ट्री से की गई थी, वह भी उनको नहीं मिला। The demand remains unmet even this year also.

Under-utilisation of funds also is a major problem of the schemes under the Ministry of Social Justice and Empowerment. This is also one of the reasons cited by the Government for not increasing the allocation. It is a matter of great regret

that the primary reason for under-utilisation of funds is the late submission of proposals by the States. So many long speeches are delivered by so many persons inside and outside the Parliament favouring the dalits and other weaker sections, but the actual fact is reflected in the budgetary allocation and its under-utilisation.

Sir, the Union Budget 2016-17 has protected the allocation of schemes for tribals and a number of schemes have been clubbed together in the name of restructuring of the schemes, but there is no clear indication or roadmap about the implementation of the Tribal Sub-Plan. I do not know how it will be developed. In this context, I remember the report of C&AG on Tribal Sub-Plan which says, and I quote:

"Under utilisation of funds, diversion of funds and deficient financial management being common in most of these schemes targeted for SCs and STs,"

It further says:

"These schemes meant for the welfare and development of SCs and STs are not given adequate publicity resulting in poor awareness of different schemes among the target population."

In C&AG report 14 of 2007, it is observed that:

"Actually, most of the weaker sections of our society do not know about the welfare schemes for their upliftment."

So, a mechanism should be created with some allotted grants for creating awareness among these people.

Finally, I agree with the opinion that a separate unit should be created with NITI Aayog with powers to review and monitor the concerned Ministries and Departments to ensure effective implementation of SCSP and TSP — Scheduled Caste Sub-Plan and Tribal Sub-Plan. उसके लिए अलग ढंग से बनाना चाहिए।

आखिर में मैं दो बातें कहना चाहता हूं, आज यह कहा गया, थोड़ा सी अच्छी बात कही गई, 67 years of our Independence have gone and still so many beggars are wandering on

the streets for begging. Why? क्यों इतने बैगर्स रास्ते में हैं, इसके लिए क्या किया। आखिर पहले जो गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, आज जो गवर्नमेंट कहती है कि गरीब का बेटा सत्ता में आ गया तो गरीब के बेटे की क्या भूमिका इसमें है? क्या किया गया। मुझे तो कुछ दिखाई नहीं देता है कि इसके लिए कुछ किया गया है। आज तो इसके लिए कुछ करना है। यह देश के लिए लाज की बात है कि भारत का आदमी रास्ते में घूम रहा है, विदेश से जो आता है, वह देखता है कि रास्ते घूमकर वह उससे भीख मांगता है। इसके लिए कुछ करना है। मैं किसी को ब्लेम नहीं करता हूं कि कांग्रेस ने क्या किया, बी.जे.पी. ने क्या किया, लेकिन हम सब को इसके लिए मिलकर सोचना है कि वह रास्ते में क्यों भीख मांगेगा। इसको क्यों नहीं बन्द किया जाता है। इसे बन्द करने का रास्ता हम ढूंढ सकते हैं। अगर हम दिल से ढूंढें तो इसका रास्ता निकल सकता है, यह बन्द हो सकता है। क्यों नहीं। मुझे तो लगता है कि यह जो पिछड़ा वर्ग है या दूसरा है, इसके ऊपर इतना ह्यूमिलिएशन होता है तो इसके पीछे अनपढ़ता एक कारण है।

इनकी लिखाई-पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए सबसे ज्यादा जोर देना चाहिए। अगर एजुकेशन मिलेगी तो इस सबसे बाहर आने की शक्ति उन्हें मिल जाएगी। उनकी एजुकेशन के लिए कुछ स्पेशल थिंकिंग हमारी होनी चाहिए। रिजर्वेशन तो है, यह ठीक है, लेकिन रिजर्वेशन देने से सब कुछ नहीं मिला। अगर मिलता तो आज तक बहुत कुछ हो जाता, लेकिन वह नहीं हुआ। इसीलिए अलग ढंग से सोचना चाहिए कि किस तरीके से उनको हम एजुकेटेड कर सकें, तािक वे इस पिछड़ेपन से बाहर आ पाएं। हमारा माइंड सेट भी कुछ चेक होना चाहिए।

एक आर्टिकल पेपर में, मुझे लगता है कि 'फ्रंट लाइन' में मैंने पढ़ा कि एक लड़की यह कहती है कि मुझे एक ऊंचे वर्ग की लड़की ने कहा कि you are not looking like an SC. Then what does an SC look like? Do they look like a beast, monkey or others? यह माइंड सेट भी चेंज होना चाहिए। सभी आदमी हैं। यह माइंड सेट भी हमें चेंज करना है। इन सारी कठिनाइयों के अंदर हम भारतवासी हैं। हम सबको मिलकर इनको इरेडिकेट करना है और इनका रास्ता हम सबको मिलकर ढूंढना है। यह किसी पार्टी की बात नहीं है। मैं सरकार से यह आग्रह करूंगा कि सबको लेकर हम एक हल ढूंढे कि हम किस तरीके से इससे बाहर आ सकते हैं। इतना कहकर आपको बहुत बधाइयां, थैंकयू वेरी मच।

SHRI MEKAPATI RAJA MOHAN REDDY (NELLORE): Thank you very much, Sir, for giving me an opportunity to speak on this subject, namely, the Demands for Grants under the control of the Ministry of Social Justice and Empowerment.

I am of the firm opinion that all evils in the society can be eradicated only when all citizens of this country get educated. It is only education that can remove all the disparities in the society. Hence, the Government of India and all State Governments should try to give education to all the citizens of the country.

The Indian society has many inequalities since Centuries. There are many castes in the same religion and many disparities in the same caste, and among same religion there are forward, backward, Scheduled Castes and Scheduled Tribes. There is so much variation in the life-style among various castes, and these variations have to be reduced.

The Government of India, under the leadership of hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi, have started many schemes to uplift the downtrodden, for example, the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes also. He is contemplating the Scheduled Castes and Scheduled Tribes people also to become good entrepreneurs and start some industry and business. It is really a good thing.

I am of the opinion that from whom else we can expect good social measures except Shri Narendra Modi who has come up from humble beginnings to this stage. Hence, I sincerely hope and expect that many many social welfare measures would be taken up by this Government and the life-style of the downtrodden will definitely become good.

For example, I may mention here the experience in the State of Andhra Pradesh when Dr. Rajasekhara Reddy was the Chief Minister. He started many social welfare measures. He created food security for the poor people; health security to all people; and provided education security also. He also started the fee reimbursement scheme.

In that way, all the poor children have now become engineers, doctors, and they have studied MBA, MCA and so on. Even the poorest of the poor are getting education because he started those welfare measures. After he has started all those schemes, other States are also trying to follow the same thing. Also, he has created four per cent reservations for Muslims. He said that all Muslims and Dalit Christians should be treated as Scheduled Castes. Such schemes have definitely helped the poor. Had he been alive, he would have done great things.

Even now I expect many things from Shri Narendra Modi, who has come up in life from a very humble beginning and reached the level of the Prime Minister of India. Definitely, I expect many things, and hope that many social welfare measures would be taken up in future also to create equality among all people. In this context, everybody has to remember Dr. B.R. Ambedkar, who has struggled a lot to create equality among all people. Hence, this Government should allocate proper funds to take care of the downtrodden, the oppressed and the depressed people of society to make them live their lives as equals along with the rest.

With these words, I support these Demands for Grants of the Ministry. Thank you.

श्री फग्गन सिंह कुलस्ते (मंडला): सभापित महोदय, आपने मुझे सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान-मांगों पर चर्चा के लिए अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूं। जब इस मंत्रालय के बारे में चर्चा प्रारंभ हुई, तो हमारे माननीय सदस्यों ने सरकार और प्रधानमंत्री जी के बारे में कहा है। मैं बहुत लंबे समय से देख रहा हूं कि जितनी भी चचार्यें हो रही हैं, उन चर्चा के तथ्य और सारांश को ध्यान में रखने की जरूरत है। क्योंकि यह मंत्रालय उनके कल्याणकारी योजनाओं के लिए बना है। हमें इसे गंभीरता से लेने की आवश्यकता है।

अभी हमारे बहुत सारे माननीय सदस्यों ने भी नीति की बात कही है। जब यह कार्यक्रम प्रारंभ हुआ तो उस समय से अभी तक हम देखते आ रहे हैं कि बार-बार उन्हीं विषयों को रिपीट किया जाता है। कभी बजट के बारे में बात होती है, बजट के लैप्सेशन के बारे में बात होती है, उसके कंवर्जन के बारे में बात होती है, सारे विषय आते हैं, परन्तु इसकी गंभीरता के बारे में विचार करना चाहिए कि जब हम राज्य सरकारों को ग्रांट रिलीज करते समय केन्द्र की कोई मॉनिटरिंग सिस्टम होना चाहिए, मैं ऐसा सुझाव सरकार को भी देता हूं, क्योंकि उसके आंकड़े यह बताते हैं कि उससे चिंता जाहिर होता है और बाहर के लोगों को भी इस विषय की जानकारी होती है कि जब सरकार ने अनुदान दिया, जब उनको एससीए का ग्रांट रिलीज किया, तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजैशन, नीचे के स्तर के जिन लोगों के लिए योजनायें बनी हैं, जिनके लिए प्रावधान हैं, वहां इस धन राशि का उपयोग होना चाहिए। जो राज्य सरकारें इनके बारे में चिंता नहीं करती हैं, उन्हें इस प्रकार का कोई डायरैक्शन जाना चाहिए। इसलिए यह भी ध्यान में आया है कि जनरल पूल की जो योजना है, वह राशि उन जनरल पूल के अंदर जाती है। जैसे यहां भी कहा गया है कि प्रभावशाली लोग धन का उपयोग करते हैं और उसके कारण अन्य योजनाओं में धन राशि डायवर्ट की जाती है। इसको देखने की जरूरत है, इसको मॉनिटर करने की जरूरत है। अगर हमने इस बात की चिंता की तो में कह सकता हूं कि जिनके लिए यह विभाग, मंत्रालय काम कर रहा है और सरकार की जो इच्छा शक्ति है, वह वहां तक पहुंचा सकते हैं।

में माननीय प्रधानमंत्री जी, नरेन्द्र भाई मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने बहुत सारी योजनायें प्रारंभ की। कल कौशल विकास के बारे में बात हो रही थी। वास्तव में जिनके लिए योजनाएं बनी हैं विशेषकर सामाजिक न्याय आधिकारिता मंत्रालय में काम करने वाले लोग, अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग। हुक्मदेव नारायण जी ने आंकड़ो का उल्लेख किया। माननीय सदस्यों ने यह भी कहा कि ग्रेड सी और डी का जो विषय आता है, आजकल नीचे के स्तर पर कौन्ट्रैक्ट बेसिस पर जितनी

नियुक्तियां हो रही हैं, उनका कोई सुपरविजन, मौनीटरिंग नहीं है। इस प्रकार के जितने पद हैं, अगर कैटेगरी ए और बी को छोड़ दें, सी और डी कैटेगरी में देखें तो यह स्थिति दिखती है। उनके लिए न चिकित्सा सुविधाओं का प्रावधान है, न पीएफ का प्रावधान है। जो लेबर एक्ट कानून बना है, उसमें भी इस प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि अगर हम उनकी इन सुविधाओं के बारे में चिन्ता करेंगे तो क्लास थ्री और फोर के लोगों को सुविधा मिलेगी। मैं देख रहा था 19 प्रतिशत, 27 प्रतिशत तक नीचे के आंकड़े गए। अगर कैटेगरी ए और बी देखेंगे तो उसका रेशियो भी कम है। हम इस गैप को कैसे भर सकते हैं, यह हमारे लिए चिन्ता का विषय है। इसलिए मुझे लगता है कि जब हाउस में चर्चा होती है तो इन सब आंकड़ों का उल्लेख किया जाता है। लेकिन हमें वास्तविकता के बारे में विचार करने की आवश्यकता है, तभी इन लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ सकते हैं। ऐसे बहुत सारे उपाय सरकार ने किए हैं।

मैं इस बात के लिए बधाई देता हूं कि फाइनैंस कार्पोरेशन में प्रधान मंत्री जी ने भी कहा है कि इन वर्गों के लिए, विशेषकर अनुसूचित जाित के लोगों के लिए, हम उनको सक्षमता के तौर पर आगे बढ़ाने की बात करते हैं। वास्तव में यह सरकार के लिए क्रान्तिकारी निर्णय है। सरकार ने इस प्रकार का निर्णय पहली बार किया है। इससे हमारे लोग पूरी ताकत के साथ समाज के सामने खड़े हो सकते हैं, अपनी योजनाओं को आगे बढ़ा सकते हैं, अपना उद्योग चला सकते हैं और दूसरे व्यक्ति को उस उद्योग में काम दे सकते हैं। इसलिए उन्हें काम देने वाला व्यक्ति कहा गया है। यह एक सराहनीय कदम है। यह देखना चाहिए कि हम इसे कितना आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे विद्यार्थियों के लिए स्कॉलरिशप की योजनाओं के बारे में जब आंकड़े देखते हैं तो लगता है, जब हम प्री-मैट्रिक स्कॉलरिशप की बात करते हैं, इसकी दो लाख रुपये की सीमा है। इसे बढ़ाने की जरूरत है। ऐसे बहुत से आंकड़े हैं। पोस्ट मैट्रिक के लिए दो लाख पचास हजार रुपये है। आज जिस प्रकार महंगाई है, वास्तव में इन आंकड़ों को भी आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ेगी। केवल इसके लिए एक सीमा रेखा न हो। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक बार स्टैटिस्टिक्स को देखकर समय के हिसाब से योजनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए।

यहां रिजर्वेशन, प्रमोशन की बात हुई। अगर देश भर के आंकड़ें देखें, चाहे किसी उपक्रम की बात करें, चाहे किसी मंत्रालय की बात करें, उनकी सीआर वगैरह की बात करते हैं तो हमेशा सक्षमता की बात होती है। इसलिए मुझे लगता है कि इस बारे में भी चिन्ता करने की आवश्यकता है। अभी ऐट्रॉसिटी के बारे में नया प्रोविजन किया गया है। लेकिन वास्तव में इसकी गंभीरता पर लोग कितना अमल कर पा रहे हैं। यहां देश के अन्य हिस्सों के आंकड़ों के बारे में भी सदस्यों ने कहा है। मैं उन आंकड़ों में नहीं जाना चाहता।

15.00 hours

हमें इस बात की चिंता करने की जरूरत है कि वास्तव में हम इस वर्ग के बारे में चिंता कर रहे हैं, हम सक्षमता के बारे में बात करते हैं। मुझे लगता है कि इस पर बहुत गंभीरता से विचार करने की जरूरत है। केवल राजनीतिक दृष्टि से इस बारे में बात करें तो इससे समाज ऊपर उठने वाला नहीं है। इसे निचले स्तर पर देखने की जरूरत है। एक माननीय सदस्य ने प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना के बारे में बात की, वास्तव में उसमें 50% आबादी ऐसे गांवों में रहती हैं, माननीय मंत्री जी और इस विभाग ने उनको चिन्हित करके कुछ गांवों को 20 लाख रुपये की राशि जारी करने का काम किया है। मैं विभाग और माननीय प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करता हूं कि कम से कम इस प्रकार की योजना को प्रारंभ करके उन गांवों को लाभ पहुंचाने का काम मंत्रालय ने किया है। यह बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। मैं इस प्रकार की योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में देख रहा हूं। पूर्व की सरकारों ने इस बारे में कितनी चिंता की या नहीं की, मैं इसमें नहीं जाना चाहता लेकिन एक प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इन योजनाओं को बढ़ाने के लिए प्रयास शुरू किया गया है। हम उनको आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाएं, समाज के मुख्यधारा से जोड़ें, आज आवश्यकता इस बात की है।

15.02 hours (Shri Hukmdeo Narayan Yadav *in the chair*)

सभापित जी, अभी समय का अभाव है, बहुत सारे सदस्यों को भी इस विषय पर बोलना है। इस बारे में पूरे हाऊस को चिंता करनी चाहिए। हम सब एक स्वर में किमयां के बारे में बोलना चाहिए, कुछ उदाहरण भी दिए गए। कई बार ऐसी स्थिति हाऊस के अंदर पैदा हो जाती है। अभी हैदराबाद की घटना का उल्लेख किया गया। मैं उस विवाद में नहीं पड़ना चाहता। वास्तव में राजनीति की एक सीमा है, हमें वहां तक राजनीति नहीं करनी चाहिए कि हम किसी समाज के विषय को लेकर पूरे समाज को प्रभावित करें। मैंने उसकी गंभीरता को देखा है न तो इस समाज को उस प्रकरण से कोई संबंध है यह हमारे लिए एक बड़ी चिंता की बात है। इस प्रकार के विषय को समाज को गुमराह करने के लिए प्रयोग होते हैं इससे न कोई राजनीतिक लाभ समाज को प्राप्त होने वाला है और न ही देश को। इस प्रकार के प्रकरण को देखना चाहिए कि वास्तव में वह प्रकरण कितना गंभीर है या नहीं है, उसका किससे संबंध है, केवल राजनीतिक आधार पर बात करके इस विषय को समाज को गुमराह नहीं करना चाहिए। अनुदानों के बारे में जो बातचीत हुई है। मैं मंत्री जी को पुनः बधाई देना चाहता हूं। इस पर गंभीरता से विचार करते हुए जो कुछ सुझाव आए हैं उन पर हमें आगे बढना चाहिए और इसी आधार पर समाज को आगे बढाने का प्रयास करना चाहिए।

माननीय सभापति : माननीय सदस्यगण साढ़े तीन बजे इस बहस को खत्म करेंगे और सोमवार को मंत्री जी का जवाब होगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे(गुलबर्गा): सोमवार को डिस्कशन को कंटीन्यू करके रिप्लाई देंगे।

माननीय सभापति : लेकिन साढे तीन बजे प्राइवेट मेबर्स बिल होगा।

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): महोदय, जितने भी माननीय सदस्य बोलना चाहें उसके बाद भी बोलने का सभी को मौका मिलना चाहिए क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): महोदय, मैं एक निवेदन कर रहा हूं कि जितने भी माननीय सदस्य बोलना चाहें सभी को अवसर मिले तो अच्छी बात है परंतु आज की बिजनेस को आगे बढ़ा दें, आज जितने बोलना चाहें सभी को अवसर दे दें।

श्री मिल्लिकार्जुन खड़गे: यह मुद्दा 23 परसेंट लोगों से जुड़ा हुआ मुद्दा है, 85 % लोगों से यह जुड़ा हुआ है। माननीय सभापति: अभी इसे चलने दीजिए, जब साढ़े तीन बजे निजी विधेयक आएगा तो देखेंगे।

श्री मिल्लकार्जुन खड़गे: देखेंगे नहीं, एक तो कोरम नहीं रहने पर भी हम सहयोग कर रहे हैं, आपको तीन-तीन बार कोरम के लिए बेल बजाना पड़ता है। आप गवर्नमेंट को इम्ब्रेस कर रहे हैं। अभी भी कोरम नहीं है। साढ़े तीन बजे के बाद जो नॉन-ऑफिसियल बिल है। ... (व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव (बदायूँ): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर बोलने का मौका दिया है, इसलिए मैं आपके प्रति आभारी हूं।

महोदय, जैसा आपने अपने वक्तव्य के शुरू में कहा था, यह सही है कि देश के अंदर जिस तरह से भी हो सका, पिछले कई सालों से नहीं, बल्कि सदियों से दिलत, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के साथ अन्याय हुआ, शोषण हुआ और इस बात के प्रयास किए गए कि वे किसी तरह से आगे न आ पाएं। इसके लिए हर बात में रोक लगाई गई, फिर चाहे आजादी के पहले का समय रहा हो या चाहे आजादी के बाद, लेकिन उन्हें आगे बढ़ने से रोकने के लिए तमाम तरीके से प्रयास हुए हैं।

महोदय, यह सही है कि बाबासाहेब डॉ. भीमराव अम्बेडकर द्वारा बनाए गए संविधान और उसमें मंडल आयोग जैसी सिफारिशों के समायोजन के बाद, निश्चितरूप से चाहे दिलत हों, पिछड़े वर्ग के लोग हों या अल्पसंख्यक हों, उनके लिए कानूनी प्रावधान हुए हैं, लेकिन उन सारे कानूनी प्रावधानों के बावजूद, लगातार कैसे उन्हें रोका जाए, इस बात के षड्यंत्र हुए हैं।

सभापित महोदय, जहां हमारे देश की तमाम योजनाएं, हमारे देश के बजट का आबंटन श्रेणियों के आधार पर भी किया जाता है, वहीं विशेषकर अगर हम चर्चा करें अनुसूचित जाति की और अनुसूचित जनजाति की, तो उन्हें अलग से बजट आबंटित किया जाता है। इसी संदर्भ में, मेरी भारत सरकार से मांग है कि जिस तरह से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग से बजट का आबंटन किया जाता है, उसी तरह से देश के पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए भी बजट अलग से आबंटित किया जाए।

महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है, कहा जाता है कि पिछड़े वर्ग के लोगों को न्याय देने के लिए नीति बनाने हेतु हमारे पास जातीय आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि वी 1931 की जनगणना के बाद, लगातार समय-समय पर मांग हुई और जब वी 2010 में पूरे सदन ने एक स्वर से मांग की थी, श्री खड़गे जी, आप नाराज न हों और यदि हों, तो हो जाएं, उस समय की कांग्रेस पार्टी की सरकार के षड्यंत्र के कारण, पिछड़ों की तादाद देश में कितनी है, यह बात आज तक सार्वजनिक नहीं हो पाई है। क्या बात है खड़गे साहब, क्या बात है कांग्रेस के साथियो, जब आपने तमाम तरह की जनगणना लगातार कर ली, उसमें कभी आपने बायोमेट्रिक के इस्तेमाल की चर्चा नहीं की, लेकिन जब पिछड़े वर्गों की बात आई, तो आपके विद्वान मंत्रियों ने बायोमेट्रिक डालकर, कैसे पिछड़े वर्गों की तादाद को देश के सामने आने से रोका जाए, इस बात का पूरा का पूरा षड्यंत्र उस समय की कांग्रेस सरकार ने किया।

सभापति महोदय, मैं यह नहीं कहता कि मोदी जी के दो वर्ष के शासनकाल में ही पिछड़े वर्गों की यह दुर्दशा हुई है। इस देश में जिन लोगों ने इनसे पहले शासन किया है, इनकी दुर्दशा में निश्चितरूप से

उनका बड़ा योगदान रहा है, लेकिन मोदी जी के बारे में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के तमाम साथी चर्चा कर रहे हैं कि पिछड़े वर्गों की स्थिति में बहुत सुधार होगा परन्तु मुझे तो इनसे कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि इनके शासनकाल के दो वर्ष का अनुभव मुझे भी है।

सभापित महोदय, जातिगत जनगणना आनी चाहिए। जातिगत जनगणना और इसके साथ-साथ जब रिजर्वेशन हुआ और मंडल आयोग की सिफारिशें आईं, तो क्रीमी लेयर की शर्त लगा दी गई, जबिक किसी अन्य के लिए किसी भी क्रीमी लेयर की शर्त नहीं लगाई गई। पिछड़े वर्गों के लिए किस बात की क्रीमी लेयर? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग लगातार संस्तुति कर रहा है, सिफारिशें कर रहा है, लेकिन आज भी आपने क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख रुपए की लगा रखी है। मेरी समाजवादी पार्टी की ओर से और माननीय नेता जी का यह मानना है कि क्रीमी लेयर की सीमा, पिछड़े वर्गों के शोषण का एक माध्यम है, एक बैरियर है। इसलिए हमारी पुरजोर मांग है कि इसे पूरी तरह से खत्म किया जाना चाहिए। यह हमारी मांग है। यद्यपि इस सीमा को पिछड़ा वर्ग आयोग ने बढ़ाने की संस्तुति की है तथापि उस संस्तुति को भी मानने की कोई पहल माननीय मंत्री जी ने नहीं की है। इसलिए मेरी विशेष मांग है कि क्रीमी लेयर की सीमा खत्म होनी चाहिए।

सभापित महोदय, जहां तक देश की सेवाओं का सवाल है, मैंने भी बहुत अध्ययन किया कि आखिर मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुईं और सिफारिशें लागू होने के बाद, सांवैधानिक दर्जा और सांवैधानिक दर्ज के साथ-साथ कानून बने और कानून बनने के बावजूद आखिर क्या कारण है कि पिछड़े वर्गों की तादाद पूरी नहीं हो रही है?

सभापित महोदय, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। मैंने अभी एक अतारांकित प्रश्न 548 भी पूछा, लेकिन उस प्रश्न का भी माननीय मंत्री जी ने ठीक प्रकार से जवाब नहीं दिया। मेरे पास इसी सदन में वर्ष 2013 में दिए गए आंकड़े उपलब्ध हैं और उसके बाद के आंकड़े माननीय मंत्री जी नहीं दे रहे हैं। यह सरकार नहीं दे रही है। इसलिए मेरी मांग है कि मेरे अतारांकित सवाल नं. 548 का स्पट जवाब दिया जाना चाहिए।

सभापित महोदय, बात की जाती है कि देश की सेवाओं में 11 फीसदी पिछड़े वर्गों की संख्या है। मैं बताना चाहता हूं कि 11 फीसदी पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या क्लास थ्री और फोर में हो सकती है। मैं क्लास वन और टू की स्थिति मैं सदन में बताना चाहता हूं कि कॉमर्स मिनिस्ट्री में ग्रुप-ए और ग्रुप-बी में 4 फीसदी हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री में ग्रुप-ए और ग्रुप-बी में 6 फीसदी हैं। फर्टालाइजर एवं केमीकल मिनिस्ट्री में केवल ग्रुप-ए में केवल 2 फीसदी हैं और ग्रुप-बी में 10 फीसदी हैं। इसी तरह से अगर मैं बात करूं हायर एजूकेशन की, तो उसमें ग्रुप-ए में केवल 3 फीसदी और ग्रुप-बी में 5 फीसदी हैं। ऐसे एक नहीं अनेक

विभाग और मंत्रालय हैं, जिनमें पिछड़े वर्गों का एक भी व्यक्ति सेवा में नहीं है। इसी प्रकार से कुछ मिनिस्ट्री तो पंचायतराज से लेकर पार्लियामेंट्री अफेयर्स तक ऐसी हैं जिनमें पिछड़े वर्ग के लोगों की ग्रुप-ए में जीरो फीसदी संख्या है। यह स्थिति है। जब देश में मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हैं, कानून है, उसके बाद भी उनकी भर्ती नहीं हो रही, तो तमाम रिसर्च और अध्ययन के बाद जिस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, उसे मैं आपके माध्यम से देश को बताना चाहता हूं कि भारत सरकार ने देश में रोस्टर लेकर एक जी.ओ. दिया है। उस जी.ओ. के माध्यम से पद रिक्ति आख्राण पद्यारित होगा, न कि रिक्ति आधारित।

सभापित महोदय, सिदयों से पिछड़ों, दिलतों के लिए कोई पद ही नहीं थे। जब वे पिछड़े, दिलत पद खाली करेंगे, तभी उनको दोबारा मौका मिलेगा। अगर कोई नया पद खाली हुआ है, तो उस पर मौका नहीं मिलेगा। मेरी सरकार से पुरजोर मांग है कि इस काले कानून को, इस जी.ओ. को वापस लिया जाये। जब तक यह जी.ओ. वापस नहीं होगा तब तक पिछड़ों को कभी भी न्याय नहीं मिल सकता। हम कितना भी संघर्ष कर लें, कितना भी भाषण दे दें, बिना इस जी.ओ. खत्म किये कभी भी क्लास वन, क्लास टू या उससे ऊपर के पदों में हम पिछड़ों को नहीं पहुंचा पायेंगे।

सभापित महोदय, मैंने मानव संसाधन मंत्री जी से एक सवाल किया, जिसके उत्तर में उन्होंने बताया कि देश में प्रोफेसर्स की स्थिति केवल एक है और एसोसियेट प्रोफेसर केवल छः हैं। ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, आप हमें बोलने का मौका दीजिए। इसके लिए हम आपसे प्रार्थना करेंगे और उम्मीद भी करेंगे। ...(व्यवधान)

डॉ. उदित राज (उत्तर-पश्चिम दिल्ली) : धर्मेन्द्र जी, ओबीसी के अधिकारियों की बात है। एससी, एसटी, पिछड़ों की उत्तर प्रदेश में ...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव: हम उस पर चर्चा कर लेंगे। अभी मुझे कोई व्यवधान नहीं चाहिए। ...(व्यवधान)

सभापित महोदय, मैं जो कह रहा हूं, उसका जवाब मंत्री जी दे दें। ... (व्यवधान) आप अपने भाषण में इस बात की चर्चा कर लेना। ... (व्यवधान) मैं कह रहा था कि प्रोफेसर केवल एक है और एसोसियेट प्रोफेसर्स छः हैं। अब असिस्टेंट प्रोफेसर्स तकरीबन 1745 हैं। इस तरह टोटल 6600 मे 1752 हैं, जिसमें प्रोफेसर एसोसियेट केवल सात हैं। हमारा कहना है कि जो पद आधारित आख्क्षण दे रखा है, यह सबसे बड़ा काला कानून है। मेरी आपसे मांग है कि यह वापस होना चाहिए।

सभापित महोदय, हमारा एक और गंभीर सवाल है। मैं सबकी बात कर रहा हूं, इसलिए आप सब सुन लीजिए कि नौकरी में पिछड़ों, दलितों को चार-पांच साल ऐज में छूट मिलती है, लेकिन 55 साल के

बाद वे प्रमोशन नहीं पा सकते। यही कारण है, जो आपने अपने वक्तव्य में कहा था कि देश के पिछड़े और दिलत वर्ग के लोग सिचव स्तर तक नहीं पहुंच रहे हैं। उसके पीछे सबसे बड़ा यह कारण है। ...(व्यवधान) माननीय सभापति: धर्मेन्द्र यादव जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिए, क्योंकि समय की सीमा है।

...(व्यवधान)

श्री धर्मेन्द्र यादव: सभापित महोदय, हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप हमें बोलने का थोड़ा और समय दीजिए। आप हमारी इस मांग को स्वीकार कर लीजिए। आप आगे कभी हमें बैठने के लिए कहेंगे, तो हम अपना भाषण समाप्त कर देंगे, लेकिन आज हम आपसे न्याय की उम्मीद चाहते हैं।

दूसरा, जिन लोगों को 55 साल के बाद प्रमोशन नहीं मिलती, उनमें 99 फीसदी ओबीसी और दिलत वर्ग के लोग हैं। इस कानून के द्वारा उनको प्रमोशन से रोका जा रहा है। अब श्रम मंत्रालय द्वारा देश के कर्मचारियों की गणना होती है। मेरी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उस गणना के समय एक कॉलम, एक केटेगिरी बढ़ा दी जाये कि कौन किस वर्ग का है? वह पिछड़े वर्ग का है, दिलत वर्ग का है या किसी और वर्ग का है, तािक आपको अलग से आंकड़े जुटाने की आवश्यकता न पड़े। ... (व्यवधान) माननीय सभापित: धर्मेन्द्र यादव जी, आप अपनी बात समाप्त कीिजए। मैं दूसरे वक्ता को बोलने के लिए

...(व्यवधान)

बुला रहा हूं।

श्री धर्मेन्द्र यादव: सभापित महोदय, आप आज न्याय कर दीजिए। ...(व्यवधान) हमारी आपसे प्रार्थना है कि आप आज हमसे न्याय कीजिए। ...(व्यवधान) 85 फीसदी लोगों के बारे में चर्चा होगी और आप समय नहीं बढ़ायेंगे, तो कैसे काम चलेगा? आप हमारी प्रार्थना को स्वीकार कीजिए। ...(व्यवधान) बहुत सारी चर्चाएं हुईं। सरकार ने नयी-नयी उम्मीदें, नये-नये सपने दिखाये। मेरी सरकार से मांग है कि हमने जो तमाम बातें उठायी हैं, वे कोई हवा में नहीं उठायी हैं। ये सब बातें तथ्यों सहित हैं। आप इन सभी तथ्यों का संज्ञान लीजिए। यद्यपि हम बजट की बात करें, कल जो संसदीय समिति की रिपोर्ट आयी है, यदि हम उसकी बात करें, तो आपने 18 सालों से पिछड़ों के वजीफे की राशि नहीं बढ़ायी। क्लास पांच तक केवल 25 रुपये हैं और 40 रुपये क्लास आठवीं तक है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में जो आईना दिखाया है, उस आईने में आप अपना चेहरा देखिये और इस चेहरे को सुधारने का, इस चेहरे को साफ करने का प्रयास कीजिए। इस 25 रुपये और 40 रुपये वजीफे में क्या हो रहा है? ...(व्यवधान) आप इन तथ्यों को सुधारने का काम करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

*SHRI SHER SINGH GHUBAYA (FEROZEPUR): : Hon'ble Chairman Sir, I thank you for giving me the opportunity to speak on the Demands for Grants under the control of the Ministry of Social Justice and Empowerment (2016-17).

Sir, Punjab has the highest population of Scheduled Caste people. However, various schemes launched for their welfare have failed to reach them. Punjab has been neglected time and again by those at the helm of affairs in Delhi, especially during the erstwhile UPA regime. I would like to know from the Hon. Minister why money allocated under sub-plan has never been fully utilized.

Sir, let me draw your attention to the lethal disease of cancer that has destroyed the lives of residents of Malwa region of Punjab. A lot of Scheduled Caste people reside in this region. They have fallen victim to this deadly disease. My constituency Ferozepur has the second highest population of SC category people. The poor, under- privileged people afflicted by cancer have no means to get themselves treated. The Central Government must come to their rescue.

Sir, the Bhatinda – Bikaner Express train has been nick-named "Cancer Express' – such is the reach and havoc of cancer in this region. These affected people should be given financial assistance for getting themselves treated. Other inhabitants of the border-belt have also fallen prey to this disease. Finding out and treating the patients of this disease is an uphill and complex task. The Central Government must not leave these patients in the lurch.

Sir, granting of scholarships to the SC,ST and OBC category students has left much to be desired. Scholarship amount of these students have not been released for the last three years. Timely distribution of scholarships to these disadvantaged students is the need of the hour.

Sir, students from all parts of India can come and get admission in educational institutions of Punjab. However, the state of Bihar has put a condition for students of Punjab. They must pay a security amount of Rs.5 lakhs. Only then

-

^{*} English translation of the Speech originally delivered in Punjabi.

can they get admission in Bihar. This is totally unjust and uncalled for. This rule must be removed.

Sir, another cause of concern is the injustice meted out to the SC/ST/OBC persons as far as employment is concerned. Sir, the data of SC,ST, OBCs pertaining to executive class jobs is an eye-opener. Recruitment for such posts in Punjab, Haryana and Delhi reveals the deep-rooted bias against these underprivileged sections. People of these segments are deliberately given very less marks in the interview so that they are not selected for the job. Sir, I urge upon the Government to fully fill all the posts of these categories. I am thankful to Shri Thakur for highlighting this point. By giving less than 33% marks to students of these segments in the interview, we are ruining their future. This must stop immediately.

Chairman Sir, money pertaining to all the schemes for SC/ST/OBCs must be released timely by the Central Government. Only then can we serve the cause of social-justice. The cancer-patients of Punjab must be helped by the Central Government so that they can get themselves treated.

Thank you.

माननीय सभापति: माननीय सदस्यगण, इस बहस को जारी भी रखना है और पूरा भी करना है और सभी लोगों को बोलना भी है इसलिए जितना समय बोलने के लिए निर्धारित किया गया है, उतने समय में ही अपने वक्तव्य को समाप्त करें।

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: सभापति जी, आपके आदेश को जरूर मानेंगे और एक ऐसे पहलू तथा ऐसे विषय पर चर्चा हो रही है जिसकी तरफ देश टकटकी लगाकर देख रहा है। आरक्षण का मुद्दा आज का नहीं है और हजारों साल से गरीब पिछड़े, दलित, शोषित और वंचित रहे हैं। गरीब शिक्षा से वंचित रहे हैं, सम्मान से वंचित रहे हैं और अधिकार से भी वंचित रहे हैं। हमारा अधिकार छीना गया है। लगता था कि भारतीय जनता पार्टी कुछ सबक सीखी होगी लेकिन सबक नहीं सीखा। बिहार का चुनाव इसका उदाहरण है। बिहार के चुनाव में कहा कि गजब हो गया लालू जी और नीतीश जी मिल गए। बिहार में लालू जी और नीतीश जी नहीं मिले बल्कि बिहार का दलित, शोषित, पिछड़ा मिला जो सदियों से आरक्षण की मांग करते रहे हैं। जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का सपना था, जो स्वर्गीय कर्प्री ठाकुर का सपना था, जो लोकनायक जयप्रकाश नारायण का सपना था, जो डॉ. राम मनोहर लोहिया का सपना था उस सपने को अगर बिहार में किसी ने साकार किया है तो सबसे पहले 1990 में लालू यादव ने पूरा किया। जब बिहार में कहा गया कि गरीब का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता है, स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी हुए थे, भोला पासवान जी हुए थे लेकिन वर्ष 1990 में गरीब का बेटा, चरवाहे का बेटा, गरीब मैया की कोख से जन्म लेना बच्चा लालू यादव जिन्होंने कहा कि बिना खून बहाए अगर कहीं सामाजिक न्याय और आरक्षण का परिवर्तन होगा तो बिहार में होगा। इतिहास इसका गवाह है। लालू मरता नहीं, नीतीश मरता नहीं, कर्पूरी ठाकुर ने बहुत गालियां सहीं। मैं गवाह हूं। पत्थर फैंके गए लेकिन कर्पूरी जी की जान बच गई। आदरणीय हुक्मदेव जी भी जानते हैं। जो अपमान हुआ, उस अपमान को हमने सहा। हम पेरियार को मानने वाले हैं, हम चौधरी चरण सिंह को मानने वाले हैं, हम हजारों साल के अपमान और जलन को सहने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी के रहन्मा कान खोल कर सुन लें कि जो जातीय जनगणना कि रिपोर्ट है, इसे प्रकाशित करो, नहीं तो इस देश में आरक्षण की बड़ी लहर, लपट और आग जलेगी जिसमें आप भरमाभूत और बर्बाद हो जाओगे। आपकी बिहार में खटिया खड़ा हुआ, लेकिन आप चेते नहीं। अब 2016 में फिर खटिया खड़ी हो रही है लेकिन चेते नहीं और वर्ष 2019 में इस देश में आपकी खटिया खड़ी होगी और आरक्षण वाली ताकत, लालू जी और नीतीश जी वाली ताकत आने वाली है। आरएसएस के... * क्या बोले। क्या यह सच्चाई नहीं है कि आरक्षण का रिव्यू नहीं होना चाहिए।...(व्यवधान)

-

^{*} Not recorded.

माननीय सभापति : किसी व्यक्ति का नाम रिकार्ड में नहीं जाएगा।

...(व्यवधान)

श्री जय प्रकाश नारायण यादव: ठीक है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा लेकिन दुनिया नाम जानती है कि आरक्षण का रिव्यू हो लेकिन गोलवलकर को मानने वाले लोगों क्या कहा गया कि नीतीश कुमार के डीएनए में दोष है। नीतीश कुमार पिछड़ी जाति में पैदा होता और कहा जाता कि नीतीश कुमार के डीएनए में दोष है। लालू जी ने कहा था कि कौन माई का लाल है जो देश में बाबा साहेब का दिया आरक्षण खत्म कर देगा। लालू जी ने कहा कि ईसा की तरह भी अगर सूली पर चढ़ना पड़ेगा तो चढ़ जाएंगे लेकिन कोई माई का लाल रिजर्वेशन खत्म नहीं कर सकता है, यह मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है।

वर्ष 1934 की जनगणना रिपोर्ट को निकालिए, मेरे बाप-दादा और नाना, जिन्हें आदरणीय हुक्मदेव बाबू जानते हैं, जिनका नाम शुक्रदास यादव है, उनको पार का धोती नहीं पहनने दिया जाता था, खाट पर नहीं बैठने दिया जाता था, जब बेटी ससुराल आती थी, तो कहा जाता था कि पहले डोली उत्तर जाएगा, तब आगे जाएगा। उस समय वर्ष 1934 में इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी गयी, जमींदारों के खिलाफ यह लड़ाई लड़ी गयी और वही आरक्षण विरोधी ताकतों के खिलाफ भी लड़ी गयी। वर्ष 1934 में ऐसा जंग हुआ, आप गजट निकालकर देखिए, उसमें वे भस्मीभूत हो गये। इसलिए कहा जाता है कि

"मन न रंगाये, रंगाये जोगी कपड़ा, दिढ़या बढ़ाके भाई बन गइले जोकरा।"
"आह गरीब का कभी न निष्फल जाय, मरी खाल की श्वास से लौह भरम हो जाए।"

इसलिए जालिम लोग वहीं पैदा लेते हैं, जहाँ लोग दब्बू होते हैं।

माननीय सभापति : जो माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा-पटल पर रखना चाहते हैं, वे रख सकते हैं।

*SHRI D.K. SURESH (BANGALORE RURAL): At the outset, I would like to draw the attention of the Government that even after 69 years of Independence people of our country are not receiving quality healthcare, education and basic amenities to lead a civilized life. There are still thousands of people living in a pitiable condition.

Human development means the expansion of freedom and rights of the people so that they may have the capacity to lead the kind of life they value. The persistence of social disabilities such as the caste system, untouchability, religious and discrimination against women, the development and socio-economic changes is to have a right based approach to development. Human development is based upon the principles of equality and justice for all.

The Constitution reflects an uncompromising respect for human dignity, an unquestioning comment to equality and an overriding concern for the poorest and weakest in the society. The concept of basic human needs involves drawing a list of foundational needs of both, physiological and social. It arrives at a list of the minimum social needs -right to food, housing, health, education and livelihood provide foundation upon which human development can occur and human freedom can flourish.

These basic social rights should be conceptualized in terms of an entitlement both to be equal as humans and to be equal as members of the society. Naom Chomsky once said, "In this terminal phase of human existence, democracy and equality are more than just ideals to be valued, they may be essential to survive." The term social justice implies a political and cultural balance of the diverse interests in society.

Pluralism or democracy is the only means by which is indeed a dynamic process because human societies have higher goals to attain. Social justice is an integral part of the society. Social injustice cannot be tolerated for a long period and can damage society through revolts. Therefore, the deprived class should be

_

^{*} Speech was laid on the Table.

made capable to live with dignity. Social justice is a principle that lays down the foundation of a society based on equality, liberty and fraternity.

The basic aim and objective of society is the growth of individual and development of his personality. The concept of social justice is a revolutionary concept which provides meaning and significance to life and makes the rule of law dynamic. When Indian society seeks to meet the challenge of socio-economic inequality by its legislation and with the assistance of the rule of law, it seeks to achieve economic justice without any violent conflict. The ideal of a welfare state postulates unceasing pursuit of the doctrine of social justice. That is the significance and importance of the concept of social justice in the Indian context of today.

Social justice is not a blind concept. It seeks to do justice to all the citizen of the state. A democratic system has to ensure that the social development is in tune with democratic values and norms reflecting equality of social status and opportunities for development, social security and social welfare.

The caste system acts against the roots of democracy in India. The democratic facilities like fundamental rights relating to equality, freedom of speech, expression and association, participation in the electoral process, and legislative forums are misused for maintaining caste identity. It is true that India has been an unequal society from times immemorial.

There are enormous inequalities in our society which are posing serious challenges to Indian democracy. Democracy, therefore, must not show excess of values by imposing unnecessary legislative regulations and prohibitions, in the same way as they must not show timidity in attacking the problem of inequality by refusing the past the necessary and reasonable regulatory measures at all.

Constant endeavor has to be made to sustain individual freedom and liberty and subject them to reasonable regulation and control as to achieve socioeconomic justice. Social justice must be achieved by adopting necessary and reasonable measures. That, shortly stated, is the concept of social justice and its

implications. The basic aim of social justice is to remove the imbalances in the social, political and economic life of the people to create a dignified society.

It means dispensing justice to those to whom it has been systematically denied in the past because of an established social structure. Babasaheb Dr. Ambedkar did not propound any specific definition or theory of "Social Justice". On the basis of these we can easily argue that Ambedkar has mentioned multiple principles for the establishment of an open and just social order in general and Indian society in particular. Therefore, with the help of these elements we can carve out a theory of social justice, what can then be referred as Ambedkar's theory of Social Justice.

We can extract five basic principles, from writings and speeches of Ambedkar, through which justice can be dispensed in the society. These are: 1.Establishing a society where individual becomes the means of all social purposes 2. Establishment of society based on equality, liberty and fraternity 3. Establishing democracy-political, economic and social. 4. Establishing democracy through constitutional measures. Associated life between members of society must be regarded by consideration founded on liberty, equality and fraternity. 5. Conclusion, it might be asked why the principle of equal justice has failed to have its effect. The answer to this is simple. To enunciate the principle of justice is one thing. To make it effective is another thing.

Whether the principle of equal justice is effective or not must necessarily depend upon the nature and character of the civil services who must be left to administer the principle. The solution to social injustice lies within us only. We should be aware of the expressions - the poor, the backwards, social justice which are being used to undermine standards, to flout norms and to put institutions to work.

We should shift from equality of outcomes to equality of opportunities, and in striving towards that, politicians should be doing the detailed and continuous work that positive help requires, the assistance that the disadvantaged

need for availing of equal opportunities. Social processes are constantly changing, a good legal system is one which ensures that laws adapt to the changing situations and ensure social good. Any legal system aiming to ensure good should ensure the basic dignity of the human being and the inherent need of every individual to grow into the fullness of life.

According to Twelfth Plan document the Central Plan out lay should be 16.2% for the schemes benefit the SC community and 8.2% for schemes benefit the ST community should be earmarked. However, the Union Government is not allocating the funds required for the benefit of SC and ST communities.

Budgetary outlays for 2016-17 is Rs.6565.95 crores. It is only Rs.40 crores increased than the outlay of 2015-16 i.e. Rs.6524.82 crores. Every year there are reports on under utilization of the funds in the department. This should be stopped and ensure utilization of the funds meant for various social development schemes. The Government should adopt more effective measures besides making existing mechanism more stringent so that there is full utilization of the allocated funds.

It seems that the Government is more focusing on Birth anniversary celebration of Dr.Ambedkar ji instead of working for the real development of the community.

The Government must take necessary steps in wise angle to protect the untrodden, sidelined backward people of the country by imparting social security measures, which helps them to rise up to the mainstream life in all respects.

The Government of Karnataka has brought into force implementation of the Karnataka Scheduled Castes Sub-Plan and Tribal Sub-Plan Act has resulted in an increase in the financial allocation for the welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. It is a very significant law to ensure overall development of SC and ST people. I would like to suggest the union government to follow the similar model to ensure the development of SC and STs all over the country. Funds unutilized would be carry forward to the successive financial year to achieve the

development of these communities. The Act envisages allocation of funds for the welfare of SC and ST people in proportion with the population of the community.

There is an urgent need to pay attention to capacity building at all levels including gross root level to ensure effective implementation of the programs. It is reported that funds were not utilized for those schemes running for empowerment of persons with different abilities, minorities, SCs and STs and OBCs, during the previous year due to poor response from applicants, non-functioning of National-e-Scholarship portal and pendency of various new schemes due to non clearance by the Ministry of Finance and other concerned agencies. Hence, there is an urgent need to strengthen the capacity building at all levels to ensure the funds are utilized in a proper manner.

As far as popularization of the programs are concerned, I would like to suggest that the government should take steps to conduct more training programmes and workshops all over India on regular basis by involving the concerned institutes so as to popularize the Scheme. There is a need to focus more on rural areas through print and electronic media.

With regard to educational schemes for empowerment of Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Minorities and OBCs., etc. the government should bring more transparency in post-matric scholarship scheme and pre-matric scholarship scheme for the children of all those communities. An allocation of Rs.2791.00 crore made for Post Matric Scholarship for SCs, Rs.800.00 crore for schemes for Special Centre Assistance to Scheduled Caste Sub Plan and Rs.885 crore for Post Matric Scheme for OBCs. I would like to state that this is not sufficient to meet the growing demand for scholarship. I would also like to suggest to revise the existing rate of scholarship to various educational programs to increase the amount of scholarship.

There is another important fact that the beneficiaries get the scholarship at the far end of the year due to age old procedures. It affects to achieve the very purpose of giving the scholarship. Therefore, I would like to suggest to simplify

the procedures so the beneficiaries receive the scholarship on monthly basis that too at the start of the academic session.

With regard to Pradhan Mantri Adarsh Gram Yojana the Government has allocated Rs.90crore in the 2016-17. It is not possible to meet any purpose of the scheme. There is no use in making such a paltry allocation for the scheme like PMAGY. Therefore, the Government should reconsider to earmark more funds for the said scheme during the supplementary demands proposal taken up by the department.

As for persons with disabilities are concerned, a disproportionate number of persons with disabilities live in the country. They are often marginalised and in extreme poverty. Persons with disabilities have remained largely 'invisible', often side-lined in the rights debate and unable to enjoy the full range of human rights.

In recent years, there has been a revolutionary change in approach, globally, to close the protection gap and ensure that persons with disabilities enjoy the same standards of equality, rights and dignity as everyone else.

Persons with disabilities face discrimination and barriers that restrict them from participating in society on an equal basis with others every day. They are denied their rights to be included in the general school system, to be employed, to live independently in the community, to move freely, to vote, to participate in sport and cultural activities, to enjoy social protection, to access justice, to choose medical treatment.

Hence, I urge upon the Union Government to look into the problem of persons with disabilities and take effective steps to put an end to their problems.

* SHRI LADU KISHORE SWAIN (ASKA): The financial year 2016-17 is the last year of the 12th Plan. Faster, more inclusive and sustainable growth were the pillers of both the 11th and the 12th Plan whereas the achievement of these broad objectives still remained unfulfilled. Dalits, Adivasis and Other Backward Communities continue to remain at the margin of society, with high degree of discrimination, destitution, unequal opportunities and limited access to essential services.

The recent changes in the fiscal landscape of the country have had marked implications on government's interventions for promoting development of these communities. In this regard, it was hoped that the current union budget 2016-17 would have addressed the plights of these community, however, numbers printed in the budget documents show far from the policy announcements to uplift the status of these communities. In fact, the budgetary outlays under the Ministry of Social Justice and Empowerment have seen only a marginal increase. The Ministry had asked for a higher allocation as they would need additional funds under certain schemes to increase the coverage, which did not materialise in the current budget.

Further, the allocation under the SCSP doesn't seem any significant increase in the current union budget over the last year. The outlays under SCSP have witnessed a steep decline since 2014-15 (BE), when it was around Rs.43,000 crore. Although, there are issues with regard to underutilisation of funds for the schemes under MSJE, primarily due to non-submission or late submission of proposals by the states. However, implementation of some important schemes like elimination of Manual Scavenging, Pradhan Mantri Gram Adarsh Yojana etc. is getting adversely affected.

The Government's focus on entrepreneurial development of Dalits through Stand Up India Scheme with an outlay of Rs.500 crore in 2016-17 (BE), which

^{*} Speech was laid on the Table.

would facilitate at least two projects per bank branch, and is expected to benefit at least 2.5 lakh entrepreneurs. The proposal to set up National Scheduled Caste and Scheduled Tribe Hub in the micro small and medium Enterprises Ministry in partnership with industry associations is certainly praiseworthy.

It has been proposed that from the next financial year onwards, the distinction between the Plan and Non Plan expenditure would be discontinued in the Union Budget. Given that SCSP is applicable only to the Plan budget, the possible approach could be making it applicable for the whole budget and for all the Ministries/departments. In this regard, there is a need for wider consultation for a needs-based planning and thereby reporting, instead of merely meeting a stipulated norm not based on the actual understanding of the challenges confronting these marganalised communities.

Further, there is a need for allocating adequate funds for various schemes for these marganalised communities to improve their status and bring them back to the mainstream economic development.

* श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): हमारे देश में ऐसी बहुत सी जातियां व वर्ग हैं जो सामाजिक व आर्थिक रूप से पिछड़ गये हैं । माननीय मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए सरकार ने शिक्षा व व्यवसाय के साथ सामाजिक न्याय व ऐसी जातियों व वर्गों के लिये बहुत सी योजनायें बनायी हैं और उसके परिणाम भी आ रहे हैं । लेकिन मेरा मानना है कि सरकार के साथ समाज को ऐसी पिछड़ गयी जातियों के उत्थान के लिये काम करना चाहिये । ऐसे अनुसूचित जाति व जनजाति के लोगों को जब अब समाज की मुख्य धारा में आ गये हैं, उनको स्वेच्छा से आरक्षण का लाभ लेना छोड़ देना चाहिये जिससे पात्र व्यक्तियों को अवसर मिल सके । सरकार ने आर्थिक व राजनैतिक रूप से लाभ देने के लिये सरकार ने बिजली, गैस कनेक्शन सहित शिक्षा व नौकरियों में आरक्षण की व्यवस्था की है । वही उत्पीड़न रोकने के लिये कानून भी बनाये जिसमें 60 दिन में दर्ज एफआईआर की जांच करके चार्जशीट लगाने के साथ-साथ विशेष अदालतों को बनाकर न्याय दिलाने के साथ आर्थिक क्षतिपूर्ति आदि की व्यवस्था की गयी । परन्तु इस कानून में भी संशोधन करना चाहिये क्योंकि नये कानून में कई ऐसे प्रावधान भी हैं जिससे सामाजिक ढांचे पर दुष्प्रभाव पड़ने की आशंका है तथा प्रूफ आफँ बरड़न भी शिकायत कर्ता के ऊपर होना चाहिये नहीं तो इस कानून के दुष्प्रयोग की संभावना है । सरकार प्रतिबद्ध है कि पिछड़ गये वर्गों व जातियों को सामाजिक, राजनैतिक व आर्थिक न्याय दिलाने की है ।

^{. .}

^{*} Speech was laid on the Table.

* श्रीमती अंजू बाला (मिश्रिख): सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदानों की मांगों पर मैं अपने विचार व्यक्त करती हूं।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय पर अनुसूचित जाति, ओबीसी, वृद्ध और निशक्त, विकलांग तथा ड्रग्स एडिक्ट लोगों के कल्याण की जिम्मेदारी है। एक लिहाज से यह बहुत ही महत्वपूर्ण मंत्रालय है। एक ऐसा मंत्रालय है जिससे सरकार की संवेदना का पता चलता है। हमारे अनुसूचित जाति के लोग, हमारे वृद्ध और लाचार माता-पिता विकलांग बच्चे, भटके हुए युवा जो ड्रग्स का शिकार हो गये हैं, ये हमारे समाज के सर्वाधिक अशक्त और असहाय लोग हैं। समाज में इनसे दीन हीन कोइ नहीं है। इनके साथ् सामाजिक न्याय होना ही चाहिए। मुझे जब भी समय मिलता है, मैं अक्सर वृद्धाआश्रम, विकलांग केन्द्रों और ड्रग्स एडिक्ट सेंटरों का दौरा करती हूं। उनका दुख दर्द समझने जाती हूं। मैं अपने क्षेत्र की दिलत बस्तियों में जाती हूं। उनसे मिलती हूं। उनकी पीड़ा समझने की कोशिश करती हूं। ये लोग कुछ नहीं कहते हैं। बस टुकुर-टुकुर देखते रहते हैं। मैं भरे मन से कह रही हूं मैं उनसे नजर नहीं मिला पाती। आजादी के 70 वार्ष बाद भी वो कैसी दयनीय स्थिति में रह रहे हैं। उनकी स्थिति को हमारे यहाँ के एक कि शिवकुमार बिलग्रामी ने बहुत सुन्दर शब्दों में व्यक्त किया है:

"हर दिन हर पल खुद ही खुद में घुटकर जीने वालों ने खूब रूलाया मुझको बरसों आंसू पीने वालों ने मैंने इनकी खामोशी को अक्सर पढ़कर देखा है। क्या न कहा है आखिर मुझसे लब को सीने वालो ने"

ये लोग कुछ न कहकर भी बहुत कुछ कह देते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि इनके साथ उचित न्याय हो। इन्हें इनकी जरूरत की सुविधाएं प्राप्त हो। अनुसूचित जाित के लोगों को शिक्षा प्राप्त हो, रोजगार मिले, वृद्धों की उचित देख रेख हो, उन्हें सम्मान मिले, विकलांग बच्चों की उनकी जरूरत के हिसाब से उपकरण और दूसरी सुविधाएं उपलब्ध हों, ड्रग्स का शिकार बने युवाओं का रिहैबिलिटेशन हो, इसके प्रयास किये जाने चािहए। हमारे प्रधानमंत्री बहुत ही संवेदनशील व्यक्ति हैं। उन्होंने इस बजट में इन सभी लोगों का विशेष ध्यान रखा है और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के लिए मौजूदा वर्ष में 7350 करोड़

-

^{*} Speech was laid on the Table.

रूपये की धनराशि रखी गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इसमें लगभग 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। भविष्य में यदि इस मद में और अधिक राशि की जरूरत होगी तो हमारी सरकार इस संबंध में यथोचित कदम उठायेगी। 70 वर्षों से जिन लोगों को सामाजिक न्याय प्राप्त नहीं हो सकता है, उन्हें न्याय दिलायेगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अनुदानों की मांगों को पारित करने का समर्थन करती हूं।

* SHRI JHINA HIKAKA (KORAPUT): The Social Justice and Empowerment Ministry has asked for an allocation of Rs.7,350 crore in BE 2016-17, i.e. an increase of 11.69 per cent over the last budget. The Tribal Affairs Ministry has asked for a higher budgetary allocation of Rs.4,826 crore, a hike of nearly Rs.253 crore over 2015-16. The Budgetary allocation for the Ministry of Social Justice and Empowerment during 2015-16 was Rs.6,580 crore while for the Tribal Ministry it was Rs.4,573.80 crore. The Social Justice and Empowerment Department has proposed to receive a hike of over Rs.596.5 crore and the Department of Disability Affairs has received a raise of nearly Rs.173 crore in 2016-17 over RE 2015-16. The Department of Social Justice and Empowerment has been earmarked Rs.6,565.95 crore, while the Department of Disability Affairs has been earmarked Rs.783.56 crore. The Self Employment Scheme of Liberation and Rehabilitation of Scavengers has been earmarked Rs.9 crore. The allocation for total Welfare of Persons with Disabilities is up by over Rs.160 crore during 2016-17, which has been allocated Rs.527.93 crore. Allocation for Aids and Appliances for differently-abled people has also been increased to Rs.117 crore.

I wholeheartedly welcome the enhancements in this year's budget proposals. However, I find, given the huge population to which this Ministry caters the allocation during 2016-17 is very minimum. I urge the Ministry to utilize the entire amount this year, show a better performance so that the allocation for the education and economic development along with the social empowerment of de-notified nomadic and semi-nomadic tribes STs, SCs and OBCs allocation is doubled in the next budget. I also urge to enhance the funds given to the National Commission for de-notified Tribes. I want the Ministry to strengthen the existing monitoring so that more funds reach my constituency, Koraput, Odisha.

-

^{*} Speech was laid on the Table.

* PROF. RICHARD HAY (NOMINATED): When a poor Anglo Indian boy who was disabled, requested for assistance within one week it was sanctioned. I congratulate Hon. Member Gehlotji and his staff for timely help. Everyone in this country knows 60 years of rule by previous Governments have ruined our country. The minorities have been apple polished. That's all. Still, they live below the poverty line. What a tragedy? Where has the funds for the SC/ST development gone? In the drain? In corrupt hands. They are still the poorest of the poor. Don't you have the prick of conscience? After ruling this country for 60 years, people, the common man is still going for public defection. What a shame. No social justice. But mockery of democracy. Homelessness, hunger, child labour, thirst indeed. Backlog of social justice schemes is mounting and socioeconomic deprivation is the contribution to this great nation by the Government which ruled the most. If you have spent the money for the wellbeing of the people of our country then there would have been Heavens for them.

But you created hell for them. They languish, they live in misery.

They are still marginalized. What did you do for the Dalits? Nothing. A big Zero. We want to generate employment to help the socially deprived.. What have you done for the amelioration of the women, who even now walk kilometres and have to fetch a earthen pot of water. We do not want crocodile tears of the past, but sympathy and action. Now to mend matters, we need to increase the budgetary provision as the task is insurmountable early and we are taking care of the poor and weaker. As a catholic, I can proudly state under Hon. Prime Minister Narendra Modiji we are safe. All minorities are safe. Why? Our Prime Minister's slogan is:-

"Inclusive growth: development for all"

So do not indulge in divisive politics which has destroyed the fine social fabric of India, an ancient living civilization respected by all. Social justice is

_

^{*} Speech was laid on the Table.

being steadily guaranteed under the new Government social justice in the way to progress.

Modiji's Government is struggling hard to bring peace, development and harmony to every citizen of our country.

Still mudra bond, insurance, health insurance, roads, quality education, equality for all, modern infrastructure and many social security measures are carried out.

It time to change your mind set,

All people are supporting Modiji's Government as they know there would be socio-economic development for all.

Stop looting this country. Let us serve the nation and make India a leader in the comity of nation. The world is recognizing India as a power to reckon with water crisis, farmers' suicides, corruption, lopsided growth, poverty, malnutrition, infant mortality, the list in long is- the legacy of the past Governments. Modiji's Government is settling right to bring hopes to millions.

*श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल)- मैं अपनी सरकार का अभिवादन करता हूँ कि हमारी सरकार ने सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगों के लिए एक विशेष राष्ट्रीय आजीविका पोर्टल की शुरूआत की। इस पोर्टल के जिए दिव्यांग स्व-रोज़गार ऋण, शिक्षा ऋण, कौशल परीक्षण, छात्रवृत्ति और रोज़गार के बारे में सूचना संबंधी विभिन्न सुविधाओं को एक ही स्थान पर प्राप्त कर सकते हैं। सरकार दिव्यांगों के कौशल प्रशिक्षण को उच्च प्राथमिकता दे रही है और सरकार ने अगले तीन वर्षों में 5 लाख दिव्यांगों को कुशल बनाने का लक्ष्य रखा है। कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्राप्त 'प्रशिक्षण साझीदारों' के नेटवर्क के जिए चलाया जा रहा है। जिसके तहत प्रशिक्षण के बाद दिव्यांगों को निजी क्षेत्र में रोज़गार दिया जाएगा।

हमारी सरकार शिक्षा और चिकित्सकीय उपचार के लिए आर्थिक सहायता देने पर काम कर रही है। हाल में सरकार द्वारा मूक और बिधर बच्चों की सहायता के लिए विशेष उपकरण संबंधी एक योजना शुरू की गई है और सरकार द्वारा शुरू की गई इस योजना के सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं और ये बच्चें अब सामान्य बच्चों की तरह ही बोलने और सुनने में सक्षम हो गए हैं। सरकार ने दिव्यांगों को पहचान पत्र देने हेतु एक विस्तृत कार्यक्रम चलाने का भी विचार किया है, जिससे इन दिव्यांगों को पूरे देश में एक नई पहचान और सुविधाएं मिल सकें।

मंत्रालय के अधीन दिव्यांग अधिकारिता विभाग ने राष्ट्रीय दिव्यांग वित्त एवं विकास निगम (एन.एच.एफ.डी.सी.) को यह जिम्मेदारी दी है कि वह दिव्यांगों के लिए एक राष्ट्र स्तरीय आजीविका पोर्टल विकसित करे। मैं इसके लिए अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करता हूँ।

सरकार ने अब बोनेपन को भी दिव्यांग की श्रेणी में लाने पर विचार किया है, इसके लिए कानून में भी बदलाव होने जा रहा है। हमारी सरकार दिव्यांगों को उनके अधिकार दिए जाने के लिए हर संभव प्रयासरत है।

अनुसूचित जातियों के लोगों के बीच क्षेत्रीय बिखराव से पता चलता है कि इनकी सबसे अधिक संख्या उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल में है और इन राज्यों में सबसे अधिक गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या है। वर्तमान परिदृश्य में सामाजिक अधिकार और न्याय के लिए हमें ग्रामीण क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की जरूरत है। देश में सबसे ज्यादा जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है और इनकी पहुँच भी ज्यादा दूर तक नहीं होने के कारण इनको पूर्ण सामाजिक अधिकार और न्याय नहीं मिल पाता है और यह भी देखा गया है कि अक्सर इनके साथ भेदभाव का वातावरण रखा जाता है। अतः हमें इस भेदभाव को समाप्त करने की जरूरत है। सरकार निश्चित रूप से अनेकों योजनाओं के तहत इनके उत्थान

-

^{*} Speech was laid on the Table

के लिए प्रयासरत है लेकिन हमें जमीनी हकीकत को भी समझना होगा, इसके लिए राज्य सरकारों और जिला स्तर पर बुनियादी शिक्षा के लिए काम करने की जरूरत है। कई सर्वे से पता चलता है कि समाज के अन्य वर्गों की तुलना में अनुसूचित जातियों के लोगों में गरीबी व्यापक रूप से फैली हुई है। अतः हमें इसके लिए और अधिक कार्य करना होगा। विशेष तौर पर अनुसूचित जातियों के शहरीकरण करने की योजना बनानी होगी तािक ये लोग समाज की मुख्य धारा में शािमल हो सके और इनके साथ सामाजिक न्याय हो सके।

* SHRI SANKAR PRASAD DATTA (TRIPURA WEST): I would like to state that the social justice department should see the matter that an amount of Rs. 3000/- should be given as the pension for all aged persons of the country. ST and SC plan allocation should be according to the population of the respective community in the Budget. Heinous attack on the dalits throughout the country from the communal forces should be stopped immediately.

* Speech was laid on the Table.

श्री दुष्यंत चौटाला (हिसार): माननीय सभापित महोदय, आपने मुझे सामाजिक न्याय विभाग की अनुदान मांगों पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

जब हम सामाजिक न्याय की बात करते हैं, इस देश में यदि कोई सबसे महत्वपूर्ण विभाग है, तो यह विभाग है। जब हम इसकी ग्रांट पर चर्चा करते हैं, तो जो 5600 करोड़ रुपये का प्रावधान इस विभाग के लिए किया है, मुझे लगता है कि यह बहुत ही कम है। इस देश की 124 करोड़ की आबादी में आज भी 50 प्रतिशत से ज्यादा लोग न्याय के लिए तरसते हैं। आज सामाजिक न्याय विभाग को देखने की बात करें, तो बुढ़ापा पेंशन से लेकर हमारे अपंग साथियों, विधवाओं और अनाथों की भी चर्चा की जाती है। मुझसे पूर्व श्री यादव साहब ने बताया, आरक्षण की भी चर्चा की जाती है। मैं पहले तो मंत्री जी से पूछना चाहूंगा, मुझे बड़ा गर्व होता है, यह बताते हुए कि चौधरी देवी लाल जी ने इस देश में बुढ़ापा पेंशन की शुरुआत की थी। जब यह किया गया था, तब बुज़ुर्गों को 100 रुपये पेंशन देने की बात की थी। आज जब मैंने इनके विभाग के बारे में पढ़ा और जाना तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि आज 30 सालों में बुज़ुर्गों के साथ इतना ही न्याय कर पाए कि 60 से 79 साल के बुज़ुर्ग को सौ से दो सौ रुपये पेंशन दे पाए और 80 साल से रुपर के बुज़ुर्गों को 500 रुपये पेंशन दे पाए।

कांग्रेस के हमारे साथी इसमें 90 प्रतिशत कसूरवार हैं और बची हुई आपकी सरकार रही है, आप कसूरवार हैं। आप भारत की जनता को बताने का काम किरए कि बुजुर्ग हमारी सोसाइटी का सबसे सक्षम अंग और ताज होता है। क्या भारत सरकार आने वाले समय में जो वृद्धावस्था पेंशन है, जिसको कांग्रेस ने ओल्ड एज पेंशन का नाम दिया, जिस तरह भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कहती है, जिस तरह आज महंगाई बढ़ी है, इसे 200 रुपये से बढ़ाकर 2,000 रुपये आपकी सरकार कब करेगी? मैंने देखा कि हैण्डीकैप्स के लिए, फिजीकली इम्पेयर्ड लोगों के लिए आपने मेगा कैम्प्स लगाए।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : दुष्यंत चौटाला जी, एक मिनट रुकिए।

साढ़े तीन बज गए हैं, प्राइवेट मेम्बर्स बिजनेस का समय साढ़े तीन बजे से चालू होता है। सदन की क्या राय है, क्या इसे एक घण्टे बढाया जाए?

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): सभापित जी, माननीय मंत्री जी इस विषय पर कुछ कहना चाहते हैं। श्री थावर चंद गहलोत: सभापित महोदय, मैंने पहले भी निवेदन किया कि यह महत्वपूर्ण विभाग है, इस पर बहुत लोग बोलना चाहते हैं, परन्तु अभी अशासकीय विधायी कार्य का समय प्रारम्भ हो रहा है। अगर अशासकीय विधायी कार्य को एक-दो घण्टे आगे बढ़ाकर दें, बाकी बोलने वाले सदस्यों को अवसर दे दें और इसका जवाब सोमवार को हो जाए। यही मेरा निवेदन है।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, बैठ जाइए। जय प्रकाश जी, आप भी बैठिए।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Private Members' time is sacrosanct. ... (*Interruptions*)

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): Sir, we get some time to discuss various important issues only on Fridays during the Private Members' Business. It is our prerogative. आपके पास है, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं। When shall we discuss Private Members' Bills then? ... (*Interruptions*)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): जो मंत्री जी ने रिक्वेस्ट की है, प्राइवेट मेंबर्स बिल हम ले लेंगे। सदन में पहले ऐसी परम्परा रही है कि प्राइवेट मेंबर्स बिल कई बार एक घण्टा आगे बढ़ा है। आप चाहेंगे तो इसका समय छः बजे से सात बजे तक बढ़ा लेंगे।

श्री राजीव सातव (हिंगोली): सभापति जी, इसे सोमवार को कीजिए।

DR. A. SAMPATH: Why are you infringing upon the rights of the Members? Give us a chance to discuss issues.... (*Interruptions*)

माननीय सभापति : ठीक है, आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है, अगर सदन की सहमित नहीं है तो दुष्यंत चौटाला जी बोल रहे हैं, वह पांच मिनट में अपनी बात खत्म कर लेंगे, उसके बाद हम प्राइवेट मेंबर्स बिजनेस शुरू कर देंगे।

श्री दुष्यंत चौटाला जी, आप बोलिए।

श्री दुष्यंत चौटाला : सर, मैं सोमवार को कंटीन्यू कर लूंगा।

माननीय सभापति : आप अपनी बात समाप्त कर लीजिए।

श्री दुष्यंत चौटाला : सभापति जी, मैं सोमवार को कंटीन्यू करना चाहूंगा।...(व्यवधान)

माननीय सभापति : ठीक है। अच्छी बात है।

माननीय सभापति :अब हम गैर-सरकारी सदस्यों का विधायी कार्य शुरू करते हैं।

श्री थांगसो बाइटे ।

15.34 hours

MOTION RE: 21ST REPORT OF COMMITTEE ON PRIVATE MEMBERS' BILLS AND RESOLUTIONS

SHRI THANGSO BAITE (OUTER MANIPUR): I beg to move:

"That this House do agree with the Twenty-first Report of the Committee on Private Members' Bills and Resolutions presented to the House on the 27th April, 2016."

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि यह सभा 27 अप्रैल, 2016 को सभा में प्रस्तुत गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति के इक्कीसवें प्रतिवेदन से सहमत है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

15.35 hours

PRIVATE MEMBERS' BILLS-Introduced

माननीय सभापति : मद संख्या 16, योगी आदित्यनाथ - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 17 योगी आदित्यनाथ - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 18, श्रीमती पूनम महाजन -उपस्थित नहीं।

मद संख्या 19, श्री प्रहलाद जोशी - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 20, श्री प्रहलाद जोशी - उपस्थित नहीं।

मद संख्या 21 श्री प्रहलाद जोशी - उपस्थित नहीं।

(i)Information Technology (Amendment) Bill, 2016* (Substitution of new section for section 78)

DR. KIRIT SOMAIYA (MUMBAI NORTH EAST): I beg for leave to introduce a Bill further to amend the Information Technology Act, 2000.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. KIRIT SOMAIYA: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

15.35 ½ hours

(ii)Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2016*

डॉ. महेन्द्र नाथ पाण्डेय (चन्दोली): मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापतिः प्रश्न यह है :

"कि संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियां) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ.महेन्द्र नाथ पाण्डेयः मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Items no. 24 to 26, Shri P. Karunakaran – not present.

15.36 hours

(iii)Constitution (Amendment) Bill, 2016 (Amendment of articles 243G and 243W)*

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजेश रंजनः मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

HON. CHAIRPERSON: Shri Om Birla – not present.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

15.37 hours

(iv)Tea Garden Workers (Timely Payment of Dues) Bill, 2016*

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I beg for leave to introduce a Bill to ensure timely payment of dues to workers of tea gardens whose management has been directed by the Central Government to be taken over by the Tea Board *vide* Central Government Notification S.O. 260 (E) dated 28th January, 2016.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"िक चाय बागानों, जिनके प्रबंधन को केन्द्रीय सरकार द्वारा दिनांक 28 जनवरी, 2016 की केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना सं.का.आ.260(अ) के माध्यम से चाय बोर्ड द्वारा ग्रहण किए जाने का निदेश दिया गया है, के कामगारों को देय का यथासमय संदाय सुनिश्चित किए जाने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

PROF. SAUGATA ROY: I introduce the Bill.

15.37 ½ hours

(v)Constitution (Amendment) Bill, 2016* (Insertion of new article 21B)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I beg for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

PROF. SAUGATA ROY: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

15.38 hours

(vi)Constitution (Amendment) Bill, 2016* (Amendment of article 72)

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): I beg for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: I introduce the Bill.

15.39 hours

(vii)National Sports Ethics Commission Bill, 2016*

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): I beg for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a National Sports Ethics Commission to ensure ethical practices and fair play in sports including elimination of doping practices, match fixing, fraud of age, sexual harassment of women in sports and for matters connected therewith or incidental thereto.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि खेलों में शक्तिवर्धक औषध के प्रयोग, मैच फिक्सिंग, आयु दर्ज कराने में कपट, महिलाओं के उत्पीड़न के निराकरण सहित खेलों में नैतिकतापूर्ण पद्धितयों और ईमानदारी से खेलना सुनिश्चित करने के लिए एक राष्ट्रीय खेल आचार आयोग का गठन करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

15.39 ½ hours

(viii) Constitution (Amendment) Bill, 2016* (Amendment of the Seventh Schedule)

SHRI ANURAG SINGH THAKUR (HAMIRPUR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Constitution of India.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: I introduce the Bill.

HON. CHAIRPERSON: Shri Prahlad Singh Patel – not present.

Shri Prahlad Venkatesh Joshi – not present.

15.40 hours

(ix)Life Insurance Agents Welfare Bill, 2016*

DR. A. SAMPATH (ATTINGAL): I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for the constitution of a Life Insurance Agents Fund for the welfare of life insurance agents and for matters connected therewith.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि जीवन बीमा अभिकत्ताओं के कल्याण के लिए जीवन बीमा अभिकर्त्ता निधि के गठन का उपबंध करने के लिए तथा उसके संसक्त विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

DR. A. SAMPATH: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

15.40 ½ hours

(x)Financial Assistance for Girl Child Born to Parents Living Below Poverty Line Bill, 2016*

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे माता-पिता की बालिकाओं को वित्तीय संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने और तत्संसक्त अथवा उसके आनु-षंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

"कि गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे माता-पिता की बालिकाओं को वित्तीय संरक्षण और सुरक्षा प्रदान करने और तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती रंजीत रंजन: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं।

15.41 hours

(xi)Electro Homoeopathy System of Medicine (Recognition) Bill, 2016*

श्रीमती रंजीत रंजन (सुपौल): महोदय, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धित को मान्यता देने और विनियमित करने के लिए केंद्रीय परिषद का गठन करने और तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है:

" कि देश में इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा पद्धित को मान्यता देने और विनियमित करने के लिए केंद्रीय परिषद का गठन करने और तत्संसक्त अथवा उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्रीमती रंजीत रंजन: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूँ।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

15.41 ½ hours

(xii)Electricity (Amendment) Bill, 2016* (Amendment of section 113)

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Electricity Act, 2003.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि विद्युत अधिनियम, 2003 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI DUSHYANT CHAUTALA: I introduce the Bill.

15.42 hours

(xiii) Competition (Amendment) Bill, 2016* (Amendment of section 53D)

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Competition Act, 2002.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए। "

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI DUSHYANT CHAUTALA: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

15.43 hours

(xiv)Consumer Protection (Amendment) Bill, 2016* (Amendment of sections 16 and 20)

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Consumer Protection Act, 1986.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI DUSHYANT CHAUTALA: I introduce the Bill.

15.43 ½ hours

(xv)Telecom Regulatory Authority of India (Amendment) Bill, 2016* (Amendment of section 14C)

SHRI DUSHYANT CHAUTALA (HISAR): I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Telecom Regulatory Authority of India Act, 1997.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI DUSHYANT CHAUTALA: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

15.44 hours

(xvi)Prevention of Adverse Photography Bill, 2016*

श्री राजीव सातव (हिंगोली): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि फोटोग्राफी और ड्रोन प्रौद्योगिकी में प्रगति के परिणामस्वरूप व्यक्तियों या ड्युटी पर तैनात सेवा कर्मियों की निजता का उल्लंघन या राष्ट्रीय अथवा रणनीतिक महत्व के स्थानों को खतरे से सुरक्षा प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित प्रदान की जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि फोटोग्राफी और ड्रोन प्रौद्योगिकी में प्रगति के परिणामस्वरूप व्यक्तियों या ड्युटी पर तैनात सेवा कर्मियों की निजता का उल्लंघन या राष्ट्रीय अथवा रणनीतिक महत्व के स्थानों को खतरे से सुरक्षा प्रदान करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजीव सातव: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

15.44 ½ hours

(xvii)National Witness Protection Bill, 2016*

डॉ. किरिट पी. सोलंकी (अहमदाबाद) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि गंभीर अपराधों वाले आपराधिक मामलों में प्रपीड़ित साक्षियों को पहचान साक्षी संरक्षण प्रदान करने तथा ऐसे संरक्षण की प्रक्रिया तथा तंत्र को प्रदान करने तथा तत्संबंधी और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

माननीय सभापति: प्रश्न यह है :

"िक गंभीर अपराधों वाले आपराधिक मामलों में प्रपीड़ित साक्षियों को पहचान साक्षी संरक्षण प्रदान करने तथा ऐसे संरक्षण की प्रक्रिया तथा तंत्र को प्रदान करने तथा तत्संबंधी और उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. किरिट पी. सोलंकी: महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूँ।

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 45, डॉ० संजय जायसवाल - उपस्थित नहीं।

15.45 hours

(xviii) Environment Protection (Control of Non Biodegradable Garbage) Bill, 2016*

श्री शरद त्रिपाठी (संत कबीर नगर): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ कि पर्यावरण को गैर जैव-अवक्रमणीय कूड़े से प्रदूषित होने से सुरक्षित रखने के लिए सार्वजनिक नालियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों में गैर जैव-अवक्रमणीय कूड़े को फेंकने या जमा करने से रोकने तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि पर्यावरण को गैर जैव-अवक्रमणीय कूड़े से प्रदूषित होने से सुरक्षित रखने के लिए सार्वजनिक नालियों, सड़कों और सार्वजनिक स्थानों में गैर जैव-अवक्रमणीय कूड़े को फेंकने या जमा करने से रोकने तथा उससे संसक्त या आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री शरद त्रिपाठी : महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित** करता हूँ।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15.45 ½ hours

(xix) Timely Filling of Vacancies in Central Public Sector Enterprises Bill, 2016*

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to require the Central Government and the Public Enterprises Selection Board to make timely arrangements so that board-level vacancies in Central public sector enterprises are filled expeditiously.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"िक केन्द्रीय लोक क्षेत्र के उपक्रमों में बोर्ड-स्तरीय रिक्तियों को शीघ्र भरने के लिए केन्द्रीय सरकार और लोक उद्यम चयन बोर्ड द्वारा समय पर प्रबन्ध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: I introduce the Bill.

15.46 hours

(xx)Timely Commencement of Laws Bill, 2016*

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to require the Central Government to issue notification of coming into force of laws passed by Parliament in a timely manner.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय सरकार के लिए संसद द्वारा पारित विधियों के प्रवर्तन की अधिसूचना को एक समयबद्ध ढंग से जारी करना आवश्यक बनाने का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

15.46 ½ hours

(xxi)Geotag –Enabled Monitoring of Public Works Bill, 2016*

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to provide for better accountability in public works undertaken by the Central Government through regular publication of geotagged and time-and-date-stamped photographs of the progress being achieved in such works.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"िक केन्द्रीय सरकार द्वारा किए जा रहे लोक निर्माण में प्राप्त की जा रही प्रगति के जियोटैंग किए गए और समय तथा तारीख की मुहर सिहत फोटोग्राफ के नियमित प्रकाशन के माध्यम से ऐसे लोक निर्माण में बेहतर जवाबदारी का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA: I introduce** the Bill.

15.47 hours

(xxii) Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2016* (Substitution of new section for section 124A)

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

PROF. SAUGATA ROY: I introduce the Bill.

* Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

^{**} Introduced with the recommendation of the President.

15.48 hours

(xxiii)Indian Penal Code (Amendment) Bill, 2016* (Substitution of new section for section 124A)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB (CUTTACK): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill further to amend the Indian Penal Code, 1860.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता, 1860 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: I introduce the Bill.

माननीय सभापति : आइटम नम्बर 53, श्री ए.टी.नाना पाटील - उपस्थित नहीं।

15.48 ½ hours

(xxiv) National Green Tribunal (Amendment) Bill, 2016*
(Amendment of section 5)

SHRI RAVNEET SINGH (LUDHIANA): Sir, I beg to move for leave to introduce a Bill to amend the National Green Tribunal Act, 2010.

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

SHRI RAVNEET SINGH: I introduce the Bill.

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

15.49 hours

(xxv)Constitution (Scheduled Castes and Scheduled Tribes) Orders (Amendment) Bill, 2016*

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा): मैं प्रस्ताव करता हूं कि संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"संविधान (अनुसूचित जातियाँ) आदेश 1950 और संविधान (अनुसूचित जनजातियाँ) (उत्तर प्रदेश) आदेश 1967 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री भेरों प्रसाद मिश्र: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

15.50 hours

(xxvi)Motor Vehicles (Amendment) Bill, 2016 (Amendment of section 40)

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि मोटर यान अधिनियम, 1988 का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

15.50 ½ hours

(xxvii)Port Trusts (Reservation in Employment to Local Persons) Bill, 2016*

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि पत्तन न्यासों द्वारा नियोजन में स्थानीय व्यक्तियों को आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए। माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि पत्तन न्यासों द्वारा नियोजन में स्थानीय व्यक्तियों को आरक्षण का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

15.51 hours

(xxvii))Heritage Cities And Sites Development Bill, 2016*
श्री श्रीरंग आप्पा बारणे (मावल): मैं प्रस्ताव करता हूं कि देश में विरासत शहरों और स्थलों के विकास तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।
माननीय सभापति: प्रश्न यह है:

"कि देश में विरासत शहरों और स्थलों के विकास तथा उससे संबंधित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

15.51 ½ hours

(xxix)High Court at Allahabad (Establishment of a Permanent Bench at Meerut) Bill, 2016*

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरट): मैं प्रस्ताव करता हूं कि मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए। माननीय सभापित: प्रश्न यह है:

"कि मेरठ में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की एक स्थायी न्यायपीठ की स्थापना का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री राजेन्द्र अग्रवाल: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

15.52 hours

(xxx) Economically Weaker Class (Provision of Certain Facilities) Bill, 2016

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों को कतिपय सुविधाएँ प्रदान करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के व्यक्तियों को कतिपय सुविधाएँ प्रदान करने तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को प्रास्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

15.52 ½ hours

(xxxi)Mentally Retarded Children (Welfare) Bill, 2016*

डॉ. रमेश पोखिरयाल निशंक (हरिद्वार): मैं प्रस्ताव करता हूँ कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मानिसक विमन्दित बालकों के कल्याण हेतु किए जाने वाले कितपय उपायों तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि केन्द्रीय और राज्य सरकारों द्वारा मानसिक विमन्दित बालकों के कल्याण हेतु किए जाने वाले कतिपय उपायों तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

डॉ. रमेश पोखरियाल निशंक: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय सभापति : श्री ए.टी.नाना पाटील - उपस्थित नहीं। श्री गोपाल शेटटी।

15.53 hours

(xxxii)Constitution (Amendment) Bill, 2016* (Amendment of the Third Schedule)

श्री गोपाल शेट्टी (मुम्बई उत्तर): मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।

माननीय सभापति : प्रश्न यह है :

"कि भारत के संविधान का और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमित दी जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री गोपाल शेट्टी: मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

माननीय सभापति : श्रीमती पूनम महाजन - उपस्थित नहीं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

15.55 hours

RIGHTS OF TRANSGENDER PERSONS BILL, 2014 – Contd.

(As passed by Rajya Sabha)

HON. CHAIRPERSON: Now, the House shall take up Item No. 65 – further consideration of the following motion moved by Shri Baijayant Panda on 26th February, 2016 namely:-

"That the Bill to provide for the formulation and implementation of a comprehensive national policy for ensuring overall development of the transgender persons and for their welfare to be undertaken by the State and for matters connected therewith and incidental thereto, as passed by Rajya Sabha, be taken into consideration."

श्री वीरेन्द्र कश्यप - अनुपस्थित।

श्री अजय मिश्रा टेनी।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): माननीय सभापित महोदय, विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014, जिसको 24 अप्रैल, 2015 को राज्य सभा में पारित किया गया था, आज विचार के लिए लोक सभा में लाया गया है। इस विधेयक का मुख्य उद्देश्य ऐसे हमारे ट्रांस जैंडर भाई-बहनों को समता का अधिकार दिलाना, शिक्षा का अधिकार दिलाना, समुदाय में रहने का अधिकार उनको मिले, यातना और निर्दयतापूर्वक जो उनके साथ व्यवहार होता है, उस व्यवहार से उनकी रक्षा की जा सके और घर परिवार का अधिकार उनको भी प्राप्त हो, यह इस विधेयक का उद्देश्य है।

15.56 hours (Shri Hukum Singh in the Chair)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सभापित महोदय, इसमें ट्रांस जेंडर के लिए लिखा है, विपरीत लिंगी, क्या यह अनुवाद, जो इसका किया गया है, यह ठीक है। पहले तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि विपरीत लिंगी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। मुझे लगता है कि इस विषय पर अगर सही मायने में हम किसी...(व्यवधान)

माननीय सभापति : इसमें मैं शंका का समाधान कर दूं। यह राज्य सभा से आया है, वहीं से लिखा हुआ आया है और हम इसमें संशोधन कर नहीं पाएंगे, क्योंकि राज्य सभा से आया है।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: जो भी हो, लेकिन मुझे लगता है कि इस पर उचित निर्णय लें, क्योंकि विपरीत लिंगी, जिनके लिए हम अधिकारों की मांग कर रहे हैं, वह विपरीत लिंगी पर आएगा तो ... (व्यवधान)

माननीय सभापति: मंत्री जी यहां बैठे हैं, वे जो कहना चाहें, कह देंगे।

SHRI BAIJAYANT JAY PANDA (KENDRAPARA): Sir, I am on a point of order. This issue was raised when the first time this Bill was discussed in this House by the hon. Member from Cuttack and this issue has been discussed. Technically, since it is not a Bill that was drafted for this House, it was communicated after its passage from the Other House, that is why it has been carried forward with the same terminology. Otherwise, I think, we all agree that, perhaps, a different terminology would be better suited. But I do not think, we should intervene in the *parampara* of two Houses and find technical faults with a Bill that has been passed and come here.

श्री अनुराग सिंह टाकुर: सभापति जी, अगर इसमें कुछ गलती हुई है...(व्यवधान)

श्री अर्जुन राम मेघवाल (बीकानेर): जो राज्य सभा ने एक बार तय किया है, इसमें हम ऑलरेडी आधे से ज्यादा चर्चा कर चुके हैं, इसलिए अभी तो उसी बिल पर, उसी भाषा पर चर्चा होगी, वही टर्मिनोलोजी रहेगी, बाद में चर्चा के बाद देखेंगे कि मंत्री जी क्या जवाब देते हैं।

माननीय सभापति : इसमें भाव वही रखें।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: मेरा मकसद सिर्फ आपके ध्यान में लाना था कि यह गलत लिखा गया है और सही मायने में अगर हमे इस वर्ग के लिए कुछ करना है तो कम से कम इसका अनुवाद पहले सही किया जाये, उसके बाद आगे बढ़ा जाये।

श्री अजय मिश्रा टेनी (खीरी): मैं अनुराग ठाकुर जी की भावना से सहमत हूं और वास्तव में कहीं न कहीं यह हुआ है और इसको ठीक करना चाहिए, लेकिन जैसी भी यहां की व्यवस्था होगी, उसके अनुसार होगा। विपरीत लिंगी व्यक्तियों के अधिकार विधेयक, 2014, जिसको 24 अप्रैल, 2015 को राज्य सभा के द्वारा पारित किया गया था और अब यहां विचार के लिए प्रस्तुत किया गया है।

इस बिल का मुख्य उद्देश्य ऐसे वर्ग को, जो ट्रांस जेंडर श्रेणी में आते हैं, उनको सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य, पुनर्वास, शिक्षा, ऐसे उनको अधिकार मिलें, सम्पूर्णता का उनको एहसास हो और जैसा उनके साथ यातनापूर्ण और निर्दयतापूर्वक व्यवहार होता है, उससे उनको बचाया जा सके। दुर्व्यवहार, हिंसा और शोषण से बचाकर घर परिवार का अधिकार उनको दिया जाये, समाज में रहने का अधिकार उनको भी प्राप्त हो,

यह इस बिल का उद्देश्य था और वास्तव में 24 अप्रैल, 2015 को भारत के लोकतंत्र में एक ऐतिहासिक घटना हुई, जब राज्य सभा में एक प्राइवेट मैम्बर बिल को ध्विन मत से पूरे सदन ने पारित किया। उसके पीछे निश्चित रूप से द्रमुक के श्री टी.शिवाजी यह बिल लेकर 2014 में आये थे और उसके पीछे पीड़ा थी कि दुनिया के बाकी 29 देश ऐसे हैं, जहां पर ट्रांस जेंडर लोगों के लिए, उनके अधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाये गये हैं, परन्तु हमारे देश में कोई कानून नहीं है, जबिक हमारे यहां जो लिखा-पढ़ी में है, ऐसी लगभग चार से पांच लाख की संख्या ट्रांस जेंडर्स की है, लेकिन जो अलिखित जानकारियां हैं, उनके अनुसार यह संख्या 20 से 25 लाख के करीब है।

16.00 hours

निश्चित रूप से इनके लिए कुछ न कुछ काम होना चाहिए। जब 24 अप्रैल, 2015 को बिल पास हुआ, उससे पहले माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत ही अच्छा निर्णय जो हमारे ट्रांसजेंडर भाई-बहन हैं, उनके लिए दिया है। अक्टूबर, 2012 में नेशनल लीगल सर्विसेज अथारिटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और अपील की थी कि देश में किन्नरों को समान अधिकार और सुरक्षा दी जाए। उसी में बहस हुई थी और बहस के बाद दोनों पक्षों ने अपनी बातों को रखा था और सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई पूरी कर ली गई थी। 29 अक्टूबर, 2013 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना निर्णय सुरक्षित कर लिया था। उन्होंने 14 अप्रैल, 2015 को यह निर्णय दिया और उसके बाद राज्य सभा में भी यह बिल पास हुआ। वास्तव में जो ट्रांसजेंडर लोग होते हैं या जो यह वर्ग है, उसमें उनका कोई दोष नहीं होता है। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है। जिस तरीके से महिला और पुरुष होते हैं, वैसे ही यह एक तीसरी श्रेणी है ट्रांसजेंडर्स की, जिसमें उनकी अपनी कोई भूमिका नहीं होती है। प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर के अंदर जिस तरीके से गर्भाधान होता है, उसमें कुछ वैज्ञानिक बातें आती हैं, जिसमें एक्स और वाई डिम्ब सम्पर्क में होते हैं, उनके आधार पर पुरुष और महिला के साथ-साथ ट्रांसजेंडर्स का भी जन्म होता है। वास्तव में वे इज्जत के साथ जी सकें, इसकी आवश्यकता थी और यह हमारे समाज को भी करना चाहिए था।

मेरी जानकारी है कि सन् 1871 से पहले किन्नरों को समाज में रहने का अधिकार प्राप्त था। वे घरों में भी रहते थे और सम्मान उनको प्राप्त था। वर्ष 1871 में, जब अंग्रेजों का यहां पर राज था, तब अंग्रेजों ने उनको क्रिमिनल ट्राइब्स नाम की जनजाति की श्रेणी में डाल दिया। बाद में जब हिंदुस्तान हुआ, नया संविधान बना, तो वर्ष 1951 में किन्नरों को क्रिमिनल ट्राइबल्स से निकाल दिया गया। उस श्रेणी से तो उनको निकाल दिया, लेकिन जो उनको अधिकार मिलने चाहिए, वे उनको नहीं मिले। उसके लिए बहुत सारे उदाहरण दिए जाते रहे। इस समाज में हम लोग देखते थे, उन्हीं के माता पिता होते हैं, जो विक्लांग बच्चों को तो पूरे जीवन भर पालते हैं, लेकिन ऐसे बच्चे जो ट्रांसजेंडर श्रेणी में आते थे, उनको एक वर्ग विशेष आता था और जैसे ही उनको यह जानकारी होती थी कि इनके परिवार में इस तरीके का बच्चा है तो वे उसको लेकर अपने साथ चले जाते थे। यह एक परम्परा बन गई थी कि वे नाच-गाने का काम करेंगे, शादी-ब्याह में इस तरीके के काम करेंगे। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज में वे धीरे-धीरे पिछड़ते चले गए।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, three hours were allotted for discussion on this Bill. It is almost complete. As there are ten more Members to take part in the discussion on this Bill, the House has to extend the time for further discussion

on this Bill. If the House agrees, the time for discussion on this Bill may be extended by one hour.

श्री अर्जुन राम मेघवाल : सभापति जी, बहुत लोग बोलने वाले हैं। जब तक वक्ता हैं, तब तक इसको कंटीन्यू किया जाए।

माननीय सभापति: फिलहाल एक घंटा करते हैं, फिर बाद में देख लेंगे।

श्री अर्जुन राम मेघवाल : दो घंटे बढ़ा दीजिए।

HON. CHAIRPERSON: All right. If the House agrees, we can extend the time of the discussion on this Bill by two hours.

SEVERAL HON. MEMBERS: Yes.

HON. CHAIRPERSON: The time of the discussion on this Bill is extended by two hours.

Shri Ajay Misra Teni, please continue your speech now.

श्री अजय मिश्रा टेनी: सभापित जी, हम लोगों ने देखा है कि किन्नरों का एक इतिहास पूरी दुनिया में रहा है। उस इतिहास में हमने देखा है कि शकुनि के रूप में, अर्जुन ने शकुनि को आगे करके भीष्म पितामह से युद्ध लड़ा था और उसमें उनकी मृत्यु हुई थी। ...(व्यवधान) हां, शिखंडी। शकुनि तो जुआं खेलने वाला था। ...(व्यवधान) शिखंडी को उन्होंने आगे किया जो ट्रांसजेंडर थे। इसी तरह से यह परम्परा धीरे-धीरे बन गई। हम सब जानते हैं कि महाभारत के काल में पाण्डव गए थे, तो अज्ञातवास में अर्जुन ने भी किन्नर का वेश रखकर अपना अज्ञातवास को काटा था। ये सब परिस्थितियां समाज में चल रही थीं। उस समय समाज में इतना दुराव नहीं था, जो अंग्रेजों के आने के बाद हुआ। अंग्रेजों के आने के बाद समाज ने उनको हिकारत की दृष्टि से देखना शुरू किया और नाच-गाने के पेशे से वे जुड़ गए। इसके साथ-साथ चिकित्सा, शिक्षा, ऐसी जो पुनर्वास की, घर में रहने की सुविधाएं, जो सम्मान उनको मिलना चाहिए था, वह सम्मान उनको मिलना धीरे-धीरे बंद हो गया। उसका परिणाम यह हुआ कि आज हम सब देखते हैं कि चिंता हो रही है और पूरी दुनिया के 29 देशों में जब इस तरीके का कानून है तो हिंदुस्तान में भी ऐसा कानून बनना चाहिए। उस वर्ग का, थर्ड जेंडर में जाने के लिए कोई भी दोष नहीं है। यह एक प्राकृतिक व्यवस्था है उसके कारण उनकी यह स्थिति हुई है।

निश्चित रूप से इसके लिए भी समाज को पहले जागना पड़ेगा। जब समाज जागेगा तभी इसका अच्छा परिणाम आ सकता है। जिस तरीके से इस समय समाज में मान्यतायें हैं, लोग इस चीज को छुपाते हैं कि हमारे यहां थर्ड जेंडर का बच्चा हुआ है, लेकिन जैसे ही वह राज खुलता है तो उसके बाद उस बच्चे की

सुरक्षा के लिए उनका परिवार भी सामने खड़ा नहीं होता है। यह बात इसलिए होती है कि हमारे देश में इसके लिए कोई कानून नहीं है। देश में इसके लिए जागरूकता नहीं है जैसे बालक हुआ या बालिका हुई, वैसे ही अगर एक बच्चा उस श्रेणी में चला गया है तो परिवार वालों को सबसे पहले उसके साथ खड़ा होना पड़ेगा, समाज को उसको मान्यता देनी होगी और फिर उसको कानूनी मान्यता भी मिले तभी उनके अधिकारों की रक्षा हो सकती है। राज्य सभा में कानून जरूर लाया गया। सामाजिक न्याय और अधिकारिता के माननीय मंत्री जी यहां बैठे हुये हैं, इन्होंने राज्यसभा में इस विधेयक का उत्तर दिया था। उन्होंने कहा था कि भावनात्मक रूप से तो हम सहमत हैं कि उन लोगों को न्याय मिलना चाहिए लेकिन जो हमारे आदरणीय सांसद जी ने बिल राज्य सभा में प्रस्तुत किया था, उस बिल में बहुत सारी खामियां भी हैं, उन खामियों के द्वारा उन्होंने आरक्षण मांगा था, नौकरियों में आरक्षण, प्राइवेट में भी आरक्षण की मांग की थी और भी बहुत सारी ऐसी बात कही थी जो संभव नहीं थी, इसलिए सरकार ने यह निर्णय लिया कि वह उस बिल को वापस ले, लेकिन उन्होंने उसे वापस नहीं लिया और वह ध्वनिमत से पारित हो गया। जैसा वह बिल है, उस रूप में मैं बिल को पारित करने के पक्ष में नहीं हूं। मैं चाहता हूं कि किन्नरों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए, माननीय मंत्री जी की ऐसी मंशा भी है, उन्होंने घोषणा भी की थी कि केन्द्र सरकार एक विधेयक लाने वाली है और उस विधेयक में उन्होंने कहा था कि जिस तरह की सुविधा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग, घुमन्तु लोगों को शिक्षा और विकास के मामले में मिल रही है, उसी तरह की सुविधायें किन्नरों को भी मिले। उन्हें मुख्य धारा में लाने के लिए सरकार अनेक कदम उठाने जा रही है और सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से भी कार्रवाई की जा रही है।

आदरणीय मंत्री जी ने यह भी बताया था कि केन्द्रीय सरकार किन्नरों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर बोर्ड या परिषद के गठन पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। जिस से जो अन्य वर्ग हैं, जो समाज की मुख्य धारा में आने से पिछड़ गये हैं, शैक्षिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़ गये हैं, उनके लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है और हमारी सरकार निरंतर यह प्रयास कर रही है कि ऐसे सभी वर्ग जो समाज की मुख्य धारा से पिछड़ गये हैं।

अभी हम लोग ठीक इससे पहले जिस अनुदान-मांग पर चर्चा कर रहे थे, उसमें भी बहुत सारी बातें आई हैं। वह वर्ग भी समाज की मुख्य धारा से पिछड़ा है उसी तरह से हमारे ट्रांसजैंडर भाई-बहन भी पिछड़े हुये हैं। ऐसे में सरकार की प्रतिबद्धता भी है और सरकार का का कर्तव्य भी है कि ऐसे लोगों की शिक्षा और चिकित्सा की उचित व्यस्था के लिए उनको आरक्षण दिया जाये, आरक्षण नहीं दे सकते हैं तो प्रोत्साहन की कोई स्कीम बनायी जाये। हम उन्हें व्यापार में कैसे प्रोत्साहन दे सकते हैं, व्यापार में उनको सब्सिडी दें, कम

ब्याज दर पर उनको ऋण उपलब्ध करायें, ऐसी सारी व्यवस्थायें करने के साथ-साथ समाज और परिवार का जागरूक होना, ट्रांसजैंडरों को न्याय दिलाने के लिए बेहद आवश्यक है।

इसिलए मैं लोक सभा में माननीय सभापित महोदय के माध्यम से यह बात रखना चाहता हूं कि अगर हम अपने ट्रांसजैंडर भाई-बहनों को वास्तव में न्याय दिलाना चाहते हैं तो जिस रूप में यह बिल है, इस रूप में हम बिल को पास नहीं कर सकते हैं, लेकिन केन्द्र सरकार एक विधेयक लाने जा रही है और गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है कि ऐसे सभी लोगों को न्याय मिले। सरकार इसके लिए प्रतिबद्ध है। हम उनको शिक्षा और चिकित्सा जैसे सभी श्रेणियों में न्याय देंगे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया है, केन्द्र सरकार का विधेयक भी आने जा रहा है, निश्चित रूप से दुनिया के बहुत सारे देशों में ट्रांसजैंडर्स को उनके अधिकार प्राप्त हैं, उनको कानूनी मान्यता और कानूनी संरक्षण प्राप्त है, वैसा ही अधिकार उन्हें भारत में शीघ्र ही प्राप्त होगा। हमारी सरकार की ऐसी बिल लेकर आयेगी, ऐसा मैं विचार करता हूं। धन्यवाद।

PROF. SAUGATA ROY (DUM DUM): I am speaking in support of the Right of Transgender Persons Bill, 2014 which was passed in the Rajya Sabha and which has been brought to this House by Shri Baijayant Jay Panda. I fully support this Bill because this Bill feels that Transgenders are persons who have to be treated with compassion, sympathy and also that they should be allowed their Constitutional Rights. Now, we have Articles 14 and 15 in the Constitution which makes everybody equal before law. There is also Article 21 which gives the Right to Life and Liberty. So, in case, the transgenders are deprived of these rights, we are actually depriving a section of the society. That is why, it is very essential to move forward with this Bill.

Now, as has been stated, these transgenders have various names. In my State, they are known as *hijras*, in some other States, they are known as *kinnars*. It has been defined in the Bill as to who are the transgenders. The transgender person means a person whose gender does not match with the gender assigned to that person at birth and includes trans-men and trans-women (whether or not they have undergone sex assignment surgery or hormone theraphy or laser theraphy), gender queers and a number of socio-cultural identities such *kinnars*, *hijras*, *aravanis*, *jogtas* etc.

This Transgender Bill covers only a small part of the total spectrum. In America or in many countries, the agitation is for giving totally equal rights to LGBTs. LGBTs are lesbians, gays, bisexuals and transgenders. We are covering only part of this spectrum by talking about transgenders. From our experience, we know that these transgenders are ostracized in our society. In Kolkata, it is very common that when a child birth takes place at a residence, then these transgender people come in a group. They inspect the baby to see if it is a transgender one and if it is otherwise, they demand money from the family which had a child born to them. These transgenders in my city of Kolkata live in separate slums in a community of their own. In recent times, I am seeing that they are taken to begging at the main crossings of the Kolkata city and they also put a little pressure

on people. This is because they have no means of livelihood. They do a little song and dance but that is not fetching them any livelihood. That is why, they have taken to begging.

How many of these transgenders are there? One estimate is that five lakh transgenders are there in the country. According to some other estimates, there are 25 lakh transgenders in the country. My demand is that in the next census which is to take place in 2021, we should have separate census for transgenders so that exact figures are available. Though the Government of India has not brought any legislation so far, the Supreme Court has already dealt with their issue and the Supreme Court has said that they should be treated with compassion separately.

Following the Supreme Court directive, now a transgender may give his sex as male, female and others, and it will be recorded in that way in the voters' list or electoral roll. In Nepal, they have allowed transgenders to write 'others' in the passport. We, the legislators, are behind the Supreme Court and the Election Commission in having a sympathetic legislation arrangement for transgenders. That is why, this Bill becomes very urgent.

This Bill talks of setting up a National Commission for Transgenders with an eminent person who has worked with them as Chairman and six members, of whom three will be transgenders. It also speaks of setting up of State Commissions where there will be similarly a Chairman and six members, of whom three will be transgenders. These National Commission and State Commissions will look after the various problems that are being faced by the transgenders.

In the Bill two very important reservations have been made. One is a reservation of two per cent in educational institutions for transgenders of the total number of seats in each class. Again, in Government employment, it proposes reservation of not less than two per cent of the vacancies to be filled up by direct recruitment for transgenders. Also, the Bill suggests that the employers in the public sector also should ensure that at least two per cent of their workforce is composed of transgender persons.

But apart from this, the main thing is humane treatment for these transgenders. So, every organisation, mainly, the police have a responsibility towards these people, and, in case they are threatened, they are harassed, the police should take action, and that is mentioned in this law because these are people who are unable to defend themselves. It is true that because of lack of occupation, some of them do turn to crime. It is our duty, our responsibility to be sympathetic and to have proper rehabilitation and to see that if in a family, a transgender child is born, he or she should be allowed to live with the family in dignity.

The Bill, as it comes, has many good features. As I said, there are rights and entitlements like right to life and personal liberty as is enshrined in the Constitution, right to live in the community, right to integrity, protection from torture or cruel or inhuman or degrading treatment or punishment, protection from abuse, violence and exploitation. This sympathy is most important. At present, the transgenders are subjected to very bad abuse, violence and exploitation, especially in the slums where they live. The slumlords or the local *goondas* are torturing these poor and defenceless people who have to resort to either song and dance or to begging to live. It is necessary to give these transgender people education so that they can stand on their own feet. Educational institutions should reserve seats and see that there is no discrimination against them in the educational institutions.

Also, these people have no skills as such. So, there is a chapter which says skill development and employment for them is necessary. Yesterday, we discussed the budget of the Ministry of Skill Development. It was targeted that we should develop skills for Scheduled Castes, Scheduled Tribes, OBCs and women. Now similar arrangement should be made for skill development of transgenders so that they are able to earn a living, which is at the root of all their problems. Then, they should be provided with health care facilities. If they go to any hospital – these

transgenders very often suffer from both sexually transmitted diseases and HIV Aids – they should be ensured free treatment.

I do hope that once the National Commission and the State Commissions are set up, they will go into this problem and, from time to time, issue directives to the Government as to what actions should be taken. We cannot allow a large section of the population, a large section of the society to go into penury, destitution and beggary. We have this responsibility towards these unfortunate people who are born a little different from others. For that purpose they should not be deprived of their rights.

The proposed legislation speaks of special rights for transgenders. In case their rights are violated, they will have a right to take resort to legal action and there will be an exclusive transgenders' court. It may take a little time to set up but I think a beginning has to be made now. A message has to go out from the Government that they are under the protection of the Government; that no inhuman behaviour towards them will be tolerated and that the Government is making a serious and earnest effort to rehabilitate them socially, economically and culturally.

The hon. Minister of Social Justice and Empowerment is present in the House. Today, his Budget was discussed. I have with me a Report of the Standing Committee on Social Justice and Empowerment. The Committee says that an Expert Committee was constituted to make an in-depth study of the problems being faced by the transgender community. So, the first step has been taken. The Expert Committee has already submitted its Report on 27th January, 2014. I may remind you that the present Government came into power in May, 2014. By now the action should have been taken. Two years have elapsed and we have not made any progress in this regard.

A Standing Coordination Mechanism in the form of an inter-Ministerial Committee has been constituted to discuss the issues. The Standing Committee has reported that the Department is also in the process of formulating a Bill titled 'the

Rights of Transgender Persons Bill', which was placed on the website of the Department on 3/12/2015 for seeking comments from the public. A pre-legislative consultation meeting with the stakeholders was held this year on 18/1/2016. All I would say is that the Department has made some progress. It has placed the draft legislation on the website. What is needed is a sense of urgency in the matter. The urgency is required because every day inhuman behaviour toward transgenders are taking place, more and more transgender people are taking to crime and they are becoming a nuisance in society.

When I was an MLA in Kolkata, I have seen the subhuman conditions they live in. They take away a child which is born as transgender from the family and as a result of which it takes to the same methods.

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्री थावर चंद गहलोत): सभापित महोदय, माननीय सौगत राय जी यह जानना चाहते हैं कि हमने प्रारूप वेबसाइट पर डाला है, तो उसमें क्या प्रगित हुई है? मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हमने प्रारूप फाइनल कर लिया है और लॉ डिपार्टमैंट से उसकी स्वीकृति आ गयी है। उस पर कैबिनेट नोट बनकर सर्कुलेट हो गया है। हमारा प्रयास होगा कि हम अगली कैबिनेट मीटिंग में उसे रखें और आगे बढायें।

प्रो. सौगत राय (दमदम): सभापित महोदय, मैं मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि जब हम यह डिसकस कर रहे हैं, तो उन्होंने इस संबंध में इतनी प्रगित की है। मैं पहले यह समझता था कि राज्य सभा में सरकार इस बिल को पास नहीं कराना चाहती, लेकिन फिर भी यह बिल पास हो गया। लोक सभा में हम सरकार के खिलाफ जाकर बिल पास नहीं कर सकते। लोक सभा में हमारी मंत्री जी से अपील होती है कि आपको जो भी करना है, उसे जल्दी कीजिए। स्टैंडिंग कमेटी ने भी इस बारे में बोला है।

"The Committee, therefore, desire that the Department should expedite the finalization of the umbrella scheme without delay so that the same could be implemented at the earliest, being the only scheme for the welfare of the transgender community."

स्टैंडिंग कमेटी ने यह बोला है। आप जितनी जल्दी यह बिल सामने लायेंगे, उतना अच्छा होगा। मेरे ख्याल से सारा हाउस संविधान को मानकर उस पर प्रतिक्रिया देगा। ये अल्पसंख्यक लोग हैं, जो दिक्कत में हैं, असुविधा में हैं, इसलिए हम उन्हें देखें। मैं इस बिल का समर्थन करता हूं। मुझे यह लगा कि सरकार

आज इस बिल पर डिसकशन पूरा नहीं करना चाहती, क्योंकि इसमें वोटिंग होगी और सरकारी लोगों को इसके खिलाफ वोट देना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि इसे थोड़ा प्रलंबित किया जाये, क्योंकि जब तक इस पर डिसकशन पूरा होगा तब तक आपका बिल आ जायेगा। मुझे इसमें कोई आपित नहीं है। मैं चाहता हूं कि इनके लिए कुछ किया जाये। सरकार पर ब्राउनी प्वाइंट्स स्कोर करने से क्या फायदा है? हमें इन बेचारे गरीब, बेसहारा लोगों की मदद करनी है और यही हम सबका फर्ज बनता है। मैं बहुत खुश हूं कि मंत्री जी इतने प्रो-एक्टिव निकलें. ...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: आजादी के 67 सालों तक किसी भी सरकार ने इस वर्ग के बारे में कुछ नहीं किया।...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: ये बहुत ही गरीब हैं। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मेरी आपत्ति यह है कि अगर मंत्री जी की तरफ से यह आश्वासन आ गया है। ...(व्यवधान)

प्रो. सोगत राय: पिछली सरकार जनवरी, 2014 में कुछ करके गयी थी। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: मंत्री जी की तरफ से यह आश्वासन आ गया है कि कैबिनेट नोट सुर्कलेट हो चुके हैं, तो यहां चर्चा करने की जरूरत क्या है? If the mover of this Bill can withdraw it, we have another important Bill – Small and Marginal Farmers (Welfare) Bill – just after this one, which is more important. We have already ... (*Interruptions*) This is for the consideration because in what circumstances, Rajya Sabha passed that Bill, that is not of our concern.

We have discussed and we may be discussing as Prof. Roy has just now mentioned that we should continue this discussion. मेरी यही आपत्ति है कि सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि वह एक बिल यहां प्लेस करे। उस समय भी हमें चर्चा करनी है। ...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सभापित महोदय, 67 वर्षों तक इस वर्ग के लिए कुछ नहीं हुआ। आज जब सब लोग यहां बैठकर उस पर अपनी राय देना चाहते हैं तब उसका विरोध क्यों हो रहा है? मुझे लगता है कि हर किसी की बात सुनने का अधिकार है। ... (व्यवधान)

माननीय सभापति : उसका विरोध नहीं हो रहा, बल्कि सुझाव आया है।

...(व्यवधान)

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: हमें बोलने का अवसर दिया जाये। हम लोग सारे काम छोड़कर इस वक्त बोलना चाहते हैं। ... (व्यवधान) हम लोग उनके हक में बात करना चाहते हैं। ... (व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: अनुराग जी ने जो कहा, वह बिल्कुल सही कहा। मेरा पिछली सरकार से सम्पर्क नहीं था, लेकिन उन्होंने जनवरी, 2014 में एक एक्सपर्ट कमेटी बनायी। उस समय यूपीए-टू की सरकार थी। उस कमेटी ने जो रिपोर्ट दी, उसी पर काम आगे बढ़ रहा है। आपको इतिहास को मानना चाहिए। मैं भर्तृहरि जी के प्रस्ताव के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि प्रस्ताव का मूवर भी उनकी पार्टी का है और सजैशन भी उनकी तरफ से आया है। वे अपनी पार्टी में सैटल करें कि क्या करेंगे? मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): मैंने जब चर्चा की थी, जो बिल हाउस में प्रस्तुत किया गया है, उसके खिलाफ ही बोला था। जनरल परसेप्शन ट्रांस जेंडर को लेकर है, इसके समर्थन में सब बोलेंगे। लेकिन जिस तरह प्रस्तुत किया गया है, इसमें कई खामियां हैं। मैंने एक-एक करके इन खामियों को ही उजागर किया था। पता नहीं, सरकार जो बिल लाएगी, रिजर्वेशन के हिसाब से ट्रांस जेंडर के लिए कुछ इलैक्शन लड़ने के लिए है या नहीं, यह उस समय डिसकस होगा।

श्री थावर चंद गहलोत: मैं अभी यही कहना चाहता हूं कि सरकार इस विषय पर गंभीर है। सरकार ईमानदारी से इन वर्गों का हित संरक्षण और उससे संबंधित प्रावधान बनाना चाहती है। इसी आधार को लेकर हमने यह कदम बढ़ाया है। राज्य सभा में जो बिल पास हुआ है, उसमें अनेक व्यावहारिक कठिनाइयां हैं और उन व्यावहारिक कठिनाइयों के कारण बताएंगे, लेकिन हमें लगा कि सरकार को अलग से विधेयक लाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया और कहा कि इनको थर्ड जेंडर में रखा जाएगा। इसके साथ यह भी कहा कि इनको मेल या फिमेल में रहना है, यह उनकी च्वाइस का अधिकार है।

जन्म से कोई व्यक्ति अगर स्त्रीलिंग है या पुलिंग है, उसके जन्म का प्रमाण पत्र उस समय बन जाता है। जब 20-25 साल का हो जाता है तब किसी कारण से ट्रांस जेंडर की परिभाषा वाला बन गया, तो उसका क्या होगा? हमने सुप्रीम कोर्ट से रिव्यु पेटिशन करके मांग की है कि इस संबंध में स्पष्टीकरण दें क्योंकि ट्रांस जेंडर है या नहीं, कौन है, इसका निर्धारण तो डॉक्टर ही करेंगे। मेडिकल लाइन पर ही कोई निर्णय होगा। पैनल डॉक्टर विचार करेंगे कि मेल है या फिमेल है, इसका निर्णय करेंगे। जब तक यह निर्णय नहीं होगा तो कैसे काम होगा?

बहुत से लोग यह भी कहते हैं कि हम एससी में हैं तो हमें एससी की फैसिलिटी दे दीजिए, कोई कहता है एसटी हैं तो एसटी की फैसिलिटी दे दीजिए, कोई कहता है हम ओबीसी के हैं, हमें ओबीसी की

फैसिलिटी दे दीजिए। इस तरह से थर्ड जेंडर में जो देने वाले हैं, यह स्वाभाविक ही है कि एससी, एसटी की सुविधाएं उससे ज्यादा हैं, तो वे वही लेना चाहेंगे। इस प्रकार की बहुत सी बातें हैं जिनका स्पष्टीकरण जरूरी है। जन्म से जो प्रमाण पत्र बन गया, स्कूल में एडिमशन हो गया, तब तक तो वह पुरुा था तो बाद में उसका सिटिंफिकेट कैसे चेंज होगा, कौन चेंज करेगा। इस तरह की बहुत सी विसंगतियां हैं, प्रवृत्तियां हैं जिनका निर्धारण करना जरूरी है। इन सब बातों को लेकर रिव्यु पेटिशन लगी हुई है। सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार चार तारीख मिली थी, अब कौन सी तारीख लगेगी, इसका निर्णय आने तक हम कानून बना देंगे और उसके बाद भी प्रमाण पत्र मिलने में किठनाई होगी। प्रमाण पत्र जब तक नहीं मिलेगा और हम कानून बनाकर रख लेंगे, नियम भी बना देंगे लेकिन प्रमाण पत्र जिसके पास ट्रांस जेंडर का होगा, उसी को तो सुविधा मिलेगी और प्रमाण पत्र नहीं होगा तो नहीं मिलेगी। इन किठनाइयों को दूर करते हुए हम विधेयक लाने का प्रयास कर रहे हैं।

अभी महताब जी का सुझाव आया कि मूवर इसे विड्रॉ कर ले। बहुत से माननीय सदस्य बोलना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इस विषय पर खुल कर बोलें ताकि सरकार का मार्गदर्शन हो जाए, हम जो विधेयक लाने वाले हैं, उसमें और सुधार कर लें।

माननीय सभापति : दो घंटे का समय बढ़ाया है, इस पर चर्चा जारी रहेगी।

श्री रमेश विधूड़ी (दक्षिण दिल्ली): महोदय, इस प्राइवेट मैम्बर बिल में विसंगतियां हैं क्योंकि यह समाज से उनको अलग करने की दिशा में लेकर जाता है। जैसे अलग कोर्ट बन जाए, अलग थाना बन जाए इससे वह अपने आपको अलग महसूस करेगा। मेरा निवेदन है कि जितनी विसंगतियां हैं, वह क्लियर होनी चाहिए। माननीय सभापति: यह बिल पेंडिंग है, इस पर चर्चा चल रही है।

...(व्यवधान)

प्रो. सौगत राय: महोदय, मुझे सिर्फ इतना ही कहना है कि पश्चिम बंगाल में एक ट्रांसजेंडर परसन मानवी बंदोपाध्याय का ओपरेशन हुआ था। वे एक कालेज के प्रिंसिपल बन गए। अगर उन्हें मौका दिया जाए, अगर एक ट्रांसजेंडर कालेज प्रिंसिपल बन सकता है तो सब कुछ हो सकता है।...(व्यवधान)

16.36 hours

PRIVATE MEMBERS' BILLS-Introduced Contd.

(xxxiii)Compulsory Teaching of Sanitation and Cleanliness in Schools Bill, 2016*

माननीय सभापति : श्री ओम बिरला जी।

श्री ओम विरला (कोटा): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि स्वच्छ भारत अभियान के भाग के रूप में सभी विद्यालयों में सफाई और स्वच्छता का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षण तथा उससे संबंधित या उसके आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

HON. CHAIRPERSON: The question is:

"That leave be granted to introduce a Bill to provide for free and compulsory teaching of sanitation and cleanliness in all schools as part of *Swachh Bharat Abhiyan* and for matters connected therewith or incidental thereto."

The motion was adopted.

श्री ओम बिरला: महोदय, मैं विधेयक पुरःस्थापित करता हूं।

^{*} Published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-2, dated 29.04.2016.

16.36 ½ hours

RIGHTS OF TRANSGENDER PERSONS BILL, 2014 ... Contd (As passed by Rajya Sabha)

कुँवर भारतेन्द्र सिंह (बिजनोर): महोदय, आपने मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदना से भरे हुए विषय पर और इस बिल पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं। मैं इसका शीर्षक अंग्रेजी में ही पढ़ेंगा क्योंकि मैं अपने योग्य साथी से बिलकुल सहमत हूं कि विपरीत लिंगी शब्द उचित नहीं है।

महोदय, यह बहुत ही प्रगतिशील और बहुत ही संवेदनाओं से भरा हुआ बिल है। जो लोग अपने आप को पहचान नहीं पा रहे, जैसे किसी ने लड़के के शरीर में जन्म लिया है लेकिन जब वह 12, 14 वर्ष का होता है तो उसे लगता है कि उसकी आत्मा, उसकी भावना, उसकी मानसिकताएं एक लड़की की हैं ऐसा व्यक्ति जो अपने आपको पहचान नहीं पा रहा, हम उसे पहचान देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे वरिष्ठ साथी सौगत राय जी ने बिलकुल सही कहा है कि इस विषय पर बहुत गंभीरता से चर्चा होनी चाहिए। मेरे साथियों ने चर्चा की है लेकिन वे इस विशेष अंतर को सही तरह से नहीं बता पाए कि First, gender and sex are distinct in this context. Sex is assigned at birth. Gender once innate gives a sense of self. In Latin, 'trans' means 'on the other side of'. मतलब यह है कि जन्म से तो बच्ची पैदा हुई है लेकिन उसका मन, उसकी आत्मा, उसकी भावना लड़का बनने की है, वह लड़के की तरह कपड़े पहनना चाहती है। यह तो एक श्रेणी है। दूसरी श्रेणी वह है जिसके जन्म से ही गुप्तांग में कुछ विकृति होती है। वह न लड़का पैदा होता है, न वह लड़की पैदा होता है, इस तरह के बहुत ही अल्प संख्यक लोग हैं। लगभग एक करोड़ ऐसे व्यक्ति हमारे देश में हैं। एक तरफ तो ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें प्रकृति ने, भगवान ने जन्म से ऐसा बनाया है लेकिन दूसरी तरफ ऐसे व्यक्तियों के बारे में भी आपका ध्यान आकर्षिात करना चाहूंगा जो कि इन लोगों से चिढ़ते हैं, इन लोगों की उपस्थिति से, इनकी समाज में मौजूदगी से बड़े घृणित हैं और गुस्सा हैं। इन लोगों का जो व्यवहार है, ये जो सिसजेंडर लोग हैं, ट्रांसजेंडर नहीं है, मगर अपने जेंडर पर उनका इतना विश्वास और अहम है कि ऐसे जो लोग हैं जोकि ट्रांसजेंडर हो गए हैं, उनसे दूर्व्यवहार करते हैं। ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हुए हमें ये कानून बनाने चाहिए।

मेरे साथी अजय मिश्रा बोल रहे थे। उन्होंने कुछ धार्मिक बातें रखीं। तिमलनाडु में विल्लुपुरम जिला के कवगम गांव में एक मेला प्रति वर्ष होता है। श्री कुट्ठन द्वार जी का विवाह जब विष्णु भगवान के महिला स्वरूप मोहिनी से हुआ था, हर वर्ष इसे मेले के रूप में मनाया जाता है। यह हर वर्ष अप्रैल और मई में मनाया जाता है। काफी लोग निराकारी हैं। वे मानते हैं कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है। यदि

भगवान का आकार नहीं है, तो निश्चित रूप से भगवान का लिंग भी नहीं है। भगवान न औरत हैं, न पुरुष हैं। इसलिए हम सबका अपने भौतिक शरीर से, अपनी भौतिकता से हमारा अहम जुड़ा है, इसलिए हम लोग अपने आप को एक आदमी या औरत मानते हैं। मगर वे लोग जो अपने आप को आदमी या औरत नहीं मानते हैं, वे निश्चित रूप से आध्यात्मिक दृष्टि से हम लोगों से ऊपर माने जाते हैं। यह भी एक भावना है, जिसके कारण इस मंदिर में, जहाँ पर हर साल यह मेला होता है।

मैंने दिल्ली के चौराहों पर देखा है, जब लोग लाल बत्ती पर हमसे भीख मांगने आते हैं, तो बहुत सारे लोग इन्हें पैसे देकर हाथ जोड़ते हैं और वे लोगों को आशीर्वाद देते हैं। इसलिए कथा यह है कि एक मानव बली चढ़ानी थी, यदि मानव बली चढ़ायी जाए और उस पुरुष का विवाह न हो, तो उसे गित प्राप्त नहीं होती है। इस वजह से भगवान विष्णु ने स्त्री मोहिनी का रूप लेकर आर्वन जी से विवाह किया और अगले दिन आर्वन जी की बली चढ़ायी गयी। इसलिए अगले दिन रात को विवाह का बहुत बड़ा उत्सव मनाया जाता है और जितने भी ये लोग रहते हैं, हम चाहे उनको किन्नर कहें या हिजड़े कहें, वे सब वहाँ पर आते हैं और विवाह का रूप लेकर इसे मनाते हैं और अगले दिन सुबह में ये अपनी चुड़ियाँ तोड़ देते हैं और वैधव्य का रूप अपना ले लेते हैं। इसलिए हमारे दर्शन में जो अर्धनारीश्वर की बात कही गयी है, उस पर इनका विश्वास है और उसी पर यह परम्परा है। यह तो हमारे समाज का एक वर्ग है जो इसे बहुत ज्यादा मान्यता देता है और सम्मान भी देता है।

केरल की एक रिपोर्ट है, यह अंगरेजी में है, इसलिए मैं आपसे अनुमित चाहूंगा कि मैं इसे अंगरेजी में कोट कर सकूँ। एक ट्रांसजेंडर व्यक्ति ने लिखा है- I was sent to a mental hospital because of them. I have complained to the doctor that I am perfectly fine. The doctor said, it is all about hormonal problem, we can inject hormones. I was kept unconscious. I was given 15 tablets a day. I went mad in the hospital after seeing other patients.

एक अच्छे भले शिक्षित ट्रांसजेंडर व्यक्ति को पागलखाने में डाल दिया गया और उससे पागलों की तरह व्यवहार किया जा रहा है, उसे पागलों की दवाइयाँ दी जा रही हैं। I even wanted to die due to mental pressure. I tried running away from hospital but the guards caught me. You know the guards, right? They are trained to be like that. I stayed there for one month. एक महीना तक उसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार किया गया।

Moreover, the rigid religious principles across all religions have always projected that being a transgender is sinful. There have been circumstances where the church has denied right to be part of the service. By then the entire world came

to know this and the Pastor in my church asked my father not to bring me to church. They said I am a sinner. I was not allowed to attend the funeral of my uncle also.

इस प्रकार का दुर्व्यवहार, जो परम्परागत हो गया है, के बारे में बड़े सख्त विधेयक लाने होंगे। यहीं व्यक्ति बताते हैं कि जो एनजीओज हैं, वे भी अपना पता तक गोपनीय रखना चाहते हैं। जब उनसे पूछा गया कि वे अपना पता क्यों गोपनीय रखना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा कि पड़ोसियों को इससे आपित हो जाएगी यदि उनको पता चल जाए कि यहाँ पर किन्नरों के लिए एक एनजीओ चल रहा है। इसलिए यह एक बड़ी दुखद घटना है।

तमिलनाडु और केरल के बारे में जो रिपोटर्स आई हैं, खास तौर से केरल में बहुत बड़ा दुर्व्यवहार होता है। मगर उससे लगे हुए राज्य तमिलनाडु, जहां पर यह मंदिर भी है, में इतना बुरा व्यवहार नहीं है। प्रिया बाब् नामक किन्नर लिखते हैं कि उन्हें शिक्षा का मौका दिया गया। In Tamil Nadu, all the major colleges are continuously working on transgender issues. Last year, we made a film and screened in all these colleges like Loyola College and Women's Christian College. I was a part of it. So I know how effective it was. We also arranged the session for the students to interact with us. Awareness is important. तमिलनाडु में ऐसी व्यवस्था की गयी है। निश्चित रूप से इन व्यवस्थाओं को हमें राष्ट्रीय स्तर पर लागू करवाना चाहिए। यहां पर एक विधेयक पारित करने और कानून बनाने की आवश्यकता है। तमिलनाड् सरकार अब एक कदम और आगे बढी है कि ये जो बच्चे हैं जो मानते हैं कि उनका शरीर अलग लिंग का है, लेकिन उनका हृदय और आत्मा दुसरे लिंग की है और वह इनके इस शरीर में फंस गयी है, उनके लिए उन्होंने शल्य चिकित्सा कराने की व्यवस्था की है, उन्होंने एक उपचार निकाला, एक सफल रास्ता निकाला है। Tamil Nadu Government established an exclusive welfare board for transgender persons in 2004 They started *nirvana* surgery where people undergo an operation to change their biologically assigned sex and it was provided at subsidized rates. इस शल्य चिकित्सा का नाम उन्होंने "निर्वाण" रखा है। ये रिपोटर्स हमारे सामने आई हैं।

जहां एक ओर उनके लिए कानून बनाना आवश्यक है, वहीं दूसरी ओर अगर हम इसका व्यावहारिक रूप देखें कि आखिरकार ये जो किन्नर हैं, जो हमसे चौराहे पर भीख मांगते हैं, ये अपना जीवनयापन केवल भीख मांग कर तो नहीं करते होंगे। आखिर इनका कारोबार क्या है? जैसा अभी सौगत राय जी ने कहा, इनका आर्थिक कारणों से यौन शोषण होता है और ये लोग यौन सेवाएं उपलब्ध करवाते

हैं। इस बात के बारे में किसी ने भी यहां चर्चा नहीं की है। इसी कारण, जैसा सौगत राय जी ने कहा, ये लोग एचआईवी से एफ्लिक्टेड हैं और इस रूप से इनकी सहायता होनी बड़ी जरूरी है। लेकिन अगर हम पूरे विश्व के आंकड़े देखें तो केवल भारत में ही इनकी संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? इसी इंडियन सब-कांटिनेंट - भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में ही यह वर्ग इतना क्यों है? अगर यह व्यावहारिकता है या प्राकृतिक कमी है तो दूसरे देशों में यह .01 प्रतिशत से भी कम क्यों है? हमारे देश में इनकी संख्या इतनी ज्यादा क्यों है? इससे यह साफ नजर आता है कि यह एक बहुत ही भयावह तरीका है, भयावह कल्ट है। यह एक अपराधिक कल्ट है, जहां पर गरीब बच्चे, दस-बारह साल के होते हैं, जो अपने आपको संभाल नहीं पा रहे है, जिनका परिवार उन्हें संभाल नहीं पा रहा है, उनके पास आकर किन्नर लोग उन्हें प्रभावित करते हैं, उन्हें अपने साथ लगा लेते हैं। इसके बारे में वृत्त-चित्र भी बने हैं, बीबीसी का एक कार्यक्रम - Under the Sun है, उसके लेख हैं, वृत्त-चित्र भी उपलब्ध हैं। उनमें यह स्पष्ट दिखाया गया है कि कैसे 12 या 14 वर्षा के बच्चों को केवल अच्छे भरपेट भोजन के लिए ये लोग प्रभावित कर लेते हैं, अपने साथ जोड़ लेते हैं। कुछ दिनों अपने साथ वैसे ही घुमाते हैं, फिर उन्हें प्रोत्साहित करते हैं कि वे लड़कियों के कपड़े पहन लें, अपने बाल बढ़ा लें और जब यह सब हो जाता है तो एक दिन बड़ा अच्छा भोजन देने के बाद उनके खाने में नींद की गोलियां डाल दी जाती हैं, जब वह बच्चा जागता है तो उसे पता लगता है कि जब वह गहरी नींद में सोया हुआ था तो उसकी मर्जी और सहमित के बिना उसका आपरेशन करके उसे हिजड़ा बना दिया गया।

आजकल यह एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। एक दफा व्यक्ति हिजड़ा बन जाता है, फिर कुछ नहीं हो पाता है। उस वृतचित्र को बहुत ही संवेदन से भरे हुए दो अरूणा झाला जी और कल्याण मुखर्जी ने बीबीसी के लिए बनाया है। उन्होंने असल में जाकर उन लोगों से इंटरव्यू करके पूछा है कि तुम अपने घर क्यों नहीं लौट जाते, अगर तुम अपने जीवन से इतना दुखी और त्रस्त हो तो आखिरकार तुम अपने घर क्यों नहीं लौट जाते तो उसने बताया कि जब मैं घर लौटकर गया तो मेरे घरवालों ने जब मेरा यह स्वरूप देखा, लम्बे बाल, लिपस्टिक लगे होंठ और साड़ी पहनकर मैं गया और जब उन्हें पता लगा कि मेरा आपरेशन करके मुझे हिजड़ा बना दिया गया है तो मेरे घरवालों ने भी मुझे लानत देकर घर से भगा दिया। आज यह इतना भयावह तरीका बन रहा है और एक बहुत बड़ा अपराध हो रहा है। जहां पर यौन शोषण है, बच्चों को जबरदस्ती कैदी रखा जा रहा है और फिर उन्हें अपंग बनाया जा रहा है और उसके बाद उन्हें जबरदस्ती यौन सेवाओं या यौन शोषण में धकेला जा रहा है। मैं समझता हूं कि हमें इन सब बातों पर ध्यान देना चाहिए।

अभी हमारे योग्य साथी बात कर रहे थे कि इन्हें आरक्षण देना चाहिए। इस कलयुग में अनेकों ऐसी घटनाएं आई हैं, जहां पिता रिटायर होने वाला है और बेट को नौकरी नहीं मिल रही है तो बेटा पिता का कत्ल कर देता है कि मुझे इसकी नौकरी मिल जायेगी। हमारे देश में ऐसे बहुत से केंसिज हैं। अगर आप ट्रांस जेंडर्स को आरक्षण दे देते हैं तो यह कल्ट इतना बढ़ जायेगा कि लोगों को जबरदस्ती पकड़कर उनका आपरेशन कर दिया जायेगा। अगर यह एक नौकरी लेने का तरीका बन जाए, क्योंकि आप आरक्षित श्रेणी में आ जायेंगे तो हम अनजाने में कितना बड़ा और बुरा नुकसान अपने समाज का करेंगे। यह जो कल्ट है, इस उपमहाद्वीप में इनकी जो इतनी बड़ी संख्या है, वह इस कारण है, क्योंकि यहां पर एक गंदी परम्परा ने जन्म ले लिया है। जो आध्यात्मिक रूप था, आज वह केवल सस्ता यौन सेवाओं का माध्यम है और इस पूरे सदन को इसका बिल्कुल सीधा सामना करना पड़ेगा। आरक्षण के लिए कोई कहता है कि इन्हें पिछड़ा बनाइये, अभी-अभी मंत्री जी कह रहे थे कि इन्हें अनुसूचित वर्ग में जोड़ने का प्रयास करने की कोशिश है। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि अनुसूचित या पिछड़े वर्ग के लिए जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग या अनुसूचित आयोग इसे स्वीकार न करे, तब तक इन्हें निश्चित रूप से इस प्रकार की श्रेणी नहीं दी जा सकती और न ही देनी चाहिए। जहां एक ओर ये सारी बातें बड़ी गंभीरता की हैं, वहीं इन सारी बातों पर बहुत ही गंभीर चर्चा न हो जाए और गंभीर जांच न हो जाए, तब तक कोई भी कानून यहां बनाना ठीक नहीं होगा।

माननीय सभापति : इससे ज्यादा गंभीर चर्चा क्या होगी, इतनी गंभीर चर्चा हो रही है।

कुँवर भारतेन्द्र सिंह: नहीं सर, जब तक जांच न हो जाए, अभी तक किसी ने इस विषय पर बोलने की हिम्मत क्यों नहीं की या सचाई क्यों नहीं बताई। हम सब जानते हैं कि आखिरकार जो इतनी महंगी-महंगी साड़ियां पहनकर हमसे भीख मांग रहे हैं, वे केवल हमारी भीख से ये साड़ी नहीं ला रहे हैं। तब ये यौन सेवा की बात सदन में क्यों नहीं आई, न यहां लोक सभा में आई और न राज्य सभा में आई। यह एक बहुत विशाल मामला है और समाज जब तक ट्रांस जेंडर व्यक्तियों को स्वीकार कर उनके अधिकारयुक्त शांतिपूर्ण जीवन को सुनिश्चित नहीं करता है। मान्यवर, यह तभी संभव हो पाएगा, जब तक समाज एक विशेष सामाजिक, राजनैतिक तथा सांस्कृतिक परिवर्तन कर इन अल्पसंख्यकों को खुले मन से स्वीकारे। ऐसे जल्दबाज़ी में कानून बनाना, बिना किसी अच्छी जांच रिपोर्ट के यह बहुत ही आधा अधूरा होगा और एक ऐसी कल्ट को बढावा देगा, जिसे हम सब जानते हैं कि यह अपराधों और शोषण से भरा है।

धन्यवाद।

DR. RAVINDRA BABU (AMALAPURAM): Thank you very much, Sir, for giving me the opportunity. From Telugu Desam Party I wholeheartedly support this Bill. Of course, I definitely partially agree with my predecessor who spoke against reservations, reservations leading to perpetuation of this transgender quality. As he has requested to go deep into this issue, I would like to draw the attention of the House to the genetic formation of a child.

What is the genetics of the human beings? A female is born when XX genes are there and a male is born when XY gene is there. There are certain genetic malfunctions and malformations whereby a female can have XY or a male can have XX. These are also genetic variations resulting in the abnormal child. There are certain studies made by psychologists in the field of genetic. The original psychologist Sigmund Freud has dwelt upon the psychosexual development of a child and the transgender. He said that there are; oral, anal, sexual and phallic stages, so many stages and each taking place at each fixed interval. Whenever there is confusion, a mixture of these stages, a transgender emerges out. Physically, anatomically, functionally that means physiologically all transgender are like males or females. We only see male transgender. I have yet to come across a female transgender, as it is a very-very rare condition. The commonest condition is a male transgender which we come across on the streets every day. Physically they are very strong. There are instances in the mythology. We have the Shikandi who when appeared during the Mahabharat changed the whole war. At the same time, we have seen transgender kept in big kingdoms to protect the queens. So, they have been used like that.

It is most unfortunate that the pitiable, the pathetic condition of transgender was picturised in a Pakistani movie called 'Bol'. If anybody watches that movie he can understand the plight of a transgender, the pain and agony of the parents of a transgender. When a child is born nobody can identify whether he is going to be a transgender or not. It is only at the age of puberty, at the age of exhibiting the sexual qualities, that one can notice it. The female transgender can be easily

tackled. Male transgender is very difficult to identify. Easy identification can be done by the genetics but it is mostly psychological and functional.

As far as the functional aspects of a transgender are concerned, there can be some malingering, some pretentions but how to identify a true transgender is a big question. It can only be inferred by continuous monitoring of the behaviour of a person like refusing to marry the opposite sex and thereby certifying that he has become a transgender. When they prefer the same sex for their partnership, that is the first sign of a transgender. Therefore, trying to determine anybody's transgender quality through medical diagnosis will definitely lead to fiasco. Medical test cannot conclude anybody's transgender quality but as I said all transgender males will definitely have XX and they will be tested as males. They will produce male harmones.

17.00 hours

They will produce male hormones. They are also capable of producing children because their testosterone hormone, prostrate, etc. are intact. Physically, muscularly, proteins, carbohydrates and distribution of these things in the body are perfectly alright. The only problem is functional which means psychological. The cognitive functions are not as per the male as assigned during the birth. Therefore, it is a very difficult situation and it is a very difficult Bill. As has been said by the hon. Minister, it has already been discussed in the Supreme Court and we are only discussing its judgement. It is not easy even for the Supreme Court to pronounce a transgender.

Every scientist who studied the male behaviour and genetics is equally confused. It is such a confused state of human functioning. If you codify that as a Bill and if anybody tries to pass on a judgement on transgender, it will be a grave injustice. There will be miscarriage of justice. Therefore, a lot of caution needs to be exercised. A lot of sympathy needs to be exhibited. A lot of restraint is required instead of ridiculing them, teasing them and laughing at them. That is why, I would request the Members who are interested in knowing the pain and

agony of the transgender himself and of the parents of the transgender also to see a Pakistani movie called "Bol". If you see that movie, it will make very clear as to what is the confusion.

There are anatomical confusions, psychological confusions, genetic confusions, functional confusions, cultural confusions and above all there is agony. Nobody can quantify their agony unless one experiences it himself. It is a pathological and psychological problem also. It is a combination of anatomy, physiology, bio-chemistry, psychiatric, psychology, culture, etc. Let us not draw any hasty conclusion about transgender. This Bill needs a lot of consideration and restraint before passing each provision. There are so many provisions in the Bill. Let us devote more time in protecting their rights. At the same time, let us not perpetuate their problems.

As my colleague has said, there may be attempts to artificially make them transgender through surgeries and other things. It is because the definition says that the transgender means any person by birth and also induced to transgender either by hormone or by lazor. So, those are also included. The people who are being induced and who have been operated to become transgender will also be entitled to transgender. Therefore, let us not encourage the induction of transgender by artificial means. Let us recognise only those transgender who are functionally and psychologically transgender but anatomically and physiologically belong to their original genetics as per birth. Jai Telugu Desam.

श्री निशिकान्त दुवे (गोड्डा): महोदय, धन्यवाद। अभी मंत्री जी ने जिस तरह का आश्वासन दिया है, मुझे लगता है कि इस बिल के बाद सारी जो लोगों की आशंकाएं हैं, वे शायद खत्म हो जाएंगी, जब यह बिल केन्द्र सरकार लेकर आएगी। इसके लिए माननीय प्रधान मंत्री जी और खासकर हमारे मंत्री माननीय थावर चंद गहलोत जी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने वैसे लोगों के बारे में सोचने का काम किया या इस सरकार ने वैसे लोगों के बारे में सोचने का काम किया जो अनुराग सिंह ठाकुर जी अभी बता रहे थे कि 68 साल से किसी भी सरकार ने इस समाज के लिए न सोचा, न किया, न करने का प्रयास किया। हमारी सरकार इसको करने का प्रयास कर रही है, इसके लिए वह धन्यवाद की पात्र है।

जो तिरूची शिवा जी द्वारा राज्य सभा में पास किया हुआ बिल है और जिसको हमारे काबिल दोस्त बैजयंत पांडा साहब ने यहाँ इंट्रोड्यूज किया है, इस बिल में कहीं-कहीं खामियाँ हैं। मैं वकील नहीं हूँ, लेकिन एक सरसरी निगाह से इसको देखने के बाद मुझे खामियाँ दिखाई देती हैं। इस बिल में काफी खामियाँ हैं। जैसे जो क्लॉज 10 है, क्लॉज 10 में जो आप कह रहे हैं कि कोई भी आदमी, सबसे पहले कह रहे हैं कि:

"Any person or registered organization who are or which has reason to believe that an act of abuse, violence or exploitation has been or is being likely to be committed against any transgender person may give information about it."

उसके बाद एक्ज़ीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आएगा, और चीज़ें आएँगी। इस देश में जिस तरह से हम कानून पर कानून बनाते जा रहे हैं किसी भी चीज़ के लिए, क्या आपको लगता है कि ये सारी चीज़ें रुक जाने वाली हैं, जिस तरह से दबाव डालकर कह रहे हैं कि यह भी कानून होगा? अब आप समझिए कि हमारे यहाँ ये लोग आते हैं, कभी शादी-विवाह के मौसम में आ जाते हैं, बच्चे पैदा होते हैं तो उस वक्त आ जाते हैं, कोई पर्व होता है, त्यौहार होता है तो उस वक्त आ जाते हैं। किसी को अच्छा लगता है कि उनको बुलाकर बात कर लेते हैं, उनको पैसा दे देते हैं। कोई ऐसा परिवार होता है जो पैसा नहीं दे सकता। यदि वह पैसा नहीं देगा या अपना गेट नहीं खोलेगा तो आपको यह नहीं लगता कि ये सारी जो चीजें हैं, वह सीधा उसको जेल भेजने लायक हो जाएँगी? क्या इस तरह का बिल हम चाहते हैं? जो प्रैक्टिकल प्राबलम है, क्या आपने कभी उसको रियलाइज़ किया? वे ज़बर्दस्ती आते हैं, हम तो उसको बुलाते नहीं हैं। इस हाउस में बोलने के लिए बहुत लोग हैं। एक आदमी बताइए जो उनको बुलाते हैं कि हमारे यहाँ शादी हो रही है, आप आइए, हमारे यहाँ विवाह हो रहा है, आप आइए, हमारे यहाँ सत्यनारायण व्रत कथा हो रही है, आइए। वे आते हैं और आना भी चाहिए। मैं यह नहीं कहता कि क्यों आते हैं। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो

पैसा देते हैं, कुछ लोग होते हैं जो पैसा नहीं देते हैं। यदि वे पैसा नहीं देंगे और इस तरह का बिल आएगा तो क्या होगा? इसमें लोग जेल जाएँगे या नहीं? मैं कह रहा हूँ कि जब हम बिल इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसकी जो प्रैक्टिकल प्रॉबलम है, इसके बारे में हमें ज़रूर सोचना चाहिए। इसके बाद आपने जो क्लॉज़ नं. 13 में एजुकेशन की बात कही है -

"The appropriate Government and local authorities shall ensure that all education institutions funded or recognised by them provide inclusive education and *inter-alia*..."

इसके बाद ये ये बातें कही हैं। अब आप समझिए कि इस देश में प्राइवेट एजुकेशन में जो इकोनॉमिक वीकर सैक्शन है, उसका भी 25 परसेंट वे एडिमट कर रहे हैं या नहीं, बच्चे उसमें जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं? आप एक नई सिचुएशन पैदा करेंगे। जब यह सिचुएशन पैदा होगी तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन उसको ले पाने के लिए कितना लायक होगा। नहीं होगा तो वह लिटिगेशन में फँसेगा या नहीं। अभी आप देखिए कि दिल्ली सरकार रोज़ किसी न किसी को लिटिगेशन में फँसाने की बात कर रही है। उसके क्रियेट किए हुए एसैट को लेने की बात कर रही है। मेरा कहना है कि यह जो पॉइंट नंबर 13 है, यह बिल क्यों पास नहीं होना चाहिए और सरकार का बिल इन सारे कंसर्न्स को देखते हुए क्यों आना चाहिए, यह मेरा कहना है। हम उनके पक्ष में हैं, ट्रांसजैन्डर्स के लिए सुविधा मिलनी चाहिए, उनके लिए बिल आना चाहिए, लेकिन इस बिल की जो समस्याएँ हैं, उस बिल के बारे में मैं कह रहा हूँ। इसके बाद क्लॉज़ नं. 21 देखिये।

"All Government institutions of primary, secondary and higher education receiving aid from the Government shall reserve 2 per cent of the total seats in each class or course for transgender persons."

अभी मंत्री जी ने जो बात कही, क्योंकि जो अनुराग जी कह रहे थे कि इसका अनुवाद उचित नहीं है, मुझे भी लगता है कि यह विपरीतिलंगी नहीं, यह उभयिलंगी होगा। उभयिलंगी मतलब, जब वह महिला बनना चाहें तो महिला बन जाएँ और जब वह पुरुष बनना चाहें तो पुरुष बन जाएँ। उनके पास दोनों तरह की क्वालिटी होती है, महिला और पुरुष दोनों की क्वालिटी होती है, इसलिए वे ट्रांसजैन्डर हैं, और इसलिए वे उभयिलंगी है। अब आप यह समझिए कि यदि आप दो परसेंट सीट रिज़र्व करेंगे तो दो परसेंट सीट कैसे रिज़र्व करेंगे? महिला के लिए रिज़र्व करेंगे या पुरुष के लिए रिज़र्व करेंगे? आप शैड्यूल्ड कास्ट के लिए रिज़र्व करेंगे या शैड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिज़र्व करेंगे, क्योंकि शैड्यूल्ड कास्ट और शैड्यूल्ड ट्राइब जो है,

जो बात मंत्री जी कह रहे थे, उसमें एक प्रैक्टिकल प्राबलम है। जो बच्चा शैड्यूल्ड कास्ट में पैदा होगा, वही शैड्यूल्ड कास्ट होगा, जो बच्चा शैड्यूल्ड ट्राइब में पैदा होगा, वही शैड्यूल्ड ट्राइब होगा। हम अलग से कोई क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते हैं कि यह भी शैड्यूल्ड कास्ट हो जाएगा, यह भी शैड्यूल्ड ट्राइब हो जाएगा। जो प्रैक्टिकल प्रॉबलम है, इसमें यदि आप दो परसेंट का कोटा निर्धारित करने की बात कर रहे हैं तो एक बड़ा सवाल वह है। इसके बाद क्लाज़ नंबर 23 और 24 है।

"The appropriate Government shall within a period of one year from the commencement of this Act provide incentive to employers in the private sector to ensure that at least 2 per cent of their workforce is composed of transgender persons."

अब बैजयंत पांडा साहब, आप खुद ही प्राइवेट सैक्टर चलाते हैं। मतलब आपके फादर का बिज़नैस है, फैमिली चलाती है, मैं यह कर रहा हूँ। लेकिन एम.पी. बनने के पहले आपको अपनी कंपनी के बारे में भी जानकारी होगी। आप बताएँ कि अभी पूरे देश भर में माहौल है कि प्राइवेट सैक्टर में जो रिज़र्वेशन है शैड्यूल्ड कास्ट्स का, शैड्यूल्ड ट्राइब्ज़ का, ओबीसी का, वह देना चाहिए।

अभी तक कोई भी सरकार यही निर्णय नहीं कर पाई है। प्राइवेट सैक्टर को हम यहां तक ही खड़ा नहीं कर पाये और हम एक नया बिल जबरदस्ती, जब तक वह बिल नहीं आया है, यह बिल हम आज लेकर आ जाएंगे कि आपको दो परसेंट ट्रांस जेंडर को देना ही देना है। क्या आपको लगता है कि इन्वैस्टमेंट आ पाएगा? क्या आपको नहीं लगता है कि हम बहुत कंट्रोल कर रहे हैं कि हां, विश्वेश्वर रेड्डी साहब बैठे हुए हैं, इनकी वाइफ खुद ही एक बड़ा अपोलो ग्रुप चलाती हैं, क्या वे दो परसेंट ट्रांस जेंडर को दे पाएंगे? मेरा यह यह कहना है कि यदि यह सारा बिल हम यदि पढ़ते तो आपको खुद ही लगता कि इस बिल में बहुत बड़ी प्रैक्टिकल प्रोब्लम है। इसके बाद यदि आप देखेंगे, In Section 47 which is on transgenders rights, you have said:

"May establish for each district and shall establish for each city." अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, प्रधानमंत्री के सामने एक फोटो आया, वह सही है या गलत है, लेकिन अखबार के माध्यम से वे खुद ही रो रहे हैं कि इतने जज नहीं हैं, हम केस को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, इतना एस्टेब्लिशमेंट हम क्रिएट नहीं कर पाये हैं और उसके लिए हम कह रहे हैं कि इस ट्रांस जेंडर के लिए प्रत्येक जिले में हमको एक कोर्ट देनी है। सरकार कहां से कोर्ट दे देगी, क्या कर देगी तो मेरा यह कहना है कि यह बिल रद्दी की टोकरी में फेंकने लायक बिल है और सरकार यदि नया बिल लेकर आएगी

तो मुझे लगता है कि इस देश के लिए अच्छा होगा और ट्रांस जेंडर के लिए भी अच्छा होगा। हम एक लिटिगेशन में फंस गये।

दूसरी बात यह है कि Belgium writer, Koenraad Elst wrote a book titled "Negationism in India." कोनाल्ड इल्स साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छी किताब लिखी, निगेसनिज्म इन इंडिया, इसका मतलब यह है कि भारतीयों को भूलने की बीमारी है और भूलने की बीमारी यह है कि हम अंग्रेजों के बारे में तो बहुत बातें कहते हैं कि अंग्रेज आ गये, अंग्रेजों ने हमारे ऊपर राज कर लिया, यह कर लिया, लेकिन अंग्रेजों के पहले जो लोग आये, उसको जो हम आत्मसात करने की बात करते हैं तो हम यह नहीं कहते कि आप उसको आत्मसात मत करिये, क्योंकि छठी शताब्दी के पहले यहां इस्लाम नहीं था, यह फैक्ट था। छठी शताब्दी के पहले हिन्दुस्तान में एक भी आदमी मुसलमान नहीं था, इस्लाम नहीं था, इसका मतलब यह नहीं कि हम इस्लाम के विरोधी हैं, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि कहां से हिन्दू कल्चर खत्म हआ, इसको जानने की बात है।

यदि ट्रांस जेंडर का यह कानून है, जैसे अभी अजय मिश्रा साहब बात करते हुए कह रहे थे कि 1871 में एक कानून अंग्रेज बनाते हैं और उस कानून के आधार पर आज हम इसकी बात करते हैं और इस सदन में ही कई एक ऐसे लोग हैं, जिनको लगता है कि ट्रांस जेंडर के लिए, एल.जे.पी.टी. के लिए हम ही ऐसे पहले सिपाही हैं, जो लड़ने को तैयार होते हैं।

यदि भारत की संस्कृति की बात करेंगे तो नरसिंह अवतार की बात करते हैं, करते हैं न। गणेश की बात करते हैं, गणेश की पूजा करते हैं तो गणेश जी का आधा जो भाग है, वह पशु का था और आधा पुरुष का था तो आप यह समझिये कि हम तो उससे भी आगे थे। यदि हम अपनी संस्कृति की बात करेंगे या नरसिंह अवतार की बात करेंगे, यदि शिखंडी को आप छोड़ दें तो किस तरह का माहौल था। मेरा यह कहना है कि हमारी जो भारतीय सभ्यता थी, संस्कृति थी, उसमें हमेशा चीजों को, ट्रांस जेंडर हो, ट्रांस जेंडर का भी एक्सट्रीम ट्रांस जेंडर हो, यानि पशु और मनुष्य का भी यदि कोई मिलन हो तो हम तो उसको हमेशा से मानते रहे हैं और उनकी पूजा करते हैं। सबसे पहले हम गणेश की ही पूजा करते हैं। नरसिंह अवतार दस अवतारों में एक अवतार है तो मेरा यह कहना है कि 1871 के इस एक्ट के बाद यदि हमको लगता है कि एक नई चीज़ करने जा रहे हैं, उनको समाज में सम्मान देना है, समाज में सम्मान तो भारत पर जिन लोगों ने अटैक किया, जिन लोगों ने भारत की सभ्यता और संस्कृति को खत्म करने का प्रयास किया। अंग्रेजों ने जिस ढंग से कानून बनाकर उनको कुचलने का प्रयास किया, उन्होंने सबसे पहला अटैक किया। इसलिए मुझे नहीं लगता कि इसमें अपने को कोई बहुत सिम्पेथेटिक होने की आवश्यकता है और यदि आप देखेंगे

तो रामायण की यदि कहानी आप देखेंगे तो रामायण के एंड में, जब 14 वर्ष के लिए रामजी वनवास में जाने लगे तो उन्होंने पूरे अयोध्यावासियों को लौटने के लिए कहा कि आप लौट जाइये तो उन्होंने महिलाओं को कहा कि महिलाएं लौट जाइये, पुरुषों को कहा कि पुरुष लौट जाइये। उसके बाद में कुछ लोग थे, जो कि उनके पीछे जा रहे थे तो उन्हें लगा कि ये मेरे प्रति इतने इमोशनल हैं, मेरे प्रति इतने कमिटेड हैं कि मेरे पीछे जा रहे हैं तो उनको रोक कर उन्होंने कहा कि हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम किसी की शादी हो, विवाह हो, चीज़ हो, जब तक तुम नहीं जाओगे, जब तक तुम्हारी सेवा लोग नहीं करेंगे, तब तक उसका काम पूरा नहीं होगा और यह वरदान उन्होंने दिया। इसी के आधार पर किन्नर, हिजड़ा या जिन चीजों की बात चलती है, उन चीजों की बात वहीं से चल रही है।

अभी भारतेन्दु जी ने अरिवन की बात कही। भर्तृहरि भाई हैं, वे शायद कुछ कहें। ...(व्यवधान) मैं इसी पर आ रहा था। आप बोलिए।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : मैंने उस दिन कहा था, जब ये सारे अयोध्यावासी गंगा के किनारे पहुंच गए और गंगा पार होने से पहले राम जी ने कहा कि आप वापस चले जाइए। जो नर हैं, जो नारी हैं, आप सब वापस चले जाइए अयोध्या और मैं 14 साल के बाद आकर आपको मिलुंगा। 14 साल के बाद जब वे लौटे, तो उन्होंने देखा कि कुछ अयोध्यावासी वहीं बसे हुए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने आपसे कहा कि आप सब वापस चले जाइए, तो फिर आप गए क्यों नहीं? ये सारे लोग कहे कि आप नर को बोले, नारी को बोले, हमें तो नहीं बोले। बाल्मीकि जी ने रामायण में लिखा है किन्नर, यह शब्द वहीं से आया है। मैंने इसलिए उस दिन मंत्री जी को कहा कि ट्रांसजेंडर और विपरीतलिंगी जो शब्द आपने कहे हैं, हमारे साहित्य में और बाल्मीकि जी के शब्द में आया है 'किन्नर' और यह शब्द आप अपने हिन्दी ट्रांसलेशन में लाइए। जब आप सरकार की तरफ से लाएंगे तो हम सहज से, आसानी से समझ जाएंगे कि किस वर्ग को आप कह रहे हैं। गंगा किनारे में वे किन्नर थे, शायद राम जी के साथ वे फिर अयोध्या 14 साल के बाद लौटे। ...(व्यवधान) श्री निशिकान्त दुवे (गोडडा) : इसी तरह से यदि जैन धर्म की बात करेंगे तो जैन धर्म में भी साइकलोजिकल सेक्स की बात कही गई है। मैं यह कह रहा था कि निगेसनिज्म इन इंडिया है, आप भर्तृहरि भाई उस समय उपस्थित नहीं थे, मैं उसी को बताने का प्रयास कर रहा था कि गणेश की कैसे पूजा होती है, नरसिंह अवतार क्यों होता है तो मेरा यह कहना है कि यदि जैन धर्म को भी लेंगे, साइकलोजिकल सेक्स है, इवेन जिसको हम लोग भूल गए हैं, यदि मुगल दरबार की भी बात करेंगे, ओटोमन एम्पायर की भी बात करेंगे तो सभी जगह उनको एक सम्मान की दृष्टि से देखा गया है। गायत्री रेड्डी जी ने बड़ी अच्छी किताब लिखी है कि विद रेस्पेक्ट टू सेक्स निगोशिएटिंग हिजरा इन साउथ इंडिया,

जो लिखा है उसमें इन सारी चीजों का इन्होंने डिटेल जिक्र किया है। मैं उस किताब को बहुत पढ़ना नहीं चाहता हूं। आज पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर की स्थिति क्या है और हमें क्या करने की क्या आवश्यकता है? जो यूनाइटेड नेशन है, यूनाइटेड नेशन एक इंस्ट्रमेंट है, उसको लगता है कि पूरी दुनिया में एक तरह का कानून होना चाहिए, एक तरह की चीजें होना चाहिए। इवेन फाइनेंस की चीजों में भी, यदि डब्ल्यूटीओ के प्रभाव को आप देखें तो वर्ल्ड ट्रेड आर्गनाइजेशन का मतलब यह है कि पूरी दुनिया एक बाजार है और सभी दुनिया में एक तरह से यह काम करें। इसी कारण से जो आर्टिकल 6 है, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948, उसका जो आर्टिकल 16 है, वह इंटरनेशनल कन्वेंशन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, जो 1966 में रिकग्नाइज किया गया और जो आर्टिकल 17 है आईसीसीपीआर स्टेटस का, उसने कहा है कि कोई भी अनलॉफुल इंटरफेरेंस इस तरह के समाज में नहीं होना चाहिए, कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। उसके लिए गडजा मादा यूनिवर्सिटी, योग्यकर्ता में 6 से 9 नवंबर, 2006 में एक मीटिंग हुई कि पूरी दुनिया में ट्रांसजेंडर के लिए किस तरह से कानून बनना चाहिए, किस तरह की समस्यायें हैं और किस तरह से इसको पूरा किया जा सकता है? योग्यकर्ता प्रिंसिपल, जिसके आधार पर पूरी दुनिया ने अपना कानून बदला और मुझे लगता है कि भारत सरकार भी उस योग्यकर्ता प्रिंसिपल के आधार पर आगे बढ़ेगी। उसने पहला काम किया कि दि राइट टू यूनिवर्सल इंज्वायमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो सबसे बड़ा सवाल है, जो अभी सौगत बाबू भी बात करते हुए बता रहे थे, भारतेन्दु जी बता रहे थे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन इसमें सभी जगह होता है। इसमें उसने राज्य को कुछ सुझाव दिए कि क्या-क्या चेंजेज हो सकते हैं और उसने कहा कि संविधान में एक अधिकार देना चाहिए। जो आर्टिकल 14 हमारा है, यदि 14, 15, 19, 21 और 53 को यदि एक साथ, 253 को यदि हमें देखेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे भारत के संविधान में भी ये सारी चीजें हुई हैं, कोई डिस्क्रेमिनेशन नहीं था, लेकिन उसको इंटरप्रिएट करने का जो तरीका था, वह गलत था।

उसके बाद उसने कहा कि क्रिमिनल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, जो 1871 का एक्ट था, जिसके आधार पर आप कह सकते हैं कि इनको क्रिमिनल की श्रेणी में लाया गया, भारत की आजादी के बाद इनको चेंज करने का प्रयास किया, लेकिन आज भी आप गांवों में देखेंगे कि यदि ये गांवों में आ जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये चोरी करने के लिए तो नहीं आ गये, चकारी करने के लिए तो नहीं आ गये, यदि बावरिया जैसा गैंग होता है तो उसमें लगता है कि कहीं यहीं तो ऐक्टिव नहीं है, उनकी जो क्रिमिनल ऐक्टिविटी है, उसको कैसे अलग करेंगे?

तीसरा सवाल यह था कि उस दिन बैजयंत बाबू ने बताया कि शिक्षा और उनके ऊपर जानकारी, अवेयरनेस एक बड़ा विाय है। वह जानकारी करने की आवश्यकता है। प्रह्लाद सिंह पटेल साहब ने रोकते

हुए कि हमारे यहां एक एम.एल.ए. भी हो गये हैं, वह एम.ए. पास हैं। मेयरी भी हुई, वह वुमेन कॉलेज में प्रिसिपल भी हुई, ये सभी उदाहरण हो सकते हैं लेकिन कोई भी ऐसा समाज है, जहां डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, जहां शिक्षा और अवेयरनेस उनको हो, यह उनका प्वाइंट था।

जो डिसिजन मेकिंग प्रोसेस है, कहीं न कहीं ट्रांसजैंडर का इंवाल्वमेंट होना चाहिए। Enjoyment of humanity का पहला प्वाइंट था, उसमें जो योगकर्ता प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से पहला प्वाइंट उन्होंने यह कहा। दुसरा उन्होंने rights to equality and non-discrimination के बारे में कहा है। समानता भारत के संविधान में ऑलरेडी है। लेकिन मान लीजिए कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद यह समझ में आता है कि डिस्क्रिमिनेशन है, उनकें इक्वलिटी नहीं है, आर्टिकल 14, 15 और 19 का वॉयलेशन हो रहा है, 253 इसमें नहीं आ रहा है तो मुझे लगता है सरकार को कानून में यह सब चीजें करनी चाहिए कि उनकी इक्वलिटी ऑर नॉन-डिस्क्रिमिनेशन, नॉन-डिस्क्रिमिनेशन एक बड़ी बात है। क्योंकि समाज में डेढ सौ, दो सौ या चार सौ साल का जो इतिहास है, उसके पहले मैंने आपको बताया कि उनको कितना सम्मान होगा, जिस महाभारत के युद्ध का जिक्र कर रहे हैं। यदि शिखंडी को सारथी बनाकर लाया गया तो उनकी योग्यता और क्षमता पर बहुत विश्वास होगा। क्योंकि लड़ाई भीष्म पितामह से हो रही थी। भीष्म पितामह महाबली थे, बाह्बली थे, उनको कोई हरा नहीं सकता था। यदि शिखंडी को किसी ने रथ का सारथी बनाया तो केवल दिखाने के लिए तो नहीं बनाया होगा, कोई डर से सारथी नहीं बनाया होगा। मान लीजिए भीष्म पितामह अपनी भीष्म प्रतिज्ञा छोड़ कर महिला के ऊपर बाण ही चला देते, वह महिला थे या पुरुष थे, वह महिला के ड्रेस में थी, इसका मतलब यह है कि जो हमारे इतिहास में नहीं है, जो हमारे भारतीय संस्कृति में नहीं है और पिछले तीन-चार सौ साल से डिस्क्रिमिनेशन चल रहा है, उस डिस्क्रिमिनेशन को हटाने के लिए यदि कानून में कोई संशोधन की आवश्यकता है तो हमको लगता है कि उस प्रिंसिपल के आधार पर हमें वह करना चाहिए। ... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: महाभारत में एक और चरित्र बृहन्नाला का वर्णन किया गया है, वह भी एक निर्दिष्ट समय के लिए ही ट्रांसजैंडर हुये थे। ...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे : वह अर्जुन थे। वह एक साल तक जब आज्ञातवास में थे। ...(व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब: वह उत्तर कुमार का सारथी हो कर कौरव सेना का सामना किये थे।...(व्यवधान)

श्री निशिकान्त दुवे: माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद जो बात आयी है, मुझे लगता है कि वह यह होग right to recognition before the law. ...(व्यवधान)

माननीय सभापति : उनको इस विषय का काफी अध्ययन है, उसका हमें फायदा उठाना चाहिए।

श्री निशिकान्त दुवे: कानून में इन लोगों का रिकॉग्निशन होना चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के पहले एक बड़ा सवाल था कि इनको किस श्रेणी में रखा जाये। ये किस श्रेणी के लायक हैं, कौन-कौन सी चीजें हैं और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो थर्ड जेंडर माना, उसके हिसाब से सरकार को उसके ऊपर कंसिडर करने की आवश्यकता है कि कानून के नजर में उनका रिकॉग्निशन है या नहीं है। ... (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब : नॉर्थ-कैरोलिना में हाल ही में बना है, शायद मंत्री जी गौर करें, वहां एक आइन अभी हाल ही में बना है और उनको कहा गया है कि यह जो 'थर्ड जेंडर' शब्द का व्यवहार हम कर रहे हैं लेकिन वे अपने जेंडर के ही टॉयलेट में जायेंगे, वे न मेल टॉयलेट में जायेंगे और न फिमेल टॉयलेट में जायेंगे।

HON. CHAIRPERSON: That will be discrimination

श्री निशिकान्त दुवे: सभापति महोदय, उन्होंने चौथा प्वाइंट कहा - राइट टू लाइफ।

SHRI KONDA VISHWESHWAR REDDY (CHEVELLA): Mr. Chairman, Sir, only this month, in North Carolina State of United States of America, they discussed as to which toil they should go. They discussed it almost for one week and passed a law that the transgenders and the third genders have to go to the toilet of the gender of the birth.

श्री निशिकान्त दुवे: सभापित महोदय, उन्होंने चौथा प्वाइंट कहा है - राइट टू लाइफ जो अभी भारतेन्द्र जी बता रहे थे। कई लोग एचआईवी से पीड़ित थे। कई लोगों को काम करने का मौका नहीं है। इसका मतलब है कि वे जिंदगी कैसे जिएंगे। उनका राइट टू लाइफ निश्चित नहीं है। वे खानाबदोश की जिंदगी जिएंगे, घर में रहेंगे, किसी क्वार्टर में रहेंगे, किसी समाज में रहेंगे। राइट टू लाइफ का जो प्रोटैक्शन है यानी ये चीजें उस कानून का पार्ट होना चाहिए जो इस बिल में मुझे कहीं दिखाई नहीं देता। आप नैशनल कमीशन बना रहे हैं। यह केवल है कि हम डंडा मारकर समाज को कैसा करेंगे। हम डंडा मारकर कुछ नहीं कर सकते। यहां रमा जी बैठी हुई हैं। उस वक्त काफी एक्टिव थीं। निर्भया कांड के बाद हम एक और बिल लाए। क्या उस बिल के बाद महिलाओं पर इस तरह की घटनाएं बंद हो गईं, महिलाओं पर अत्याचार बंद हो गया?

498 - हमने एक डाउरी का केस बनाया कि अगर डाउरी का मामला होगा तो किसी को बिना किसी बहस के कर देंगे। आज 498 में महिलाएं ज्यादा जेल में हैं या पुरुष ज्यादा जेल में हैं। एक महिला को बचाने के लिए दस महिलाएं जेल में जाती हैं। मैं यह नहीं कहता कि वह कानून नहीं बनना चाहिए। लेकिन यदि हम कानून के डंडे पर समाज, देश को चलाना चाहते हैं, जिस तरह त्रिची शिवा साहब बिल लेकर आए हैं, हम समाज में अवेयरनैस पैदा नहीं कर पाएंगे, उनको समाज का अंग नहीं बनने देंगे। हम उन्हें समाज का ऐसा अंग मानेंगे जिससे आदमी को डर लगेगा कि यदि इसका हम कुछ नहीं करेंगे तो यह

हो जाएगा। लोग उससे मिलना-जुलना बंद कर देंगे। मेरा कहना है कि राइट टू लाइफ के लिए सरकार को सोचने की आवश्यकता है।

राइट टू प्राइवेसी - यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है। मान लीजिए कोई इन चीजों को छुपाना चाहता है, प्राइवेसी में रहना चाहता है कि वह ट्रांसजेंडर है, महिला है या पुरुष है। उसका प्रोटैक्शन होना चाहिए। मान लीजिए किसी महिला पर अत्याचार होता है तो आज भी प्रेस, समाज को कहा जाता है कि आप उसका नाम नहीं लेंगे, किस महिला के साथ रेप हुआ है, आप इसे छुपाएंगे या मान लीजिए 16 साल से छोटे बच्चे यदि क्राइम करते हैं तो उनका चेहरा समाज के सामने नहीं लाएंगे। मेरा कहना है कि ट्रांसजेंडर में भी राइट टू प्राइवेसी का प्रावधान निश्चित तौर पर होना चाहिए।

राइट टू ट्रीटमेंट विद ह्युमैनिटी व्हाइल इन डिटेंशन - मान लीजिए कोई पकड़ा गया। उनके साथ सबसे बड़ी समस्या है। जैसे आपने कहा कि अमरीका में कानून में संशोधन हो गया कि उनका अलग टॉयलैट होगा। डिटैंशन में जेल में या महिला वार्ड है या पुरुष वार्ड है। कोई तीसरा वार्ड हमने अभी तक पैदा ही नहीं किया। यदि इस कानून में यह होगा तो आपको पूरे जेल मैनुवल को भी चेंज करने की आवश्यकता है। यहां तक कि हाजत में वे थाने में महिला के साथ रहेंगे या पुरुष के साथ रहेंगे। यदि हम थर्ड जैंडर की बात करेंगे तो इस तरह का प्रोटैक्शन भी अभी से सोचने की आवश्यकता है।

प्रोटैक्शन फ्रॉम मेडिकल ऐब्यूजेस - आपने जो बात कही कि यदि यह प्रोटैक्शन नहीं होगा तो पूरा लॉ ही डिफीट हो जाएगा। मान लीजिए कोई एचआईवी से पीड़ित है तो उसे कहा जाएगा कि इन लोगों का यही काम है। मेडिकल ऐब्यूज़ की कानून में एक धारा जरूर होनी चाहिए कि जो इस तरह का डिसक्रिमिनेशन करेंगे, वे जेल जाएंगे।

राइट टू फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड ऐक्सप्रैशन - हमारा संविधान कहता है कि उनको सही बात बोलने का अधिकार होना चाहिए। यह नहीं हो कि हम उसमें कहीं न कहीं डिसक्रिमिनेट करने का प्रयास करें कि यह क्या बोलेगा, इसे कोई जानकारी नहीं है, यह पढ़ा-लिखा नहीं है। जब संविधान बन रहा था तो आपको पता है कि वोटिंग के समय भी कई लोगों की यही सोच थी कि कुछ लोगों को वोट का अधिकार देना चाहिए, कुछ लोगों को वोट का अधिकार नहीं देना चाहिए। कुछ लोग पढ़े-लिखे हैं, कुछ लोग पढ़े-लिखे नहीं हैं। लेकिन संविधान ने एक बात कही कि यह समाज एक है, देश एक है, यह देश सबका है। आज हमारी डैमोक्रेसी को देखकर हम कह सकते हैं कि हमारी वॉयबरेंट डैमोक्रेसी है। संविधान निर्माताओं ने जो भी काम किया, देश के लिए अच्छा काम किया।

चुनाव के माध्यम से डेमोक्रेटिक सिस्टम आगे बढ़ रहा है, देश को आगे बढ़ने में इसका बड़ा योगदान है। इसमें सारी चीजें होनी चाहिए। इसके बाद मेरा कहना है कि दूसरे कंट्रीज में लॉ हैं चाहे वह

युनाइटेड किंगडम हो, नीदरलैंडस हो, अमेरिका हो, जर्मनी हो, आस्ट्रेलिया हो, कनाडा हो, अर्जेन्टीना हो, इस तरह के लॉ का अध्ययन किया जाए, मुझे नहीं पता है कि सरकार ने अध्ययन किया है या नहीं किया? इसका अध्ययन करके हम अपने कानुन को बनाएं। इसमें आस्ट्रेलिया के जो दो एक्ट है उनको मैं क्वोट करना चाहंगा। मुझे लगता है कि आस्ट्रेलिया सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एक्ट 1984 और सेक्स डिस्क्रीमिनेशन अमेंडमेंट एक्ट 2013, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक्ट के सेक्शन 5 (1) वह कह रहा है कि Discrimination on the ground of sexual orientation उसमें जो पहला प्वाइंट है For the purposes of this Act, a person discriminates against another person on the ground of the aggrieved person's sexual orientation if, by reason of the aggrieved person's sexual orientation or a characteristic that is generally imputed to persons who have the same sexual orientation as the aggrieved person, the discriminator treats the aggrieved person less favourably than, in circumstances that are the same or are not materially different, the discriminator treats or would treat a person who has a different sexual orientation. उसके बाद दूसरा सेक्शन कह रहा है Discrimination on the ground of gender identity. जो सेक्शन 5 भी है, सेक्शन 7 (बी) और सेक्शन 7 (डी) और 5 (सी) इस तरह के मुद्दे के आधार पर कि आप इंटर स्टेट सेक्स डिस्क्रीमिनेशन करेंगे या एग्रीवड को परेशान करेंगे या जेंडर आइडेंटिटी के तौर पर करेंगे, आप सभी बिहाइंड द बॉर जाएंगे। मेरा कहना है कि आस्ट्रेलिया का जो कानून है उसको रखने का सवाल है।

माननीय सभापति : निशीकान्त जी, कुछ और माननीय सदस्यों को भी बोलने का मौका मिल जाए तो अच्छा है।

श्री निशिकान्त दुवे: महोदय, सेक्शन 7 और सेक्शन 47 के बारे में हमने पहले ही कह दिया है। ये सारी बातें हमने कह दी हैं। मेरा अंत में यही कहना है कि इंटरनेशनल कन्वेंशन का आर्टिकल 1 और 3 है जिसके बारे में हमने कहा है वह Everyone has the right to life, liberty and security of person. 1996 आर्टिकल 6 को अफर्म करता है Every human being has the inherent right to life. This right shall be protected by law. No one shall be arbitrarily deprived of his life. ह्यूमन राइट का आर्टिकल 5 कह रहा है कि Article 7 of International Covenant on Civil and Political Rights वह कहता है कि No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading treatment or punishment. ये सारे हमारा आर्टिकल 12, 14,

15, 19 और 253 और यूएन कन्वेशन का विषय है। आज यह समाज अपने आप को उपेक्षित महसूस कर रहा है, समाज में उनको सम्मान नहीं है, सम्मान की जिन्दगी जीने के लिए वह जदोजहद कर रहा है। उसके लिए मेरा आपके माध्यम से सरकार और भारत के प्रधानमंत्री से आग्रह है कि सरकार जो भी कानून लेकर आए। इस बिल को वैजयंत पांडा साहब कभी भी वापस कर लेंगे। यदि सरकार बहुत अच्छे मन से कानून लेकर आती है तो मैं उसका स्वागत करुंगा। मेरा कहना है कि इस पर जो चर्चा हो रही है जिसमें सौगत बाबू और महताब बाबू का तर्क था कि सरकार कानून लेकर आ ही रही है तो हम दूसरे बिल को ले। लेकिन कानून के पहले जो चर्चा हो रही है इसमें जो लोग भाग ले रहे हैं और उनकी जो भावना है, वे चीजों को समझते हैं। मेरा सरकार से आग्रह है कि इस जानकारी को भी आप अपने कानून में इन्कलूड कर लीजिए।

सभापित महोदय, इससे एक अच्छा कानून बने, इस समाज को हम सम्मान की जिंदगी दे पाएं। मुझे लगता है कि हमारे प्रधान मंत्री महोदय के जो नारे हैं- सबका साथ सबका विकास, एक भारत श्रेष्ठ भारत, इसी माध्यम से सफलीभूत होगा। आगे और भी वक्ता बोलेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द-जय भारत।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर (हमीरपुर): सभापित जी, धन्यवाद। आपने मुझे एक महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर दिया है। ट्रांसजेंडर बिल 2014 को हमारे मित्र, श्री बैजयंत जे. पांडा जी ने सदन में प्रस्तुत किया गया और राज्यसभा में इसे सहमित के साथ पारित किया गया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जहां एक ओर पश्चिमी बंगाल में महत्वपूर्ण चुनाव चल रहे हैं वहीं दूसरी ओर प्रो. सौगत राय जी, वरिष्ठ नेता होने के बावजूद, उस चुनाव को छोड़कर इस महत्वपूर्ण बिल पर बोलने के लिए यहां पर बैठे हैं, जिसका में स्वागत करता हूं। जो काम ये यू.पी.ए. के 10 वर्षों में नहीं कर पाए, आज जब एन.डी.ए. के समय में, मंत्री जी ने कहा कि हम कुछ करना चाहते हैं, तो उनका सहयोग करने के लिए यहां बैठे हैं।

सभापित महोदय, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समाज का हर वर्ग और विशेषतौर पर इस सदन के सदस्य इसके पक्ष में बोले और बिल में जो और खामियां हैं, उन्हें और उजागर करेंगे, तो सरकार द्वारा जो नया कानून बनाया जा रहा है, उसे और अच्छा बनाने में सहयोग कर पाएंगे।

सभापित महोदय, मुझसे पूर्व वक्ताओं ने इस विषय पर बड़े विस्तार से विचार रखे। विशेषतौर से श्री बैजयंत जे. पांडा जी ने जब इस विधेयक पर बोलने की शुरूआत की, तो इसके विभिन्न पहलुओं पर चर्चा की, लेकिन जो किमयां थीं, शायद उन पर वे कम बोल पाए। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि उन्होंने इसके पक्ष में भी बहुत बोला और कई बार सदन में प्रश्नोत्तर के दौरान भी एल.जी.बी.टी. क्यूर्स पर बात हुई, लेकिन वह लैस्बियन, गेस, बाईसैक्चुअल और ट्रांसजेंडर इन सबके उपर था, परन्तु आज हम सिर्फ ट्रांसजेंडर पर बात करें, जैसा प्रो. सौगत राय जी ने कहा।

महोदय, मैं श्री निशिकांत दुबे जी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने शुरूआत में ही इस बिल में जो खामियां हैं, उन्हें उजागर किया, उन पर प्रकाश डाला और माननीय मंत्री जी के ध्यान में भी उन किमयों का लाए, तािक जब सरकार कानून बनाने के लिए इसे सदन में लेकर आए, तो जो किमयां राज्य सभा द्वारा पारित किए गए निजी विधेयक में रह गई हों, कम से कम उन्हें भी यहां दूर किया जा सके।

सभापित महोदय, विगत 68 वर्षों से लगातार जिस वर्ग के हित में कोई खड़ा नहीं हुआ, उस पर जब आज मंत्री जी यहां कह रहे थे कि हमारी सरकार ने प्रयास किया है और जल्द ही इस पर वे कानून बनाने के लिए तैयार हैं, तो मैं अपनी और सदन की ओर से माननीय मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूं कि कम समय में उन्होंने बहुत तेजी के साथ, सभी पहलुओं पर विचार करते हुए यह काम किया। माननीय मंत्री जी, मुझे पूर्ण विश्वास है जो चर्चा हम सदन में कर रहे हैं, उन पर भी विचार करेंगे और यदि अभी भी कोई किमयां रह गई होंगी, तो उन्हें भी दूर करेंगे।

सभापित महोदय, जब से माननीय मंत्री जी ने सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का भार ग्रहण किया है, तब से ही हमें पता चला कि सोश्यल जस्टिस एंड एम्पॉवरमेंट नाम का भी कोई मंत्रालय है। आपने सांसदों के क्षेत्रों में जाकर हजारों हजार लोगों को वह सहायता उपलब्ध कराई है। देश में जो अपाहिज लोग हैं या कोई ऐसा व्यक्ति है, जिसके अंग नहीं हैं, उन्हें आपने सहायता उपलब्ध कराई है। इसके लिए मैं अपनी ओर से और सदन की ओर बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

महोदय, समाज के हित में इस मंत्रालय का दिखना बहुत आवश्यक है। अगर हम सामाजिक न्याय और अधिकारिता की बात करते हैं और आपके मंत्रालय के माध्यम से वह दिखता नहीं, तो अच्छा नहीं होगा। हो सकता है, पहले बंट जाता होगा, लेकिन पता नहीं चलता कि किस को बंटा। क्या सही लोगों को बंटा? आज आपके माध्यम से सांसद को पता चलता है कि अलैमको नाम का आपका एक विभाग है और ऑर्गनाइजेशन है, जो साथ में जाकर, नीचे जाकर पूरा सर्वे करता है कि कौन 40 परसेंट से ज्यादा हैंडीकैप्ड है तथा उसे किस चीज की जरूरत है और उसे वह सहायता आपका डिपार्टमेंट देता है।

सभापित महोदय, मुझे लगता है, तीसरी बार सांसद होने के बाद, कभी आज तक किसी पूर्व के मंत्री ने इस तरह से अपनी ओर से वह इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जिस प्रकार से कि आपने दिखाया और एक-एक सांसद को कहा कि अपने-अपने लोक सभा क्षेत्र में आप उन लोगों को सहायता दीजिए, जिन्हें इसकी जरूरत है। यह आपने किया है, इसलिए मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जब यह बिल आयेगा, तो जो बातें हमने यहां रखीं, मैं ट्रांसजेंडर विषय पर आने वाला हूं, तो आप उन किमयों को भी पूरा करेंगे।

सभापित महोदय, आखिरकार हम इनको अस्वीकार करना कब से शुरू करते हैं? क्या सरकार अस्वीकार करती है? क्या कानून अस्वीकार करता है, समाज करता है? मुझे लगता है कि सबसे पहले अगर कोई अस्वीकार करता है, तो वह उसका अपना परिवार करता है। कानून में कहां लिखा है कि आप उसे सड़क पर छोड़ दीजिए। आप उसे मत पढ़ाइये, शिक्षा मत दीजिए, अच्छे स्वास्थ्य की सुविधा मत दीजिए या रोजगार के अवसर मत दीजिए। क्या कानून में ऐसा कहीं लिखा है? परिवार मजबूर हो कर ऐसा क्यों करता है? क्या समाज उसे मजबूर करता है? आखिर जिसका उदाहरण निशिकांत जी ने दिया और उस पर कुछ प्रकाश भर्तृहरि महताब जी ने भी डाला कि अगर रामायण काल से ,भगवान राम के बनवास के समय से जो आशीर्वाद किसी पुरूष और महिला को भी नहीं मिल पाया, वह किन्नर समाज को मिला। भगवान राम का आशीर्वाद उन्हें मिला कि किसी के भी खुशी के समय तुम्हारे आशीर्वाद से दूसरे को खुशी आवश्यकता होगी। जिनके उपर भगवान राम का आशीर्वाद है और जिनके आशीर्वाद से दूसरे को खुशी

मिलती है, आज वह इस समाज में नाखुश क्यो हैं? इसके लिए किसे दोषी मानना चाहिए? क्या इसके लिए कानून दोषी है, समाज दोषी है या परिवार दोषी है? उसमें हमें किस तरह का सुधार करना चाहिए।

यह सच्चाई है कि किसी के भी परिवार में अगर किन्नर समाज, जिसे हिजड़ा भी कहते हैं, के लोग भी कहते हैं, वे आते हैं और किसी की खुशी में शामिल होते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग उसका विरोध करते होंगे। अधिकतर लोग उनका आशीर्वाद लेने में विश्वास रखते हैं। हमारे जैसे परिवारों में बहुत बार यह होता है कि अगर किसी को शुगन के तौर पर कुछ देना है तो उससे दुगुना, उससे ज्यादा बढ़-चढ़कर हमें इन लोगों को देना चाहिए क्योंकि समाज ने इन्हें कहीं न कहीं नकारा है। इनके परिवार ने इन्हें कहीं न कहीं नकारा है। हम क्यों न अपनी खुशी में इन्हें भी हिस्सेदार बनायें? न केवल इनका आशीर्वाद लेने के लिए, बल्कि हम अपनी ओर से इनका कोई सहयोग कर पायें और समाज का एक अंग मानकर चलें, तो वैसा प्रयास हमारे जैसे परिवारों का भी रहता है। लेकिन आखिरकार इसकी आवश्यकता यहां पर क्यों बनी? आज यह भाषण देने से पहले दुष्यंत सिंह जी हमारे साथ बैठे थे। मैं उनसे पूछ रहा था कि आखिरकार इतने वर्षों में दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, भारत की सरकारें इनके पक्ष में क्यों नहीं कर पायीं? आज हमारा दायित्व क्या बनता है और दुनिया भर के कानून क्या हैं, जो इनके पक्ष में खड़े होते हैं?

सभापित महोदय, मैं कानून पर बाद में आऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि आज उनकी हालत क्या है, इनकी संख्या क्या है? सदन के अलग-अलग वक्ताओं ने उनके अलग-अलग आंकड़े दिये। किसी ने 25 लाख कहा, किसी ने 50 लाख कहा, तो किसी ने एक करोड़ तक पहुंचा दिया। सरकार के सामने ये आंकड़े भी नहीं हैं कि इसके असली आंकड़े क्या हैं?

मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ट्रांसजेंडर की एक्चुअल फिगर क्या है? अगर वह राज्यवार बता पायेंगे, तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। अलग-अलग राज्यों ने उस पर क्या-क्या काम किये हैं, अगर वे भी सदन को बता पायें, तो इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती कि किन-किन सरकारों ने उन्हें आगे बढ़ने का मौका दिया। एक उदाहरण यहीं पर सदन के सदस्य ने दिया कि मध्य प्रदेश में हमारे यहां शबनम मौसी नाम से एक महिला, पुरूष या ट्रांसजेंडर, क्योंकि मौसी कहा तो फटाफट महिला साथ में चलता है। उन्हें मौसी क्यों कहा गया? वह विधायक क्यों बनी? आखिर जब हम विधायक या सांसद बनते समय फार्म भरते हैं तो लिखा जाता है कि मेल-फीमेल, पुरुष-महिला, तो आखिर उन्होंने उसमें क्या भरा होगा? उस समय के इलैक्शन किमश्नर ने किस तरह से निर्णय लिया होगा कि यह पुरुष है या महिला है? क्या उनके गुरू के कहने पर कि उसे शबनम नाम दे दिया और शबनम मौसी कहा, तो यह कहने से क्या वह महिला हो गयी? अगर वह जन्म से पुरुष की श्रेणी में थी और किसी गुरू ने उसे महिला का नाम दे दिया और कल को वह पुरुष का शौचालय इस्तेमाल करे या महिला का करे, तो यह भी बहुत बड़ा संकट

है। इस पर बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो सकती है। केवल नाम देने से ही नहीं, बल्कि उसके पहनावे, उसके आचरण, उसके मेकअप, उसके बाल, उसके चाल-ढाल, रंग-ढंग से यह भी निर्भर करेगा कि वह किस शैचालय का इस्तेमाल करेगी।

लेकिन खुशी की बात यह है कि इन सब समस्याओं के बावजूद मध्य प्रदेश जैसे राज्य ने एक ट्रांस जेंडर को विधायक बनाकर विधान सभा में भेजा और न केवल अपने अधिकारियों के लिए बल्कि पूरे समाज में लड़ने का मौका दिया, उसे महापौर भी बनाया। जो माननीय थावरचंद गहलोत जी ने कहा, इसके लिए मैं बहुत बधाई मध्य प्रदेश के लोगों को देना चाहता हूं जिन्होंने इन लोगों को आगे आने का अवसर दिया। छत्तीसगढ़ में भी महापौर बनने का अवसर दिया और गोरखपुर में भी।

मुझे लगता है कि ऐसे उदाहरण समाज में दिए हैं, जहां उनकी स्वीकार्यता है। उन्हें स्वीकार किया गया है, न केवल रोजगार के लिए बल्कि अपना प्रतिनिधि चुना गया है। मुझे लगता है जब अपना समाज या वोटर प्रतिनिधि चुनता है, तो उस पर दायित्व छोड़ता है, विश्वास रखता है। शायद यही हमारे लोकतंत्र की सबसे बड़ी विशेषता है। शायद इसीलिए भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र भी है। महिलाओं के लिए अक्सर कहते हैं कि कोटा होना चाहिए, लेकिन कोटे से पहले 15वीं लोकसभा में स्पीकर महिला बनीं। 16वीं लोकसभा में भी स्पीकर महिला बनीं। 15वीं लोकसभा में विपक्ष की नेता, सुषमा स्वराज जी महिला थीं। इस बार हालांकि नेता तो सोनिया जी हैं, लेकिन विपक्ष के नेता खड़गे जी बने। मोदी जी की सरकार बनी, 25 प्रतिशत महिलाएं पहले कैबिनेट में थी। समाज ने तो मौका दिया है, जिनके लिए हम आरक्षण की मांग करते रहे।

इस बिल में आरक्षण की अलग-अलग सुविधाओं की बात कही, मुझे लगता है इस पर भी विचार करना चाहिए। हिरयाणा में हमने जाट आंदोलन देखा जिसने वहां बहुत आक्रामक रूप लिया। गुजरात में पटेल आरक्षण ने आक्रामक रूप लिया। पहले जिन्हें आरक्षण मिला, आज तक उनको लाभ नहीं मिल पाया केवल क्रीमी लेयर ही उसका लाभ उठाती रही। क्या हम पहले के लोगों को आरक्षण दे पाए? आज तक क्या सबको दे पाए हैं? उनको तो नहीं मिल पाया और हम आगे देने की बात सोच रहे हैं। क्या उन सब पहलुओं पर जाने से पहले एक नई कैंटेगिरी जोड़ दें? राइट टु एजुकेशन बिल ले आए। यूपीए सरकार ने यहां पारित किया था लेकिन अधिकतर कांग्रेस की सरकारों ने आज तक लागू नहीं किया, स्वीकार भी नहीं किया, लागू करने की बात तो बहुत दूर है। केवल एक प्लेइंग टू द गैलरी, औपचारिक रूप दिखाना कि हम इसके पक्ष में हैं, सबके पक्ष में हैं, सबके पक्ष में हैं। क्या केवल यह दिखाने से देश चल पाएगा? क्या हम सही मायने में लोगों को उनके अधिकार दे पाएंगे?

कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि इसे ओबीसी कैटेगिरी में कर लो। अब मैं इस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा लेकिन इम्पलीमेंटेशन कैसे होगा? क्या वह आरक्षण लेने के लिए तैयार है? अगर है तो अलग बात है लेकिन वह कहेगा मैं तो पहले एससी में था, एसटी में था या किसी और वर्ग में था तो अब ओबीसी में क्यों डाल दिया? क्या हम यह उसके ऊपर थोपना चाहते हैं या उन्हें सुविधा देना चाहते हैं या अलग से लाभ देना चाहते हैं? आखिर इसके पीछे मंशा क्या है?

मुझे लगता है कि सरकार को केवल इसिलए नहीं कि कोर्ट ने कुछ कह दिया तो उसे लागू करना हमारे लिए मजबूरी हो गई। मुझे लगता है कि इस बारे में अध्ययन और विचार बहुत गंभीरता के साथ गहराई तक करना चाहिए ताकि हम जल्दबाजी में कुछ गलत न कर जाएं। निशिकांत जी ने बिलकुल सही कहा था। मैं 15वीं लोक सभा का सदस्य था और मेरे घर के बाहर से हजारों लोग प्रदर्शन करने के लिए जाते थे जब निर्भया कांड हुआ। उन सर्दियों के दिनों में जिस तरह से पानी की बौछारे प्रदर्शनकारियों पर फैंकी जाती थीं और लड़कियां तक टस से मस नहीं होती थीं क्योंकि सभी चाहते थे कि इस देश में महिलाओं को, बेटियों को सुरक्षित रक्षा जाए। हम सबने कानून बनाने में देरी नहीं की। सदन एक मत था। बहुत सारे लोग सत्ता पक्ष में थे और मेघवाल जी, निशिकांत जी, दुष्यंत सिंह जी जैसे लोग विपक्ष में थे। महताब जी तो पहले भी विपक्ष में थे और आज भी विपक्ष में ही हैं लेकिन जब ऐसा विषय आता है और समाज हित की बात आती है तो सभी उसके पक्ष में हो जाते हैं।

मुझे लगता है कि निर्भया के समय भी आपने विरोध नहीं किया था लेकिन सच्चाई यह है कि हम सभी को अपने मन से पूछना चाहिए कि कानून बनाने वालों ने तो कोई देरी नहीं की, क्या न्याय देने वालों की तरफ से तो कोई देरी नहीं हो गई। कहां कमी रही है? क्या हमारा काम केवल कानून बनाने तक सीमित हो गया और कुछ का काम केवल जजमेंट देने तक सीमित हो गया लेकिन इसकी प्रेक्टीकल प्रोब्लम्स क्या हैं यह देखने की बात है? इसका इम्प्लिमेंटेशन कैसे हो, यह देखना है। कोई इसके विरोध में नहीं है। मैं जब विरोध के लिए बीच में उठकर खड़ा हुआ था कि आपने इसे विपरीत लिंगी कैसे कह दिया। मैं माननीय मंत्री जी से क्षमा चाहता हूं। मेरा किसी को ठेस पहुंचाने का कोई विचार नहीं था, न मेरा जय पांडा जी के खिलाफ कुछ है। जिस तरह से राज्यसभा में आया, उसी तरह से इस सदन में आया है लेकिन मुझे लगता था कि जब हम किसी लिंग की बात कहते हैं पहले तो यह तय ही नहीं हो पाता था कि पुरुष की बात कर रहे हैं या महिला की बात कर रहे हैं। इसके बाद एक नई समस्या खड़ी हो गई कि विपरीत लिंगी है या उभय लिंगी है। केवल शब्दों में फंसने की बजाय सरकार पर छोड़ देना चाहिए। सदन को सोचना है कि आखिरकार आज ट्रांसजेंडर की क्या हालत है। क्या उन्हें शिक्षा अच्छी मिल पा रही है? अगर आप रिकार्ड निकाल कर देखें तो एक वक्ता ने कहा कि शिक्षा नहीं मिल पा रही, लेकिन दूसरे वक्ता ने

कहा कि मेरे यहां तो एमए हैं, मेरे यहां तो प्रोफंसर हैं, मेरे यहां तो मेयर बन गए, मेरे यहां तो एमएलए बन गए। क्या हम एक-दो उदाहरण दे कर पूरे ट्रांसजेंडर के बारे में कहेंगे कि उन्हें पर्याप्त सुविधाएं मिल गईं। हमें यह नहीं पता कि उनकी कितनी संख्या है, उनमें शिक्षा का स्तर कितना है, कितने पढ़े-लिखे हैं कितने अशिक्षित हैं। कितनों के पास रोजगार हैं और कितने बेरोजगार हैं। अगर रोजगार है तो किस प्रकार का रोजगार है। क्या वे शादी वगैरह में नाचने वाला है, बेटा होने पर खुशी मनाने वाला है या रेड लाइट पर खड़े हो कर वह भीख मांगने का काम करे या थोड़ी सी शाम हो जाए। मुझे लगता है कि हाईवेज़ पर देखा जाता है कि जींस शर्ट पहन कर या महिलाओं के कपड़े पहनकर इस वर्ग के लोग खड़े होते हैं जिन्हें सैक्स वर्कर्स का नाम दिया गया है। क्या इन्हें मजबूर नहीं किया गया है कि इन्हें सैक्स वर्कर बनाया जाए? क्या इन्हें मजबूर नहीं किया जा रहा है कि खुशी के मौके पर आकर नाचे गाएं? क्या इन्हें शिक्षा का अधिकार न दिया जाए जो राइट टू एजुकेशन हमने बनाया है? जब हम संविधान की बात कहते हैं।

If I have to come to the Bill, the Bill seeks to provide the formulation and implementation of a comprehensive national policy for ensuring overall development of the transgender persons and for their welfare to be undertaken by the State. A transgender is a person whose sense of gender does not match with the gender assigned to that person at all.

The guiding principle of the Bill, as per the Bill, will be the respect for inherent dignity, individual autonomy, including the freedom to make one's own choices and independence of persons, non-discrimination, equality of opportunity, full and effective participation and inclusion in society and respect for difference and acceptance of transgender persons as part of human diversity and humanity.

श्री अर्जुन राम मेघवाल: जब ट्रांसजेंडर लोग इनको बोलते हुए देख रहे थे, तो उन्होंने मुझे सुझाव दिया कि क्या अनुराग जी हम लोगों के लिए आईपीएल करवा सकते हैं? यह आपके लिए अभी-अभी एक सुझाव था।

माननीय सभापति : आप उन्हीं से मिलने गये थे?

श्री अर्जुन राम मेघवाल: मैं मिलने नहीं गया था। जब मैं गया था, तो वे उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने अनुराग जी को बोलते हुए देखा तो उन्होंने कहा कि अनुराग जी को बोल देना कि वे हमारा आईपीएल करवा सकते हैं क्या, यह एक सुझाव था इनके लिए।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर: सर, मुझे लगता है कि जो हमें इस वर्ग के लिए करना हो, हमें वह करना चाहिए। चाहे वे कबड़डी खेलना चाहें, क्रिकेट खेलना चाहें, फुटबॉल खेलना चाहें, जो भी करना होगा हम इनके लिए करेंगे, लेकिन हम इनको अवसर देंगे, हम इन्हें अवसरों से दूर नहीं रखेंगे। यही हमारी प्रतिबद्धता है इनके प्रति है कि इनको आज तक मौका नहीं मिल पाया, तो हम सब इकट्ठे इनके प्रयास करें ताकि इनको अवसर मिल पाए।

Sir, if a transgender person is insulted and if that person goes to police and no case is registered, if they do not have any recourse to justice through the police or the law and if they are sidelined and treated as untouchables, then this denial of social justice leads to the denial of economic and political justice. They suffer from poor access to education, legal aid, employment, even homelessness and lack of social acceptance. They are often pushed to the periphery as a social outcaste and many may end up in begging and dancing, and this, by all means, as human trafficking, as I have earlier said.

इस सदन में पहले जो कहा गया कि हम कानून तो लाएं, लेकिन उसके क्लॉज़ 10, 13 और 21 पर जब आरक्षण और बाकी सुविधाओं की बात करते हैं कि वे प्रैक्टिकल इन नेचर हैं या नहीं।

माननीय सभापति : क्या आप कंक्लूड करना चाहेंगे? अभी दो मिनट बाकी हैं, वे इस विषय पर थोड़ा बोल लेंगे या आप ही कंटीन्यू करें, आपकी जैसी इच्छा हो।

श्री अनुराग सिंह टाकुर: सर, अभी तो पाँच-छः पेज बचे हुए हैं।

श्री भर्तृहरि महताब : अनुराग जी ओवर-नाइट बैट्समैन हैं।

श्री अनुराग सिंह टाकुर: सर, आप इसे अगले हफ्ते के लिए रख लीजिए क्योंकि अभी मुझे 15-20 मिनट तक बोलना है, कम से कम आधा घंटा अभी मैं और बोल सकता हूँ।

माननीय सभापति : ठीक है, आप जारी रखिए। इस विषय पर 13 मई को फिर से चर्चा होगी, आप ही इसे कंटीन्यू करेंगे। अभी आप एक मिनट तक बोल सकते हैं, बाकी अगली बार कंटीन्यू करेंगे।

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: The Preamble to the Constitution mandates justice, social, economic and political equality of status. Thus, the first and the foremost right that they deserve is the right to equality under article 14.

18.00 hours

Article 15 speaks about the prohibition of discrimination on the grounds of religion, race, caste, sex or place of birth. Article 21 ensures the right to privacy and personal dignity to all the citizens. Article 23 prohibits trafficking in human beings as beggars and other similar forms of forced labour and any contravention of these provisions shall be an offence punishable in accordance with the law.

The Constitution of India provides for the Fundamental Right to Equality and tolerates no discrimination on the grounds of sex, caste, creed or religion. HON. CHAIRPERSON: Anurag ji, you can continue your speech next time. The House adjourned to meet on Monday, the 2nd May, 2016 at 1100 am.

18.01 hours

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on Monday, May 2, 2016/Vaisakha 12, 1938 (Saka)